लोक सभा वाद–विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(चौदहवां सत्र)

7th Lok Sabha



(खंड 48 में अंक 41 से 52 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

सप्तम माला, खण्ड 48, चौवहवां सत्र, 1984/1906 (शक)

अंक 52, बुधवार, 9 मई, 1984/ 19वैशाख, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	4—22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 991 से 995	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	22—165
तारांकित प्रश्न संख्या : 990 और 996 से 1013	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 10525 से 10692	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	171—176, 290—291
राज्य-सभा से संदेश	176—178
याचिका समिति	178
18वां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश	
विशेषाधिकार समिति	178
8वां प्रतिवेदन	
मोगा में 3 मई, 1984 को हुई गिरफ्तारियों के बारे में वक्तव्य	179—180
प्रो० मधु दंडवते	179
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	179

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	180—204
विभिन्न राज्यों में गेहूं और अन्य कृषि उपज की मजबूरन बिक्री और उनके मूल्य गिरने के समाचार तथा किसानों को लाभप्रद मूल्य दिलाने की आवश्यकता	
श्री विक्रम महाजन	180
श्री योगेन्द्र मकवाना	180
श्री राव बीरेन्द्र सिंह	185
श्री अर्जुन सेठी	189
श्री चित्त बसु	191
श्री रामावतार शास्त्री	198
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	204—205
राष्ट्रीयकृत कम्पनियों, अर्थात रानीगंज न० 2 वर्क्स, तथा दुर्गापुर वर्क्स (बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड, जिला बर्दवान) को बन्द किए जाने के प्रस्ताव के बारे में याचिका	205
लैवी चीनी समान कीमत निधि (संशोधन) विधेयक, 1984—पुरःस्थापित	205—206
नियम 377 के अधीन मामले	206—217
(एक) उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी	206
श्री बी० डी० सिंह	
(दो) सैनिक स्कूलों के अध्यापकों तथा कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में सुधार करने की आवश्यकता	206
श्री ईरा अनबारासु	
(तीन) स्थापित सिंचाई क्षमता तथा उसके उपयोग के बीच के अन्तर को कम करने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता	207
श्री अर्जुन से	
(चार) स्वर्णकारों को सहायता	208
श्री रामावतार शास्त्री	
(पांच) यूरपेटोरियम खरपतवार की वृद्धि को, जिसके कारण उड़ीसा में पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, रोकने की आवश्यकता	208

विषय	पृष्ठ
(छः) रूपसा-बांगड़ीपोसी छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना श्री मनमोहन टुडु	209
(सात) जम्मू तथा काश्मीर में पर्यटन श्री अब्दुल रशीद काबुली	209
(आठ) चिंगलपुट जिले तमिलनाडु में श्री पेरम्बुदुर के परिवारों को, जिन्हें भूमि अर्जन अधिनियम के अंतर्गत विस्थापित किया जा रहा है, दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की दर को बढ़ाने की आवश्यकता श्री टी० नागरत्नम	210
(नौ) खगड़िया और समस्तीपुर के बीच यात्री रेलगाड़ी को पुनः चलाना प्रो० अजित कुमार मेहता	211
(दस) कर्नाटक शिक्षा विधेयक, 1983 पर राष्ट्रपति की अनुमति को रोके जाने की आवश्यकता श्री जी० एम० बनात वाला	211
(ग्यारह) कलकत्ता में गैर-पत्रकारों की यूनियन की हड़ताल श्री संतोष मोहन देव	211
(बारह) अपर्याप्त आधारभूत सुविधाओं के कारण रेलगाड़ियों में व्याप्त अव्यवस्था श्री नारायण चौबे	212
(तेरह) त्रिपुरा सरकार आदिवासी स्वशासी जिला परिषद का गठन कर सके इसके लिए संविधान की छठी अनुसूची की आवश्यकता श्री अजय विश्वास	213
(चौदह) देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई खबरों पर चर्चा श्री दिगम्बर सिंह	213
(पन्द्रह) इस्पात पुनर्वेलन कारखानों में व्याप्त संकट श्री लक्ष्मण मलिक	214
(सोलह) एम० ए० एम० सी०, दुर्गापुर, को बंद होने से बचाने हेतु उपाय करने की आवश्यकता श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	214

विषय	पृष्ठ
(सत्रह) देश में वनस्पति घी की कमी	215
श्री चन्द्रपाल शैलानी	
(अठारह) दिल्ली तथा सीकर (राजस्थान) के बीच, बरास्ता लोहारू, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने की मांग	215
श्री भीम सिंह	
(उन्नीस) किसानों की सहायता करने के लिए जीरा तथा सौंफ का समर्थन मूल्य निर्धारित करने और उनका निर्यात बढ़ाने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता	216
श्री मोती भाई आर० चौधरी	
(बीस) अभ्रक व्यापार निगम में काम करने वाले मजदूरों के वेतनमानों को केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों के समान निर्धारित करने की आवश्यकता	217
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	
वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और उसके संबंध में भारत सरकार की नीति पर चर्चा	217—289
श्री पी० वी० नरसिंह राव	217
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	218
श्री बृजमोहन महन्ती	227
श्री राजेश कुमार सिंह	231
श्री आर० आर० भोले	235
श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी	238
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	248
श्री सूरज भान	253
श्री ईरा अनबारासु	256
श्री सी० टी० दण्डपाणि	259
श्री बी० आर० भगत	266
श्री इन्द्रजीत गुप्त	268
श्री अशफाक हुसैन	275
श्री राजीव गांधी	277
श्री मगनभाई बरोट	278
दहेज प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	289—290
समापन टिप्पणियां	291—292

लोक सभा

बुधवार, 9 मई 1984/19 वैशाख 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्वर : महोदय, क्या यह हमारी विदाई बैठक है ?

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : हमने एक ज्ञापन दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए ।

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को श्रीमती गोपीकाताई मारूतराव कन्नाम्बार के दु:खद निधन की सूचना देनी है । वे 1964-67 के दौरान तीसरी लोक सभा की सदस्या थीं और वे महाराष्ट्र के चांदा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थीं ।

वह राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन की सक्रिय कार्यकर्त्ता थीं ।

उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के दलित लोगों की सेवा में गहरी दिलचस्पी ली और वे कई सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध थीं ।

श्रीमती कन्नाम्वार का निधन बम्बई में 17 अप्रैल, 1984 को 75 वर्ष की आयु में हुआ ।

हम अपने इस सहयोगी के चले जाने पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे आशा है कि शोक संतप्त परिवार को अपनी समवेदना भेजने में आप सभी की ऐसी ही भावनाएं मेरे साथ हैं ।

अपना शोक प्रकट करने के लिए सभा थोड़ी देर के लिए मौन खड़ी हो जाए ।

इसके पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे ।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, पूरे विपक्ष ने नियम 388 के अन्तर्गत सूचना दी है कि आखिरी दिन प्रश्न काल निलम्बित कर दिया जाए ताकि हम संविधान की धारा 343 के अन्तर्गत मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के बारे में एक ज्ञापन दे सकें । सरकार द्वारा मंडल आयोग की रिपोर्ट

पर की गई कार्रवाई के बारे में बताया जाए। यदि प्रश्न काल को स्थगित करने का तरीका स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे हमें सुविधा होगी। (**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इस पर चर्चा होने दीजिए ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, हमारा मेमोरेंडम ले लीजिए और क्वैश्चन आवर को स्थगित करके मंडल कमीशन के बारे में बहस करवाइए। (**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप चर्चा करने की अनुमति दीजिए। सरकार इस बारे में चुप है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे भी इजाजत मिलेगी बोलने की या नहीं।

(**व्यवधान**)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आप देख लें कि इस बारे में हमारी कितनी तीव्र भावनाएं हैं। आपने इस पर चर्चा की अनुमति दी परन्तु सरकार इस सभा को इस बारे में कुछ नहीं बता रही कि उसने आयोग की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, सरकार सभा के प्रति अनादर दिखा रही है।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, क्या आप मेरी बात सुनेंगे ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : जी, हां महोदय ।

अध्यक्ष महोदय : अपने दोस्तों से भी पूछ लीजिए ।

प्रो० मधु दण्डवते : हम केवल इतना कर रहे हैं कि हम एक ज्ञापन दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते ? आपने अपनी बात कह ली है। अब मेरी बारी है। कम से कम मेरी बात सुनने की तो शिष्टता दिखाइए। महोदय, मैं यह कहता हूं कि मैं आपका ज्ञापन किसी भी समय प्राप्त कर लूंगा। मैं अपने कमरे में होऊंगा। आप किसी भी समय मेरे पास आ जाइए। वह कमरा आपका ही है। परन्तु नियम 388 के अन्तर्गत प्रश्न काल निलम्बित करने जैसा कोई सवाल नहीं है। आप जानते हैं कि मैंने पहले आपको इस पर तीन बार चर्चा करने की अनुमति दी है तथा इस पर एक बार और चर्चा करने पर भी मुझे कोई एतराज नहीं है। परन्तु यह चर्चा हम आज नहीं कर सकते। ज्ञापन आप मुझे जब भी चाहें, दे सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, आपसे एक अनुरोध है। हम प्रश्न काल निलम्बित करना नहीं चाहते। हम यह अभी आपको दे देंगे। हम इसे सभा पटल पर रखेंगे और यह आप तक पहुंच जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : आप दे दीजिए।

(**व्यवधान**)

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर फार पार्लियामेंटरी एफेयर्स ने कहा था

कि ऐंटी डावरी बिल इंट्रोड्यूस करेंगे लेकिन आज की कार्य सूची में तो उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आपका काम नहीं है, अब मेरा काम है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तिवारी जी, आप भी कहते थे कि बिल आना चाहिए। (व्यवधान)

श्री प्रमिला दण्डवते : महोदय हम चाहते हैं कि प्रश्न काल निलम्बित किया जाए।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, ये प्रश्न काल के दौरान गड़बड़ी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। परन्तु आप क्यों व्यवधान पैदा कर रहे हैं। आप भी यही कहते थे।

प्रो० के० के० तिवारी : परन्तु महोदय, प्रश्न काल में वे कैसे व्यवधान डाल सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि यह प्रश्न काल है या प्रश्न काल नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण बात है और हम इसे करने जा रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : लोकतन्त्र के इस प्रारम्भिक पाठ के लिए आपका धन्यवाद।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, वे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह ठीक है। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : अपनी प्रिय बहनों से आदर सहित मैंने पहले ही, सभा के आरम्भ होने से भी पहले यह अनुरोध किया है कि विधेयक को मुद्रित करवाने में थोड़ी कठिनाई थी। महोदय, जैसा कि मैंने आपसे अनुरोध किया है कि यह दोपहर बाद किसी समय उपलब्ध हो जाएगा। महोदय, उसके बाद मैं आपके हाथों में हूं। हम इसे पुरस्थापित करवा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जरा देखिए। अब मुझे इस सभा से यह पूछना है कि क्या हम 6 बजे तक साइक्लोस्टाइल्ड प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं और इसे स्वीकृत करा सकते हैं?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : तो यह स्वीकृत हुआ। आप यह कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, एक सूचना दी गई है। आप नियम 388 के अन्तर्गत इस

पर कार्रवाई क्यों नहीं करते ? प्रश्न काल को निलम्बित करने के लिए उचित रूप से सूचना दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : महोद ने उसे अस्वीकार कर दिया है।

श्री जी० एम० बनातवा क्यों ? कम से कम आप हमें उसका कारण तो बताइए। हमें पता तो लगे कि आपने क्यों अस्वीकार दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : महोदय, क्यों का कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न है क्यों नहीं। बैठ जाइए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, एक मिनट। आपने सूचना को अस्वीकार कर दिया है परन्तु हमने आपसे जो अपील की है उसका क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपकी अपील से बहुत सहानुभूति है, परन्तु इसे भी मन्जूर नहीं किया गया है। अब श्री जी० एम० बनातवाला।

श्री जी० एम० बनातवाला : यह क्या है ? महोदय, क्या आप स्थगित कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, महोदय। मैं आपसे अपना प्रश्न पूछने के लिए कह रहा हूं। यदि इसे आप स्थगन समझते हैं तो समझ सकते हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशें

*991. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्पसंख्यकों सम्बन्धी उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ख) इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, इस प्रश्न पर बहुत सरसरी तौर पर एक लाइन का उत्तर देने के लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि उत्तर और अधिक लाइनों में दिया जाता तो क्या आप सन्तुष्ट हो जाते ?

श्री जी० एम० बनातवाला : अल्पसंख्यकों के बारे में उच्च अधिकार प्राप्त पेनल का गठन 10-5-1980 को हुआ था, मेरी जानकारी के अनुसार इसकी प्रारम्भिक रिपोर्ट 26 जनवरी, 1981

को प्राप्त हो गई थी और अन्तिम रिपोर्ट मेरे विचार से 14 जून, 1981 को प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार लगभग 1 वर्ष से यह रिपोर्ट सरकार के पास है और अभी भी हमसे कहा जा रहा है कि रिपोर्ट विचाराधीन है। यहां तक कि यह रिपोर्ट सभा पटल पर भी नहीं रखी गई है। इस पेनल के निर्देश पदों में कहा गया था कि सरकार पेनल को सौंपे गए मामलों को अत्यधिक महत्व देती है।

इस सबको ध्यान में रखते हुए मुझे माननीय मन्त्री से यह पूछना है कि सरकार द्वारा इस रिपोर्ट पर कब तक निर्णय कर लिए जाने की सम्भावना है? रिपोर्ट पर विचार किस चरण में है? इस पर जल्दी निर्णय लेने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या यह रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाएगी ताकि हम यह जान सकें कि इसमें की गई प्रमुख सिफारिशें क्या हैं?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य की यह बात ठीक करना चाहूंगा कि अल्पसंख्यकों के बारे में उच्चाधिकार प्राप्त पेनल की रिपोर्ट सरकार को 14-6-1983 को प्रस्तुत की गई थी न कि 14-6-1981 को। (**व्यवधान**)। जहां तक इस रिपोर्ट का सम्बन्ध है, तो अब उसे प्रधान मन्त्री द्वारा गठित मन्त्रिमण्डल की उप-समिति को विचार के लिए भेजा जा रहा है। ज्यों ही इस पर विचार-विमर्श पूरा हो जाएगा तो हम निश्चित रूप से इसे सभा पटल पर रखेंगे तथा इसे सभा पटल पर रखने के बाद हम राज्य सरकारों के विचार और सिफारिशें जानने के लिए इसे राज्यों को भेजेंगे।

श्री जी० एम० बनातवाला : अन्तिम रिपोर्ट सरकार के पास गत लगभग 11-12 महीनों से है और इस पर अभी भी विचार किया जा रहा है। हमें यह नहीं बताया जा रहा है कि इस पर निर्णय कब तक ले लिए जाने की सम्भावना है।

महोदय, मुझे पेनल के महत्व पर बल देने की आवश्यकता नहीं है जिसने लगभग 80 जिलों का सर्वेक्षण किया है और यह पाया है कि अल्पसंख्यकों की दशा, विशेषकर मुसलमानों की दशा बहुत बुरी है। इसने यह भी पाया है कि देश में बीच में ही स्कूल छोड़ देने की दर सबसे अधिक अल्पसंख्यकों की है। उसने यह भी पाया कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में रोजगारों में उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है और उसमें सुधार की अपेक्षा है।

पेनल की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों के महत्व को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार कम से कम इस सुझाव का सकारात्मक उत्तर देगी कि जब सरकार के स्तर पर इस पर विचार करने में शीघ्रता की जा रही है तो अब यह रिपोर्ट कम से कम सभा पटल पर तो रख दी जाये ताकि अल्पसंख्यकों को कम से कम यह तो पता चल सके कि उनकी समस्याओं के बारे में क्या सुझाव हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है? तो, क्या सरकार इस सुझाव को मानेगी और रिपोर्ट सभा पटल पर रखेगी? सरकार के विचाराधीन प्रमुख सिफारिशों के बारे में राष्ट्र और विशेषकर अल्पसंख्यक अंधेरे में नहीं रहने चाहिए।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं इसे अवश्य सभापटल पर रखूंगा। हालांकि ऐसा करना बहुत ही आवश्यक नहीं है, क्योंकि मैंने इसका वायदा किया है और मैं अपना वायदा पूरा करूंगा। लेकिन जहां तक रिपोर्ट का सम्बन्ध है, इसकी पहले मन्त्रालय में जांच की गई थी और अब यह मन्त्रिमण्डल समिति के पास जाएगी। रिपोर्ट में पैनल की कुछ सिफारिशें हैं जोकि विवादास्पद हैं और इसलिए उन सिफारिशों की पूरी तरह और गहराई से जांच की जानी है और इस कारण उसमें समय लग रहा है। लेकिन

मुझे विश्वास है कि संसद के अगले अधिवेशन तक हम उसे सभापटल पर रख सकेंगे ।

श्री आर० एन० राकेश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं—पिछली बार जब यह सवाल सदन में उठाया गया था तो आपने सदन को आश्वासन दिया था कि 1983 के अन्तिम सत्र में इस पैनल रिपोर्ट को हाऊस में पेश कर दिया जायेगा । उसके बावजूद भी आज जब यह सवाल उठाया गया तो आज भी आप कह रहे हैं कि यह अन्डर-कन्सीड्रेशन है, जल्दी ही पेश कर दी जायेगी । तब तो आपने तारीख भी बतला दी थी, लेकिन आज आप तारीख भी बतलाने की स्थिति में नहीं हैं कि कब पेश होगी । ऐसा लगता है कि इसका अन्जाम भी वही होगा जो मण्डल कमीशन की रिपोर्ट का हुआ है । मैं जानना चाहता हूं— इस रिपोर्ट पर सरकार का कुल कितना पैसा खर्च हुआ है और क्या सरकार महसूस करती है कि हिन्दुस्तान की पापुलेशन का पांचवां भाग, विशेषकर मुस्लिम समाज बहुत आशा की निगाह से इस रिपोर्ट की तरफ देख रहा है । उनको सेटिस्फाई करने के लिए आप कब तक इस रिपोर्ट को पेश करेंगे, क्या कोई तारीख बतलाएंगे ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : कितना खर्च हुआ है—इस समय बतलाने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन जैसा मैंने कहा है—पार्लियामेंट के अगले सत्र में इसका कम्प्लीट एक्जामिनेशन करके, एक्शन-टेकन रिपोर्ट के साथ, पेश करने का प्रयास करेंगे ।

श्री रामविलास पासवान : क्या अगला सत्र होगा ?

अध्यक्ष महोदय : अवश्यमेव होगा ।

प्रो० एन० जी० रंगा : मुझे बहुत ही अफसोस है कि इन मन्त्रालयों की बैठकों में ही इतनी देरी हो रही है । मेरी समझ में नहीं आया कि इन छोटी-छोटी बातों की छानबीन के लिए ग्यारह महीने क्यों लिए गए हैं । उसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जोकि बहुत ही विवादास्पद हैं और सरकार उनके बारे में कोई निर्णय नहीं कर सकी और इसे सभापटल पर नहीं रख सकी । क्या सरकार को हम सबके साथ सहानुभूति है ? हम नहीं चाहते कि हमें सम्पूर्ण देश के सामने गलत तरीके से पेश किया जाए । प्रधानमन्त्री पूरे दिल से अल्पसंख्यकों के और उनकी सुरक्षा के पक्ष में है । सरकार ने इसे बहुत ही गुप्त रखा हुआ है जैसेकि उसके बारे में कुछ रहस्यमय बात है ।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे प्रो० रंगा के साथ सहानुभूति है ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हमें अफसोस है कि उसमें बहुत समय लिया गया है । जहां तक रिपोर्ट के मुद्दों का सम्बन्ध है, प्रधानमन्त्री ने अल्पसंख्यकों के बारे में निर्देश जारी किए हैं और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है । जहां तक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का सम्बन्ध है जिसकी इस पैनल ने सिफारिश की है, उसमें हमें कठिनाई आ रही है और इसी कारण हमें समय लग रहा है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जबकि सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि वह अगले सत्र में की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेगी, मैं यह जानना चाहूंगा, कि क्या उन सिफारिशों में एक सिफारिश, अल्पसंख्यकों की भाषा, अर्थात उर्दू से सम्बन्धित है और उत्तर प्रदेश सरकार के केबिनेट मन्त्रियों के रुख के कारण पैदा हुए भारी भ्रम को देखते हुए, सरकार सिफारिशों के सन्दर्भ में···

प्रो० के० के० तिवारी : सरकार कर्नाटक में क्या कर रही है । यह आवश्यक है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह प्रश्न बहुत ही सीधा है। मैं, इस सिफारिश में संशोधन को देखते हुए सरकार की नीति के बारे में पूछ रहा हूं, क्योंकि यह सिफारिश उर्दू से सम्बन्ध है, सत्तारूढ़ दल द्वारा पैदा किए गए भ्रम को देखते हुए, क्या सरकार का त्रिभाषा फार्मूले में संशोधन करने का विचार है?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह एक असामाजिक प्रश्न है।

श्री चन्द्रजीत यादव : अब मेरा एक सामयिक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी तो परिपक्व है लेकिन उनका प्रश्न असामयिक है।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, माननीय गृह मन्त्री को यह याद दिलाते हुए, मैं अपना प्रश्न पूछता हूं कि कांग्रेस (आई०) के पिछले चुनाव घोषणा-पत्र के दौरान—1980 के अन्तिम अधिवेशन के दौरान—कांग्रेस (आई०) के चुनाव घोषणा-पत्र में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था। उन्होंने वायदा किया था कि वे अल्पसंख्यक आयोग स्थापित करेंगे। और उस वायदे के अनुसार 1981 में डा० गोपाल सिंह पेनल बनाया गया था। इसलिए, मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या सरकार देर करने के तरीकों और जान-बूझकर देर करने के तरीकों को छोड़ेगी जो उसने बी०पी०मण्डल आयोग के सम्बन्ध में भी अपनाए हैं—जैसे कि एक समिति, दूसरी समिति, तीसरी समिति और उसके बाद मन्त्रिमण्डल उप-समिति। सरकार, कम से कम तत्परता करेगी, और उन्हें चाहिए कि वे शीघ्र ही रिपोर्ट को सभापटल पर रखें, जिससे कि लोगों को समिति की सिफारिशों की जानकारी हो सके और क्या यह भी सत्य है कि उन सिफारिशों में से एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह भी है कि जबकि अल्पसंख्यक, जनसंख्या का 11 प्रतिशत बैठते हैं, सरकारी सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व 2 प्रतिशत से भी कम है। उन्होंने यह सिफारिश की है कि सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए जिससे इस आवश्यक क्षेत्र में, अल्पसंख्यक उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सके। सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : रिपोर्ट में कुल मिलाकर विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित 167 सिफारिशें की गई हैं, जो शिक्षा, विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रम और आर्थिक प्रोत्साहनों से सम्बन्धित हैं। क्योंकि रिपोर्ट की जांच की जा रही है और अभी यह निर्णय लिया जाना है कि उसके सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण अपनाया जाये। अतः मैं निवेदन करती हूं कि इस समय इस रिपोर्ट पर चर्चा करना असामयिक होगा। जैसाकि गृह मन्त्री पहले ही बता चुके हैं, हम रिपोर्ट की जांच करने के प्रयास करेंगे और अगले अधिवेशन में जितना जल्दी हो सकेगा उसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखेंगे।

प्रो० के० के० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस पैनल के बहुत ही प्रभावपूर्ण सदस्य इस पैनल की कुछ सिफारिशों से साफ तौर पर असहमत हैं। क्या यह सच है कि इस असहमति के कारण, सिफारिशों के कार्यान्वयन में देरी हुई है?

श्री प्रकाशचन्द्र सेठी : रिपोर्ट में श्री नायक, जो कि पेनल के सदस्यों में से एक थे, द्वारा विगत की एक टिप्पणी थी। लेकिन यह देरी का कारण नहीं है।

डा० कर्ण सिंह : अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यकों का प्रश्न एक बहुत ही जटिल प्रश्न है, और न्यायाधीश हमीदुल्लाह बेग की अध्यक्षता वाले अल्पसंख्यक आयोग तथा अल्पसंख्यकों सम्बन्धी उच्चाधिकार प्राप्त पेनल के बारे में कुछ भ्रांति है। मैं जो प्रश्न पूछना चाहता हूं वह एक आवश्यक नीति

सम्बन्धी मामले के बारे में है। भारत में ऐसे कम-से-कम 5 राज्य हैं जहां हिन्दु अल्पमत में हैं। ये राज्य हैं जम्मू और कश्मीर, पंजाब, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। ऐसी कुछ समस्याएं हैं जिनका हिन्दुओं को जहां पर वे अल्पमत में हैं, वहां सामना करना पड़ता है मैं पहले भी एक बार इस संसद में पूछ चुका हूं कि इस सम्बन्ध में नीति क्या थी। क्या 'अल्पमत' की परिभाषा में हिन्दू नहीं आते आपका इसका मतलब यह है कि उन राज्यों में, उदाहरण के लिए जम्मू और कश्मीर में, जहां हिन्दू अल्पमत में हैं और उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या उनकी समस्याओं पर भी विचार किया जाएगा जबकि सरकार इस समस्या का अध्ययन कर रही है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : अल्पसंख्यकों की चाहे वे हिन्दू बहुमत राज्यों में मुसलमान हैं अथवा अन्य राज्यों में हिन्दू हैं उनकी ठीक तरह देखभाल हो रही है और जहां तक कुल मिलाकर अल्पसंख्यकों का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री के निर्देश सभी मन्त्रालयों और राज्य सरकारों को परिचालित कर दिए गए हैं और वे इसे कार्यान्वित कर रहे हैं।

डा० कर्ण सिंह : मन्त्री महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या उन राज्यों में जहां हिन्दू, अल्पमत में हैं, उन्हें भी इस अध्ययन के अन्तर्गत लाया जाएगा।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : उन्होंने सम्पूर्ण भारतवर्ष में लगभग 80 स्थानों का दौरा किया है और उनकी सिफारिशों में इन क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, कृपया आप उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजिए। हमारी संसद में नहीं।

अध्यक्ष महोदय : क्या हम इस देश में एक भारतीय के रूप में अथवा अल्पसंख्यक के रूप में अथवा बहुसख्यक के रूप में अपने अधिकार प्राप्त करते हैं ? मैं इसके बारे में जानकारी चाहता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कोई भारतीय नहीं है, वे या तो अल्पसंख्यक सम्प्रदाय से अथवा बहुसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित हैं लेकिन भारतीय, भारत में अल्पसंख्यक हैं···(व्यवधान)

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : मैं इस बात का कड़ा विरोध करता हूं। भारत का प्रत्येक नागरिक चाहे वह किसी भी समुदाय का है अथवा एक जाति और दूसरी जाति से सम्बन्ध रखता है पहले भारतीय हैं। हमें भारतीयों की सत्यनिष्ठा पर केवल इसलिए शक नहीं करना चाहिए कि वे किसी विशेष समुदाय अथवा जाति से सम्बन्धित हैं।

*(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैंने किसी को भी अनुमति नहीं दी है। क्या आप कृपया अपना स्थान लेंगे ?

*(व्यवधान)

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठ जाइये। कोई अनुमति नहीं है।

*(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने कुछ भी कहा हो। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। कोई अनुमति नहीं है।

*(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात की जानकारी चाहता था। हमारे समाज का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष है। हमने इस नियम को अपनाया है कि हम जाति, वंश अथवा धर्म के भेदभाव के बिना एक धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना करेंगे। हमने धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान को स्वीकार किया है।

*(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय। कृपया बैठ जाइए।

*(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। कोई अनुमति नहीं है। मैं संविधान की उपेक्षा नहीं कर रहा हूं।

*(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई अनुमति नहीं है। कृपया बैठ जाइये। हम किसी बात का विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हम एक धर्मनिरपेक्ष समाज हैं। हमने इस मांग को अस्वीकार कर दिया है कि···

*(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

*(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कुछ नहीं कहा। मैं केवल कुछ बातों की जानकारी चाहता था। मैं कहता हूं कि जब इस देश में विभाजन हुआ, यह केवल सांप्रदायिक आधार पर था। लेकिन हमने शुरू में ही इस आधार को अस्वीकार कर दिया था। हमने एक ऐसा संविधान स्वीकार किया जिसमें इस बात की गारण्टी है···

*(व्यवधान)

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी बात सुनेंगे ? मुझे अपनी बात कहने दीजिए। कृपया बैठ जाइये। मैं अपनी बात कह रहा हूं। कृपया बैठ जाइये। मैंने आपकी बात सुनी थी। आप भी मेरी बात सुनिए। मैं किसी के विरुद्ध कोई बात नहीं कह रहा हूं।

*(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं। इसमें विवाद का कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं किसी के विरुद्ध कोई बात नहीं कह रहा हूं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि हमने सांप्रदायिकता के सिद्धांत को एकदम अस्वीकार कर दिया था। यही मेरे कहने का मतलब है। हमने संविधान को अपनाया है। मेरे विचार में हमें उसका अवश्य पालन करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्राप्त हैं। हमें भारतीयों के रूप में अधिकार प्राप्त हैं।

*(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं विवाद में नहीं पड़ता। जो बात मैंने कही है वह काफी है। मैं यह नहीं कह रहा कि किसी व्यक्ति के कोई संवैधानिक अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं। जो भी संवैधानिक अधिकार, हमने संविधान में प्रतिष्ठापित किए हैं, दिए जाने चाहिए। यही मुख्य प्रश्न है। यह बहुत सीधा प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस बारे में कोई मतभेद नहीं है कि संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वे हर भारतीय को मिलें चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो।

श्री बूटा सिंह : अपनी स्थिति पर कायम रहिए।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल मिलने चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा आपके साथ कोई विवाद नहीं है। श्री सोज मैंने यहां किसी संवैधानिक चर्चा की अनुमति नहीं दी है। मैंने श्री सोज को पुकारा है। मैं और किसी सदस्य को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्री सोज।

स्वतन्त्रता सैनानियों को राजनीतिक पेंशन

*992. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्वतन्त्रता सेनानियों को राजनीतिक पेंशन प्रदान करने के लिए क्या मानदंड अपनाये गए हैं ; और

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(ख) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई है।

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन किसी ऐसे स्वतन्त्रता सैनिक को स्वीकृत की जाती है जिसने :—

—न्यूनतम 6 महीने (महिलाओं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मामले में तीन महीने) की कैद काटी हो ; अथवा

—गिरफ्तारी आदि के वारंट निकलने पर 6 महीने से अधिक भूमिगत रहा हो ; अथवा

—नजरबंद/निष्कासित किया गया हो बशर्ते नजरबंदी/निष्कासन की अवधि छः महीने अथवा अधिक थी ; अथवा

—स्वतन्त्रता संघर्ष में भाग लेने के कारण जिसकी सम्पत्ति जब्त अथवा कुर्क की गई थी और बेच दी गई थी।

—गोलाबारी अथवा लाठी चार्ज के दौरान स्थाई रूप से अक्षम हो गया ; अथवा

—उसका रोजगार (केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार) समाप्त हो गया और इस प्रकार राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के कारण उसकी आजिविका के साधन समाप्त हो गए थे।

(ख) जी हां, श्रीमान्। जम्मू तथा काश्मीर के स्वतन्त्रता सेनानियों के आवेदनों पर लागू मानदण्ड अलग नहीं है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : गृह मन्त्री ने मानदण्ड स्पष्ट नहीं किया है। उनका जवाब मेरी आशाओं से कम है। वस्तुतः उन्होंने हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। वास्तव में पात्रता की पहली शर्त का उल्लेख न करके उन्होंने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है और मैं इसका निर्णय माननीय अध्यक्ष तथा इस सभा पर छोड़ता हूं। प्रश्न यह है कि जहां तक स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना का सम्बन्ध है, इस योजना को जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं किया गया है। उस योजना के अन्तर्गत पात्रता की दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि 'कोई व्यक्ति जिसने स्वतन्त्रता से पूर्व महाद्वीप जेलों में न्यूनतम छः महीने की कैद काटी हो ; तथापि, भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारी पेंशन के लिए पात्र होंगे यदि वे भारत से बाहर कैदी/बंदी रहे हों।' गृह मन्त्री ने सभा पटल पर एक विवरण रखा है किन्तु उन्होंने इस बात को उसमें से निकाल दिया है। उन्होंने इस बात को क्यों निकाला है इसका एक कारण है। इस योजना में मानदण्ड स्पष्ट किए गए हैं, यह बहुत व्यापक योजना है, और इस योजना में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई व्यक्ति जो अपने को स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में घोषित कराना चाहता है, उसे आवेदन करना पड़ता है। उसे राज्य सरकार से आवेदन करना होता है। इस सम्बन्ध में प्रक्रिया निर्धारित की गई है···

अध्यक्ष महोदय : जो मानदण्ड हैं वे आपके सामने हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह मूल योजना है। इसे गृह मन्त्री द्वारा सप्लाई नहीं किया गया है। इसे राज्य सभा में मेरे एक सहयोगी को दिया गया है। जहां तक आज के उत्तर का सम्बन्ध है, वह कहते हैं कि इस योजना को जम्मू और कश्मीर राज्य पर भी लागू किया गया है। मैं इसको चुनौती देता हूं। इसे वहां लागू नहीं किया गया है। संसद और लोगों के समक्ष किसी प्रकार की घोषणा किए बिना इसे रद्द कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर राज्य में···

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है? अपना प्रश्न पूछिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जम्मू और कश्मीर राज्य में उन्होंने इस योजना स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत योजना में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार नहीं बल्कि गैर-सरकारी परिवीक्षा समिति की सिफारिश पर पेंशन मंजूर की है। राज्य सभा में एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में गृह मन्त्री ने उस समिति के सदस्यों के नाम बताये हैं। यह नौ सदस्यों की समिति है और उनमें से सभी सदस्य कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं···

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं। हुआ क्या है कि परिवीक्षा समिति की सिफारिश पर जम्मू और काश्मीर में 60 व्यक्तियों को इस योजना के अन्तर्गत यह पेंशन दी गई है, किन्तु उनमें से एक भी व्यक्ति स्वतन्त्रता सेनानी नहीं है। ऐसे लोग हैं···

प्रो० के० के० तिवारी : वे आरोप लगा रहे हैं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कांग्रेस मैन होना कोई गुनाह तो नहीं है।

वह आरोप नहीं लगा रहे हैं। वह कह रहे हैं कि वे कांग्रेसी हैं···

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह गलत है? यदि वह कहते हैं कि वे कांग्रेस के आदमी हैं, तो उसमें गलत क्या है?

अध्यक्ष महोदय : कोई भी कांग्रेस का आदमी हो सकता है···आप अपना प्रश्न नहीं पूछते हैं। यही समस्या है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : वे सब कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ता हैं। उनके कांग्रेसी होने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बात यह है कि उनमें से कुछ अभी तक 35 वर्ष की आयु पर नहीं पहुचे हैं। उन्हें पेंशन कैसे मंजूर की गई?···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप यह क्यों नहीं पूछते कि ये लोग ऐसे हैं और उन्हें पेंशन कैसे दी गई है?···आप आवश्यक रूप से सभा का समय बरबाद कर रहे हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं समय बरबाद नहीं कर रहा हूं।

मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि :—

(क) क्या गृह मन्त्रालय···ᵇ

अध्यक्ष महोदय : एक बार एक ही प्रश्न पूछिए न कि (क), (ख), (ग) और (घ)।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या गृह मन्त्रालय जम्मू और कश्मीर राज्य में स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन की मंजूरी के लिए निर्धारित प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया अपना सकता है और क्या मन्त्रिमण्डल के निर्णय पर आधारित कार्यपालिका आदेश के विरुद्ध गैर-सरकारी परिवीक्षा समिति गठित की गई थी अथवा क्या इसे स्वयं गृह मन्त्रालय ने गठित किया था। क्या गृह राज्य मन्त्री गैर-सरकारी परिवीक्षा समिति···चेयरमैन हो सकता है? उसकी नियुक्ति किसने की और उस समिति का चेयरमैन कौन है?

अध्यक्ष महोदय : आप सभा के 10 मिनट बरबाद कर चुके हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : समिति का गठन 11 अक्तूबर, 1983 को हुआ था और उसके सदस्य निम्नलिखित हैं :—

> गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री पी० वेंकटसुब्बैया इसके चेयरमैन हैं। श्री पी० सी० कारी हाले, सदस्य; श्री पीर गयासुद्दीन, सदस्य; श्री मलिक अब्दुल गनी, सदस्य; श्री अली मोहम्मद भट्ट, सदस्य। श्री पीर गुलाम जलानी, सदस्य; श्री जी० आर० खार, सदस्य और श्री शाफी गुलाम मोहम्मद, सदस्य।

जहां तक कश्मीर और देश के अन्य भागों में स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की मंजूरी की शर्तों का संबंध है, वे एक समान हैं। यहां तक कि जो व्यक्ति भूमिगत रहे थे, उन्हें भी सही दस्तावेजों के आधार पर पेंशन दी जा जाती है। अभी तक इस समिति की चार बैठकें हुई हैं और पिछली बैठक में उन्होंने लगभग 500 व्यक्तियों के नाम दिए हैं तथा यह हाल ही 18 अप्रैल, 1984 को हुआ था। उनमें 60 व्यक्तियों को पेंशन मंजूर की जा चुकी है और शेष 440 व्यक्तियों को भी पेंशन मंजूर की जानी है।

मुझे यह कहते हुए अत्यन्त खेद है कि जम्मू और कश्मीर में कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि पेंशन उन लोगों को दी जाये जो शेख अब्दुला के साथ जेल गए थे। यह सम्भव नहीं है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या गृह मन्त्री इस बात से सहमत हैं कि वे सब कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ता हैं?···(**व्यवधान**)। यहां तक कि यदि कोई इस बात को मान ले कि गृह मन्त्रालय परिवर्तित मानदण्ड लागू कर सकता है तो कोई भी व्यक्ति, जो स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन प्राप्त करता है, जेल गया होना चाहिए अथवा वहां दूसरे मानदण्ड भी हैं। जिन 60 व्यक्तियों की पेंशन मंजूर की गई है, उनमें से बहुत से अभी 35 वर्ष की आयु पर नहीं पहुंचे। यदि कोई यह मान भी ले कि गृह मन्त्रालय जम्मू और कश्मीर में मनमाने ढंग से परिवर्तित मानदण्ड लागू कर सकता है, तो उसे आश्चर्य होगा कि क्या मन्त्रालय कांग्रेस (आई) कार्यकर्त्ताओं की गैर-सरकारी परिवीक्षा समिति का गठन कर सकता है। वे सभी कांग्रेस (आई) कार्यकर्त्ता हैं···(**व्यवधान**)। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तथाकथित परिवीक्षा समिति की

सिफारिशें वैध हैं क्योंकि मन्त्रालय द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार कम से कम दो व्यक्ति तो कभी भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं रहे। 60 लाभार्थी हैं —सभी कांग्रेस (आई) कार्यकर्त्ता हैं। और उनमें से बहुत से अभी 35 वर्ष की आयु पर नहीं पहुंचे हैं···

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, इस बात को वे कितनी बार कहेंगे ? ···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री महन्ती, कृपया बैठ जाइए। मैंने उन्हें यह अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या मैं उत्तर प्राप्त कर सकता हूं ? (व्यवधान)

श्री बृजमोहन महन्ती : महोदय, जम्मू और कश्मीर सरकार भी उन व्यक्तियों को स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन दे रही है, जो कैद हुए थे। वे 'प्लेबिसाइट' मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। वे भारत की अखण्डता के विरुद्ध कार्य कर रहे थे अर्थात् वे लोग जम्मू और कश्मीर राज्य का भारत के साथ विलय स्वीकार नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : यह कैसे हो सकता है ? (व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हमारे पास ऐसी कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है हम इस बात का पता लगाने के लिए जांच करेंगे कि क्या कोई अनुचित स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन दी गई है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं एक उत्तरदायीपूर्ण विवरण दे रहा हूं। ये लाभ लाभार्थियों को नहीं मिल रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मन्त्री महोदय ने कहा 'कांग्रेस आन्दोलन'। इसे किसी राष्ट्रीय आंदोलन क्यों नहीं कहा जा सकता है ?

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन स्वीकृत करने में क्या वे उन लोगों के बारे में भी विचार कर रहे हैं जो विभिन्न विद्रोहों से सम्बन्धित थे, जो विद्रोह देश के शोषकों तथा विदेशी शोषकों के विरुद्ध हुए थे। एक उदाहरण मोपला विद्रोह का है, जिसमें लोगों ने भाग लिया था। यदि उन्हें स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में माना जाता है तो क्या सरकार उन लोगों को पेंशन मंजूर करने के लिए तैयार है जिनको मोपला विद्रोह में भाग लेने के कारण जेल जाना पड़ा था।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इनमें विभिन्न श्रेणियां सम्मिलित हैं। हम मोपला विद्रोह को पहले ही मान्यता दे चुके हैं। कुछ और श्रेणियां भी हैं जिनके लिए हमने एक परामर्शदात्री समिति गठित की है। जिसमें प्रो० रंगा और श्री त्रिपाठी भी हैं। इन सब बातों पर विचार के लिए मन्त्रिमण्डल समिति है। हम इन सभी उचित मामलों पर विचार करेंगे।

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : क्या उन व्यक्तियों को भी स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन देने हेतु कोई मानदण्ड निश्चित किया गया है, जिन्होंने निजाम संघर्ष में भाग लिया था ? यदि नहीं, तो क्या भारत सरकार उस पर विचार करेगी ? यह एक महत्वपूर्ण संघर्ष है ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : उसे पहले ही स्वीकार कर लिया गया है ।

कपड़ा मशीनरी उद्योग विस्तार-कार्यक्रम

*993. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कपड़ा मशीनरी उद्योग ने चालू वर्ष के 300 करोड़ रुपये मूल्य के उत्पादन स्तर को बढ़ाकर वर्ष 1984-85 में 366 करोड़ रु० मूल्य का कुल उत्पादन स्तर प्राप्त करने के लिए 150 करोड़ रुपए से अधिक निवेश से एक व्यापक विस्तार कार्यक्रम शुरू किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) देश में कपड़ा उद्योग की सहायता करने के लिए सरकार अन्य किन उपायों पर विचार कर रही है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) तथा (ख) वस्त्र मशीन उद्योग ने विद्यमान निर्माण क्षमताओं के अर्जन और विस्तार पर लगभग 150 करोड़ रु० के अनुमानित निवेश के बारे में बताया है । वस्त्र मशीनों के उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों के दौरान बराबर वृद्धि हो रही थी, लेकिन 1982-83 से इसमें गिरावट आई है जैसे निम्न-लिखित आंकड़ों से देखा जाएगा ।

	(करोड़ रुपये में)
1979-80	165.50
1980-81	221.39
1981-82	265.90
1982-83	238.95
1983-84	243.30 (अनुमानित)

मशीन उद्योग का कार्य वस्त्र उद्योग की दशा पर निर्भर करता है जो पिछले वर्षों में सन्तोष-जनक नहीं रही है । वस्त्र उद्योग की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होने से उत्पादन, जिस पर प्रभाव पड़ा है, में 1984-85 में और उसके बाद वृद्धि होने की आशा है ।

(ग) हाल ही में सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए विभिन्न नीति सम्बन्धी उपायों की पहले ही घोषणा कर दी है। जिनमें से कुछ का संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया जाता है :—

(1) सरकार ने निर्यात दायित्व की शर्त के अधीन वस्त्र मशीनों की कुछ विशिष्ट वस्तुओं पर आयात शुल्कों में कमी की है जिससे आधुनिकीकरण करके निर्यात क्षमता को उत्पन्न किया जा सके।

(2) कुछ शर्तों के अधीन कताई और बुनाई एककों को अधिक तन्तु ममनीयता देने का निर्णय किया गया है।

(3) वस्त्र-निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत उपलब्ध अन्य सुविधाओं के अलावा निर्यात के लिए नकद सहायता को संशोधित दरों की घोषणा की है।

(4) कुछ प्रकार के यार्न और फैब्रिक्स के शुल्क ढांचे की चयनात्मक रूप से पुनरीक्षा की गई है। इन परिवर्तनों से वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों को लाभ मिलने की आशा है।

(5) कुछ चुने हुए ऊनी वस्त्रों पर शुल्कों को भी संशोधित किया गया है।

(6) वस्त्र उद्योग के लिए सुलभ ऋण योजना को और आगे उदार बनाया गया है जिससे आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को और अधिक बढ़ावा मिल सके।

श्री एम० वी चन्द्रशेखर मूर्ति : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए अनेक उत्साहजनक नीतियों की घोषणा की है, परन्तु फिर भी हमारे देश में कपड़ा उद्योग का कार्यकरण संतोषजनक नहीं है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए मैं मन्त्री महोदय से निम्नलिखित जानकारी चाहता हूं :—

(क) कपड़ा उद्योग को किन अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार का विचार इन अड़चनों को किस प्रकार दूर करने का है ;

(ख) क्या सरकार और कपड़ा उद्योग के विचार में इस उद्योग की रुग्णता का कारण घटिया-स्तर की प्रबन्ध व्यवस्था, विपणन प्रणाली और अपर्याप्त निर्यात डिपो तथा मशीनों का धीमी गति से आधुनिकीकरण है ?

यदि हां, तो सरकार का विचार इस समस्या का समाधान किस प्रकार करने का है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : महोदय, प्रश्न के दो पहलू हैं। एक तो वस्त्र मशीन उद्योग वस्त्र मशीन और दूसरा वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित है। मैं पहले वस्त्र मशीन उद्योग के बारे में बताता हूं। जहां तक वस्त्र मशीन उद्योग का सम्बन्ध है सरकार ने इसके आधुनिकीकरण और वस्त्र मशीनों के निर्यात का बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। वस्त्र मशीनों के वर्ष 1983-84 के निर्यात के अनुमानित

आंकड़े 25 करोड़ रुपये हैं। हमारे पास एक कार्य योजना है और टैक्सटाइल मशीनरी मैन्यूफैक्चर्स ऐसोसिएशन से पूरा सहयोग मिल रहा है तथा अगले पांच-छः वर्ष में निर्यात 65-70 करोड़ रुपये तक होने की उम्मीद है। आधुनिकीकरण के लिए हमारे पास एक तकनीकी विकास की निधि की योजना है जो कि वस्त्र उद्योग के कताई, बुनाई और प्रोसेसिंग के क्षेत्रों में आधुनिकीकरण में सहायक होगी। हमने एक विकास परिषद बनाई है जो कि सुलभ ऋण योजना में सुधार, अधिक धनराशि के आबंटन, आधुनिकीकरण आरक्षण कोष, अधिक मूल्य ह्रास निवेश भत्ते, निगमित कर में कमी आदि के अनेक उपायों पर विचार कर रही है। उपसमिति द्वारा दिए गए इन सभी सुझावों पर विचार परिषद विकास कर रही है और बाद में कपड़ा आयुक्त तथा सरकार द्वारा उन पर विचार किया जायेगा।

जहां तक वस्त्र उद्योग का सम्बन्ध है हमारे पास वाणिज्य मन्त्रालय के अन्तर्गत एक वस्त्र विभाग है परन्तु जो आंकड़े मैंने दिए है उनसे पता चलता है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा 7 दिसम्बर 1983 तक वस्त्र एककों को आधुनिकीकरण के लिए 554.21 करोड़ रुपए मन्जूर किए जा चुके थे। इसमें से 343 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय लागत को कम करने के लिए अनेक वित्तीय उपाय गए हैं और 11 प्रतिशत की ब्याज दर पर सुलभ ऋण दिया जा रहा है। कमजोर एककों को 10 प्रतिशत ब्याज पर सहायता मिलती है। वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए सहायता हेतु अन्य वित्तीय उपाय भी किए गए हैं।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, यह अच्छी बात है कि सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर वस्त्र उद्योग के लिए सुलभ ऋण योजना को अनुदार बना दिया है परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह भी सच है कि कुछ रुग्ण मिलों ने आधुनिकीकरण के लिए ऋण लेकर इसका दुरुपयोग किया है। यदि हां, तो सरकार का विचार ऐसे व्यापार के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : महोदय, माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में वाणिज्य मन्त्री से अलग से प्रश्न पूछें, जिनका इस विषय से सम्बन्ध है।

राजधानी की अस्वाभाविक मौतें

*994. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या गृह मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में वर्ष 1984 के पहले तीन महीनों के दौरान कितनी अस्वाभाविक मौतें हुई हैं और इस सम्बन्ध में वर्ष 1983 की प्रत्येक तिमाही के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या इन आंकड़ों से अस्वाभाविक मौतों की घटनाओं में वृद्धि की प्रवृत्ति का पता चलता है ; और

(ग) इन मौतों के मुख्य कारण क्या हैं ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) अपेक्षित आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

1-1-1984 से 31-3-1984 तक	1-1-1983 से 31-3-1983 तक	1-4-1984 से 30-6-1983 तक	1-7-1983 से 30-9-1983 तक	1-10-1983 से 31-12-1983 तक
914	897	887	988	922

(ख) 1983 की प्रथम दो तिमाहियों की तुलना में 1984 के पहले तीन महीनों के दौरान अस्वाभाविक मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है। किन्तु 1983 की अन्य तिमाहियों की तुलना में 1984 के पहले तीन महीनों में अस्वाभाविक मौतों की संख्या कम है।

(ग) इन अस्वाभाविक मौतों के मुख्य कारण धन की लालसा, व्यक्तिगत दुश्मनी, घरेलू कलह, मानसिक अस्थिरता, दुर्घटनाएं आदि हैं।

श्री माधव राव सिंधिया : महोदय, इन स्वाभाविक मौतों में से अधिकतर मौतें दहेज के कारण मौतों की श्रेणी के अन्तर्गत आती हैं। मैंने पिछले वर्ष एक लेख में इस अपराध को रोकने के लिए कुछ सुझाव दिए और मैं उन सुझावों पर सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में जानना चाहता हूं।

मैंने निम्नलिखित सुझाव रखे थे।

(1) सरकार तथा अन्य स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों को इस बुराई के विरुद्ध सामाजिक वातावरण पैदा करने में सहायता देनी चाहिए।

महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विविध भारती में अभी हाल तक निम्नलिखित विज्ञापन प्रसारित किया जाता रहा है :—

अपनी पसन्द की खूबसूरत बीवी

और बेलटेक कलर टी-वी

आपको शादी में जाली, बीवी ही नहीं मिली जॉली टी-वी भी मिला है ;

मैं नहीं समझता कि ऐसे विज्ञापनों से अनुकूल वातवरण पैदा होगा। मैं समझता हूं कि सरकार को चाहिए कि ऐसे विज्ञापनों की प्रसारण में काफी सावधानी बरती जाए।

मेरा दूसरा सुझाव है :—

(2) जांच प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाने के लिए बम्बई में लागू कोरोनर अधिनियम, 1971 को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए ताकि न्यायिक अधिकार प्राप्त एक स्वतन्त्र व्यक्ति द्वारा जांच की जा सके। कोरोनर द्वारा स्वतन्त्र रुप से की गई जांच—सार्वजनिक रूप से जूरी की सहायता से—अन्य प्रकार की जांच की तुलना में अधिक विश्वसनीय होगी।

(3) समस्या के समाधान के लिए एक आधारभूत सुविधाएं—

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही करने के लिए सुझाव है।

श्री माधवराव सिंधिया : यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। महोदय, आपको इसमें दिलचस्पी लेनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : नियम तो नियम है।

श्री माधवराव सिंधिया : (3) समस्या से निपटने के लिए आधारभूत सुविधाएं—एक ऐसा टेलीफोन नम्बर होना चाहिए जिस पर दुखी व्यक्ति टेलीफोन कर सके ; एक ऐसा पता होना चाहिए जिस पर दुखी व्यक्ति परामर्श के लिए जा सके ; कानूनी सहायता केन्द्र ; प्रस्तावित व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह, आदि।

(4) सरकार द्वारा एक महिला राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाना चाहिए जिस आंकड़ों का संकलन करने हों, राष्ट्रीय जीवन में उनके स्तर की निरन्तर पुनरीक्षा करने और महिलाओं सम्बन्धी सभी कानूनों की पुनरीक्षा करने तथा उनके क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के सम्बन्ध में साविधिक अधिकार प्राप्त हों।

इन सुझावों पर मैं सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन सुझावों को लागू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैंने कहा है कि 30 प्रतिशत मौतें सड़क दुर्घटनाओं के कारण होती हैं। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। जहां तक विज्ञापनों के प्रसारण का सम्बन्ध है इसके लिए में सूचना और प्रसारण मन्त्री का ध्यान अवश्य आकर्षित करूंगा। जो सुझाव माननीय सदस्य नें रखे हैं उनकी ओर हमारा ध्यान है और इसके बारे में जो कुछ किया जा सकता है वह हम करना चाहेंगे।

श्री माधवराव सिंधिया : राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में क्या विचार है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यह विचाराधीन नहीं है। परन्तु जहां तक मुझे जानकारी है दहेज के कारण महिलाओं की मौतों के बारे में इस सत्र में एक विधेयक पुरःस्थापित किया जाने वाला है।

श्री माधवराव सिंधिया : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न···मुझे पूरा अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आप अपने अधिकार से आगे बढ़ जाते हैं।

श्री माधव राव सिंधिया : आधुनिकतम उपकरण और वाहन प्राप्त कर लेने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस को हत्याओं को रोकने में अधिक सफलता नहीं मिली है। लोक सभा की प्राक्कलन समिति ने सिफारिश की है कि राजधानी की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते कार्मिकों सहित दिल्ली पुलिस की सभी आवश्यकताओं के बारे में उच्च स्तर पर तुरन्त विचार किया जाना चाहिए और पुलिस के आधुनिकीकरण के बारे में अविलम्ब निर्णय किया जाना चाहिए ताकि दिल्ली पुलिस अपराधों और हत्याओं

को, विशेषकर राजधानी में प्रभावशाली ढंग से रोक सके।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने प्राक्कलन समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कोई निर्णय किया है? सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : सरकार रिपोर्ट पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मंत्री महोदय ने बताया है कि वर्ष 1984 और 1983 की प्रथम तिमाही में क्रमश: 914 और 897 मौतें हुईं, उन्होंने बताया है कि इसमें सभी दुर्घनाओं से होने वाली मौतें, अर्थात् दहेज के कारण होने वाली मौतें, हत्याएं आदि शामिल हैं। क्या आप इन सभी श्रेणियों का अलग अलग ब्यौरा दे सकते हैं? दिल्ली का जीवन स्तर सारे देश में सबसे ऊंचा है। परन्तु बहुत अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। कुछ लोगों के पास तो अपने परिवार को पालने के लिए कमाई के साधन नहीं हैं और उनमें से कुछ लोग गरीबी के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। दिल्ली में वर्ष 1984 की प्रथम तिमाही में और 1983 की प्रथम तिमाही में गरीबी और नौकरी और कमाई के अभाव और आर्थिक हालत खराब होने के कारण कितनी मौतें हुई हैं?

श्री प्रकाश चन्द सेठी : 30 प्रतिशत मौतें दुर्घटनाओं के कारण हुई हैं। आत्महत्या के कारण भी मौतें हुई हैं। मैं माननीय सदस्य को इनका ब्यौरा अवश्य दूंगा।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : परन्तु महोदय, लोग गरीबी, भोजन और कमाई के अभाव में मर रहे हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : भूख से कोई मौत नहीं हुई है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : यह रविवार के इंडियन एक्सप्रेस में "वूमन इन दिल्ली डाईज ऑफ स्टारवेशन" शीर्षक से प्रकाशित हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि भूख के कारण कोई मौतें नहीं हुई हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उसमें फोटोग्राफ भी हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, वे सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : अध्यक्ष महोदय, पांच कन्याओं की जो डावरी डेथ्स हुई, उनकी मातायें अनशन करने के लिए गोल-मेथी चौक के पास बैठी थीं और उनकी प्रधान मन्त्री के साथ बातचीत भी हुई थी। मुझे दो केसेज का तो पता है—एक केस सी०बी०आई० के सुपुर्द है और दूसरा अंजू खंडेलवाल का केस सुप्रीम कोर्ट के पास है लेकिन बाकी तीन केसेज में क्या हुआ, यह किसी को भी पता नहीं है। रामवती, जिसकी लड़की को मारा है, उसने आगरे में थाने में शिकायत की लेकिन उसके बारे में क्या हुआ कुछ पता नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी से जाना चाहती हूं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास आपने भेजा तो वहां से आपके पास कोई जवाब आया या नहीं?

अध्यक्ष महोदय : इंडिवीजुबल केसेज के बारे में यहां क्या पता लगेगा ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : प्रधान मंत्री जी से मिलने के बाद वे मुझ से भी मिली थी। जैसा आपने भी बताया है, एक केस सी० बी० आई० को दिया है, दूसरे का इंवेस्टिगेशन हो गया है और तीन केसेज यू० पी० गवर्नमेंट के पास रेफर किए हैं। आगरे का जो केस है उसका अभी जवाब नहीं आया है।

भूमिहीन श्रमिकों के लिए रोजगार की गारन्टी

*995. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक असन्तोष को दूर करने के उद्देश्य से भूमिहीन श्रमिकों को पूरे वर्ष रोजगार की गारंटी देने के लिए योजना आयोग का भूमिहीन श्रमिकों की सहकारी समितियां गठित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रोनिक्स और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, नहीं। परन्तु इस समय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, के अतिरिक्त ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के नाम से वर्ष 1983-84 के दौरान शुरू किया गया एक नया कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वर्ष में 100 दिनों तक प्रत्येक भूमिहीन श्रमिक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार की गारंटी देने की दृष्टि से ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार और उनका विस्तार करना है।

श्री अनादि चरण दास : ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीन श्रमिकों का बड़े जमींदारों साहूकारों द्वारा शोषण किया जा रहा है तथा उन्हें तंग किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में भी उद्योगपति अस्थायी या दैनिक दिहाड़ी पर लगाए गए श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं तथा उन्हें तंग किया जा रहा है। यद्यपि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम नाम से वर्ष 1984-85 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिनों तक रोजगार मिलेगा यह कार्यक्रम भी राज्य स्तर पर उचित ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों का मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम मजूरी है।

उपर्युक्त को देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या योजना आयोग का विचार या योजना श्रमिक सहकारी समितियां बनाने की है ताकि कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर किसी श्रमिक को काम पर न लगा सके।

श्री शिवराज वी० पाटिल : सरकार भूमिहीन श्रमिकों की कठिनाइयों को जानती है। योजना बनाई गई है तथा उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। 20 सूत्री कार्यक्रम की सूत्र संख्या 5 यह सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में है कि श्रमिकों को न्यूनतम वेतन मिले इस सूत्र के क्रियान्वयन के लिए एक कार्यवाही योजना बनाई गई है और निर्णय किए जा रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-

जातियों, कमजोर वर्गों के खेतिहर मजदूर बहुतायत में रहते हैं यहां न्यूनतम वेतन लागू करने के लिए एक आम नीति बनाने तथा बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने और उनके पुनर्वास और ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने की ओर जा रहा है। अतः यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है और रोजगार उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण मुद्दा देखना है कि न्यूनतम वेतन दिया जाता है और रोजगार उपलब्ध किया जाता है।

प्रश्नों के लिखिए उत्तर

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में वरिष्ठता नियम

*990 **श्री जगपाल सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना में 1 अप्रैल, 1982 के बाद नियुक्त अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए प्रबन्धकों द्वारा क्या नियम और मार्ग-निर्देशन अपनाये गये हैं ;

(ख) विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना में उपरोक्त वरिष्ठता नियमों को किस तारीख से लागू किया गया है ;

(ग) क्या कुछ जूनियर इन्डस्ट्रियल इन्जीनियरों को, यद्यपि खुले विज्ञापनों के आधार पर 1 अप्रैल, 1982 के बाद नियुक्त किया गया था फिर भी उन्हें दूसरे संयंत्रों में उनकी सेवाओं पर विचार करते हुए पदोन्नति के लिए, दूसरे वरिष्ठ अनुसूचित जाति के जूनियर इन्डस्ट्रियल इंजीनियरों से वरिष्ठता दी जा रही है ;

(घ) यदि हां, तो नियमों को इस प्रकार ताक में रखने के क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ङ) क्या प्रबन्धकों को वरिष्ठता निर्धारित करने के बारे में उत्पीड़ित अनुसूचित जाति के अधिकारियों की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(च) यदि हां, तो प्रबन्धकों की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) और (ख) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र परियोजना के प्रत्येक विभाग में अधिकारियों (कार्यपालकों) की परस्पर वरिष्ठता उन तारीखों से मानी जाती है जिन तारीखों को उन्होंने कम्पनी (राष्ट्रीय इस्पात निगम लि०) की नौकरी शुरू की थी। वास्तव में यह तारीख 1 अप्रैल, 1982 है क्योंकि इस तारीख को राष्ट्रीय इस्पात निगम लि० ने स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० से विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र परियोजना का काम सम्भाला था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) तथा (च) प्रबन्धकों को अनुसूचित जाति के दो जूनियर इंडस्ट्रियल इंजिनियरों से उनकी वरिष्ठता निर्धारित करने के बारे में अभ्यावेदन मिले थे। इन दोनों मामलों में उनकी वरिष्ठता उन तारीखों से निर्धारित की गई है जिन तारीखों को उन्होंने विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र परियोजना में अपने पद का कार्यभार सम्भाला था और सम्बन्धित अधिकारियों को यह भी बता दिया गया है कि जिस अधिकारी की वरिष्ठता के खिलाफ उन्होंने अभ्यावेदन दिया था उससे वे सीनियर माने जाएंगे।

प्रमुख उद्योगों में निविष्टि (इनपुट) – उत्पादन (आउटपुट) का अनुपात

996. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रमुख बुनियादी उद्योगों में निविष्ट-उत्पादन का वर्तमान अनुपात क्या है ;

(ख) क्या इस अनुपात में गत पांच वर्षों में प्रतिकूल वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में किन उपचारात्मक उपायों पर विचार किया जा रहा है ;

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) वर्ष 1975-76 से 1980-81 तक बड़े उद्योग समूहों के लिए उद्योग (कारखाना क्षेत्र) के वार्षिक सर्वेक्षण पर आधारित निविष्टि-उत्पादन का अनुपात बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

सरकार का निविष्टि-उत्पादन के अनुपातों में सुधार करने का सतत प्रयास रहा है। हाल ही में इस सम्बन्ध में किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिए गए हैं :

1. निविष्टि-उत्पादन के अनुपात को नई प्रौद्योगिकी लागू करके सुधारा जा सकता है जिसके परिणाम स्वरूप दी गई निविष्टियों से अधिक उत्पादन होगा अथवा कार्य-कुशलता में सुधार करके अधिक उत्पादन हो सकता है। प्रौद्योगिकी को उन्नत करने, लागत की प्रभाविकता, कच्चे माल का अधिकतम उपयोग और ऊर्जा की बचतों को बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

   (क) तोलने के उपकरणों जिनका उत्पादन की गुणवत्ता और/अथवा मात्रा पर असर पड़ता है के आयात के लिए, तकनीकी-जानकारी के आयात के लिए, विदेशी परामर्शदात्री सेवा आदि प्राप्त करने हेतु विदेशी मुद्रा की आवश्यताएं पूरी करने के लिए उद्योग मन्त्रालय में तकनीकी विकास निधि की व्यवस्था करना ;

   (ख) रेखाचित्रों और डिजाइनों सहित नमूनों/आद्यरूपों के आयात के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था करना ;

   (ग) अनुसन्धान और विकास एककों और वैज्ञानिक/अनसन्धान प्रयोगशालाओं

को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अनुसन्धान और विकास के प्रयोजनों के लिए उनकी सभी आवश्यकताओं हेतु आयात के लिए अनुमति देना ;

(घ) निर्यात-कार्य-निष्पादन के निर्धारित स्तर वाले एककों द्वारा मशीनों के आयात के लिए आयात-नीति को उदार बनाना जिससे ऐसे एकक अपने को आधुनिक बना सकें ;

(ङ) खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत सौर-ऊर्जा उपकरणों और ऊर्जा के संरक्षण के लिए कई अन्य उपकरणों/वस्तुओं के आयात की व्यवस्था करना ;

(च) देश में बसने के लिए विदेश से वापस आने वाले उच्च योग्यता प्राप्त वैज्ञानिकों को व्यावसायिक-उपकरण/यन्त्र आयात करने के लिए अनुमति देना।

2. क्षमता के उपयोग में सुधार से भी निविष्ट-उत्पादन के अनुपातों और सामान्य कार्य-कुशलता में सुधार हो सकता है। क्षमता के उपयोग में सुधार के लिए उठाए गए कई कदमों में निम्नलिखित शामिल है :—

(क) महत्वपूर्ण और मूल उद्योगों को पांच वर्षों की अवधि के बाद अधिक से अधिक 25 प्रतिशत तक की अपने आप वृद्धि की अनुमति देना : —

(ख) फालतू क्षमता को मान्यता देना ;

(ग) उत्तम उत्पादन के आधार पर क्षमता के पुनः पृष्ठांकन की योजना लागू करना ;

(घ) उद्योग मन्त्रालय में उत्पादन में बाधाओं की मानीटरिंग करने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय कक्ष की स्थापना करना ;

(ङ) उत्पादन और अवस्थापना के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की केन्द्रीय रूप से मानीटरिंग ;

(च) उत्पादन को प्रोत्साहन देने के रूप में कार्य करने वाली मूल्य-निर्धारण और वितरण नीतियां सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन हेतु बढ़ावा देना।

आदिम जातियों के रूप में मान्यता देना

*997 **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने आठ आदिवासी जातियों को आदिम जातियों के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव उनके मन्त्रालय को भेजा था ; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार द्वारा आदिम जातियों के रूप में मान्यता देने के लिए सुझाए गए आदिवासी जातियों के नाम क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान्। उड़ीसा में

[विवरण

वर्ष 1975-76 से 1980-81 में बड़े उद्योग समूहों (कारखाना क्षेत्र) के लिए निविष्टि-उत्पादन का अनुपात

क्र०सं०	उद्योग कोड	बड़े उद्योग समूह	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	20-21	खाद्य उत्पाद	0.891	0.881	0.880	0.891	0.886	0.895
2.	22	पेय, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	0.760	0.720	0.807	0.756	0.767	0.778
3.	23	सूती वस्त्र	0.758	0.768	0.768	0.737	0.708	0.723
4.	24	ऊन, रेशम और सिंथेटिक रेशे के वस्त्र	0.773	0.784	0.776	0.774	0.779	0.783
5.	25	जूट, पटुआ और मेस्टा के वस्त्र	0.620	0.689	0.694	0.693	0.610	0.638
6.	26	वस्त्र उत्पाद (जूतों के अलावा पहनने वाले परिधान)	0.818	0.833	0.832	0.814	0.836	0.849
7.	27	लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद, फर्नीचर और फिक्सचर्ज	0.744	0.740	0.741	0.749	0.752	0.784
8.	28	कागज और कागज के उत्पाद तथा छपाई और प्रकाशन तथा सम्बद्ध उद्योग	0.628	0.663	0.668	0.677	0.684	0.701

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	29	चमड़े और फर के उत्पाद (मरम्मत को छोड़कर)	0.868	0.855	0.848	0.866	0.873	0.855
10.	30	रबर, प्लास्टिक, पेट्रोलियम और कोयला उत्पाद	0.858	0.840	0.848	0.866	0.877	0.899
11.	31	रसायन और रासायनिक उत्पाद (पेट्रोलियम और कोयले के उत्पादों को छोड़कर)	0.744	0.747	0.756	0.733	0.757	0.773
12.	32	गैर धातु वाले खनिज उत्पाद	0.709	0.718	0.695	0.706	0.716	0.720
13.	33	मूल धातु और मिश्रित धातु उद्योग	0.734	0.732	0.763	0.761	0.785	0.788
14.	34	मशीनों और परिवहन उपकरणों को छोड़कर धातु उत्पाद और पुर्जे	0.735	0.737	0.745	0.744	0.740	0.743
15.	35	वैद्युत मशीनों को छोड़कर मशीनें, मशीनी औजार और पुर्जे	0.692	0.686	0.692	0.706	0.718	0.727
16.	36	वैद्युत मशीनें, यन्त्र, उपकरण और पुर्जे	0.705	0.729	0.727	0.734	0.746	0.750
17.	37	परिवहन उपकरण और पुर्जे	0.689	0.685	0.679	0.660	0.688	0.703
18.	38	अन्य विनिर्माण सम्बन्धी उद्योग	0.665	0.645	0.681	0.714	0.704	0.708
19.	40	बिजली	0.536	0.563	0.520	0.491	0.528	0.551
20.	41	गैस और स्टीम	0.706	0.806	0.751	0.723	0.809	0.766
21.	42	वाटर वर्क्स एण्ड सप्लाई	0.713	0.509	0.652	0.697	0.698	0.675

22.	74	भंडार और भांडागार	0.577	0.560	0.585	0.555	0.595	0.598
23.	97	मरम्मत-सेवाएं	0.702	0.683	0.660	0.690	0.695	0.748
		योग :	0.754	0.754	0.759	0.751	0.760	0.770

स्रोत : सी० एस० ओ० उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण : कारखाना क्षेत्र के लिए सारांश परिणाम : वार्षिक अंक 1975-76 से 1980-81

* : कुल निविष्टियों में ईन्धनों और सामग्री आदि की खपत का सकल मूल्य और अन्य निविष्टियां अर्थात् (क) अन्यों से प्राप्त गैर-औद्योगिक सेवाओं की लागत, (ख) कारखाने की अचल सम्पत्तियों के लिए अन्यों द्वारा किए गए कार्य की लागत सहित कारखाने की अचल सम्पत्तियों के रखरखाव और मरम्मत के लिए इस्तेमाल में लाई गई सामग्री की लागत, (ग) कारखाने द्वारा दी गई सामग्री पर दूसरों द्वारा ठेके और कमीशन पर किए गए कार्य की लागत, (घ) पिछले वर्ष के दौरान कार्यालय के लिए की गई आपूर्ती और बिक्री के लिए सूचित किए गए उत्पादों तथा लेखा वर्ष के दौरान निर्माण के लिए उपयोग में लाने की लागत, और (ङ) जिस दशा, में खरीदी गई थी उसी दशा में बेची गई वस्तुओं का क्रय-मूल्य भी शामिल है।

* : अनन्तिम

पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नौ आदिवासी ग्रुपों को आदिम जनजातियों के रूप में मान्यता दी गई। राज्य सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आठ और आदिवासी ग्रुपों को आदिम जनजातियों के रूप में मान्यता देने के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा।

(ख) उड़ीसा सरकार द्वारा सुझाये गये जनजातियों के नाम संलग्न विवरण में सभा पटल पर रखे जाते हैं।

विवरण

उड़ीसा सरकार द्वारा आदिम जनजातियों के रूप में मान्यता देने के लिए सुझाये गये अनुसूचित जनजाति समुदायों के नाम :

1. दिदई
2. लोधा
3. बीरहोर
4. लम्टापुट ब्लाक के गडावास
5. झाड़िया कंढ़ा
6. इरेंगा कोल्हा
7. मल्कान गिरि का कोयास
8. सालिया पराजांस

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कार्यकारी पदों को भरा जाना

*998 **श्री कुम्भा राम आर्य : क्या इस्पात और खान मन्त्री** विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद के बारे में 21 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4742 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रबन्धकों ने आरक्षण सम्बन्धी नियमों में उल्लिखित सांविधिक प्रतिशतता के अनुसार ग्रुप "ए" और "बी" के पदों को भरने के लिए क्या प्रयास किए हैं ;

(ख) क्या प्रबन्धक दिनांक 1 अप्रैल, 1982 के बाद भी अन्य इस्पात संयंत्रों से स्थानांतरण पर अधिकारियों को ले रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो 1 अप्रैल, 1982 के पश्चात् स्थानांतरित होकर आये ऐसे अधिकारियों का कैडर-वार विवरण क्या है ; और

(घ) उपरोक्त भाग "ग" में उल्लिखित अधिकारियों तथा दिनांक 1 अप्रैल, 1982 के बाद नियुक्त हुए अन्य अधिकारियों की परस्पर वरीयता निर्धारित करने के लिए प्रबन्धकों द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पी० साल्वे) : (क) सभी प्रमुख समाचार पत्रों में भर्ती के सम्बन्ध में दी जाने वाली सभी अधिसूचनाओं और विज्ञापनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों तथा इन जातियों के उम्मीदवारों को आयु तथा अनुभव में दी जाने वाली छूट का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित ग्रुप "ए" (कार्यपालक) के पदों के लिए आवेदन मंगाने के सम्बन्ध में सभी प्रमुख समाचार-पत्रों में अलग से विज्ञापन दिये जाते हैं। ग्रुप "बी" के पदों की भर्ती की अधिसूचना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली 6 मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों को भी भेजी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो सकें।

(ख) जी, हां। स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० (सेल) के कारखानों, इसकी इकाइयों तथा सहायक कम्पनियों में कार्य करने वाले कुछ कार्मिकों को विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र परियोजना (राष्ट्रीय इस्पात निगम लि०) में लिया गया है ताकि परियोजना को अनुभवी कार्मिकों की सेवाओं का लाभ मिल सके।

(ग) "सेल" के जिन अधिकारियों की सेवाएं ली गई हैं, उनका ग्रेड वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

मूलत : "सेल" से लिए गए कर्मचारी लेकिन अब राष्ट्रीय इस्पात निगम लि० के स्थायी कर्मचारी।

ग्रेड "ए"	120
ग्रेड "बी"	शून्य

(घ) स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय इस्पात निगम लि० के प्रत्येक विभाग में कार्य करने वाले प्रत्येक ग्रेड के अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता उस तारीख से निर्धारित की जाती है, जिस तारीख से उन्होंने कम्पनी की नौकरी शुरू की है।

उड़ीसा को सीमेंट का अतिरिक्त कोटा

*999. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उड़ीसा में बाढ़ और तूफान से बुरी तरह प्रभावित एक बड़े क्षेत्र में क्षतिग्रस्त इमारतों, पुलियों और पुलों की मरम्मत के लिए सामान्य आवंटन के अलावा अतिरिक्त लैवी सीमेंट जारी करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जून और नवम्बर, 1982 में उड़ीसा राज्य सरकार से साइक्लोन और बाढ़ राहत कार्यों के लिए क्रमशः 79,000 मी० टन और 1 5 लाख मी० टन लेवी सीमेंट के अतिरिक्त आबंटन के लिए अनुरोध प्राप्त हुए थे। दूसरी तिमाही/82 (अप्रैल-जून, 82 और तीसरी तिमाही/82 (जुलाई-सितम्बर, 82) के दौरान उड़ीसा राज्य सरकार को साइक्लोन राहत कार्यों के लिए 50,000 मी० टन लेवी सीमेंट का अतिरिक्त तदर्थ-आबंटन किया गया था चूंकि राज्य सरकार ने सम्पूर्ण आबंठित मात्रा को नहीं उठाया था, उसे बाढ़ राहत कार्यों को नियमित तिमाही आबंटन से पूरा करने और साथ ही साइक्लोन राहत कार्यों के लिए पहले से ही अतिरिक्त आबंटित किए गए 50,000 मी० टन में से न उठाई गई मात्रा से पूरा करने की सलाह दी गई थी।

कर्नाटक में नग्न-पूजा

*1000. **श्री के० मालन्ना** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कर्नाटक के अनेक क्षेत्रों में विशेष रूप से शिमोगा जिले के कुछ गांवों में नग्न-पूजा की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार का नग्न-पूजा को रोकने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्री (प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रैस रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) इस मामले में राज्य सरकार से वास्तविक रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ग) यदि बताए गए तथ्य सही हैं तो मामले में उचित कार्रवाई करना राज्य सरकार का कार्य है।

देश में "वीडियो कैसेट रिकार्डर्स" का निर्माण

*1001. **श्री मोहन लाल पटेल** :

श्री नवीन रावणी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या देश में "वीडियों कैसेट रिकार्डर्स" का आयात किया जा रहा है अथवा उनको चोरी छिपे लाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय देश में कितने वीडियो कैसेट रिकार्डर्स हैं;

(ग) क्या "वीडियो कैसेट रिकार्डर्स" के लिए कोई लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या देश में "वीडियो कैसेट रिकार्डर्स" के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस-सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गए हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) वाणिज्यिक उपयोग के लिए वीडियो कैसेट रिकार्डरों के आयात की अनुमति नहीं दी जाती। तथापि, आयात नीति के विशेष/ उपबन्ध और भारत में वायु/समुद्री/रेलमार्ग से आने वाले यात्रियों पर लागू असबाब-नियमावली के अन्तर्गत वीडियो कैसेट रिकार्डरों का आयात किया जा सकता है। देश में भी वीडियो कैसेट रिकार्डर विनिर्मित/संयोजित किए जा रहे हैं।

(ख) जैसाकि ऊपर बताया गया है अनेक वीडियो कैसेट रिकार्डर वायु/समुद्री/रेल-यात्रियों के व्यक्तिगत-असबाब के रूप में देश में आते हैं। इनकी वास्तविक संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ग) डाक तथा तार विभाग द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार वीडियो कैसेट रिकार्डरों, जिनमें अंतर्निर्मित समस्वरित्र (ट्यूबर) लगा होता है, पर दूरदर्शन सेटों पर लागू दरों के समान ही लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होता है।

(घ) तथा (ङ) देश में पहले से ही वीडियो कैसेट रिकार्डर विनिर्मित/संयोजित किए जा रहे हैं। तथापि, 1/2" वाले वीडियो कैसेट रिकार्डरों के वास्तविक तथा गहन विनिर्माण के लिए एक संशोधित औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति सरकार के विचाराधीन है।

मछुओं को अनुसूचित जाति का दर्जा देना

*1002. **श्री एन० डेनिस : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मछुओं को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उन्हें अनुसूचित जाति के अन्तर्गत वर्गीकृत करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) कुछ मछुआ समुदायों को, जो अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने के मानदंड अर्थात 'पारम्परिक छूआछूत की प्रथा से उत्पन्न होने वाला अत्यधिक सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन" को पूरा करते हैं, अलग-2 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के बिस्तृत संशोधन जिनका पुनरीक्षण किया जा रहा है, के संदर्भ में विभिन्न राज्यों की अनुसूचित जातियों की सूचियों में अब तक

सम्मिलित न किए गए विभिन्न समुदायों को सम्मिलित करने के प्रस्तावों पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और भारत में महापंजीयक के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

शुष्क गोदी परियोजना की मंजूरी

*1003. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एलिफेंटा की गुफाओं के निकट बम्बई समुद्र में मैसर्स एस्कार्टस लि० नई दिल्ली द्वारा तैयार की गई शुष्क गोदी परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है ;

(ख) क्या कई संगठनों ने प्रदूषण के आसन्न संकट के सम्बन्ध में अपना विरोध प्रकट किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) मैसर्स एस्कार्टस लिमिटेड को उनके शुष्क गोदो को अस्थायी रूप से नवम्बर, 1984 तक उसके वर्तमान स्थान पर लंगर डालने की अनुमति दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) अंतिम रूप से अनुमति इसके पर्यावरणीय उलझावों की पूर्ण रूप से जांच के बाद ही दी जायेगी। राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में संबंधित प्राधिकरणों को अनुदेश भी जारी कर दिए हैं।

गांधी नगर में इलेक्ट्रानिक कम्प्लेक्स का विकास

*1004. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में गांधी नगर में एक इलेक्ट्रानिक कम्प्लेक्स बनाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कम्प्लेक्स में कितने एकक स्थापित किए जाने की सम्भावना है, कुल कितना निवेश किया जाएगा, विभिन्न एककों द्वारा कितने प्रकार के साफ्ट वेयर के निर्माण का प्रस्ताव है और वहां कितने लोगों को रोजगार मिलेगा ; और

(ग) उपर्युक्त कम्प्लैक्स में पूर्ण स्तर पर उत्पादन कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) गुजरात सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांधीनगर की इलेक्ट्रानिक बस्ती में 750 से अधिक इकाइयां स्थापित किए जाने की सम्भावना है। इस औद्योगिक बस्ती में भूमि का विकास करने तथा मूलसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने में गुजरात औद्योगिक विकास निगम द्वारा लगभग 16 करोड़ रु० व्यय करने की सम्भावना है। जहां तक उद्यमकर्ताओं द्वारा पूंजीनिवेश का सम्बन्ध है, अनुमान यह किया जाता है कि यदि सभी परियोजनाएं अन्तिम रूप से कार्यान्वित हो जाती हैं तो इन पर लगभग 73 करोड़ रु० का पूंजीनिवेश होगा। अतः, आज की स्थिति के अनुसार इन पर

किया जाने वाला कुल पूंजी-निवेश लगभग 89 करोड़ रु० होने की आशा है। इस बस्ती में विनिर्मित किए जाने वाले इलेक्ट्रानिक उत्पादों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। यह आशा की जाती है कि जिन इकाइयों की आयोजना की जा रही है, वे सभी इकाइयां जब काम्प्लेक्स में स्थापित हो जाएंगी तथा अपनी पूर्ण उत्पादन क्षमता तक पहुंच जाएंगी, तब यह काम्प्लेक्स लगभग 10,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करा सकेगा। वर्ष 1984 के अन्त तक 40 परियोजनाओं में उत्पादन शुरू हो जाने की सम्भावना है, जबकि इनमें आगामी 5 वर्षों के दौरान पूर्ण उत्पादन शुरू हो जाने की सम्भावना है।

विवरण

गांधीनगर की इलेक्ट्रानिक बस्ती में विनिर्माण की जाने वाली प्रस्तावित वस्तुओं की सूची

क्रम सं०	वस्तु	इकाइयों की संख्या
1	2	3
1.	दूरदर्शन रिसीवर (रंगीन तथा श्याम एवं श्वेत)	2
2.	दूरदर्शन रिसीवरों के लिए बूस्टर	16
3.	दूरदर्शन रिसीवरों के लिए ऐन्टेना	6
4.	दूरदर्शन पिक्चर ट्यूब	2
5.	टेपरिकार्डर्स	22
6.	वीडियो कैसेट रिकार्डर	1
7.	वीडियो टेप तथा कैसेट	5
8.	श्रव्य टेप तथा कैसेट	5
9.	इलेक्ट्रानिक कैलकुलेटर	6
10.	इलेक्ट्रानिक रक्त-चाप एकक	3
11.	रक्त-विश्लेषक	1
12.	बैटरी चार्जर	1
1 .	बैटरी एलमीनेटर	11

1	2	3
14.	लघु कम्प्यूटर	3
15.	मुद्रित परिपथ-बोर्ड	20
16.	इलेक्ट्रानिक दीवार घड़ियां	19
17.	वोल्टेज स्टेबिलाइजर्स	16
18.	फैन-रेगुलेटर	11
19.	रेडियो रिसीवर	17
20.	इलेक्ट्रानिक स्विच	3
21.	श्रवण-सहाय (हियरिंग ऐड्स)	3
22.	इमरजेंसी लाइट	5
23.	इलेक्ट्रानिक गैस लाइटर	2
24.	इलेक्ट्रानिक खिलौने	2
25.	इलेक्ट्रानिक फ्लैश गन	2
26.	इलेक्ट्रानिक विश्लेषक	1
27.	फायर एण्ड बर्गलर अलार्म	1
28.	इलेक्ट्रानिक स्टेथास्कोप	1
29.	इलेक्ट्रानिक पेन किलर	1
30.	कार कैसेट प्लेयर	1
31.	ड्राई सेल	2
		191

केरल सरकार द्वारा विदेशों में "निवेश कम्पनियों" की स्थापना

*1005. **श्री ए० नीललोहित वसन नाडार** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की अनिवासी भारतीयों को भारत में निवेश की सुविधा प्रदान करने के

लिए विदेशों में निवेश कम्पनियों की स्थापना करने के बारे में केरल सरकार द्वारा किए प्रस्ताव की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सरकार को इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्तरिक्ष-उड़ान

*1006. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सोवियत संघ के सहयोग से श्री राकेश शर्मा की अन्तरिक्ष उड़ान से यह सिद्ध हो गया है कि दोनों देशों के बीच मैत्री भारत के विकास में काफी हद तक सहायक हो सकती है ;

(ख) यदि हां, तो अन्तरिक्ष अनुसन्धान के क्षेत्र में सहयोग को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ग) क्या इस क्षेत्र में अब एक महिला को प्रशिक्षण देकर अन्तरिक्ष में भेजने का भी प्रस्ताव है ; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भारत-सोवियत संघ की संयुक्त मानव उड़ान में श्री राकेश शर्मा की भागेदारी, दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग का एक महत्वपूर्ण कदम है।

(ख) भारत-सोवियत-संघ के वैज्ञानिकों के फरवरी, 1983 के दौरान आयोजित संयुक्त सेमिनार में भावी सहयोग के कई क्षेत्रों का पता लगाया गया है तथा इनके ब्यौरों पर वैज्ञानिकों के स्तर पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(ग) भारतीय अन्तरिक्ष यात्रियों द्वारा मानव की भावी अन्तरिक्ष-उड़ानों के लिए कोई विशेष प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। महिला अन्तरिक्ष यात्रियों सहित आगामी मानव उड़ानें हमारे अन्तरिक्ष कार्यक्रम के सम्पूर्ण सन्दर्भ में विचारणीय होंगी।

लघु इस्पात संयंत्रों का बन्द होना

*1007. **श्री रामकृष्ण मोरे** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु इस्पात संयंत्रों को विभिन्न अपरिहार्य स्थितियों के कारण गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितने संयंत्रों को बन्द कर दिया गया है ; और

(ग) इन संयंत्रों को फिर से चालू करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) सरकार को इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि लघु इस्पात संयंत्रों (विद्युत चाप भट्टियों) को किसी गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। लघु इस्पात संयंत्रों की मुख्य समस्या यह है कि उन्हें कुछ राज्यों में बिजली की पर्याप्त सप्लाई नहीं मिल रही है। लेकिन कुल मिला कर यह उद्योग उत्पादन का स्तर सुस्थिर बनाए रखने में सफल रहा है। इस क्षेत्र में गत 3 वर्षों का उत्पादन इस प्रकार रहा है :

वर्ष	उत्पादन (लाख टन)
1981-82	20.31
1982-83	20.40
1983-84	19.59 (अस्थायी)

(ख) और (ग)

ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि कुछ लघु इस्पात कारखाने मुख्यतः अपनी आन्तरिक वित्तीय तथा प्रबन्धकीय समस्याओं आदि के कारण कुछ समय से उत्पादन नहीं कर रहे हैं। इस उद्योग की अर्थ-क्षमता में सुधार लाने के काम में सहायता करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं जिनमें उद्योग के आधुनिकीकरण तथा इसकी प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने तथा उत्पादन में विविधता लाने की सुविधाएं देना शामिल है।

अधिक वन्य जीव और पक्षी अभयारण्यों की स्थापना

*1008. **वसन्त कुमार पंडित** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रवासी पक्षियों के लिए तथा पक्षियों की लुप्त हो रही नस्लों के अनुरक्षण और दुर्लभ किस्मों के प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए भारत में और अधिक वन्य जीव तथा पक्षी अभयारण्यों के स्थापित करने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार या "नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बम्बई" या 'यू० एन० वाईल्ड बोर्ड" ने विद्यमान वन्य जीव और पक्षी अभयारण्यों में सुधार करने अथवा ऐसे नए अभयारण्यों की स्थापना करने की कोई योजनाएं या प्रस्ताव भेजे हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार देश में वन्य जीव के संवर्धन के लिए कुछ ऐसी दुर्लभ नस्लों के पक्षियों का का आयात करने की योजना बना रही है, जो भारतीय जलवायु और वातावरण में फल-फूल सकते हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत, राष्ट्रीय पार्कों तथा अभ्यारण्यों की स्थापना तथा प्रबन्ध सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। 90,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक को आच्छादित करके, कुल 52 राष्ट्रीय पार्कों तथा 223 अभ्यारण्यों की पहले ही स्थापना की जा चुकी है। इनमें से 30 का पक्षी अभ्यारण्यों/राष्ट्रीय पार्कों के रूप में वर्गीकरण किया गया है। राज्य-वार स्थिति सभा-पटल पर रखे गए विवरण में दी गई है।

विवरण

भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	राष्ट्रीय उद्यान	अभ्यारण्य
1	2	3
आंध्र प्रदेश	—	14
अण्डमान तथा निकोबार	4	5
अरुणाचल प्रदेश	1	4
असम	1	8
बिहार	—	13
गोवा, दमन और दीव	1	3
गुजरात	4	10
हरियाणा	—	1
जम्मू एवं कशमीर	3	4
हिमाचल प्रदेश	1	27
कर्नाटक	3	16
केरल	3	7
मध्य प्रदेश	11	31

1	2	3
महाराष्ट्र	4	10
मणिपुर	2	—
मेघालय	—	2
मिजोरम	—	1
नागालैंड	—	2
उड़ीसा	1	10
पंजाब	—	5
राजस्थान	5	14
सिक्किम	1	—
तमिलनाडु	2	10
उत्तर प्रदेश	4	12
पश्चिमी बंगाल	1	13
चण्डीगढ़	—	1
कुल :	52	223

देश के प्रतिनिधि तथा बायोज्योगराफिक उप प्रभाग के सभी महत्वपूर्ण व्यवहार्य नमूनों को शामिल करके, वैज्ञानिक रूप से सु-प्रबन्धित सुरक्षित क्षेत्रों (जीव-मंडल रिजर्वों सहित) की स्थापना को मद्दे नजर रखते हुए, भविष्य की योजना का उद्देश्य विद्यमान तंत्र में वृद्धि तथा पुष्टि करना है। हाल ही में अपनाई गई राष्ट्रीय वन्य-प्राणी कार्यकारी योजना में इस लक्ष्य की सर्व-प्राथमिकता दी गई है। कार्यकारी योजना वन्य-प्राणियों की संकटस्थ तथा संकटापन्न जातियों (स्पीसीज) के पुनर्वास तथा उनके बन्दी-प्रजनन पर भी बल देती है।

(ग) तथा (घ) जी, नहीं।

मध्य प्रदेश में पहले ही 11 राष्ट्रीय पाक तथा 31 अभ्यारण्य हैं तथा राज्य सरकार नए राष्ट्रीय पार्क तथा अभ्यारण्यों की स्थापना तथा प्रबन्ध करने में सक्षम है।

(ङ) जी, नहीं।

कपड़ा मशीनरी उद्योग की समस्याएं

*1009. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा उद्योग की चालू रुग्णता के तुरन्त बाद कपड़ा मशीनरी उद्योग, मांग के काम होने और वित्तीय कठिनाइयों के कारण धीरे-धीरे उसी रुग्णता का शिकार हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मशीनरी उद्योग की समस्याओं को हल करने पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) पिछले कुछ वर्षों के दौरान वस्त्र मशीनों के उत्पादन में बराबर वृद्धि हो रही थी, लेकिन 1982-83 से इसमें गिरावट आई है जैसा निम्नलिखित आंकड़ों से देखा जाएगा :—

	(रुपये करोड़ में)
1979 80	165.50
1980-81	221.39
1981-82	265.90
1982-83	238.95
1983-84	243.30 (अनुमानित)

मशीन उद्योग का कार्य वस्तुत: वस्त्र उद्योग की दशा पर निर्भर करता है जो पिछले तीन वर्षों से ठीक नहीं रही है। वस्त्र मशीन निर्माता संघ ने तैयार मशीनों के भण्डार में वृद्धि होने की भी सूचना दी है। इसका उत्तर वस्त्र उद्योग की दशा में धीरे-धीरे सुधार में निहित है, जिसकी सरकार निरन्तर पुनरीक्षा करती है। वस्त्र उद्योग के तेजी से पुनर्वास तथा आधुनिकीकरण के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा 1976 से चलाई गई सुलभ ऋण सहायता से वस्त्र मशीनों की बेहतर कुल खरीद को सुनिश्चित करने में मदद मिली है। सुलभ ऋण की ब्याज की दरों में कमी की गई है जिसमें कमजोर तथा अन्य रुग्ण वस्त्र एककों के लिए आगे और कमी करने की गुंजाइश है। इन उपायों तथा अन्य उपयुक्त उपायों से यह आशा की जाती है कि वस्त्र उद्योग को तैयार भण्डारों को कम करने तथा उत्पादन में वृद्धि करने में आवश्यक सहायता मिलेगी।

पंजाब में उद्योगों में मंदी

*1010. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के विभिन्न औद्योगिक और प्रशिक्षण केन्द्रों से इस प्रकार के समाचार नई

दिल्ली पहुंचे हैं, जिनसे पता चलता है कि उन्हें आशानुरूप क्रयादेश नहीं मिल रहे हैं और उद्योगों के पास माल के भंडार जमा हो रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह राज्य में चल रही अनिश्चय की स्थिति का परिणाम है ; जिससे अभूतपूर्व मंदी की स्थिति बन गई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या गत वर्ष की तुलना में व्यापार की मात्रा घटकर 50 प्रतिशत से कम रह गई ;

(घ) यदि हां, तो राज्य में चल रही मंदी की स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ; और

(ङ) राज्य और देश में औद्योगिक उत्पादन पर इसका कितना प्रभाव पड़ा है ;

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ङ) राज्य सरकार से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार यह जान पड़ता है कि वर्ष 1983-84 में राज्य की अर्थव्यवस्था को कोई खास या विशेष धक्का नहीं लगा है। वर्ष 1983-84 में बड़े और मझौले उद्योगों के उत्पादन का अनुमान 1689 करोड़ रुपये लगाया गया है ; जबकि वर्ष 1982-83 में 1478 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था। वर्ष 1983-84 में राज्य उत्पादन शुल्क तथा बिक्री कर के अन्तर्गत भी पिछले वर्ष की प्राप्ति की तुलना में अधिक वसूली हुई है।

देश के औद्योगिक उत्पादन में अप्रैल-फरवरी, 1983-84 में पिछले वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा 5.5 की वृद्धि दर्ज की गई है।

इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के हैदराबाद स्थित एकक में तालाबन्दी

*1011 **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के हैदराबाद स्थित एकक में 16 अप्रैल, 1984 से तालाबन्दी की घोषणा कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो तालाबन्दी की घोषणा करने के क्या कारण थे ; और

(ग) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के 7500 कर्मचारियों के हित में, संकट का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) आरम्भ में कैंटीन में और उसके बाद पूरे कारपोरेशन में तालाबन्दी इस कारण घोषित करनी पड़ी थी कि कर्मचारियों के एक वर्ग की इस मांग को लेकर कि कोई भी आरंभिक जांच किए बिना ही कैंटीन मैनेजर को निलम्बित कर दिया जाए, कर्मचारियों ने लगातार आन्दोलनात्मक तथा उग्र रवैया अपनाया हुआ था। प्रबन्धकों तथा यूनियन के बीच हुई वार्ता के दौरान हुए समझौते के बाद तालाबन्दी 27-4-1984 को समाप्त कर दी गई।

साइकिलों की प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण तथा उनका निर्यात

*1012 **श्री बृज मोहन मंहती** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी की तुलना में साइकिल उद्योग पिछड़ा हुआ है ;

(ख) क्या वर्ष 1981 तथा 1982 के आंकड़ों की तुलना में वर्ष 1982 और 1983 के दौरान साइकिलों तथा साइकिलों के पुर्जों के निर्यात में गिरावट आई है ; और

(ग) साइकिलों के निर्माण की प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाने तथा इसको अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा के योग्य बनाने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ;

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) कुछ क्षेत्रों में साइकिल उद्योग अद्यतन अन्तर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं करता है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सरकार ने इस वर्ष बाइसिकलों के लिए एक विकास परिषद की स्थापना की है । विकास परिषद का एक उपदल केवल साइकिल बनाने संबंधी प्रौद्योगिकीय पहलू की ही जांच कर रहा है । रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी ।

प्रौद्योगिकी को उन्नत करने में देशी उद्योग की सहायता करने हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से लुधियाना में एक बाइसिकल अनुसंधान व विकास केन्द्र की स्थापना की गई है ।

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण वर्ष

*1013. **श्री चिंतामणी जैना** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण वर्ष के सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसे देश भर में, विशेषकर, उड़ीसा में कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाय जा रहे हैं ?

प्रधानमन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

पंजाब में उग्रवादियों द्वारा गंगानगर में बनाए गए अवैध हथियारों का प्रयोग

10525. **श्री निहाल सिंह** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के गंगानगर जिले में तलवारा गांव के "सिंगलीगरों" द्वारा निर्मित अवैध हथियारों का पंजाब में उग्रवादियों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है जैसाकि 3 जनवरी, 1984 के "हिन्दुस्तान" में समाचार प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि तलवारा के सिकलीगरों की गतिविधियों के बारे में सूचना प्राप्त होने के बाद पुलिस द्वारा छापे मारे गए और तीन छोटे कारखानों का पता लगाया गया जिनमें 12 बोर, .32 बोर और .315 बोर के हथियारों को बनाने के उपकरण थे तथा तीन मामले दर्ज किए गए थे। इसके अतिरिक्त शस्त्र अधिनियम के अधीन 26 अन्य मामले दर्ज किए गए थे जिनमें .12 बोर के सत्रह, .32 बोर के पांच और .315 बोर के चार हथियार बरामद किए गए थे।

(ख) कुल मिलाकर 29 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे और 29 मामलों का न्यायालय में चालान किया गया था जो विचारण के लिए लम्बित हैं।

"भेल" द्वारा किया गया व्यय

10526. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) द्वारा (एक) दिल्ली में एशियाई खेलों ; (दो) विश्व ऊर्जा सम्मेलन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अथवा निशुल्क सेवा के रूप से कुल कितना व्यय किया गया ; और

(ख) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत अन्य सरकारी उपक्रमों के नाम क्या है जिन्होंने उक्त किसी एक अथवा अधिक अवसरों पर इसी तरह का व्यय किया है तथा इस प्रकार कितनी धनराशि खर्च की गई ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उद्योग मन्त्रालय के नियंत्रण के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा एशियाई खेल, दिल्ली और विश्व ऊर्जा सम्मेलन, दिल्ली पर किया गया व्यय।

क्र० सं०	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	एशियाई खेल दिल्ली पर किया गया व्यय	विश्व ऊर्जा सम्मेलन दिल्ली पर किया गया व्यय
1.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	कुछ नहीं	4,26,000/-रु०
2.	एच० एम० टी० लि०	7,58,000/रु०	5,000/-रु०
3.	भारत लेदर कारपो० लि०	4,56,000/रु०	कुछ नहीं
4.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यु० कारपो० लि०	60,500/रु०	कुछ नहीं
5.	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि०	कुछ नहीं	2,500/रु०

असम में निर्वाचन कार्य के लिए भेजे गए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि

10527. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या **गृह मन्त्री** असम में निर्वाचन कार्य के लिए भेजे गए अधिकारियों के बारे में 7 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1660 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने असम में निर्वाचन कार्य पर गए सरकारी कर्मचारियों को हुई कठिनाई और उनके द्वारा उठाए गए जोखिम को ध्यान में रखते हुए दो अतिरिक्त वेतनवृद्धि स्वीकृत की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने भी अभ्यावेदन दिया है कि उन्हें भी इसी प्रकार का लाभ दिया जाए जो बिहार राज्य कर्मचारियों को दिया गया है ; और

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) बिहार सरकार के अनुसार यह सही नहीं है कि उसने अपने उन कर्मचारियों को दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियां स्वीकृत की हैं जो असम में चुनाव ड्यूटी पर थे। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पहले दिए गए प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को जिन्हें असम में चुनाव ड्यूटी पर प्रतिनियुक्त किया गया था अतिरिक्त वेतन वृद्धियां देने की कोई आवश्यकता नहीं है, हालांकि कुछ एक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ।

नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन, डेटा प्रोसेसिंग सेन्टर, गिरिडीह (बिहार में चिकित्सा प्रतिपूर्ति)

10528. **श्री टी० एस० नेगी** :

श्री आर० एन० राकेश :

क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन, डेटा प्रोसेसिंग सेंटर, गिरिडीह (बिहार) में 1979-80 से 1983-84 (वित्तीय वर्ष-वार) की अवधि के दौरान चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर असामान्य खर्च किया गया था ;

(ख) क्या उक्त डेटा प्रोसेसिंग सेंटर के दस कर्मचारियों का प्रतिपूर्ति लेने वाले कर्मचारियों की सूची में सबसे ऊपर रहे हैं ;

(ग) क्या गिरिडीह डेटा प्रोसेसिंग सेंटर में चिकित्सा व्यय में असाधारण वृद्धि हुई है ; और

(घ) क्या उक्त डेटा प्रोसेसिंग सेंटर में चिकित्सा व्यय में हुई असाधारण वृद्धि को मुख्य सतर्कता अधिकारी, सांख्यिकी विभाग की जानकारी में लाया गया है, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) समंक विधायन केन्द्र गिरिडीह में गत पांच वर्षों के दौरान चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय में विशेष वृद्धि हुई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां। इस मामले में खोजबीन की जा रही है।

कलकत्ता में बांगलादेश के लोगों का गैर कानूनी रूप से बसना

10529. **श्री रामसिंह शाक्य** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 अप्रैल, 1984 के "इण्डिया टुडे" में प्रकाशित "क्राइम-कलकत्ता ब्लेटेंट ब्रुटेलिटी" लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि गार्डन रीच तस्करों का कुख्यात अड्डा बन गया है, जिनमें से अनेक बांगलादेश से गत वर्षों के दौरान गैर कानूनी रूप से आकर बस गए हैं और पनप रहे है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मन्त्रालय का उनका पता लगाने और कलकत्ता में गैर कानूनी रूप से बसे हुए बांगलादेश के राष्ट्रिकों को निकाल बाहर करने तथा तस्करों के अड्डे को समाप्त करने का विचार है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामं दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) घुसपैठियों को रोकने, पता लगाने और उनके विरुद्ध कानून के अन्तर्गत कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों के पास स्थायी निर्देश है।

मै० मोटर इण्डस्ट्रीज कम्पनी, बंगलौर के विरुद्ध एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के आरोप

10530. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मै० मार्डन इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, लखनऊ से मै० मोटर इन्डस्ट्रीज कम्पनी, बंगलौर, द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार में किए जाने के सम्बन्ध में आरोप प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या आरोप लगाए गए हैं ;

(ग) सरकार ने शिकायतों की जांच करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ;

(घ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) मैसर्स मोटर्स इन्डस्ट्रीज कम्पनी लि०, बंगलौर द्वारा सम्भरण में भेदभाव, सम्भरण करने या व्यवहार करने से इन्कार करना और मूल्यों में हेरफेर और प्रतिबद्ध बिक्री आदि के कथित अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के बारे में मैसर्स माडर्न इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ से 6-9-1981 की एक शिकायत प्राप्त हुई थी और तदनुसार एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने मैसर्स मोटर इन्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर के खिलाफ जांच शुरू की थी। जांच-कार्यवाही के दौरान मैसर्स मोटर इन्डस्ट्रीज कम्पनी ने आयोग को एक आवेदन दिया जिसमें इस जांच से कुछ आरोपों को अलग करने का अनुरोध किया गया था। किन्तु आयोग द्वारा यह आवेदन रद्द कर दिया गया था। बाद में कम्पनी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक समादेश याचिका दायर की और स्थगन आदेश प्राप्त किया। स्थगन आदेश अभी भी लागू है और यह मामला न्यायाधीश बन गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) चूंकि इसके समर्थन में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया था अतः इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करने का सुझाव नहीं दिया जा सका।

कम्प्यूटरों का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहन

10531. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या कम्प्यूटर उद्योग के सम्बन्ध में एक बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इन्जीनियरी और रसायन उद्योग दो ऐसे उद्योग हैं जो कम्प्यूटरों का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने इन उद्योगों को कम्प्यूटरों के प्रयोग के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन दिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, रिपोर्ट का सीमित वितरण किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग को अभी तक उसकी कोई प्रति प्राप्त नहीं हुई है, जबकि यह विभाग इलेक्ट्रॉनिकी, जिसमें कम्प्यूटर भी शामिल हैं, के मामलों में सरकार का प्रशासनिक विभाग है। इस स्थिति को देखते हुए (क) का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) कम्प्यूटरों का प्रयोग करने के लिए इन्जीनियरी तथा रसायन उद्योगों को कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। तथापि, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता प्राप्त "कम्प्यूटर की सहायता से डिजाइन कार्यक्रम" नामक एक योजनागत-परियोजना के माध्यम से इन्जीनियरी तथा रसायन उद्योगों में कम्प्यूटर की सहायता से डिजाइन तैयार करने के कार्य को व्यापक आधार पर आगे बढ़ा रहा है।

दिल्ली से गैर-संवर्ग अधिकारियों का भारतीय प्रशासन सेवा के लिए नामांकन

10532. **श्री सज्जन कुमार** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि गृह मंत्रालय द्वारा भारतीय प्रशासनिक

सेवा के लिए नामांकन हेतु गैर-संवर्ग अधिकारियों के लिए आरक्षित नामांकन कोटे में संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली से किसी गैर संवर्ग अधिकारी के मामले पर विचार नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन से गैर संवर्ग अधिकारियों के मामले पर विचार न करने के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन से संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली से किसी गैर संवर्ग अधिकारी के नाम की सिफारिश नहीं की थी यद्यपि वहां अनेक ऐसे गैर-संवर्ग अधिकारी हैं जिन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुना जा सकता है ; और

(घ) दिल्ली प्रशासन के गैर संवर्ग अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में नामजद न किए जाने की स्थिति में इन अधिकारियों के कल्याण के लिए क्या अवसर प्रदान करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन ने किसी अधिकारी के नाम की सिफारिश नहीं की थी क्योंकि उनके अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1956 के अनुसार विचार के लिए निर्धारित मानदण्ड को कोई भी अधिकारी पूरा नहीं करता था ।

(घ) गैर संवर्ग अधिकारियों के लिए पदोन्नति के सामान्य अवसर उनकी अपनी सेवाओं में उपलब्ध कराए जाते हैं । भारतीय प्रशासनिक सेवा में उनकी पदोन्नति के अवसर भी विद्यमान हैं ।

प्रधान मंत्री की सुरक्षा गारद के सब-इन्सपेक्टर की हत्या

10533. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की सुरक्षा गारद के एक सब-इंस्पेक्टर की कुछ दिन पूर्व हत्या कर दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और क्या सुरक्षा गार्डों के मकानों आदि के आस पास सुरक्षा उपाय किए गए हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या मृतक के परिवार के सदस्यों को कोई सहायता दी गई है ;

(ङ) यदि हां, तो कितनी धनराशि की सहायता दी गई है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) विशेष सुरक्षा जिला के सहायक उप निरीक्षक दुलीचन्द पर कुछ सेंध मारों ने हमला किया था, जिन्होंने 2/3-4-1984 की रात को

पूर्वी विनोद नगर में उसके घर में अनधिकार प्रवेश किया था और उनका अस्पताल में जख्मों के कारण देहान्त हो गया।

(ख) और(ग) यह सेंधमारों द्वारा हमला करने का मामला है और इसलिए इस तथ्य से संबंधित नहीं है कि शिकार हुआ व्यक्ति दिल्ली पुलिस के सुरक्षा एकक में कार्य कर रहा था। तथापि क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और अपराधियों को पकड़ने के लिए सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं।

(घ) से (च) तत्काल राहत के रूप में 1400 रु० की धनराशि दी गई है और मृतक के परिवार को पेंशन लाभ, सामूहिक बीमा आदि देने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है। मृतक के लड़के को सहानुभूति आधार पर रोजगार देने के लिए भी कार्रवाई शुरू की गई है।

निर्धनता रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन

10534. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास निर्धनता रेखा से नीचे आने वाले साठ वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए कोई आंकड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की राज्यवार संख्या क्या है ;

(ग) क्या उनके लिए अनिवार्य वृद्धावस्था पेंशन की सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रोनिक्स और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) भारत सरकार की ऐसी कोई स्कीम नहीं हैं। कुछ राज्य सरकारों की वृद्धावस्था पेंशन स्कीमें हैं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के पुनर्वास विभाग में नैमित्तिक मजदूरी की नियुक्ति

10535. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैम्पबेल बे, ग्रेट निकोबार (अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह) के पुनर्वास विभाग के भूमि संरक्षण स्कंध में दैनिक मजदूरी के आधार पर काम कर रहे 100 मजदूरों ने एक कलेण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान निर्धारित नियमों के अनुसार उन्हें प्रतिमाह 22 रु० तथा

अन्य भत्तों के वेतनमान में नैमित्तिक मजदूर के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार का उन्हें तत्काल उक्त वेतनमान में लाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (ग) अन्डमान और निकोबार प्रशासन के अनुसार 1974 से भूमि संरक्षण योजनाओं में कैम्पवेल वे के भूतपूर्व पुनर्वास विभाग में समय पर लगभग 80 नैमित्तिक मजदूरों ने कार्य किया था, इन मजदूरों की सेवाएं जिस कार्य के लिए इनको रखा गया था के पूरा होने पर समाप्त कर दी जाती थी। इन मजदूरों को जब जरूरत होती नए कार्य के लिए फिर रख लिया जाता था।

जिन नैमित्तिक मजदूरों ने किसी कलेण्डर वर्ष में निरन्तर सेवा के 240 दिन पूरे कर लिए थे को नैमित्तिक मजदूरों के रूप में प्रतिमाह 22/-रुपए मूल वेतन तथा अन्य भत्तों पर नियुक्त कर लिया गया है।

बम्बई के एक कार्यकारी अधिकारी का काल गर्ल का धंधा करने वालों के चंगुल में फंसना

10536. **श्री ए० के० राय** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 11 जनवरी, 1984 के "पीट्रियाट" में "बाम्बे एग्जीक्यूटिव बाज विक्टिम आफ काल गर्ल आपरेटर्स" (काल गर्ल का धन्धा करने वालों के चंगुल में बम्बई के एक कार्यकारी अधिकारी का फंसना) शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तथ्यों का ब्योरा क्या है तथा उन पर क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस प्रकार के काल गर्ल धंधे पर पूर्ण रोक लगाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) बम्बई का निवासी श्री एच० वी० राव० नामक एक व्यक्ति 9 जनवरी, 1984 की शाम को वसंत बिहार के एक फाइव स्टार होटल में कत्ल हुआ पाया गया था। कथित अपराधियों को काबू में कर लिया गया और घटनास्थल पर गिरफ्तार कर लिया गया। मामले का न्यायालय में चालान कर दिया गया है और विचारण के लिए लम्बित है।

प्रारम्भ में यह संदेह था कि इसमें कोई काल गर्ल का धन्धा अन्तर्ग्रस्त है, लेकिन जांच पड़ताल से प्रकट हुआ है कि यह हत्या के साथ एक लूटपाट का मामला था।

दियासलाइयों की उत्पादन क्षमता

10537. **श्री छोटूभाई गामित** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दियासलाई की वर्तमान वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) प्रत्येक राज्य की दियासलाई निर्माता फैक्टरियों और उनमें निर्मित दियासलाइयों के निशानों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रति दियासलाई की उत्पादन लागत कितनी है ; और

(घ) क्या इस वर्ष दियासलाइयों का उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में कुछ अधिक होने की सम्भावना है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) दियासलाई उद्योग लघु क्षेत्र में विकास के लिए आरक्षित है तथा लघु और कुटीर क्षेत्र में एककों की उत्पादन क्षमता केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती। फिर भी, मोटे अनुमान के अनुसार दियासलाई उद्योग के इन क्षेत्रों में उत्पादन क्षमता लगभग 9 करोड़ डिबियां होने की आशा है। संगठित क्षेत्र के एक मात्र एकक मैसर्स विमको की क्षमता 347.22 लाख डिबियां हैं।

(ख) और (ग) यह जानकारी केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(घ) दियासलाई निर्माताओं के विभिन्न संगठनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दियासलाई का उत्पादन इस वर्ष पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में अधिक होने की सम्भावना है।

शहरों में गरीबों के लिए आश्रय और गन्दी बस्तियों के सुधार के बारे में कृतिक बल

10538. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शहरों में गरीबों के लिए आश्रय और गन्दी बस्तियों के सुधार के बारे में कृतिक बल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ;

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिक्स और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट की प्रमुख बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं। रिपोर्ट की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

विवरण

शहरी गरीबों के लिए आश्रय (शेल्टर) तथा गन्दी बस्तियों के सुधार से सम्बन्धित कृतिक बल की रिपोर्ट की विशेष बातें

कृतिक बल ने गरीबों के लिए आश्रय से सम्बन्धित कार्यक्रमों तथा वर्तमान नीतियों की जांच की है और इस क्षेत्र में जिन मुख्य समस्याओं का सामना किया जाना है उनका निर्धारण किया है। इसने उन स्थानीय तथा अन्य कानूनी बाधाओं की समीक्षा की है जिनसे गरीबों को अपने मकान बनाने के लिए

निवेश करने में अड़चनें आई हैं। इसने 15 वर्ष की अवधि के परिप्रेक्ष्य में शहरी गरीबों के आश्रय के लिए अपेक्षित सम्भावित वहनीय मांग का भी अनुमान लगाया है। इसने वर्तमान जीर्णोद्धार के ऐसे कार्यक्रमों का भी निर्धारण किया है जो विभिन्न शहरी क्षेत्रों में सफल पाए गए हैं और अन्य स्थानों में इन्हें अपनाए जाने के लिए तौर-तरीकों का भी सुझाव दिया है। इसने शहरी गरीबों के आश्रय के लिए ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों का सुझाव दिया है जो वित्तीय रूप से साध्य हैं तथा संस्थागत रूप से व्यवहार्य हैं, और गन्दी बस्तियों के सुधार के लिए उपायों का सुझाव दिया है।

2. कृतिक बल के मुख्य निष्कर्षों का सार नीचे दिया गया है :—

1. योजना में किए गए बजटीय आवंटनों का राज्य सरकारों द्वारा भूमि विकास स्कीमों और आधार संरचना व्यवस्था के लिए ही उपयोग किया जाना चाहिए ताकि व्यक्तियों और उपयुक्त संगठनों द्वारा बनाए जाने वाले मकानों के निर्माण में सुविधा हो सके और इसके लिए शहरी गरीबों के लिए मकान बनाने की "जगहों तथा सेवाओं" पर बल दिया जाना चाहिए।

2. गरीबों के लिए आश्रय कार्यक्रम तैयार करते समय जलपूर्ति, सफाई और कूड़ा-कचरा इकट्ठा करने के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

3. मकानों के निर्माण के लिए उपलब्ध सीमित लोक निधियों का उपयोग आवास तथा शहरी विकास निगम (हुडको), सहकारी समितियों तथा बैंकों के जरिए किया जाना चाहिए।

4. भूमि-विकास में लगे हुए लोक अभिकरणों को शीघ्रता से बाजार में जमीन रलीज करने का काम आरम्भ करना चाहिए और अन्योन्य (क्रास) राज सहायता व्यवस्था सहित प्रगामी मूल्य नीतियां अपनानी चाहिए।

5. यद्यपि गन्दी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार से सम्बन्धित वर्तमान नीति को जारी रखा जाना चाहिए, फिर भी वास्तविक वित्तीय मानकों, विभिन्न सम्बन्धित अभिकरणों के उत्तरदायित्व के उपयुक्त निर्धारण, लागत-वसूली, स्कूल पूर्व, पोषाहार स्वास्थ्य तथा रोजगार सम्बन्धी स्कीमों के लिए वास्तविक सुधार कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करने, शहरी सामुदायिक विकास आरम्भ करने, परिसम्पत्तियों के रख-रखाव जैसे कुछ उपादानों की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। निजी भूमि पर बसने वालों से सम्बन्धित समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाना चाहिए।

6. गन्दे क्षेत्रों में पानी की अधिक पूर्ति सम्बन्धी स्कीमों के कार्यान्वयन की गति तेज की जानी चाहिए और जहां निकट भविष्य में पानी के सीवर व्यवस्था से युक्त शौचालयों का प्रबंध न किया जा सकता हो वहां पानी डालकर साफ किए जाने वाले शौचालयों का विशाल कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए।

7. वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार राज्य सरकारों को (आरम्भ में) लाख से

अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों में व्यापक सर्वेक्षण करने चाहिए और इन नगरों में गन्दी बस्तियों के व्यापक सुधार सम्बन्धी "मास्टर प्लान" (बृहत-योजनाएं) तैयार करनी चाहिए।

8. सहकारिता समितियां बनाने के लिए कम आय वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे कि वे अपने सक्रिय प्रयत्नों के जरिए सम्बन्धित सरकारी विभागों से अपेक्षित सहायता तथा मार्गदर्शन प्राप्त करके अपने आश्रयों सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

9. निर्माण तथा आवास मन्त्रालय द्वारा अनधिकृत बस्तियों, बने हुए क्षेत्रों में गन्दी बस्तियों का उन्नयन, गन्दी बस्तियों के अन्तर्गत निजी भूमियों के त्वरित अधिग्रहण और सुधारी गई बस्तियों के निवासियों को पट्टे मन्जूर करने सम्बन्धी सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए कानून को सुदृढ़ करने के आशय से भारत में गन्दी बस्तियों सम्बन्धी कानून की पूरे पैमाने पर समीक्षा की जानी चाहिए।

10. गन्दी बस्तियों के अन्तर्गत, विशेष रूप से निजी भूमि के अधिग्रहण के मामले में, राज्य सरकारों को वास्तविक किराए के गुणजों के भुगतान पर गन्दी बस्तियों से सम्बन्धित वर्तमान कानून का अधिक पुरजोर तरीके से उपयोग करना चाहिए।

11. किराया नियन्त्रण, शहरी भूमि की अधिकतम सीमा और शहरी विकास के लिए भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में समीक्षा करते हुए कम आय वाले वर्गों पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

12. अनिवार्य पूर्वापेक्षा के रूप में गरीबों के लिए आवास सम्बन्धी कार्यक्रमों के क्षेत्र का विकास करने के लिए आश्रयों में लगे हुए आवासीय बोर्डों जैसे सभी लोक अभिकरणों, भूमि तथा आधार संरचना के विकास पर ध्यान संकेन्द्रित करना चाहिए और अपने मकान निर्माण कार्यक्रमों में न्यूनतम कटौती करनी चाहिए।

13. गरीबों के लिए आवास कार्यक्रमों की व्यवस्था में गैर-सरकारी अभिकरणों की सहभागिता को बढ़ावा देकर सरकारी अभिकरणों के सुझाए गए पूर्वाधियुक्तिकरण की सहायता प्राप्त की जा सकती है। गरीबों के लिए आश्रय कार्यक्रमों, गरीबों को अपनी सहायता के लिए संगठित करने, चाहे यह कम लागत वाले मकानों के निर्माण के लिए हो अथवा मूल पर्यावरणीय अथवा सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हों, स्वैच्छिक अभिकरणों को चाहे वे लाभ न प्राप्त करने वाले व्यावसायिक संगठन हों अथवा लघु सामुदायिक समूह हों, विशिष्ट भूमिकाएं निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

14. औपचारिक संस्थागत माध्यमों के जरिए गरीबों को आवासीय वित्त उपलब्ध कराने के लिए इस समय किए जा रहे प्रयत्नों में वृद्धि करने की दृष्टि से आवासीय विकास तथा वित्त निगम जैसे आवासीय वित्त अभिकरणों को प्रोत्साहित करने के लिए

संगठनात्मक प्रबन्धों का अनुमान लगाया जाना चाहिए ताकि वे जनसंख्या की इस श्रेणी के लिए आवासीय बाजार में प्रवेश कर सकें।

सेलम इस्पात संयंत्र की स्थापना

10539. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार को सेलम में एक पूर्ण इस्पात संयंत्र स्थापित करने का आश्वासन दिया था ;

(ख) क्या सरकार ने इस्पात संयंत्र के स्थान पर स्टील रोलिंग मिल स्थापित किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) सेलम (तमिलनाडु) में मिश्रित तथा विशेष इस्पात का उत्पादन करने के लिए एक सर्वतोमुखी इस्पात कारखाना लगाने की परिकल्पना की गई थी। इस कारखाने का निर्माण दो चरणों में किया जाना था। प्रथम चरण में प्रोसेसिंग तथा फिनिशिंग लाइनों की अपेक्षित सुविधाओं सहित बेदाग इस्पात की एक ठण्डी बेलन मिल तथा दूसरे चरण में लोहा तथा इस्पात बनाने, ढलाई तथा गर्म बेलन की सुविधाएं होंगी। तदनुसार प्रतिवर्ष 3200 टन बेदाग इस्पात की चादरों तथा पत्तियों का उत्पादन करने के लिए एक ठण्डी बेलन मिल लगाई गई है। दूसरे चरण का कार्य, जिसमें एक और ठण्डी बेलन मिल लगाना शामिल है, तभी शुरू किया जाएगा जब वर्तमान ठण्डी बेलन मिल के उत्पादन में स्थिरता आ जाती है, इसकी उत्पादों की बाजार में मांग बढ़ जाती है और यह सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक दृष्टि से इसका विस्तार (लागत की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त प्रौद्योगिकी का पता चल जाता है) करना लाभप्रद होगा और इसके लिए कौन सा समय उपयुक्त होगा।

सस्ता और अधिक सफेद अखबारी कागज का उत्पादन करने की विधि का विकास

10540. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि कलकत्ता स्थित पटसन प्रौद्योगिकी अनुसन्धान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने "मेस्टा" पौधे से सस्ता और अधिक सफेद अखबारी कागज तैयार करने की विधि का विकास किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का भारत को अखबारी कागज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने और काफी विदेशी मुद्रा बचाने हेतु इस प्रयोजन के लिए "मेस्टा" प्रयोग करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) पटसन प्रौद्योगिकी अनुसन्धानशाला ने प्रयोग किए हैं और मेस्टा से मैकेनिकल लुगदी की कई किस्में सफलतापूर्वक विकसित की हैं। यह भी देखा गया है कि मेस्टा लुगदी से अच्छी किस्म का हस्त-निर्मित कागज भी प्राप्त किया

जा सकता है जिसे अखबारी कागज के रूप में प्रयोग करने का विचार है। इसके बाद बड़े पैमाने पर है अग्रणी संयंत्र परीक्षण और कागज मशीनों पर परिचालनीयता परीक्षण किए जाने हैं तथा कागज की मुद्रणीयता का मूल्यांकन किया जाना है जिससे इस बात की पुष्टि की जा सके कि मेस्टा का उपयोग अखबारी कागज लुगदी की एक महत्वपूर्ण निविष्टि के रूप में कम कीमत पर हो सकता है।

सेण्ट्रल इलैक्ट्रोकैमीकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट एम्पलाईज एण्ड वर्कर्स यूनियन, कराइकुडी से प्राप्त ज्ञापन

10541. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सैण्ट्रल इलैक्ट्रोकैमीकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट एम्पलाइ एण्ड वर्कर्स यूनियन, कैराइकुडी (तमिलनाडु) से प्राप्त दिनांक 6 दिसम्बर, 1983 के ज्ञापन की ओर दिलाया गया है ;

(ख) उक्त ज्ञापन में किन समस्याओं और मांगों का उल्लेख किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त ज्ञापन में दी गई समस्याओं के सम्बन्ध में कोई कदम उठाए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) उक्त ज्ञापन में निम्नलिखित समस्याओं और मांगों का उल्लेख किया गया है :—

(1) निदेशक द्वारा संस्थान की प्रबन्ध-व्यवस्था के कार्य का कुप्रबन्ध।

(2) केन्द्रीय विद्युत-रसायन अनुसन्धान संस्थान में पूर्णकालिक निदेशक की तत्काल नियुक्ति।

(3) निदेशक के सेवाकाल की वृद्धि की स्वीकृति का प्रतिसंहरण।

(ग) प्रत्यक्ष में, संस्थान में कुप्रबन्ध के आरोप में कोई सारतत्व प्रतीत नहीं होता।

दिनाक 30-4-1984 को तत्कालीन निदेशक सेवानिवृत्त हो गए। केन्द्रीय रसायन अनुसन्धान संस्थान के नए निदेशक का चयन कर लिया गया है और नियुक्ति का प्रस्ताव भेज दिया गया है।

झालावाड़ में उद्योग स्थापित करना

10542. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झालावाड़, राजस्थान में जिला उद्योग केन्द्र की सहायता से शुरू किए गए उद्योगों, कुटीर उद्योगों की संख्या और उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इनमें कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) राज्य सरकार से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के अनुसार जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 से 1982-83 की अवधि के दौरान झालावाड़ जिले (राजस्थान) में 1029 औद्योगिक एककों (जिनमें 83 कारीगात प्रधान तथा 226 लघु औद्योगिक एकक शामिल हैं) की स्थापना की गई थी तथा 3760 व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए।

भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ में संयुक्त परामर्शदायी तन्त्र

10543. **श्री के० प्रधानी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ के नए चेयरमैन ने नीति सम्बन्धी मामलों पर विचार करने के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तन्त्र का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अवस्था में ऐसे मंच की आवश्यकता क्यों पड़ी ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सरकार ने प्रेस में इस प्रकार की रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) प्रेस में प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार इस प्रकार के एक संयुक्त मंच से ऐसी अनेक कठिनाइयों को दूर करने में मदद मिलेगी जिनसे त्वरित और संतुलित आर्थिक विकास में गतिरोध आ रहा था। औद्योगिक विकास सम्बन्धी सरकारी नीतियों में यह भी बताया गया है कि इससे व्यापक सहयोग प्राप्त हुआ है।

(ग) अभी भी, उद्योग के लिए केन्द्रीय परामर्शदायी परिषद, व्यापार सम्बन्धी केन्द्रीय परामर्शदायी परिषद, वस्त्र उद्योग के लिए केन्द्रीय परामर्शदायी परिषद, विभिन्न उद्योगों के लिए विकास परिषद आदि जैसे अनेक परामर्शदायी मंच हैं। ये मंच, जिनमें सरकारी प्रतिनिधि तथा उद्योग व्यापार, श्रमिकों, उपभोक्ताओं आदि के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, औद्योगिक विकास, व्यापार आदि से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण नीति विषयक मामलों पर विचार कर रहे हैं तथा सरकार को अपनी सलाह दे रहे हैं।

छठी योजना के वित्तीय वर्षों के दौरान आदिवासी उपयोजना के लिए प्रदत्त धनराशि

10544. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना के वित्तीय वर्षों के दौरान मन्त्रालय बार केन्द्रीय मन्त्रालयों और विभागों द्वारा आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के लिए किन-किन योजनाओं और कार्यक्रमों का चयन किया गया है तथा प्रत्येक योजना और कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय ने प्रत्येक केन्द्रीय मन्त्रालय के लिए केन्द्रीय स्तर की आदिवासी उपयोजना तैयार की है तथा उनसे इन योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए धनराशि की व्यवस्था करने का आग्रह किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय आदिवासी उपयोजना के लिए क्या संकल्पना और नीति अपनाई गई है ; और

(घ) केन्द्रीय मन्त्रालयों/विभागों द्वारा आदिवासी उपयोजना की तैयारी के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए**, संख्या एल० टी० 8382/84]

(ख) से (घ) तेरह केन्द्रीय मन्त्रालयों/विभागों ने जनजातियों/जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए अपनी वार्षिक योजना निधियों में से जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों के लिए धनराशियां निर्धारित की हैं । गृह मन्त्रालय इस सम्बन्ध में अन्य केन्द्रीय मन्त्रालयों/विभागों से आग्रह करता रहा है ।

मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर में रोजगार के मामले में भेदभाव

10545. **श्री जार्ज फर्नाण्डीस** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर में रोजगार आदि के मामले में भेदभाव बरतने से सम्बन्धित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों से सम्बद्ध कर्मचारियों की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो शिकायत का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) सरकार को शिकायत पत्र मिले हैं, जिनमें खनिज गवेषण निगम में भर्ती/पदोन्नति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी आदेशों को लागू न किए जाने के आरोप हैं ।

इन शिकायतों पर सरकार ने जांच की थी और उन पर अखिल भारतीय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़ा वर्ग समन्वय परिषद, नागपुर शाखा के प्रतिनिधिमण्डल से भी खान विभाग के अधिकारियों ने बातचीत की थी । समन्वय परिषद द्वारा बताए गए कुछ मामलों में सुधार की कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है, जबकि शिकायत पत्रों में उल्लिखित अन्य कर्मचारियों के मामलों में भर्ती नियमों के आलोक में नियुक्ति/पदोन्नति हेतु उम्मीदवारों की पात्रता की जांच-पड़ताल चल रही है । नीतिगत मामलों से सम्बन्धित मुद्दों पर कार्मिक तथा प्रशासन सुधार विभाग से सलाह के लिए लिखा-पढ़ी की जा रही है ।

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत शक्तियों का दुरुपयोग

10546. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **प्रधान मन्त्री** शिकार करने के सन्देह में किसानों को बन्दी बनाने के बारे में 28 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5360 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के शुरू होने के समय (एक) किसी अधिकारी के बारे में इस अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियों का दुरुपयोग करने के दोष होने की रिपोर्ट मिली है, (दो) इस दुरुपयोग के लिए किसी अधिकारी को दण्डित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या राज्यों में वन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों/अध्यक्षों में से किसी द्वारा इस अधिनियम के किसी उल्लंघन की ओर कोई ध्यान दिया गया है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से सूचना संग्रहित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कागज उद्योग के लिए कच्चा माल

10547. **श्री अमर सिंह राटवा** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वर्ष 1983-84 के दौरान कागज और कागज उत्पाद तैयार करने के लिए कच्चे माल का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ख) क्या जिन क्षेत्रों में कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है वहां पर कागज मिल स्थापित करने का कोई कार्यक्रम है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसे चुने गए स्थानों के नाम क्या हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) कागज, लुगदी और सहायक उद्योगों की विकास परिषद ने कागज उद्योग की कच्चे माल की आवश्यकताओं का जायजा लिया है। परिषद ने सिफारिश की है कि वन पर आधारित कच्चे माल पर दबाव को देखते हुए, कागज, गत्ते और अखबारी कागज की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लकड़ी की लुगदी (पल्प वुड) के बागानों को बढ़ाना आवश्यक होगा।

(ख) कागज मिलों की स्थापना के प्रस्तावों पर, कच्चे माल के लगातार मिलते रहने, अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं की उपलब्धता और आर्थिक जीव्यता को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर उनके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् प्रयोगशालाओं में पूर्णकालिक हिन्दी अधिकारी

10548. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं में पूर्ण-कालिक हिन्दी अधिकारी न होने से वैज्ञानिकों को हिन्दी अधिकारी (पदेन) के रूप में काम करना पड़ता है और अनेक वरिष्ठ वैज्ञानिकों को इन प्रयोगशालाओं की राजभाषा क्रियान्वयन समितियों में नामजद किया गया है ;

(ख) क्या इन प्रयोगशालाओं के प्रशासनिक डिवीजन अधिकांश मूल पत्र-व्यवहार केवल अंग्रेजी में करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या 100 से अधिक होने के बावजूद वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् और इसकी प्रयोगशालाओं में राजभाषा नीति की संतोषजनक क्रियान्वित हेतु पूर्ण-कालिक हिन्दी अधिकारी नियुक्त न किए जाने के क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। कुछ प्रयोगशालाओं/संस्थानों में वैज्ञानिकों को हिन्दी अधिकारी पदनामित किए गए हैं।

(ख) मूल पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में किया जाता है। फिर भी, यह प्रयास किया जाता है कि हिन्दी में प्राप्त होने वाले पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाए और जहां तक सम्भव हो सकता है मूल पत्र-व्यवहार हिन्दी में भी किया जाता है।

(ग) सी० एस० आइ० आर० की प्रयोगशालाओं/संस्थानों में पूर्णकालिक हिन्दी अधिकारी नियुक्त करने पर विचार किया जा रहा है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किए गए अवैध कब्जे

10549. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार 26 मार्च, 1984 को आयोजित गृह मंत्री की सलाहकार समिति की बैठक में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किए गए अवैध कब्जों को नियमित करने में सहमत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) अण्डमान और निकोबार द्वीप में वन और राजस्व भूमि पर अवैध कब्जे को नियमित करने के प्रश्न पर 26 मार्च, 1984 को गृह मन्त्री की परामर्शदात्री समिति की बैठक में विचार विमर्श हुआ था। मामले में अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रदेश काउन्सिल के लिए सीधा चुनाव

10550. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार 26 मार्च, 1984 को आयोजित गृह मन्त्री के सलाहकार समिति की बैठक में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में प्रदेश काउन्सिल के लिए सीधे चुनाव कराने के लिए सहमत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रदेश काउन्सिल के लिए सीधे चुनाव कराने की सम्भावना पर 26 मार्च, 1984 को हुई गृह मन्त्री की परामर्शदात्री समिति की बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। किन्तु मामले में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया था।

टायर कारपोरेशन आफ इण्डिया की नीति

10551. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नव-स्थापित टायर कारपोरेशन आफ इण्डिया (टी० सी० आई०) ने कम्पनी के लिए एक नए उत्पाद मिश्रण का पता लगाने हेतु कोई नई नियमित नीति तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार उस उपक्रम को सभी प्रकार की सम्भव सहायता देगी और इसे एक कारगर संस्था बनायेगी जिससे गैर-सरकारी क्षेत्र के टायर निर्माता एककों द्वारा जो दबाव डालने वाली चालें चल कर सरकारी उत्पादक शुल्क में तथा अन्य सभी रियायतें लेते हैं, थोड़े-थोड़े समय के बाद अनेक बार मूल्य में वृद्धि करके लोगों को परेशान किए जाने वाली अपनाई जाने वाली एकाधिकारिक और अनैतिक प्रवृत्तियों को रोका जा सके ; और

(घ) यदि हां, तो किस ढंग से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) उत्पादन में वृद्धि करने और उत्पाद के प्रकार में विविधता लाने सहित एक पुनर्वास और पुनरुज्जीवन योजना तैयार की गई है जिसे टायर कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा।

(ग) और (घ) टायर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के उत्पाद-मिश्रण में मोटरगाड़ियों के टायरों और ट्यूबों के साथ-साथ रबड़ के अन्य उत्पाद जैसे पंखा और वी० बेल्टें, ट्रांसमिशन और कन्वेयर बेल्टें, होज, रिक्लेम्ड रबड़ आदि सम्मिलित होंगे। सरकार नई कम्पनी को सभी सम्भव सहायता प्रदान करेगी जिससे वह पहली बार में ही जीव्य परियोजना के रूप में स्थापित हो सके। फिर भी, कम्पनी से उसके व्यापार सम्बन्धी सभी कार्यों में नीति विषय उच्च स्तर बनाये रखने की आशा की जायेगी।

भारतीय गीदड़ के विलुप्त होने की स्थिति

10552. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **प्रधान मन्त्री**, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गीदड़ जो पहले भारत के विभिन्न भागों में पर्याप्त संख्या में पाए जाते थे खाल निकालने वालों द्वारा इस जानवर की अन्धाधुन्ध हत्या किए जाने के कारण अब ये विलुप्त होने की स्थिति में हैं ;

(ख) क्या गीदड़ों की संख्या कम होने के कारण कृषि सम्बन्धी कीटों और केकड़ों में वृद्धि हो रही है ; और

(ग) हमारी परम्परा और लोक साहित्य के इतने लोकप्रिय और उपयोगी जानवर को बचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण विभाग में उपमन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) देश में सियारों की कुल आबादी में निश्चय ही काफी कमी आयी है, किन्तु यह उप-जाति (स्पीसीज) समाप्त प्रायः की स्थिति में नहीं है।

(ख) देश में इस विषय पर कोई वैज्ञानिक अध्ययन हुआ मालूम नहीं पड़ता है।

(ग) वन्य जीवन (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत अनुसूची में भारतीय सियारों को पहले ही शामिल कर लिया गया है, इस तरह उप जाति (स्पीसीज) को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। कानून की व्यवस्था का उल्लंघन, राज्यों के प्रवर्तन तन्त्र द्वारा निपटाया जाता है।

रायगढ़, महाराष्ट्र के सरकारी उपक्रमों की संख्या

10553. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में कार्यरत केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं; और

(ख) क्या 10 मई 1983 के मराठी साप्ताहिक "मानस" में छपी खबर के अनुसार इन उपक्रमों ने वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी मुद्रा द्वारा डीलक्स मारुति कार की बुकिंग

10554. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **उद्योग मंत्री** डीलक्स मारुति कारों के बारे में 18 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8067 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा द्वारा बिक्री के लिए मारुति डीलक्स कारों का कोई कोटा आरक्षित किया गया है ; यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) विदेशी मुद्रा द्वारा डीलक्स कारों का पंजीकरण कब प्रारम्भ होगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) देश में विदेशी मुद्रा भेजे जाने पर 20 प्रतिशत डीलक्स कारों का आबंटन करने का प्रस्ताव है। योजना का विस्तृत ब्यौरा अभी कम्पनी द्वारा तय किया जाता है।

मैसर्स बजाज के साथ पिएगिओं फर्म का सहयोग

10555. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने इटली की एक फर्म "पिएगिओ के सहयोग से स्कूटरों और तिपहिया स्कूटरों के निर्माण के लिए देश में दो कंपनियों को लाइसेंस जारी किये हैं ;

(ख) क्या "पिएगिओं" वही कम्पनी है जो अमेरिका, मलेयेशिया, इग्लैंड, आस्ट्रेलिया आदि जैसे देशों में बजाज आटो लिमिटेड के विरुद्ध झूठे मुकदमे चलाकर उन देशों को बजाज स्कूटरों के निर्यात के खिलाफ जो विदेशी मुद्रा अर्जित करने को बहुत बड़ा स्रोत है, अनुचित दबाव डालने का प्रयास कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त नीति अपनाने में केन्द्रीय सरकार का क्या उद्देश्य है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क)जी, हां ।

(ख) यह बताया जाता है कि मे० पियागियो ने मेसर्स बजाज आटो लि० के खिलाफ कुछ विदेशी न्यायालयों में मुकदमें दायर किए हैं जिनमें कुछ देशों को स्कूटरों का निर्यात करने के मेसर्स-बजाज आटो लि० के अधिकार पर आपत्ति की गई है ।

(ग) उचित दामों पर आधुनिक और ईंधनक्षम गाड़ियों की उपलब्धता का सुनिश्चय करने की दष्टि से सरकार की नीति प्रौद्योगिकी के उन्नयन, विशेषत: मोटरगाड़ी क्षेत्र में, को बढ़ावा देने की है ।

मकानों के कब्जे के सम्बन्ध में दर्ज किए गए मामले

10556. **श्री बनारसी दास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1984 में मकानों के कब्जे के संबंध में लाहौरी गेट पुलिस स्टेशन, दिल्ली के कितनी एफ० आई० आर० दर्ज की गई ;

(ख) उन मामलों की संख्या क्या है जिनमें अनुवर्ती कार्यवाही की गई ; और

(ग) क्या ऐसा कोई मामला है जिसमें अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) जनवरी, 1984 के महीने में थाना लाहौरी गेट में भा० दं० सं० की धारा 448 (घर पर अतिक्रमण करना) के तहत एक मामला दर्ज किया गया है । इस मामले में दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और मामला जांच पड़ताल के लिए लम्बित है । थाना लाहौरी गेट को अन्य कोई मामला सूचित नहीं किया गया है ।

राजस्थान में खनिज परिष्करण संयंत्र की स्थापना

10557. **श्री विरदाराम फुलवारिया** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में निजी पार्टियां खनिज परिष्करण संयंत्र स्थापित कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन खनिजों के लिये खनिज परिष्करण संयंत्र स्थापित किये जाने का विचार है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के विभिन्न विभागों में पदों में असमानता

10558. **श्री बाबू राव परांजपे** : क्या **योजना मन्त्री** मूल्यांकन संगठन के वरिष्ठ आर्थिक अन्वेषकों की पदोन्नति के बारे में 25 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8851 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब विभिन्न विभागों में अनुसंधान अधिकारियों/परियोजना मूल्यांकन अधिकारियों के मदों में कोई सीधा अनुपात/समानुपात नहीं है तो अनुसंधान अधिकारियों/परियोजना मूल्यांकन अधिकारियों के पदों का सृजन करने में समय-समय पर कार्य सम्बन्धी आवश्यकता के लिए क्या मानदण्ड अपनाया जाता है।

(ख) क्या इस मानदण्ड का सभी विभागों में समान रूप से पालन किया जाता है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) विभिन्न विभागों के पदों में असमानता के क्या कारण हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रोनिक्स और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) तक कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन में अनुसंधान अधिकारियों/परियोजना मूल्यांकन अधिकारियों सहित विभिन्न ग्रेडों और विषयों में सृजित किए जाने वाले पदों के लिए अपनाए गए मापदण्ड समय-समय पर संगठन की मुख्यत: मूल आवश्यकताएं और कार्यात्मक अपेक्षाएं रही हैं। इसलिए विभिन्न विषयों में पदों की विद्यमान संख्या में अन्तर है।

अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से सम्बन्धित वार्षिक रिपोर्ट

10559. **श्री भीखाभाई** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार संविधान की अनूसूची पांच के अधीन अपेक्षित वार्षिक रिपोर्ट यदा कदा भेजती है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यपालों की संख्या क्या है जो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित वार्षिक रिपोर्टें नियमित रूप से भेजते रहे हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो राज्यपालों को कब और क्या निदेश भेजे गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) सभी राज्य सरकारें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वार्षिक रिपोर्टें भेजती रही हैं जैसा कि संविधान की अनुसूची पांच में अपेक्षित है।

(ख) विभिन्न राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) मन्त्रालय रिपोर्टों को समय पर प्रस्तुत करने के लिए राज्यों का नियमित रूप से अनुस्मारक भेजता रहा है।

विवरण

विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्यपाल से प्राप्त वार्षिक रिपोर्ट की स्थिति

राज्य	1980-81	1981-82	1982-83
1. आंध्र प्रदेश	प्राप्त नहीं हुई	प्राप्त नहीं हुई	प्राप्त नहीं हुई
2. बिहार	जी हां	"	"
3. गुजरात	प्राप्त नहीं हुई	"	"
4. हिमाचल प्रदेश	जी हां	जी हां	जी हां
5. मध्य प्रदेश	प्राप्त नहीं हुई	जी हां	प्राप्त नहीं हुई
6. महाराष्ट्र	जी हां	प्राप्त नहीं हुई	"
7. उड़ीसा	जी हां	जी हां	"
8. राजस्थान	जी हां	जी हां	जी हां

बोकारो इस्पात संयंत्र के निर्माण में सोवियत संघ की दिलचस्पी

10560. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने बोकारो इस्पात संयंत्र में अधिक दिलचस्पी दिखाई जैसा कि दिनांक 20 अप्रैल, 1984 के "फाइनेनशियल एक्सप्रैस" में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सोवियत विशेषज्ञों से भारत सरकार को अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस कार्य के लिए दोनों देशों के बीच हुए करार का ब्यौरा क्या है; इस करार पर हस्ताक्षर करने वालों के नाम और पदनाम क्या हैं ;

(घ) इस सम्बन्ध में सोवियत संघ भारत की कितनी मदद करेगा और क्या इस बात की पूर्ण सावधानी बरती गई है कि काम के बीच में सोवियत संघ से सहायता प्राप्त होने में कोई रुकावट न पड़े; और

(ङ) सोवियत संघ द्वारा दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है और यह सहायता किन शर्तों पर दी जाएगी।

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०के०पी०साल्वे) : (क) से (ङ) समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार 20 वर्ष पूर्व अर्थात् 20 फरवरी, 1964 को प्रकाशित समाचार की ही नकल है। अब इस समाचार का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि उसके तुरन्त पश्चात भारत सरकार तथा सोवियत रूस की सरकार के बीच 25 जनवरी, 1965 को एक समझौता हुआ था जिसके अन्तर्गत सोवियत रूस ने बोकारो इस्पात कारखाने के 17 लाख टन इस्पात पिण्ड की वार्षिक क्षमता के चरण की स्थापना के लिए विदेशी मुद्रा की लागत को पूरा करने के लिए 200 मिलियन रूबल (उस समय 167 करोड़ रुपए के बराबर) का ऋण दिया था जिस पर ब्याज की दर 2.5 प्रतिशत थी और इसकी अदायगी 12 वर्षों में की जानी थी। इस ऋण का उपयोग सोवियत रूस से आए उपस्करों तथा सामग्री, रूसी विशेषज्ञों तथा कामगारों की भारत में प्रतिनियुक्ति तथा भारतीय विशेषज्ञों और कामगारों को रूस में प्रशिक्षण देने के लिए किया गया था।

इलेक्ट्रानिक विभाग द्वारा मंजूर की गई इलेक्ट्रानिक परियोजनाएं/योजनायें

10561. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) इलेक्ट्रोनिक विभाग द्वारा इलेक्ट्रोनिक उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले छः महीनों के दौरान विदेशी सहयोग के साथ अथवा उसके बिना कितनी इलेक्ट्रानिक परियोजनाओं/योजनाओं को अब तक मंजूर किया गया है तथा क्षेत्र वार उन्हें कहां पर स्थापित किया गया है, इनके सहयोगियों और भारतीय उद्यमियों के नाम क्या हैं तथा इनके निर्मित अथवा उत्पादित किए जाने वाले पदों के नाम क्या है ; और

(ख) मंजूरी के लिए ऐसे कितने प्रस्ताव लम्बित हैं और वे किन किन गतिविधियों अथवा निर्माण कार्यक्रमों से सम्बन्धित हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में कुख्यात अपराधी की हत्या में सच्चाई

10562. **डा० ए० यू० आजमी** :

श्री जगपाल सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस के प्राधिकारियों ने कुछ समय पहले यह घोषित किया था कि

सुभाष नामक एक कुख्यात अपराधी जिसकी दिल्ली में कई घृणित अपराधों के सम्बन्ध में तलाश थी अपराध करने के बाद अपने साथियों के साथ भागने की कोशिश करते समय एक मुठभेड़ में मारा गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 फरवरी, 1984 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि पुलिस प्राधिकारियों ने सुभाष सहित अन्य अपराधियों को पकड़ने में जनता की सहायता मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो यदि सुभाष अभी तक जिन्दा है, तो मुठभेड़ में उसके मारे जाने की बात में कितनी सच्चाई है ; और जनता को उसकी मृत्यु की झूठी सूचना देने के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) आयकर कार्यालय जांच चौकी के निकट 12 दिसम्बर, 1983 को हुई एक मुठभेड़ में गिरोह का एक सदस्य मारा गया था । सुभाष के संबन्धियों ने शव को सुभास के रूप में पहचाना था और इस आधार पर घोषणा की गई थी । किन्तु बाद में लुधियाना में गोलीकांड की एक घटना की जांच से ऐसा संकेत मिला कि सुभाष अभी जीवित है । पुलिस प्राधिकारियों की मंशा झूठी अथवा गुमराह करने की सूचना देने की नहीं थी ।

बाडमेर (राजस्थान) में जासूसी गिरोह का भंडाफोड़

10563. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 27 मार्च, 1984 के टाइम्स आफ इन्डिया में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि पुलिस ने बाडमेर (राजस्थान) में महत्वपूर्ण गुप्त जानकारी पाकिस्तान को भेजने में संलग्न एक जासूसी गिरोह का भंडाफोड़ किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गई है तथा इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार थाना बिजराड़, जिला बाडमेर, राजस्थान में दर्ज किए गए दो मामलों में एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक सहित छः व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं । बताया जाता है कि जांच-पड़ताल चल रही है ।

विदेशी सहयोग वाले रुग्ण एकक

10564. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी सहयोग वाले बड़े और मध्यम एककों की प्रत्येक श्रेणी में रुग्ण एककों की अलग अलग संख्या क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : विदेशी सहयोग वाले रुग्ण एककों के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अलग से इकट्ठे नहीं किए जाते।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा बेंजीन और तोल्यून के मूल्यों में वृद्धि

10565. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च 1980 के मध्य में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० ने बेंजीन और तोल्यूव के अपने मूल्यों में 17 अगस्त, 1979 के भूतलक्षी प्रभावों से 1350 रु० प्रति किलोमीटर की वृद्धि कर दी जोकि समाप्त की गई अधिकार राशि के बराबर है तथा आधार मूल्य के भाग के रूप में वापस किए जाने वाले अधिभारों को उसमें मिला दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय इस्पात प्राधिकारण लि० और अन्य द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से मूल्य वृद्धि के पश्चात कुल कितनी राशि मिला दी गई ;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० और बेंजीन और तोल्यून के अन्य उत्पादकों की यह कार्यवाही गैर कानूनी मानी गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० और अन्य उत्पादकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

अमृतसर की हिंसक घटनाओं की न्यायिक जांच

10566. **श्री भीमसिंह** :

श्री मनोहर लाल सैनी :

श्री रवीन्द्र वर्मा :

श्री मोतीभाई आर० चौधरी :

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से अमृतसर में हुई हिंसक घटनाओं की न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह मांग किन संगठनों ने की है ;

(ग) क्या सरकार ने इन मामलों की न्यायिक जांच कराने के आदेश दिए हैं और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) विभिन्न संगठनों और दलों ने जो हाल ही में अमृतसर में हुई हिंसा की कुछ घटनाओं की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। हिंसक घटना के प्रत्येक मामले की जांच की जाती है और कानून के अधीन कार्रवाई करने के लिए मामले दर्ज किए जाते हैं। इन मामलों की न्यायिक जांच कराना आवश्यक अथवा उचित नहीं समझा गया है।

भविष्य में अन्तरिक्ष उड़ान के कार्यक्रम

10567. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत सोवियत संघ अन्तरिक्ष उड़ान की सफलता की दृष्टि से स्वतन्त्र रूप से अथवा किसी अन्य देश के साथ संयुक्त रूप से किसी अन्य अन्तरिक्ष उड़ान में भाग लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) स्वतन्त्र रूप से अथवा किसी अन्य देश के साथ संयुक्त रूप से भविष्य में मानव उड़ानों के लिए फिलहाल कोई विशेष प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फिर भी, हमारे अन्तरिक्ष कार्यक्रम के सम्पूर्ण सन्दर्भ में भविष्य में ऐसी उड़ानों पर, विचार किया जा सकता है।

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति में मंत्रालयों से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

10568. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता समिति लि० (केन्द्रीय भंडार), नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर गये अधिकारियों के विवरण क्या हैं ; और

(ख) उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

उच्च प्रौद्योगिकी में भारत-सोवियत संघ सहयोग

10569. **श्री ब्रजमोहन मोहन्ती** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सोवियत संघ, उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में, भी आत्म निर्भरता के संवर्धक के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रम में भारत के साथ सहयोग देने के लिए सहमत हो गया है, यदि हां, तो इस करार के विवरण क्या हैं ;

विवरण

क्र० सं०	नाम	पदनाम	कौन से मन्त्रालय/विभाग से प्रतिनियुक्ति पर है	प्रतिनियुक्ति की अवधि	के० स० क० उ० सहकारी समिति लि० में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री एम० के० चक्रवर्ती	महाप्रबन्धक	वाणिज्य तथा सिविल पूर्ति मंत्रालय, सिविल पूर्ति विभाग	4 वर्ष	31-5-1980 (अपराह्न)
2.	श्री जिले सिंह	सचिव	खाद्य तथा सिविल पूर्ति मंत्रालय (सिविल पूर्ति विभाग)	3 वर्ष	9-8-83 (पूर्वाह्न)
3.	श्री सुरेश चन्द गुप्ता	मुख्य लेखा अधिकारी	कार्यकारी अभियंता, डाक व तार सिविल प्रभाग, मैसूर।	2 वर्ष	25-6-83 (,,)
4.	श्री एम० पी० गुप्ता	लेखा अधिकारी	लेखा उप-निदेशक (डाक), जयपुर।	2 वर्ष	19-12-83 (,,)
5.	श्री बी० आर० गर्ग	लेखा अधिकारी	महानिदेशक डाक व तार डाक, लेखा स्कंध, सरदार पटेल भवन।	2 वर्ष	16-1-84 (,,)
6.	श्री बी० बी० गांधी	लेखाकार	सी० डी० ए० (पी०), इलाहाबाद	2 वर्ष	10-9-82 (,,)
7.	कु० विरेन्द्र बाला वर्मा	लेखाकार	डी० ए० सी० आर०, नई दिल्ली	2 वर्ष	1-8-82 (,,)

(ख) क्या इस प्रकार का सहयोग भारतीय सुरक्षा के हित का संवर्धन करेगा ; और

(ग) क्या इस करार में परमाणु प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत और सोवियत संघ के बीच 1984-87 तक की अवधि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कई क्षेत्रों में सहयोग के कार्यक्रम में उच्च प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित क्षेत्र सम्मिलित हैं जैसे —मैग्नेटो हाइड्रो डायनामिक्स, चूर्णधातु विज्ञान, मशीनी औजार, धातुओं की प्रतिक्षारण प्रतिरक्षा, लेसर, ऊष्मा और भार (मौस) स्थानांतरण, उत्प्रेरण, जैव-प्रौद्योगिकी, उच्चतापमान की भौतिकी, उच्च दाब भौतिकी और विद्युत धातुचूर्ण विज्ञान ।

वैज्ञानिकी क्षमताओं को बढ़ाते हुए ये कार्यक्रम आत्मनिर्भरता के संवर्धन में सहायक होंगे ।

(ख) इस प्रकार की बेहतर आत्मनिर्भरता भारतीय सुरक्षा के हित में योगदान देगी ।

(ग) उत्तर के भाग (क) में उल्लेखित सक्रिय कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ क्षेत्र जैसे धातु चूर्ण विज्ञान, सामग्री विज्ञान, यन्त्रीकरण, परमाणु प्रौद्योगिकी के विकास के लिए संगत है ।

टैंक से रिस रही क्लोरीन गैस से बेहोश हुए डी० सी० एम० के कर्मचारी

10570. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री राम बिलास पासवान :

श्री सुशील भट्टाचार्या :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "दिल्ली क्लाथ मिल" के दो दर्जन से अधिक कामगार एक टैंक से रिस रही क्लोरीन गैस से बेहोश हो गये थे और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया ;

(ख) यदि हां, तो क्या रिस रही गैस से कुल मिलाकर लगभग अस्सी कामगार प्रभावित हुए ;

(ग) यदि हां, तो क्या कोई जांच कराई गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बैय्या) : (क) और (ख) दिल्ली क्लाथ मिल के 110 मजदूरों को, जिन्होंने क्लोराईन गैस को सांस के साथ अन्दर ले लिया था, अस्पताल ले जाया गया। 6 मजदूरों को छोड़कर सभी को उसी दिन अर्थात् 9-4-84 को छुट्टी दे दी गई थी ।

(ग) और (घ) दिल्ली पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है ।

एक्स-रे फिल्मों का उत्पादन

10571. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एक्स-रे फिल्मों की मांग के अनुरूप उत्पादन होता है ;

(ख) एक्स रे फिल्म उत्पादकों और उनके उत्पादन एवं मांग और पूर्ति का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1980-81 से 1983-84 के दौरान सरकारी अस्पतालों में एक्स-रे फिल्मों की मांग और पूर्ति की राज्य-वार स्थिति क्या है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड (एच० पी० एफ०) देश में एक्स-रे फिल्में बनाने वाली एक मात्र कम्पनी है। 38.20 लाख वर्ग मीटर की अनुमानित मांग में से 1983-84 के दौरान कम्पनी द्वारा 31.36 लाख वर्ग मीटर का उत्पादन किया गया था जिसमें से उसकी आरम्भिक वस्तु-सूची 3.44 लाख वर्ग मीटर थी। मांग को पूरा करने के लिए बाजार में पर्याप्त आपूर्ति की गई थी, और कम्पनी के पास मार्च, 1984 के अन्त तक 4 लाख वर्ग मीटर का मध्यवर्ती स्टॉक मौजूद था।

(ग) चूंकि अलग-अलग ब्यौरे नहीं हैं, फिर भी हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स उपर्युक्त वर्षों में सरकारी अस्पतालों की सम्पूर्ण मांग पूरी करता रहा है।

"फेराइट" परियोजना की स्थापना

10572. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) फेराइट परियोजना को लाइसेंस देने/स्थापित करने के लिए सरकार किस मानदण्ड का पालन कर रही है ; और

(ख) उक्त परियोजना के लिए कितनी न्यूनतम "इकानोमिक साइज" की क्षमता संभावित और उचित है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एस० एस० संजीवी राव) : (क) इलेक्ट्रानिकी संघटक-पुर्जा उद्योग के बारे में संलग्न विवरण में उल्लिखित नीति/मार्गदर्शी-सिद्धान्तों में निर्दिष्ट मापदण्ड के अनुसार ही फेराइट परियोजनाओं के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं/उन्हें स्थापित किया जाता है।

(ख) कठोर फेराइट के विनिर्माण के लिए न्यूनतम व्यवहार्य क्षमता लगभग 1000 एम० टी० तथा नर्म फेराइट के लिए लगभग 500 एम० टी० है।

विवरण

भारत में इलेक्ट्रानिक उपस्करों और प्रणालियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मूल-भूत पूर्व शर्त यह है कि विभिन्न किस्म के इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जे मुक्त रूप से और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। अत: इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जा उद्योग के विकास के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग ने निम्नलिखित कदम उठाने का निर्णय किया है :—

1. बड़े पैमाने तथा व्यावहारिक तथा सुदृढ़ आधार पर और उद्यमकर्त्ताओं का एक व्यापक आधार बनाकर संघटक-पुर्जों के विनिर्माण को बढ़ावा देने/लाइसेंस प्रदान करने/सुस्थापित करने का अर्थ यह होगा कि उत्पादन हमारी विशुद्ध देशी आवश्यकताओं से कुछ अधिक होगा किन्तु जब उद्योग का संवर्धन अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से सक्षम आधार पर किया जाएगा तो निर्यात की प्रचुर संभावनाएं उपलब्ध होंगी।

2. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक दृष्टि से सक्षम आधार प्रदान करने और साथ ही उत्पाद की गुणवत्ता (क्वालिटी) सुनिश्चित करने के लिए बड़ी उत्पादन क्षमताएं स्थापित करना जरूरी है। स्वचालित मशीनों के प्रादुर्भाव से प्रौद्योगिक दृष्टि से यह एक अनिवार्यता बन गयी है। तदनुसार वर्तमान संगठित क्षेत्र के उद्योगों को मुक्त रूप से प्रोत्साहन दिया जाता है।

3. मांग की स्थिति और इस कार्य को मूर्त रूप देने में लगने वाले समय को देखते हुए इस बात की संभावना बहुत कम नजर आती है कि वर्तमान यूनिटें अपने कार्यक्षेत्र के पर्याप्त विस्तार और आधुनिकीकरण किए बगैर इस मांग की पूर्ति करने की स्थिति में होंगी। अत: और अधिक क्षमता का निर्माण करना जरूरी समझा गया है। इस क्षमता को केवल अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से सक्षम बनाने के आधार पर बढ़ावा दिया जा रहा है। किसी प्रस्ताव की लागत तथा प्रौद्योगिकी की दृष्टि से जांच करते समय हम न केवल स्वदेशी मांग को ध्यान में रखते है अपितु निर्यात की संभावनाओं को भी मद्नजर रखते हैं।

4. जहां तक विदेशी प्रौद्योगिकी का प्रश्न है, इलेक्ट्रानिकी विभाग की नीति यह रही हैं कि आधुनिक किस्म के संघटक पुर्जों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के आयात को मुक्त रूप से अनुमति दी जाए। वर्तमान निर्माणकर्त्ताओं के पास प्रौद्योगिकी की दृष्टि से पर्याप्त क्षमता मौजूद नहीं है और रक्षा की दृष्टि से उपयुक्त स्तरीय संघटक-पुर्जों के लिए बहुत कम अनुमोदन दिए गए हैं।

5. कुछ मामलों में इस समय क्षमताओं का पूर्णरूपेण उपयोग न किए जाने का कारण मांग का अभाव होना नहीं है अपितु इसके कुछ और ही कारण हैं (सामान्यतया प्रबन्धकीय असफलाएं)।

6. उपर्युक्त कारणों से लघु उद्योग क्षेत्र में संघटक-पुर्जों का उत्पादन करना सर्वथा अनुपयुक्त है और इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा विकास आयुक्त (लघु उद्योग), दोनों ही पिछले 4/5 वर्षों से लघु उद्योग के सभी उद्यमकर्त्ताओं को लिखते आ रहे हैं कि

लघु उद्योग क्षेत्र में संघटक-पुर्जों के निर्माण में पूंजीनिवेश करना विवेकपूर्ण नहीं होगा और यदि वे फिर भी ऐसा करते हैं तो वे ऐसा अपने जोखिम पर करेंगे क्योंकि सरकार उन्हें संरक्षण प्रदान न कर सकेगी।

राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा विकासीय अध्ययन संस्थान, (निसटाडस) की परियोजनाओं के रखरखाव पर व्यय की गई धनराशि

10573. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के संस्थान राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिक तथा विकासीय अध्ययन (निसटाडस) संस्थान की परियोजनाओं के रखरखाव पर इसके प्रारम्भ से लेकर कितनी धनराशि व्यय की गई है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा विकासीय अध्ययन (निसटाड्स) संस्थान द्वारा देश की मांगों के लिए कोई सम्बन्धित प्रौद्योगिकी का योगदान किया है ; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इसके अध्ययनों तथा अनुसंधान परियोजनाओं का कोई आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) "निस्टाड्स" की स्थापना के समय से उसकी विभिन्न परियोजनाओं और उसकी विविध व्यवस्थाओं पर व्यय निम्नलिखित हैं :

	(रु० लाखों में)
1981-82	23.738
1982-83	33.432
1983-84	66.379

(ख) जी हां। संस्थान ने विज्ञान और टेक्नोलाजी नीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अध्ययन किए हैं। 1958 में विज्ञान नीति संकल्प अपनाए जाने के समय से इस संस्थान ने टेकनोलाजी की समीक्षा की है। संस्थान ने 1958 में विज्ञान नीति संकल्प के अपमाए जाने के समय से विज्ञान और टेक्नोलाजी में की गई उन्नति से सम्बन्धित अध्ययन मन्त्रिमण्डल की विज्ञान सलाहकार समिति को प्रस्तुत कर दिया है।

(ग) जी, हां। "निस्टाड्स" की अनुसंधान परियोजनाएं और अध्ययनों का संस्थान की अनुसंधान सलाहकार परिषद्, जिसमें विशिष्ठ वैज्ञानिक और अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं ; "निस्टाड्स" की कार्यकारी समिति और सी० एस० आई० आर० प्रयोगशालाओं के सूचना समूह की समन्वय परिषद् द्वारा समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है।

के० एम० वी० कालेज० जालन्धर की लापता छात्राओं के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

10574. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या के०,एम० वी० कालेज, जालन्धर की दो छात्राओं के गत जनवरी में लापता होने के समाचार के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराए जाने के आदेश दिए गए थे :

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो का एक अधिकारी इस सम्बन्ध में कालेज गया था और जांच शुरू की थी परन्तु बाद में जल्दी ही उसका फिरोजपुर स्थानान्तरण कर दिया गया था।

(ग) क्या लापता छात्राएं बाद में जिन परिस्थितियों में खोजी गईं उन्हें देखते हुए कालेज की प्रिंसिपल का कुछ जाने माने तस्करों और अपराधियों के साथ संदिग्ध व्यवहार के बारे में और आगे जांच होनी चाहिए ; और

(घ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच शुरू की जा रही है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) पंजाब सरकार ने कन्या महाविद्यालय जालन्धर से दो छात्राओं के कथित लापता होने के मामले की जांच-पड़ताल सी० बी० आई० को हस्तांतरित करने के लिए गत जनवरी में अनुरोध किया था। बाद में इन लड़कियों को ढूंढ़ लिया गया और उनके माता पिता को सौंप दिया गया। पंजाब पुलिस द्वारा जांच-पड़ताल के दौरान कालेज प्रिंसिपल की कुछ तस्करों तथा अपराधियों के साथ सांठगांठ का पता नहीं लगा। राज्य सरकार की राय में, चूंकि लापता खोज लिए गए हैं, इसलिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामले की आगे जांच-पड़ताल करना जरूरी नहीं है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के एक अधिकारी जांच करने के लिए जालन्धर गए थे। जिस दिन जालन्धर गए थे उस दिन लड़कियां गोवा में मिल गई थी। अधिकारी को राज्य सरकार के अनुरोध पर उनके मूल संवर्ग को लौटा दिया गया। अधिकारी के लौटने का जांच से कोई सम्बन्ध नहीं था।

कुदाल आयोग की नियुक्ति

10575. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा द्वारा 28 अगस्त, 1981 को कुछ गांधीवादी संगठनों की गतिविधियों, प्रकाशनों तथा निधियों के स्रोतों, आदि के बारे में जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत एक जांच आयोग स्थापित करने की सिफारिश करते हुए एक प्रस्ताव पास किया गया था।

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रस्ताव के आधार पर कुदाल आयोग की कब नियुक्ति की गई थी :

(ग) इस आयोग के निर्देश पद क्या हैं ; और

(घ) क्या आयोग ने सरकार द्वारा दिए गए निर्देश पदों की सीमा का उल्लंघन किया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) कुदाल आयोग का गठन 17-2-1982 को सरकारी अधिसूचना के तहत किया गया था और उसकी एक प्रतिलिपि 3 मार्च, 1982 को सभापटल पर रख दी गयी थी।

(घ) आयोग जांच कर रहा है। जांच आयोग के कार्यकरण पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।

सिक्किम माईनिंग कारपोरेशन द्वारा "कापर लेड" तथा "जिंक" का उत्पादन

10576. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 के दौरान सिक्किम माईनिंग कारपोरेशन द्वारा कापर, जिंक तथा लेड "कन्सन्ट्रेटस" का कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया ;

(ख) इसका उत्पादन लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया था ; और

(ग) इसके कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) वित्त वर्ष 1983-84 के दौरान सिक्किम माईनिंग कार्पोरेशन के विभिन्न सान्द्रों का लक्ष्य और उत्पादन नीचे दिया गया है :—

	लक्ष्य (मि० टनों में)	वास्तविक उत्पादन (मि० टनों में)
तांबा सान्द्र	324	342
सीसा सान्द्र	150	94
जस्ता सान्द्र	638	459

(ग) निगम द्वारा अपने कार्य में सुधार हेतु उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) अधिक विस्मथ अंश के कारण अनबिके सीसा सान्द्रों की बिक्री की संभावनाओं का पता लगाना ;

(ii) खान के निम्नतर स्तरों का विकास ;

(iii) कार्य निष्पादन में सुधार हेतु परिष्करण संयंत्र में समुचित आशोधन।

निरंकारियों की हत्या

10577. **श्री रामजी भाई मावणि** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 फरवरी, 1980 से 17 अप्रैल, 1984 की अवधि के दौरान उग्रवादियों द्वारा

पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में बड़ी संख्या में निरंकारियों की हत्याएं की गई हैं अथवा उन्हें घायल कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) हत्यारों तथा अपराधियों का पता लगाने तथा उन्हें गिरफ्तार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) निरंकारियों के जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(घ) निरंकारियों और उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए प्राधिकारियों ने विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें सुरक्षा कर्मचारियों की व्यवस्था करना और सुरक्षा प्रबन्धों को सुदृढ़ करना शामिल हैं।

बिहार में अध्यादेशों का पुनः जारी किया जाना

10578. **श्री राम विलास पासवान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने गोखले इन्सटिच्यूट आफ पालिटिक्स एंड इकनामिक्स, पुणे के के डा० डी० सी० वधवा को बिहार में अध्यादेशों के पुनः जारी किए जाने को चुनौती देने संबंधी याचिका 9 फरवरी, 1984 को स्वीकार कर ली गई है ;

(ख) क्या स्थगन आवेदन पर केन्द्रीय सरकार को तीन सप्ताह के भीतर लौटाए जाने वाला नोटिस जारी किया गया था ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने तीन सप्ताह के भीतर कोई शपथ-पत्र दाखिल किया ; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) तथा (घ) भारत सरकार ने अभी तक अपना शपथ-पत्र दाखिल नहीं किया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 6 अप्रैल, 1984 के आदेश में राज्य सरकार को 30 मई, 1984 तक अपना शपथ-पत्र दाखिल करने के निदेश दिये हैं। चूंकि राज्य सरकार मुख्य प्रतिवादी है इसलिए भारत सरकार अपना शपथ-पत्र दाखिल करने से पहले राज्य सरकार द्वारा दाखिल किए जाने वाले शपथ-पत्र को ध्यान में रखना चाहेगी।

निरंकारियों की हत्या और उन्हें परेशान किए जाने के बारे में निरंकारी मंडलों से प्राप्त अभ्यावेदन

10579. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मन्त्री और प्रधानमन्त्री को उग्रवादियों, अकालियों और सिखों द्वारा निरंकारियों की हत्या और उन्हें परेशान किए जाने के बारे में निरंकारियों और उनके मण्डलों से 1 जनवरी, 1983 से 17 अप्रैल, 1984 के बीच पत्र अभ्यावेदन और ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनकी मांगें क्या हैं ;

(ग) उन पर क्या कार्रवाई की गई है ;

(घ) क्या निरंकारियों के प्रतिनिधियों ने उक्त अवधि के दौरान प्रधान मन्त्री और गृह मन्त्री से भेंट की थी ;.

(ङ) क्या प्रधान मन्त्री और गृह मन्त्री ने उनके साथ हुई बातचीत के दौरान कोई आश्वासन दिए थे ; और

(च) उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) इन पत्रों में निरंकारियों और उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा और उन पर हमलों के मामलों में कार्रवाई करने की मांग की गयी है । सम्बन्धित अधिकारियों और राज्य सरकारों से उपयुक्त संरक्षणात्मक उपाय करने और निरंकारियों पर हमलों की घटनाओं में अपराधियों को पकड़ने का अनुरोध किया गया है ।

(घ) जी हां, श्रीमान ।

(ङ) और (च) निरंकारी नेताओं को सूचित किया गया था कि सरकार निरंकारियों के जीवन और सम्पत्ति के संरक्षण के लिए उपाय करेगी ।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश के अधीन गिरफ्तारियां

10580. **श्री चित्त बसु** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश के अन्तर्गत इसके लागू होने से लेकर अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) हिरासत के बाद की 15 दिन की निर्धारित अवधि के दौरान कितने आरोप पत्र जारी किए गए हैं और

(ग) मूल अधिनियम की तुलना में यह अध्यादेश पुलिस के लिए कितना सहायक सिद्ध हुआ है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) 5-4-1984 से 1-5-1984 तक राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश के अधीन तेतालिस व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया ।

(ख) निर्धारित समय के अन्दर सभी तेंतालिस नजरबन्दियों को नजरबन्दी के कारण बताए गए थे।

(ग) अभी कोई निश्चित मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है।

रुग्ण सीमेंट एककों को छूट

10581. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उद्योग में रुग्ण एककों को सीमेंट उद्योग के लिए अंतरिम पंचाट के कार्यान्वयन से छूट दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो किन एककों को छूट दी गई है ;

(ग) ये छूट देने के मुख्य कारण क्या हैं और मुख्य रियायतों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सक्षम रुग्ण और हाल ही में बन्द हुए एककों में अंतरिम पंचाट के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) दिनांक 15 मई, 1982 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित सीमेंट उद्योग सम्बन्धी अन्तरिम पंचाट में, जो कर्मचारियों के सभी वर्गों पर लागू होता है रुग्ण सीमेंट एककों को कोई भी रियायत देने का उल्लेख नहीं है। अतः ऐसे एककों में अंतरिम पंचाट क्रियान्वित करने के मामले में रियायतें देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) अन्तरिम पंचाट में यह निर्धारण किया गया था कि मजदूरी में अंतरिम बढ़ोतरी 1-1-1982 से की जाएगी, तथा बकाया राशि का भुगतान 15 जून, 1982 को अथवा इससे पहले कर दिया जाएगा।

दिल्ली न्यायिक सेवा संघ द्वारा पुलिस सुरक्षा की मांग

10582. **श्री रतनसिंह राजदा** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटियाला हाउस और तीस हजारी न्यायालयों में काम करने वाले दिल्ली न्यायिक संघ के 130 सदस्यों ने पुलिस सुरक्षा की मांग की है ;

(ख) क्या 102 से अधिक मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और सब-जज मंगलवार 3 अप्रैल, 1984 को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास गए थे और उनसे अपनी तथा अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था ;

(ग) क्या कुछ वकीलों ने भी अपनी तथा अपने बच्चों की सुरक्षा की मांग की है जिसमें से कुछ बच्चों का अपहरण किए जाने की लगातार धमकी दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इन लोगों और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार का क्या विशेष कदम उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदुलारी सिन्हा) : (क) दिल्ली पुलिस को इस प्रकार का संरक्षण प्रदान करने के लिए किसी ने नहीं कहा है।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है।

(घ) जिस किसी को अपनी जिन्दगी के लिए खतरे की संभावना हो, वह पुलिस के पास शिकायत दर्ज कर सकता है, जो मामले में उपयुक्त कार्रवाई करेगी।

बम्बई महानगर क्षेत्र में टेलीविजन सेटों का निर्माण

10583. **श्री धर्मवीर सिन्हा** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई महानगर क्षेत्र में ब्लैक एण्ड व्हाइट और रंगीन टेलीविजन सेटों के निर्माण के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस जारी किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) मेसर्स टेलीराड प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई को श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) दूरदर्शन रिसीवरों के विनिर्माण के लिए अपनी विद्यमान लाइसेंसीकृत क्षमता को 10,000 नग से 20,000 नग वार्षिक करके उसमें पर्याप्त विस्तार करने के लिए 15 मार्च, 1973 को एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया था। इकाइयों का स्थापना-स्थल चण्डीवली, बम्बई बताया गया था। बाद में, मैसर्स टेलीराड को जारी किए गए अन्य लाइसेंसों के साथ उपर्युक्त औद्योगिक लाइसेंस को भी औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय के दिनांक 18 मार्च, 1983 के पत्र सं० 14 (34) 77-एस० सी० एस० द्वारा मैसर्स अम्बालाल साराभाई एन्टरप्राइजिज लिमिटेड के नाम में अन्तरित कर दिया गया था। तथापि, मैसर्स अम्बालाल साराभाई एन्टरप्राइजिज लिमिटेड ने इस विभाग को दिनांक 13 जून, 1983 को सूचित किया है कि उनके चण्डीवली स्थित कारखाने में गंभीर श्रमिक अशान्ति व हड़ताल के कारण मैसर्स टेलीरांड द्वारा अगस्त, 1982 माह से चण्डीवली, बम्बई कारखने में दूरदर्शन सेटों का उत्पादन बंद कर दिया गया था।

भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों का ग्रुप "बी" की सेवाओं में आबंटन

10584. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **गृह मन्त्री** भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों का ग्रुप "बी" की सेवाओं में आबंटन करने के बारे में 28 मार्च, 1984 तथा 18 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या क्रमश: 5215 और 8009 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह समझती है कि जिन उम्मीदवारों ने सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा

के लिए अपनी प्राथमिकता नहीं दी उनको सशस्त्र सेना मुख्यालय सेवा में भारी संख्या में नियुक्त करना योग्यता मानदंडों की उपेक्षा नहीं है और ऐसे उम्मीदवारों की इस सेवा में आबंटन बहुमूल्य स्रोतों और प्रतिभा का उचित उपयोग नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रुप "बी" सेवा के आबंटन के पूरे मामले पर पुन: विचार करने का कोई प्रस्ताव है ताकि योग्यता की दृष्टि से ऊंचा स्थान पाने वाले उम्मीदवारों का बेहतर सेवा में आबंटन किया जा सके ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों का समूह "ख" की विभिन्न सेवाओं में आबंटन उनके रैंक और उनके द्वारा दी गई वरीयताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। उम्मीदवारों को सभी सेवाओं के संबंध में अपनी वरीयता का क्रम निर्दिष्ट करने का विकल्प है। इस प्रकार आबंटन की यह पद्धति निर्दोष है। और इससे योग्यता क्रम के मानदंडों की कोई उपेक्षा नहीं होती। समूह "ख" की सिविल/पुलिस सेवाओं के जिन पदों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है, वे सभी 650-1200 रु० के वेतनमान वाले श्रेणी-II राजपत्रित पद हैं। सशस्त्र सेना मुख्यालय सेवा सहित समूह "ख" की प्रत्येक सेवा को एक कार्यात्मक भूमिका निभानी होती है और उस सेवा के विभिन्न पदों पर कार्य करने के लिए योग्यता रखने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। इसलिए उम्मीदवारों के किसी सेवा में आवंटन के फलस्वरूप, भले ही उनमें से कुछ उम्मीदवारों ने उस सेवा विशेष के लिए वरीयता न दी हो, मूल्यवान संसाधनों और प्रतिभाओं का अपव्यय नहीं होता है।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड कलकत्ता द्वारा निविदाएं आमंत्रित करना

10585. **श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड कलकत्ता द्वारा कछार परियोजना के लिए पेपर मशीन आदि स्थापित करने हेतु तकनीकी दृष्टि से स्वीकृत पार्टियों से हाल ही में निविदाएं आमंत्रित की गई थी ;

(ख) क्या अधिकतम दर के निविदा देने वाली पार्टी को यह कार्य दिया गया था तथा इसी कार्य को करने के लिए न्यूनतम दरें देने वाली अन्य पार्टियों की उपेक्षा की गई थी, जिससे लाखों रुपए की हानि हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) टेंडरों का मूल्यांकन न केवल दर के बारे में ही किया गया था, बल्कि वह कार्य यथासमय सलफता पूर्वक पूरा करने के लिए टेंडरों की सक्षमता और योग्यता के बारे में भी था। अत: यह कार्य उस पार्टी को दिया गया जिसने परियोजना प्राधिकारियों और उनके परामर्शदाताओं की राय में इन आवश्यकताओं को पूरा किया था।

उड़ीसा में एकसट्रूजन प्लांट की स्थापना

10586. **श्री मनमोहन टुडु :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में एक "एक्सट्रूजन प्लांट" स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर कितनी लागत आएगी और इसे कहां स्थापित किया जाएगा ;

(ग) उक्त परियोजना की स्थापना में कितना समय लगने की संभावना है ; और

(घ) उक्त प्रस्ताव के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) राज्य सरकार के एक उपक्रम, दि इण्डस्ट्रियल प्रमोशन एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड को उड़ीसा राज्य के उद्योग रहित जिले में अल्युमिनियम एक्ट्रजन बनाने हेतु 5000 मी० टन वार्षिक क्षमता का एक नया उपक्रम स्थापित करने के लिए एक आशयपत्र दिया गया है। उड़ीसा की राज्य सरकार ने अनुमान लगाया है कि परियोजना की लागत 10-12 करोड़ के लगभग होगी तथा 1987 तक इस परियोजना के स्थापित हो जाने की संभावना है।

केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए हिन्दी अधिकारियों और कर्मचारियों का एक सम्मिलित संवर्ग बनाना

10587. **श्री कुंवर राम :** क्या **गृह मंत्री** यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) राजभाषा विभाग द्वारा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए हिन्दी अधिकारियों और कर्मचारियों का एक सम्मिलित संवर्ग बनाए जाने में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में विलम्ब दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मती राम दुलारी सिन्हा) : (क) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के समूह "क" एवं समूह "ख" पदों तथा समूह "ग" पदों के लिए नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं। सेवा के समूह "ग" में सम्मिलित पदों का आरंभिक गठन पूरा कर लिया गया है और सेवा "क" तथा समूह "ख" में सम्मिलित पदों में आरंभिक गठन के सम्बन्ध में कार्यवाही जारी है।

(ख) अधिकतर विभागीय अभ्यर्थियों के सेवा विवरण संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिए गए हैं। शेष विभागीय अभ्यर्थियों के सेवा विवरण प्राप्त करने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किए जा रहे है ताकि समूह "ख" पदों का आरंभिक गठन शीघ्र पूरा किया जा सके।

परियोजना बैंकों की स्थापना

10588. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालत्र ने विभिन्न राज्यों को राज्य उद्योग विकास निगमों के अधीन

परियोजना बैंक स्थापित करने के लिए निदेश भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर औद्योगिक विकास के लिए ऐसे परियोजना बैंक स्थापित किए गए हैं ;

(ग) क्या मध्यप्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए कोई ऐसा परियोजना बैंक स्थापित किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके ढांचे का ब्यौरा क्या है और मध्य प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए क्या कार्ययाही की गई है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) इस मन्त्रालय द्वारा राज्य उद्योग विकास निगम के अधीन परियोजना बैंक स्थापित किए जाने के लिए ऐसे कोई मार्गदर्शी सिद्धांत जारी नहीं किए गए हैं। मध्यप्रदेश सहित कुछ राज्य उद्योग विकास निगमों ने नए उद्यमियों के लाभ के लिए विभिन्न परामर्शदायी संगठनों से परियोजना रिपोर्टें तैयार कराने के लिए स्वयं अपनी ओर से पहल की है।

मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने नए उद्योगों के विकास के लिए विशेष रियायतें देने की घोषणा की है। राज्य के औद्योगिक विकास के लिए विकास केन्द्रों का पता लगाया गया हैं और आवश्यक अवस्थापना का विकास किया जा रहा है।

माइक्रो-ग्रेविटी के सिद्धांतों की खोज

10589. **श्री अर्जुन सेठी : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भविष्य में भारत-रूस की और संयुक्त अन्तरिक्ष उड़ानों का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारतीय वैज्ञानिक प्रथम भारतीय अन्तरिक्ष यात्री स्क्वैड्न लीडर राकेश शर्मा के हाथ अन्तरिक्ष में सिल्वर जर्मेनियम अलाय भेजकर माइक्रो-ग्रेविटी के सिद्धांतों का पता लगाने का कार्य कर रहे हैं ; और

(घ) इस ऐतिहासिक प्रयोग में शून्य गुरुत्व की भारहीनता की दशाओं से अन्तरिक्ष में माइक्रो-ग्रेविटी के बारे में अब तक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

प्रधानमन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) भविष्य में भारत-सोवियत संघ की अन्तरिक्ष-उड़ानों के लिए कोई विशेष-प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) माइक्रो-ग्रेविटी के सिद्धांत, विशेष रूप में अन्तरिक्ष युग के प्रारंभ से ही प्रकाशित

वैज्ञानिक साहित्य में भली भांति ज्ञात हैं। भारतीय वैज्ञानिक समुदाय को भी इनकी जानकारी है और वर्तमान अन्तरिक्ष उड़ान से पूर्व देश में इस सम्बन्ध में कुछ वैज्ञानिक सैमिनार आयोजित किए गए थे। भारतीय परीक्षण से सिल्वर-जर्मेनियम मिश्रधातु (ऐलॉय) के गुण-धर्मों के विविध पहलुओं और माइक्रो-ग्रेविटी की अवस्थाओं के अन्तर्गत उनके आचरण के बारे में जानकारी प्राप्त होने की संभावना है। जानकारी के प्राप्त होने पर इन परीक्षणों के परिणामों का विश्लेषण किया जायेगा।

अनधिकृत कब्जे वाली भूमि पर निर्मित झुग्गियों और गुमटियों का गिराया जाना

10590. **श्री टी० एस०नेगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1983 से 29 फरवरी, 1984 तक कि अवधि में अन्दमान प्रशासन ने अनधिकृत कब्जों वाली भूमि में निर्मित कितनी झुग्गियां और गुमटियां गिराई ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में भवनों की मरम्मत और रखरखाव के लिए सीमेंट दिया जाना

10591. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में भवनों की मरम्मत और रखरखाव के लिए लेवी सीमेंट जारी करने हेतु कोई नियम है ; यदि हां, तो दिल्ली में ऐसे नियमों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) 1983-84 के दौरान दिल्ली में मरम्मत/रखरखाव के प्रयोजन हेतु कितना सीमेंट आबंटित किया गया और नए निर्माण कार्य के लिए कितना सीमेंट आबंटित किया गया ;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) वर्ष 1982 में सीमेंट के आंशिक विनियन्त्रण से दिल्ली प्रशासन दिल्ली में रिहायशी मकानों की केवल मरम्मत करने के लिए अधिकतम 10 बोरी तक सीमेंट जारी कर रहा है। मरम्मत के लिए अधिकतम 10 बोरी की पात्रता 12 माह की अवधि के लिए प्रतिबन्धित है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1983-84 के दौरान मरम्मत/नए निर्माण के लिए आबंटित किए गए सीमेंट का ब्यौरा बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

दिल्ली में वर्ष 1983-84 के दौरान मरम्मत और निर्माण कार्य हेतु सीमेंट का माह-वार आबंटन

(सीमेंट की बोरी)

माह	निर्माण कार्य के लिए	मरम्मत के लिए
अप्रैल, 1983	1,63,776	57,247
मई, 1983	1,16,622	52,961
जून, 1983	2,05,843	65,214
जुलाई, 1983	1,74,142	70,006
अगस्त, 1983	1,10,948	53,755
सितम्बर, 1983	1,60,263	57,646
अक्तूबर, 1983	1,69,872	69,347
नवम्बर, 1983	2,42,319	68,374
दिसम्बर, 1983	1,89,276	78,816
जनवरी, 1984	1,67,264	47,867
फरवरी, 1984	2,13,723	73,098
मार्च, 1984	2,02,834	65,520

सी० एफ० आर०आइ०, धनबाद में कोयले से ईंधन तेल प्राप्त करने सम्बन्धी परियोजना

10592. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जे० सी० घोष समिति की सिफारिशों के पश्चात् स्थापित सेन्ट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, धनबाद में कोयले से ईंधन तेल प्राप्त करने के लिए परियोजना दो दशकों से चल रही है और यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या उक्त परियोजना बीच में बन्द हो गई थी जबकि अन्य स्थानों में इसी तरह की परियोजनाएं अब सफल सिद्ध हो रही हैं ;

(ग) क्या सरकार का इस स्थिति की, जिसमें निहित स्वार्थ नुकसान पहुंचा रहे हैं ; जांच करने हेतु तथ्य निर्धारण समिति (फैक्ट फाइंडिंग कमेटी) स्थापित करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) कोयले के सीधे हाइड्रोजनीकरण द्वारा लगभग 250 किलोग्राम ईंधन तेल प्रतिदिन क्षमता की एक यूनिट केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान में स्थापित की गई है। वर्ष 1979 में इस यूनिट पर कार्य प्रारम्भ किया गया था और गत दो वर्षों की अवधि में इसका कार्य बढ़ाया गया है। तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक के लिए कम से कम एक माह अवधि में 6 सफल "रन" की उपलब्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) परियोजना रोकी नहीं गई है।

(ग) जी, नहीं।

खनन परियोजनाओं की पर्यावरण मूल्यांक समिति की स्थापना

10593. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खनन परियोजनाएं पर्यावरण मूल्यांकन समिति की स्थापना कर ली गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के मुख्य कार्य क्या हैं ;

(ग) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें विशेष रूप से समिति द्वारा योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में आरम्भ किया गया था ; और

(घ) इन परियोजनाओं को पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृत देने हेतु समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं ?

पर्यावरण विभागों में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस समिति के प्रमुख कार्य हैं :—

1. सम्भावित पर्यावरणीय अनुप्रभाव का मूल्यांकन करना तथा नई खनन परियोजनाओं के प्रतिकूल असर के निराकरण के लिए अथवा कम से कम करने के लिए एहतियात तथा सुरक्षा उपाय सुझाना।

2. सुझाये गये सुरक्षा उपायों को प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना।

(ग) आज तक जिन 25 परियोजनाओं पर विचार हुआ है उनमें से 2 उड़ीसा से बाल्को (बी० ए० एल० सी० ओ०) के गन्दामर्धन बाक्साइट डिपोजिट एवं नैल्कों की पंचपटमली बाक्साइट खाने हैं।

(घ) 25 परियोजनायें जिन पर विचार किया गया उनमें से सात को अस्वीकार कर दिया

गया है तथा अन्य 18 को अस्थाई रूप में स्वीकार किए जाने की सिफारिश की गई है। परियोजनाओं का अस्थाई रूप में अनुमोदन करते समय जो प्रमुख शर्तें लगाई गई हैं उनमें हैं :

1. खनन् क्षेत्रों की अद्यतन पर्यावरणीय स्थिति को दिखाने वाली विस्तृत पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना बनाना, वायु, जल, तथा भूमि पर सम्भावित पर्यावरणीय अनुप्रभाव, प्रतिकूल असर के नियन्त्रण कम करने के लिए प्रस्तावित उपाय तथा उनके क्रियान्वयन हेतु चरणबद्ध योजना।

2. अधिभार उठाने, अवांर तथा खनन् क्षेत्रों के भूमि-सुधार के लिए पुनः उपयोग हेतु समयबद्ध कार्यक्रम बनाना।

3. प्रभावित जनसंख्या के पुनर्वास हेतु मास्टर प्लान तैयार करना।

अन्टार्कटिका सम्बन्धी भावी योजना

10594. **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा अन्टार्कटिका सम्बन्धी किए गए अध्ययन से सम्बन्धित नवीनतम उपलब्ध सूचना का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) अन्टार्कटिका के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किस भावी कार्रवाई का विचार किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महाहागर विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 1983-84 अभियान के दौरान किए गए अध्ययनों की विस्तृत रिपोर्ट संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) चौथा भारतीय अन्टार्कटिक अभियान इस वर्ष के अन्त में आयोजित किया जायेगा। उस अभियान के दौरान किये जाने वैज्ञानिक तथा अन्य कार्य के बारे में विवरण तैयार हो रहा है।

विवरण

तृतीय अन्टार्कटिक अभियान के दौरान किए गए वैज्ञानिक कार्य की रिपोर्ट

तृतीय भारतीय अन्टार्कटिक अभियान के नेता द्वारा पेश की गयी प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार तृतीय अभियान के दौरान निम्न वैज्ञानिक कार्य किया गया :—

मौसम विज्ञान :

अन्टार्कटिक का मौसम बहुत हद तक भारतीय उप-महाद्वीप के मौसम को प्रभावित करता है। मौसम सम्बन्धी पैरामीटरों और उनके भारतीय मौसम के साथ सहसम्बन्धों का विस्तृत अध्ययन भारतीय

मौसम की अनिश्चितता को विशेष रूप से मानसूनों के, जो हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण हैं, सम व्यवहार को, समझने में सहायक होगा। मौसम सम्बन्धी पैरामीटर जलयान पर, बेस कैम्प में और शीरमाचर पर्वतीय क्षेत्र में मॉनीटर किए गए। इस अभियान के दौरान अनेक रेडियो-सोन्डें और ओमेगा-सोन्डें छोड़े गए। मोली और प्रिटोरिया से नियमित रूप से मौसम चार्ट प्राप्त किए गए और लाजिस्टक संचालनों की योजना बनाने में सहायता करने हेतु मौसम की पूर्व सूचना में दी गयीं थीं। शीत ऋतुओं में मौसम सम्बन्धी पैरामीटरों को निरन्तर मॉनीटर करने हेतु बेस कैम्प पर एक स्थायी प्रयोगशाला स्थापित की गयी है।

संचार :

इन्मरसैट (आई० एन० एम० ए० आर० एस० ए० टी०) सिस्टम के दो उपग्रह संचार टर्मिनल स्थापित किए गए—एक बस स्टेशन "दक्षिण गंगोत्री" पर और दूसरा निकट के "पोर्टकेबिन" पर विकल्पी कैम्प होने के नाते में सिस्टम विश्व आधार पर टेलीफोन और टेलैक्स सम्पर्क प्रदान करते हैं। इस सिस्टम को स्लो स्कैन टी० वी० संरक्षण हेतु संशोधित किया गया है।

अभियान के सफलता के लिए अत्यावश्यक अनेक रेडियो-संचार सम्पर्क स्थापित किए गए। इनमें बेस से जलयान, हिम वाहनों से जलयान और बेस गतिशील दलों से जलयान और बेस, शीरमाचर पहाड़ियों से जलयान और बेस, जमीन से हेलीकाप्टरों, बेस स्टेशन से भारत के साथ सम्पर्क शामिल थे।

पूरे अभियान के दौरान एक शौकिया रेडियो स्टेशन सफलतापूर्वक कार्य करता इस रहा और उससे लगभग 1400 सम्पर्क किए गए। इनमें अनेक भारतीय शहरों से, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, तथा अन्टार्कटिक के अन्य केन्द्रों से किए गए सम्पर्क शामिल थे।

भू-विज्ञान :

सम्पूर्ण शीरमाचर पर्वतीय क्षेत्र, क्षेत्रफल लगभग 35 वर्ग किलोमीटर का, 1:25000 पैमाने पर, विस्तृत भू-वैज्ञानिक मान चित्र तैयार किया गया है। इस क्षेत्र की प्रमुख चट्टान है उच्च ग्रेट की क्वार्टज-पेल्सपारीय नीस और उसके अन्तर्विष्ट मेटाबेसिक विभेद, जिनमें मेटाबेसिक अन्तर्विष्ट है। संरचना अन्तर्वेधियों आदि के विवरणों के विस्तृत परीक्षण किए गए। विवर्तनिक रूप से चट्टानों में बहुचरण विकृतियां आयी हैं और पूरी पर्वत श्रृंखला में साथ-साथ प्रमुख अपरूपण क्षेत्र मौजूद हैं। पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में 200 मी० मोटी जंग के रंग की नीसों में, जिनमें बेस धातु और ग्रेफाइट की अधिकता है, सल्फाइड खनिजीकरण हुआ है। विस्तृत प्रयोगशाला अध्ययनों के लिए बड़ी संख्या में नमूने इकट्ठे किए गए हैं। वोल्लथोट पर्वतीय क्षेत्र से भी नमूने इकट्ठे किए गए।

भू-भौतिक सर्वेक्षण :

शीरमाचर पर्वतीय क्षेत्र और आइस शैल्फ कुछ प्रोटॉन प्रसीशन मैग्नेटोमीटरों का इस्तेमाल करके पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र के सम्पूर्ण तीव्रता मापन किये गये। उनमें आवश्यक दैनिक संशोधन किए गए। शीरमाचर पर्वतीय क्षेत्र के रुचिकर भू-वैज्ञानिक क्षेत्र में कुल मिलाकर 5 लाइन किलोमीटर क्षेत्र के, जिसमें 6 मी० के दूरी पर स्टेशन थे, मापन किये गये। प्राथमिक परिणाम सम्भावित खनिजीकरण के भू-वैज्ञानिक अनुमानों से भली-भांति मेल खाते हैं।

क्रिल यथा अन्य जन्तु प्लांकटनों की जैविकी :

अन्टार्कटिक सागरों में जन्तु प्लांकटनों, विशेष रूप से क्रिल, की बहुतायत है। क्रिल प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत है और सम्भवतः सबसे आसानी से प्रयुक्त किये जाने वाला अन्टार्कटिक संसाधन है। अभियान के दौरान हिम प्रदेशीय झीलों से उनके वितरण बहुतायत और जीव वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए जन्तु प्लांकटनों के नमूने इकट्ठे किये गये। इसके अतिरिक्त अन्टार्कटिक से मारिशस को उत्तर की ओर जाने वाली ट्रांसेक्ट पर अनेक केन्द्र स्थापित किये गये। सुप्रकाशित क्षेत्र में से 3 गहराइयों से नमूने एकत्रित किये गये और मानक पैरामीटरों के लिए विश्लेषित किये गये। ये अध्ययन क्रिल बायोमास के मानों का अनुमान लगाने में सहायक होंगे।

समुद्री पक्षियों के अवलोकन :

अभियान के दौरान मारीशस और दक्षिणी महासागर के बीच के क्षेत्र में समुद्री पक्षियों के अवलोकन किये गये और उन्हें दो वर्गों में मार्ग में देखे गये पक्षियों और अन्टार्कटिक पर पाये जाने वाले पक्षियों में—वर्गीकृत किया गया। कुल मिलाकर सात कुलों और 22 देशों की 30 प्रजातियों के पक्षी पहिचाने गये।

जैविक और सूक्ष्म जैविक अध्ययन :

(क) शीरमाचर मरूउद्यान ताजा पानी सिस्टम :

उपर्युक्त मरूउद्यान में पांच ताजे पानी की व्यवस्थाओं के प्राथमिक सर्वेक्षण किये गये। रबड़ राफ्ट और मानक ओशनोंग्राफिक सैम्पलरों का इस्तेमाल करके विभिन्न गहराइयों पर पानी के ताप, पी०-एच०, उसमें क्लोरोफिल ए की मात्रा और उत्पादकता एन० ए० एच 14 सी० ओ० 3 का उपयोग करके ज्ञात की गयी। शीरमाचर मरूउद्यान के ताजे पानी के सिस्टम बहुत उत्पादक पाये गये।

(ख) तटीय और शेल्फ अध्ययन :

शेल्फ के जलों में पादय प्लांकटनों की गतिविधियों में होने वाले दैनिक और मौसमी परिवर्तनों की खोजबीन की गयी। 150 मी० जल स्तम्भ में विभिन्न गहराइयों पर अन्य पैरामीटरों सहित नित्य परीक्षणों में क्लोरोफिल ए और प्राथमिक उत्पादकता के अध्ययन किए गए।

(ग) महासागरीय अध्ययन :

अन्टार्कटिक से मारीशस तक, 69 अंश दक्षिण और 35 अंश दक्षिण के बीच उत्तर की ओर जाने वाली ट्रांसेक्ट पर 15 स्टेशन स्थापित किये गये। सुप्रकाशित क्षेत्र में से तीन गहराइयों पर से नमूने एकत्रित किये गये। दो अभिसारी क्षेत्रों में क्लोरोफिल ए और ए० टी० पी० के मानों में स्पष्ट अन्तर पाये गये।

जलरासायनिक अध्ययन :

(घ) शीरमाचर मरूउद्यान की ताजे पानी की झीलें :

झील की जैविक उत्पादकता ज्ञात करने के लिए ताजे पानी की दो झीलों के पोषक मान मालूम किये गये।

(च) महासागरीय अध्ययन :

जनवरी 1984 में, त्यागे गये सोवियत स्टेशन, लाजारेव के निकट एक हाइड्रोग्राफिक स्टेशन स्थापित किया गया और फरवरी में पुनः स्थापित किया गया। 2000 मी० तक, मानव गहराइयों से पानी के नमूने इकट्ठे किये गये। जलयान पर विलेय आक्सीजन, पी०-एच०, क्षारीयता, लवणता, नाइ-ट्राइट-ऐन, नाइट्रेट-एन, फोस्फेट-पी और सिलिकेट-एस आई ज्ञात करने के लिए विश्लेषण किये गये।

आयनित और अ-आयनित वायुमण्डल के अध्ययन :

आयनोस्फीयरी तह के अध्ययन रेडियो संचार व्यवस्था के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं और प्रथम अभियान से निरन्तर किये जा रहे हैं। इस बार एक राइओमीटर, 20 एम० एच० जेड० तक ट्यून किया गया, इस्तेमाल किया गया। उसके अतिरिक्त सतह पवनें दाब परिवर्तनों के मापन के लिए एक माइक्रोबैरोग्राफ इस्तेमाल किया गया। ये प्रयोग शीत ऋतु के दौरान बेस स्टेशन पर जारी रखे जायेंगे।

रासायनिक अध्ययन :

शीरमाचर पर्वतीय क्षेत्र के मृदा रासायनिक पदार्थों, वनस्पतियों और रंच तत्वों की खोज-बीन की गयी। अन्टार्कटिक की जलवायु अत्यन्त ठण्डी और शुष्क है इसलिए वहां मृदाओं का निर्माण अत्यन्त कम वर्षा वाली परिस्थितियों में हुआ है और उस पर उच्च पादय लगभग एकदम अनुपस्थित हैं। अनेक मृदा, लाइकेन और हिम/बर्फ नमूने, रासायनिक अध्ययनों के लिये तथा इसी प्रकार के, अन्य क्षेत्रों में किये गये अध्ययनों से तुलना करने के लिये, एकत्रित किये गये।

बैक्टोरिया और कवकों का बिलगावन :

उत्पादक झील स्थलों तथा मृदा नमूनों के सूक्ष्म जैविक पादयों के लिये किये गये आमापनों से बहुत अधिक मात्रा में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति की सूचना मिली है। शीरमाचर पर्वतीय क्षेत्र में उगायी गयी प्लेटों को आगे बिलगाव के लिए इस्तेमाल किया गया। आकारकीय रूप से भिन्न, लगभग एक हजार कालोनी, और शोधन के लिए प्रयोगशाला में भेजी जा रही हैं। बेस स्टेशन में एक भली-भांति सुसज्जित जैविक प्रयोगशाला स्थापित कर दी गयी है और वह ठण्ड के महिनों में भी काम जारी रखेगी।

अखबारी कागज का उत्पादन

10595. श्री छीतू भाई गामित : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान अखबारी कागज का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अखबारी कागज उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) अखबारी कागज के आयात में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) मैसूर पेपर मिल्स को अखबारी कागज की परियोजनाओं और हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि० ने क्रमशः 75,000 और 80,000 मी० टन वार्षिक क्षमता में क्रमशः वर्ष 1981-82 और 1982-83 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर्स की अखबारी कागज की परियोजना के कार्यान्वयन में काफी प्रगति हो चुकी है और इसके 1984-85 में चालू हो जाने की आशा है। अखबारी कागज के निर्माण के लिए एकक स्थापित करने हेतु विभिन्न उद्यमियों को स्वीकृति-पत्र भी जारी किए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अखबारी कागज की क्षमता और उत्पादन नीचे दिखाई गयी है :—

एकक का नाम	क्षमता मी० टन वार्षिक	मी० टन में उत्पादन		
		1981-82	1982-83	1983-84
नेपा मिल्स	67,500	55,020	57,310	58,315
मैसूर पेपर मिल्स	75,000	9,280	35,800	53,906
हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट लि०	80,000	—	25,800	64,117
		64,300	1,18,910	1,76,338

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए अखबारी कागज का लागत, बीमा-भाड़ा सहित मूल्य नीचे दिखाया गया है :—

वर्ष	लागत, बीमा-भाड़ा सहित मूल्य (करोड़ रुपये में)
1980-81	138.46
1981-82	154.66
1982-83	108.94

देश में अखबारी कागज का उत्पादन

10596. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य-व्यापार निगम के माध्यम से आयातित किए गए अखबारी कागज की अधिक दर की अपेक्षा नियंत्रित दर पर समाचार पत्रों के मालिकों को इसको शीघ्र सप्लाई करने के लिए अखबारी कागज का देश में उत्पादन करने की कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसको कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) मैसूर पेपर मिल्स और हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लि० की परियोजनाओं ने क्रमश: 1981-82 और 1982-83 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर्स की अखबारी परियोजना के भी 1984-85 में चालू होने की आशा है। विभिन्न उद्यमकर्त्ताओं को अखबारी कागज के विनिर्माण के लिए एकक स्थापित करने हेतु स्वीकृति पत्र भी जारी किए गए हैं।

कच्ची सामग्री के लिए लाइसेंस जारी करना

10597. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी उद्योग में उत्पादन के प्रयोजनों हेतु सभी प्रकार की कच्ची सामग्रियों के लाइसेंस को जारी करने के क्या मानदण्ड हैं ;

(ख) क्या कच्ची सामग्रियों को उपलब्धता के लिए जारी किए गए लाइसेंस की कोई प्रतिशतता अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का भारी औद्योगिक मदों के उत्पादन के लिए सभी प्रकार की कच्ची सामग्री के लाइसेंस जारी करने के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने का कोई प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) आयातित कच्चे माल के आबंटन से सम्बन्धित नीति प्रत्येक वर्ष घोषित की जाने वाली आयात नीति में शामिल होती है। देशी कच्चे माल के सम्बन्ध में, केवल उस कच्चे माल को छोड़कर जिसकी कमी है, कोई लाइसेंस जारी नहीं किए जाते। कमी वाले कच्चे माल का आबंटन करते समय कच्चे माल की उपलब्धता और प्रत्येक एकक की आवश्यकता/पात्रता को ध्यान में रखा जाता है। उपर्युक्त मानदण्ड को देखते हुए कच्चे माल के लिए लाइसेंस देने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं किया जा सकता।

साइकिलों का निर्यात

10598. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साइकिलों के निर्यात में 1981-82 की तुलना में 1982-83 में 15प्रतिशत की कमी हुई है ; और

(ख) सरकार का विचार साइकिल निर्माताओं को विदेशी बाजारों में उनका माल लोकप्रिय बनाने हेतु उनके अनुसंधान और विकास कार्यों का विस्तार करने में सहायता देने के लिए क्या प्रोत्साहन देने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) यू० एन० डी० पी० की सहायता से लुधियाना में एक बाइसिकल अनुसंधान और

विकास केन्द्र की स्थापना की गई है। यह केन्द्र प्रौद्योगिकी को उन्नत करने में देशी उद्योग की मदद करेगा। यह केन्द्र नए माडलों अर्थात हल्के वजन की बाइसिकलों, बहु-गतीय (मल्टी स्पीड) बाइसिकलों व्यावसायिक और बढ़िया (फैंसी) बाइसिकलों, फोल्डिंग बाइसिकलों और बच्चों की उन्नत बाइसिकलों के आद्यरूप विकास के लिए सहायता की व्यवस्था करेगा। सरकार ने उद्योग की स्थिति की संवीक्षा करने और उसका मूल्यांकन करने तथा प्रौद्योगिकी आदि को उन्नत करने के लिए अभ्युपाय सुझाने के लिए एक विकास परिषद की स्थापना भी की है। परिषद की प्रथम बैठक 5 अप्रैल, 1984 को हुई थी। परिषद ने प्रौद्योगिकी को प्रोन्नत बनाने और संयंत्र व मशीनों का आधुनिकीकरण करने के लिए तकनीकी विकास महानिदेशक की अध्यक्षता में एक उप-समिति की स्थापना की है।

'बेल्लोर' स्थित अखबारी कागज कारखाने में उत्पादन

10599. **श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड की बेल्लोर स्थित एक सहायक कम्पनी हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है ; और

(ग) 160 करोड़ रुपये की यह परियोजना, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने में कहां तक सहायक हुई हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) जी, हां। इस एकक की अखबारी कागज की अधिष्ठापित पित क्षमता 80,000 मी० टन प्रति वर्ष है।

(ग) इस परियोजना से लगभग 2000 व्यक्तियों को सीधा रोजगार और 10,000 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करने की सहायता मिली है।

संगठनों/संस्थाओं के वर्ष 1979-80 में प्राप्त हुआ विदेशी धन

10600. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने संगठनों/संस्थाओं ने विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम 1976 के अधीन वर्ष 1979-80 के लिए विवरणियां भरी हैं ;

(ख) इस अवधि के दौरान 1 लाख रुपये से अधिक धनराशि प्राप्त करने वाले संगठनों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त धनराशि किस कार्य के लिए और किससे प्राप्त हुई थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) वर्ष 1979 और 1980 के लिए प्राप्त विदेशी अभिदान से सम्बन्धित आंकड़े सगणीकृत किए जा रहे हैं। इन वर्षों की विवरणियों के सगणीकृत हो जाने के बाद सूचना उपलब्ध होगी।

संदेहास्पद नागरिकता से संबद्ध व्यक्तियों को नोटिस जारी किया जाना

10601. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या गृह मंत्री राष्ट्रीयता सिद्ध करने के लिए बिहार के कटिहार और पूर्णिया जिलों के लोगों को नोटिस जारी किए जाने के बारे में 21 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4705 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में 18978 व्यक्तियों से सम्बद्ध मतदाता पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा भेजे गए नोटिसों का इस बीच निपटान कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे और अभी कितने नोटिस लम्बित हैं ; और

(ग) क्या कोई और नोटिस, इस बीच भेजे गए हैं और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा सम्बद्ध व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) बताया जाता है कि मतदाता पंजीकरण प्राधिकारियों ने, एक से अधिक स्थानों पर नाम होने, क्षेत्र विशेष का आम निवासी न होने, संदिग्ध राष्ट्रीयता के लिए नोटिस के उत्तर में पेश न होने के कारणों के आधार पर 10404 नामों को हटाया है।

(ग) कोई और नोटिस भेजने के विषय में कोई सूचना नहीं मिली है।

जोर्डन के राजनयिक के हत्याकांड की जांच पड़ताल

10602. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या गृह मंत्री दिल्ली में जोर्डन के राजनयिक की गोली मारकर हत्या के बारे में 16 नवम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 377 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोर्डन राजनयिक, जिसकी दिनांक 25 अक्तूबर, 1983 को दिल्ली में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी के बारे में जांच पड़ताल के बारे में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो यदि इस मामले में कोई गिरफ्तारियां की गई हैं तो उस सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) मामले में छानबीन की जा रही है। कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

देश में लघु इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए पश्चिमी जर्मनी से नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना

10603. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी हमारे देश में कम पूंजी के प्रवल लघु इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए नई प्रौद्योगिकी सप्लाई करने पर सहमत हो गया है ;

(ख) क्या भारत सरकार ने ऐसी परियोजनाओं की सम्भाव्यता के बारे में तकनीकी ब्यौरे का अध्यन कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) पश्चिमी जर्मनी में केहल में मैसर्स कोरफ इंजीनियरिंग के प्रायोगिक संयंत्र में के०आर०प्रक्रिया के नाम से प्रसिद्ध लोहा बनाने की एक नई प्रौद्योगिकी के विकास कार्य में काफी प्रगति हुई है। इस प्रक्रिया के तकनीकी प्राचल प्राप्त हो गए हैं। प्रायोगिक संयंत्र में भारत के कच्चे माल का परीक्षण किया गया है। परीक्षण के परिणामों से यह संकेत मिले हैं कि इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन करके राख की अधिक मात्रा वाले भारत के कोयले से कच्चे लोहे का उत्पादन किया जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश में एक लघु सीमेंट संयंत्र की स्थापना की जे० के० सीमेंट्स को अनुमति

10604. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** हिमाचल प्रदेश में सीमेंट उद्योग और भारी उद्योगों की स्थापना के बारे में 4 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6338 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जे०के० सीमेंट्स को, जो दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली सीमेंट नियंत्रण आदेश 1982 के उल्लंघन के लिए दिनांक 25 जुलाई, 1983 को दर्ज किए गए मामले में अंतर्ग्रस्त है, हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश में एक लघु सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने की अनुमति प्रदान की गई (दिनांक 4 अप्रैल, 1984 के इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार);

(ख) यदि हां, तो इस सहयोग की अनुमति प्रदान करने के क्या कारण हैं, जबकि इस कम्पनी द्वारा सीमेंट नियंत्रण कानून का उल्लंघन करने का मामला विचाराधीन है ; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे मामलों में गैर-सरकारी कम्पनियों को जिन्होंने इस उद्योग में हाल में प्रवेश किया है प्रोत्साहन देने की बजाय सरकारी उपक्रम सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया के साथ सहयोग करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध न किए जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री पट्टाभि राम राव) : (क)उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स जे० के० सीमेंटस/जी० के० सिंथेटिक लि० को कोई मंजूरी नहीं दी गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राज्य औद्योगिक विकास निगमों को दिए गए औद्योगिक लाइसेंसों के कार्यान्वयन के लिए गैर-सरकारी पूंजी और उद्यम सम्बन्धी निपुणता को संबद्ध करने सम्बन्धी मार्ग-दर्शी सिद्धांत विद्यमान हैं। भारतीय सीमेंट निगम पहले से ही 2 लाख मी० टन वार्षिक क्षमता का एक सीमेंट संयंत्र

हिमाचल प्रदेश के राजबन में चला रहा है। संयंत्र की क्षमता को दुगुना करने के लिए निगम को एक आशय-पत्र भी दिया गया है।

यमुना के पानी में प्रदूषण

10605. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के अध्ययनों से यह पता चला है कि मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाले कचरे तथा अशोधित मानवीय मूल-मूत्र के परिणामस्वरूप मथुरा से आगरा की ओर प्रवाहित यमुना नदी का पानी अत्यधिक प्रदूषित हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यमुना नदी में मिलने से पहले सभी प्रकार के कचरे का उचित शोधन सुनिश्चित करने के लिए जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां। प्रदूषण मुख्यतः शहरी तथा लघु उद्योगों के अपशिष्टों के निस्सरण के कारण होता है।

(ख) जल अधिनियम, 1974 के तहत सरकार द्वारा की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही इस प्रकार है :—

1. राज्य सरकार ने मथुरा तेल शोधक प्राधिकारियों को निस्सारों को सीधे ही नदी में प्रवाहित करने की अनुमति प्रदान नहीं की है।

2. एक योजना जिसके तहत नदी के पार एक मल-जल-फार्म में गंदा पानी मोड़ दिया जायेगा, पहले ही प्रारम्भ कर दी गई है।

3. छपी साड़ियों इत्यादि की धुलाई के लिए व्यवस्था प्रदान करने हेतु एक आम सुविधा केन्द्र की स्थापना का एक प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

कानपुर में गंगा के पानी में प्रदूषण

10606. **श्री के० प्रधानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के अध्ययनों से यह पता चला है कि चर्मशोधक कारखानों, कपड़ा मिलों और रसायन उद्योगों से निकलने वाले औद्योगिक कचरे तथा अशोधित मानवीय मल-मूत्र से कानपुर में गंगा का पानी अत्यधिक प्रदूषित हो रहा है ;

(ख) क्या कुछ औद्योगिक एकक जल प्रदूषक निवारण और नियंत्रण अधिनियम के उपबन्धों को कड़ाई से लागू करने को रोकने का प्रचार कर रहे हैं ;

(ग) क्या उक्त अधिनियम से पर्यावरण अनुरक्षण का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाया है तथा इसका

उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को उस समय भी और प्रदूषण फैलाने से नहीं रोक सकता जबकि न्यायालयों में उनके विरुद्ध मामले चल रहे हों ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अधिनियम को और अधिक कड़ा बनाने हेतु इसमें उपबन्ध करने के लिए तथा मनुष्य को भारी नुकसान पहुंचाने वाले इस जल-प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

योजनाबद्ध ढंग से स्क्रैप का वितरण

10607. **श्री के० प्रधानी : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय मितव्ययी और योजनाबद्ध ढंग से सभी प्रकार के स्क्रैप की वसूली संचयन, प्रोसेसिंग और वितरण सम्बन्धी समूचे कार्य को किसी केन्द्रीय एजेंसी को सौंपने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बात क्या है ;

(ग) क्या यह कार्य "मेटल ट्रेडिंग कारपोरेशन" को सौंपा जाएगा अथवा किसी नए संगठन अथवा निगम की स्थापना की जाएगी ; और

(घ) क्या रेलवे रक्षा प्रतिष्ठानों/फोर्मेशनों/आयुध कारखानों इस्पात संयंत्रों और सरकारी क्षेत्र के अन्य संयंत्रों तथा कारखानों से निकलने वाले समूचे स्क्रैप पर यह व्यवस्था लागू होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, नहीं, लेकिन यह निर्णय लिया गया है कि "सेल" के कारखानों (इस्को भी शामिल हैं) से प्राप्त होने वाले लोहे तथा इस्पात के गलनशील स्क्रैप को मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन (एम० एस० टी० सी०) की मार्फत बेचा जाएगा। "सेल" के कारखानों (इस्को भी शामिल) तथा रेलवे से प्राप्त होने वाले पुनर्बेलन योग्य स्क्रैप को एम० एस० टी० सी० को देने का एक प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

खान विभाग से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

अनौपचारिक आदिवासी प्रशिक्षण केन्द्र कोरापुट, उड़ीसा

10608. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को टेगोर सोसायटी फार रूरल डेवेलपमेंट कलकता की ओर से कोरापुट उड़ीसा के मरकेलगुडा में "अनौपचारिक आदिवासी प्रशिक्षण केन्द्र" नामक एक संस्था शुरू करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस संस्था के लक्ष्य और उद्धेश्य क्या हैं तथा कितने अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने प्रस्तावों और कार्यक्रमों की जांच कर ली है ; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 के दौरान इस संस्था के लिए कितने अनुदान की व्यवस्था की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) लक्ष्य और उद्देश्य जो सोसायटी ने सूचित किए हैं संलग्न विवरण में दिए गए हैं। पांच वर्षों की अवधि के लिए मांगी गयी सहायतानुदान राशि 30.52 लाख रुपये है।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान। परस्पर विचार-विमर्श के बाद इस बात पर सहमति हुई है कि सोसायटी उड़ीसा सरकार के साथ परामर्श करके एक वर्ष के लिए प्रस्ताव तैयार करेगी और अधिक से अधिक कुल अनुमानित राशि 2.5 लाख रुपये तक सीमित रहेगी (आवर्ती और अनावर्ती)

विवरण

सोसायटी के लक्ष्य और उद्देश्य

रबिन्द्रनाथ टेगोर के ग्रामीण पुनर्निर्माण के आदर्श से प्रेरित होकर जो इस प्रकार है, "जीवन में परिपूर्णता लाने के लिए जिसमें ग्रामीणों को आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बनाना, अपने देश की परम्पराओं से परिचित होना और अपनी भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्थितियों के पूर्ण विकास में आधुनिक संसाधनों के कुशल प्रयोग में सक्षम होने के लिए," सोसायटी के उद्देश्य निम्न प्रकार से होंगे :—

(क) ग्रामीण समुदायों और/या समुदायों के समूहों के आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य से परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष कार्रवाई करना ;

(ख) ग्रामीण समुदायों और उनके स्वयं सेवी संघों को इस प्रकार की, परियोजनाओं का कार्य करने में समर्थ बनाना ताकि सोसायटी के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

(ग) परियोजना क्षेत्रों में सीधे कार्य करना या लोगों और स्वयंसेवी संगठनों की मदद करना कृषि विकास की योजनायें शुरू करना जैसे लघु और लघुस्तरीय सिंचाई परियोजनाएं, बीज-विकास योजनाएं, सहकारिता, ऋण और अन्य सेवायें।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही उन अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ विशिष्ट परियोजनाओं पर सहयोग करना, जिनके उद्देश्य वही हो, जो सोसायटी के हैं।

(ङ) प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यक्रम करना, जिससे नई व्यवसायिक कुशलता कार्यात्मक, साक्षरता और सांस्कृतिक और सौन्दर्यपरक विकास हो सके।

(च) ग्रामीण विकास परियोजनाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रारम्भ करने के अतिरिक्त मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने और उपलब्ध स्रोतों वैज्ञानिक सूचना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों औद्योगिक विकास योजनाओं आदि के प्रयोग में ग्रामीणों और उनकी स्वयंसेवी संगठनों का मार्गदर्शन करके और अपनी परामर्शदात्री सेवाओं का आयोजन करके एजेंसियों को समर्थ बनाना ;

(छ) क्षेत्रीय और अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण विकास की समस्याओं का अध्ययन करना और समान उद्देश्य से कार्य कर रही अन्य अनुसंधान और कार्यरत निकायों के साथ सम्पर्क बनाए रखना ;

(ज) कार्यशाला संस्थानों और सोसायटी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठनों की स्थापना, रखरखाव और प्रबन्ध करना।

(झ) भारत में या भारत से बाहर, भूमि या भवन खरीदना, पट्टे पर लेना या अधिग्रहण करना, जो सोसाइटी के लिए आवश्यक हो ;

(ञ) नकद या जमानतियों के रूप में किसी अनुदान, उपहार, दान और चन्दे स्वीकार करना और सोसायटी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी चल या अचल सम्पत्ति को स्वीकार करना ;

(ट) इस सोसायटी को सुपुर्द निधि या धन या इसके द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों को इस प्रकार खर्च करना जिसका निर्धारण समय-समय पर सोसायटी के शासकीय निकाय द्वारा किया गया हो ;

(ठ) सोसायटी की सभी प्रकार की सम्पत्तियों के हस्तान्तरण सहित अन्य सभी कानूनी कार्रवाई करना जो सोसायटी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुकूल या अनुषंगिक हो।

उड़ीसा के आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

10609. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के वित्तीय वर्षों के दौरान आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के लिए, आई, टी० डी० ए० वार० उड़ीसा सरकार द्वारा योजनाओं के लिए क्या विशेष केन्द्रीय सहायता, राज्य क्षेत्र परिव्यय, केन्द्रीय मंत्रालयों का अंशदान तथा संस्थागत वित्त प्रदान किए गए हैं ;

(ख) यदि उक्त रिपोर्ट उनके मंत्रालय को अभी उपलब्ध नहीं कराई गई है, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि जानकारी प्राप्त हो गई है, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) कार्यान्वयन के इन वर्षों के दौरान योजना और कार्यक्रम-वार, प्रत्येक आई० टी० डी०ए० की क्या उपलब्धियां रहीं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना उड़ीसा सरकार से एकत्र की जा रही है और उसको बाद में सभापटल पर रख दिया जाएगा।

दिल्ली टायर ट्रेडर्स एसोसिएशन दिल्ली की ओर से ज्ञापन

10610. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें दिल्ली टायर ट्रेडर्स एसोसिएशन, दिल्ली की ओर से दिनांक 13 अप्रैल, 1984 का कोई ज्ञापन संख्या सी० आई०-275 बी०/टी० पी०-84 प्राप्त हुआ है ;

(ख) उक्त ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने ज्ञापन में उल्लिखित मुद्दों के सम्बन्ध में कोई उपाय किए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ज्ञापन में दी गई मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) सरकार के दिनांक 25-2-84 के पत्र के बावजूद टायर निर्माताओं ने जनवरी, 1984 में टायरों के मूल्यों में की गई वृद्धि को समाप्त नहीं किया है।

(2) टायर उत्पादकों द्वारा टायरों के मूल्यों में और अधिक वृद्धि करने के लिए 1-3-1984 से लागू विशिष्ट उत्पादन शुल्क ढांचे में परिवर्तन करने हेतु हेरफेर किया गया।

उत्पादकों द्वारा नवम्बर, 1983 और जनवरी, 1984 में की गई मूल्य वृद्धि के सन्दर्भ में औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरों द्वारा टायरों के लागत मूल्य सम्बन्धी ढांचे की जांच की जा रही है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा कोयले का आयात

10611. **श्री नवीन रावणी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा कोयले का आयात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का कोयला आयात किया गया ;

(ग) किन-किन देशों से किस-किस दर पर कोयले का आयात किया गया ;

(घ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से अधिक दर पर इसकी खरीद की गई थी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) विदेशों से कोयला खरीदने के क्या कारण हैं, जबकि भारत कोयले के मामले में आत्म-निर्भर है ?

विवरण

वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 में "सेल" द्वारा आयात किया गया कोककर कोयला

वर्ष	देश, मात्रा तथा दर							
	आस्ट्रेलिया		कनाडा		अमरीका		पोलैण्ड	
	मात्रा लाख टनों में	दर-अमरीकी डालर, प्रतिटन	मात्रा लाख टनों में	दर-अमरीकी डालर, प्रतिटन	मात्रा लाख टनों में	दर-अमरीकी डालर, प्रतिटन	मात्रा लाख टनों में	दर-अमरीकी डालर, प्रतिटन
1982-83	12.92	चार करारों के अन्तर्गत सप्लाई किया गया, मूल्य इस प्रकार थे :— (i) 99.00 अमरीकी डालर से 103.00 अमरीकी डालर, लागत और भाड़ा-भारतीय बन्दरगाह, और	0.63	61.00 जहाज तक निष्प्रभार मूल्य	0.26	100.75 लागत तथा भाड़ा	—	—

(ii) 71.50 से 74.30 अमरीकी डालर, आस्ट्रेलिया बन्दरगाहों पर जहाज तक निष्प्रभार मूल्य	1983-84	2.64	55.46 जहाज तक निष्प्रभार मूल्य, आस्ट्रेलिया बन्दरगाही पर।	—	—	1.99	57.00 जहाज तक निष्प्रभार मूल्य पोलैंड की बन्दरगाहों पर

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान "सेल" द्वारा आयात किए गए कोककर कोयले की मात्रा अनुमानित लागत और भाड़ा मूल्य इस प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा (लाख टनों में)	कुल लागत तथा भाड़ा मूल्य (अनुमानित) करोड़ रुपये में
1982-83	13.81	124.52
1983-84	4.63	37.50

(ग) ब्यौरा अनुलग्नक में पृष्ठ 98, 99 पर दिया गया है।

(घ) दोनों वर्षों में आयात के लिए दी गई कीमत कोयले की सप्लाई की विशिष्टियों से सम्बद्ध मूल्य के फार्मूले के आधार पर आंकी गई है। तय किए गए मूल्य राख की कम मात्रा वाले कोकंकर कोयले के उस समय प्रवर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप थे।

(ङ) सेल द्वारा कोककर कोयले का आयात कोकओवन बैटरियों में इस्तेमाल किये जाने वाले कोयले के संमिश्रण में क्वालिटी बनाए रखने तथा सेल के इस्पात कारखानों के लिए विशेष क्वालिटी के कोककर कोयले की आवश्यकता तथा देशीय स्रोतों से इसकी उपलब्धि के अन्तर को पूरा करने के लिए की जा रही है।

पिछड़े क्षेत्रों/राज्यों के लिए नई रेलवे लाइनें

10612. **प्रो० नारायण चन्दपराशर** : क्या **उद्योग मंत्री** पिछड़े क्षेत्र/राज्यों के लिए नई रेल लाइनों के बारे में 28 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10037 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने भाग "ख" में उल्लिखित लाइनों को बिछाने का काम शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल मंत्रालय द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ दूसरी लाइनें बिछाने की भी सिफारिश की गयी थी ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो पिछड़े क्षेत्रों में परिवहन के बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसा न करने के क्या कारण हैं ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि रामराव) : (क) तीन में से एक परियोजना अर्थात् मनमाड़-औरंगाबाद मीटर गेज सेक्शन को ब्रॉड गेज में बदलने की परियोजना आरंभ कर दी गई और कार्य प्रगति पर है।

(ख) से (घ) डांग्स जिले में छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के गुजरात राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए रेल मंत्रालय से सिफारिश की गई है।

राज्यों में लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान किया जाना

10613. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय नागरिकता के लिए कितने लोगों ने आवेदन पत्र दिए हैं ;

(ख) तब से उनमें से कितने लोगों को भारतीय नागरिकता के प्रदान की गई है ; और

(ग) आज की तारीख तक कितने मामले लम्बित हैं और बकाया मामलों को किस तारीख तक निपटा लिए जाने की संभावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त आवेदनपत्रों के सम्बन्ध में सूचना का एक विवरण संलग्न है।

(ग) लम्बित आवेदनपत्रों पर राज्य प्राधिकारियों के माध्यम से आवेदकों से मांगी गयी अतिरिक्त सूचना या दस्तावेज प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश के जिलों में उद्योग स्थापित करना

10614. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या **उद्योग मंत्री** कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के बारे में 28 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9894 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा, हमीरपुर, गुना और विलासपुर जिलों में स्थापित किए गए औद्योगिक एककों में से किसी एकक ने पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर में उल्लिखित प्रोत्साहन का लाभ उठाया है ;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित एककों के जिला-वार नाम क्या है ;

(ग) क्या तब से, किसी और एकक ने भी प्रोत्साहन के लिए आवेदन पत्र दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी हां।

(ख) सम्बन्धित एककों के नामों का संकलन किया जा रहा है और सभापटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) तथा (घ) केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना, परिवहन राजसहायता योजना और रियायती वित्त योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य स्तरीय अभिकरणों द्वारा किया जाता है। जो एकक

विवरण

केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या, और ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की गयी है और पिछले 3 वर्षों के दौरान 1-1-1983 से 31-12-1984 लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना का विवरण

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या	स्वीकृत आवेदनपत्रों की सं॰ और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या		लम्बित	अस्वीकृत	टिप्पणी
			स्वीकृत	प्रमाण-पत्र जारी किए गए			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	46	14	10	5	17	—
2.	असम	8	5	1	1	1	—
3.	बिहार	16	2	1	1	12	—
4.	गुजरात	180	65	93	—	22	—
5.	हरियाणा	4	—	2	—	2	—
6.	हिमाचल प्रदेश	2	—	2	—	—	—
7.	जम्मू और कश्मीर	6	2	—	—	4	—

8. कर्नाटक	35	14	12	3	6	—
9. केरल	41	6	17	1	17	—
10. मध्य प्रदेश	38	15	5	—	18	—
11. महाराष्ट्र	340	96	177	18	49	—
12. मणिपुर	—	—	—	—	—	—
13. मेघालय	14	5	3	2	4	—
14. नागालैंड	1	—	—	—	1	—
15. उड़ीसा	11	3	3	4	1	—
16. पंजाब	14	6	6	—	2	—
17. राजस्थान	44	25	7	—	12	—
18. सिक्किम	—	—	—	—	—	—
19. तमिलनाडु	62	16	38	4	4	—
20. त्रिपुरा	8	1	7	—	—	—
21. उत्तर प्रदेश	49	19	11	3	16	—
22. पश्चिम बंगाल	340	84	172	13	71	—

1	2	3	4	5	6	7	8
	संघ शासित क्षेत्र						
1.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
2.	अण्डमान व निकोबार द्वीप	10	4	4	—	2	—
3.	चण्डीगढ़	2	—	1	—	1	—
4.	दिल्ली	120	23	63	19	15	—
5.	गोवा, दमन व दीव	30	5	19	1	5	—
6.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
7.	मिजोरम	1	1	—	—	—	—
8.	पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—
9.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—

इन रियायतों का लाभ उठाना चाहें उन्हें अपना पंजीकरण इन अभिकरणों में करवाना पड़ता है। इन पंजीकरणों की जानकारी उद्योग मंत्रालय में इकट्ठी नहीं की जाती।

राज्यों को सीमेंट का आबंटन

10615. **श्री के० मालन्ना** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 के दौरान सीमेंट की राज्यवार त्रैमासिक मांग/आबंटन और वास्तविक सप्लाई का ब्यौरा क्या है ;

(ख) आबंटन से वास्तविक सप्लाई के कम होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्ष 1983-84 के दौरान कर्नाटक राज्य को सप्लाई किए गए सीमेंट का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) (क) से (ग) राज्य सरकारें अपनी लेवी सीमेंट सम्बन्धी आवश्यकताएं नियमित आधार पर प्रस्तुत नहीं करती हैं। वर्ष 1983 में कर्नाटक राज्य सहित राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को लेवी सीमेंट के किए गए आबंटन और प्रेषण को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। चूंकि प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्यों में बिजली की कटौती, मैकेनिकल खराबियों, नए सीमेंट संयंत्रों में आरंभिक कठिनाइयों आदि जैसी रुकावटों के कारण सीमेंट के घरेलू उत्पादन पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा था, अतः आबंटनों के आधार पर लेवी सीमेंट पूर्ति में कुछ कमी हुई है।

विवरण

(000 मी० टन में)

क्र० सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	जनवरी से दिसम्बर, 83	
		आबंटन	प्रेषण
1	2	3	4
1.	राजस्थान	620.8	469.0
2.	दिल्ली	266.0	245.5
3.	उत्तर प्रदेश	1642.1	1196.8
4.	हरियाणा	437.7	308.6
5.	पंजाब	613.2	471.3
6.	चण्डीगढ़	75.3	48.3
7.	हिमाचल प्रदेश	123.2	99.7

1 2	3	4
8. जम्मू और कश्मीर	187.8	145.4
9. पश्चिम बंगाल	777.1	566.8
10. बिहार	913.0	585.7
11. उड़ीसा	508.1	456.5
12. मेघालय	86.5	61.8
13. असम	223.2	184.6
14. सिक्किम	58.6	14.3
15. अरुणाचल प्रदेश	58.9	25.6
16. नागालैण्ड	63.8	39.5
17. मणिपुर	64.0	38.6
18. त्रिपुरा	60.0	32.3
19. मिजोरम	30.6	13.0
20. महाराष्ट्र	1506.6	1093.4
21. गुजरात	1087.5	1037.3
22. गोवा-दमन-द्वीव	108.8	46.1
23. मध्य प्रदेश	833.9	800.0
24. दादर-नगर-हवेली	12.6	6.6
25. आंध्र प्रदेश	958.7	753.0
26. तमिलनाडु	874.0	726.6
27. कर्नाटक	788.3	533.9
28. केरल	481.3	362.8
29. पाण्डिचेरी	26.5	22.6
30. अण्डमान तथा निकोबार	21.7	10.9
31. लक्षद्वीप	4.7	4.3

औद्योगिक संसार में भारत की स्थिति

10616. **श्री के० मालन्ना** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक रूप से विकसित देशों में भारत का स्थान बारहवां था ;

(ख) यदि हां, तो क्या अब यह स्थान गिर कर बाइसवां हो गया है और निर्यात और उत्पादन के क्षेत्रों में भी कोई सुधार नहीं हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) विनिर्माण करने वाले विभिन्न देशों को श्रेणीबद्ध करने में अनेक कठिनाइयां है। सर्वप्रथम, इस प्रकार की तुलना के लिए देशों के सर्वांगीण अध्ययन की आवश्यकता है और तुलना की अवधि के लिए इस अध्ययन का एक जैसा होना भी जरूरी है। दूसरे विभिन्न देशों में विनिर्माण कार्य-कलापों की संकल्पनाओं और सांख्यिकी में विषमता जैसी अन्य सीमाएं भी हैं।

सरकार औद्योगिक लाइसेंसों और आयात नीतियों में समुचित परिवर्तन करके और साथ ही मुद्रा और राकोषीय उपायों तथा अवस्थापना में सुधार करके औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है ।

राजस्थान में माउण्ट आबू में नक्की झील के लिए बेहतर परिवेश

10617. **श्री विरबाराम फुलबारिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान और गुजरात के सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटन स्थान माउण्ट आबू स्थित नक्की झील के आस-पास के क्षेत्रों का गंदा पानी इस झील में डाला जाता है ;

(ख) क्या गंदे पानी के गिरने से न केवल झील में प्रदूषित होती हैं वरन् पर्यावरण भी प्रदूषित होता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) राज्य सरकार के सम्बन्धित प्राधिकरणों के मामलों पर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया है ।

भारत में अस्थिरता पैदा करने वाली विदेशी एजेंसियां

10618. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री के० मालन्ना :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ ऐसी विदेशी एजेंसियों की गतिविधियों का पता चला है जो भारत में, विशेष रूप से सीमा क्षेत्रों में सक्रिय हैं तथा अराजकता/अस्थिरता पैदा कर रही हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी भी है कि लम्बे समय से इन संगठनों को, विदेशी सरकारों से विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से भारी धनराशि प्राप्त हो रही है ;

(ग) क्या सरकार को यह पता चला है कि कुछ विदेशी प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्वयंसेवी राहत संगठन और राजनीतिक संगठन सीमा-राज्यों में अराजकता की स्थिति पैदा करने के काम में लगे हुए हैं ;

(घ) क्या सरकार ने, इस सम्बन्ध में दस्तावेज, विदेशी निर्मित हथियार पकड़े हैं और लोगों को गिरफ्तार किया है ;

(ङ) कौन-कौन सी स्वयं सेवी संगठन और राजनीतिक दल विदेशों से धन प्राप्त कर रहे हैं ; और

(च) क्या सरकार का विचार इन संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (च) व्यक्तियों और संगठनों द्वारा विदेशी अभिदान की स्वीकृति और उपयोग का विनियमन विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम 1976 द्वारा किया जाता है और विदेशी धन के दुरुपयोग की शिकायतों की जांच की जाती है।

सरकार देश की एकता और सुरक्षा की रक्षा करने के लिए निरन्तर सतर्कता बरत रही है। विदेशी आसूचना और अन्य संगठनों अथवा व्यक्तियों द्वारा तोड़फोड़ और अन्य प्रतिकूल गतिविधियों के किसी प्रयास का पता लगाने के लिए सतत प्रयास किए जाते हैं और उनके विरुद्ध अन्य कार्यवाही की जाती है।

शंकर रोड, नई दिल्ली पर गतिअवरोधक

10619. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्दिर मार्ग-पार्क स्ट्रीट, नई दिल्ली के किनारे पर शंकर रोड, पर गति अवरोधक न होने के कारण कई घटनाएं हुई हैं क्योंकि उस सड़क पर काफी ढलान है और उस ढलान पर गाड़ियां अधिक गति पकड़ लेती हैं और गाड़ियों के ड्राइवर उन पर नियन्त्रण खो बैठते हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार 2 अप्रैल, 1984 को हुई दुर्घटना जैसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शंकर रोड पर गति अवरोधक बनाने का है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : 15 अप्रैल, 1984 तक चालू वर्ष के दौरान मामूली दुर्घटना के 3 मामले जो इस स्थान पर हुए थे, दिल्ली पुलिस को सूचित किए गए हैं। किन्तु यह कहना सही नहीं है कि ये दुर्घटनाएं शंकर रोड पर गति अवरोधक न होने के कारण हुई। शंकर रोड पर बहुत भारी यातायात होता है। और उस पर गति अवरोधकों का बनाया जाना यातायात के लिए खतरनाक होगा।

गृह मन्त्रालय के अधिकारियों को आवासीय टेलीफोन सुविधाएं

10620. **श्री निहाल सिंह** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन अधिकारियों को आवासीय टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई गई है उन्हें प्रतिदिन कितने स्थानीय और ट्रंककाल करने की अनुमति है ; और

(ख) मन्त्रालय के कितने अधिकारियों को आवासीय टेलिफोन सुविधा उपलब्ध कराई गई है और प्राप्त अद्यतन बिलों के आधार पर दो महीनों में प्रत्येक अधिकारी ने अलग-अलग कितने स्थानीय और ट्रंक काल किए।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) वित्त मन्त्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार अधिकारियों को द्विमासिक आधार पर सरकारी खर्च पर उनके आवासीय टेलीफोन से 650 काल (सरकारी प्रयोजनों के लिए की गई एस० टी० डी० कालों को छोड़कर और उनके द्वारा रखे गए रजिस्टर के सन्दर्भ में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा ऐसा प्रमाणित किए जाने पर) करने की अनुमति है। ये डाक और तार विभाग द्वारा 200 निशुल्क कालें करने की अनुमति के अतिरिक्त हैं। ऐसे मामले में जहां पति और पत्नी दोनों ही आवासीय टेलीफोन के हकदार हैं और सम्मिलित रूप से उसी टेलीफोन का प्रयोग कर रहे हैं, उनको द्विमासिक आधार पर 1,300 कालें करने की अनुमति है।

(ख) विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8383/84]

लघु उद्योग और कुटीर उद्योग क्षेत्रों में निर्मित टेलीविजन सैट

10621. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड को ओरियंट विजन लिमिटेड होसूर, तमिलनाडु से ओरियंट विजन लिमिटेड द्वारा उत्पादित टेलीविजन सैटों का विपणन करने का समझौता करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है ;

(ख) क्या सरकार को लघु उद्योग और कुटीर उद्योग क्षेत्रों में टेलीविजन सैटों के निर्माण पर ऐसे किसी समझौते का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या करने का विचार है ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम०एस० संजीवी राव) : (क) मैसर्स ओरिएण्ट विजन लिमिटेड और मैसर्स पीको इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बीच एक समझौता किया गया है, जिसके अन्तर्गत दीर्घ अवधि के आधार पर न्यूनतम 50,000 दूरदर्शन सेटों की वार्षिक बिक्री करने की व्यवस्था है। तथापि, सरकार ने इस समझौते के लिए कोई अनुमोदन प्रदान नहीं किया है।

(ख) जी, हां।

(ग) मामले की जांच की जा रही है।

केन्द्र और राज्यों में दल-बदल

10622. **श्री ए० के० राय** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पिछले 15 वर्षों में राज्य और केन्द्र में, दल-बदल पर कोई योजनाबद्ध अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विधायकों, संसद सदस्यों और मन्त्रियों द्वारा दल-बदल के ऐसे मामलों का वर्ष-वार, राज्य-वार अलग-अलग तथ्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि निर्वाचित आयोग ने इस विषय पर चिन्ता व्यक्त की है ; और

(घ) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) 1967 में लोक सभा द्वारा पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में राजनैतिक दल-बदल की समस्या पर विचार करने के लिए एक दल-बदल सम्बन्धी समिति स्थापित की गई थी। समिति ने 1969 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन को 18 फरवरी, 1969 को लोक सभा के पटल पर रखा गया था।

(ग) तथा (घ) चुनाव आयोग से प्राप्त प्रस्तावों समेत मतदाता सूची सुधारों से सम्बन्धित प्रस्तावों को 5 अप्रैल, 1983 को अतारांकित प्रश्न सं० 5754 के उत्तर में लोक सभा के पटल पर रखा गया था। ये प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

हम्फ्रीगंज, दक्षिण अण्डमान में गैर कानूनी शराब-भट्टियां

10623. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने मार्च/अप्रैल 1984 में दक्षिण अण्डमान में इम्फ्रीगंज में कुछ घरों पर गैर-कानूनी शराब भट्टियों का पता लगाने के लिए छापे मारे गए और कुछ लोगों को रंगे हाथ पकड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो कितने लोग गिरफ्तार किए गए ;

(ग) क्या रंगे हाथ पकड़े गए कुछ लोगों को संदेहास्पद रूप में छोड़ दिया गया जिसका स्थानीय नेताओं द्वारा विरोध किया गया था और क्या पुलिस आयुक्त विरोध पर नाराज होकर बदला लिया और हम्फीगंज क्षेत्र के नेताओं को निर्दयता से पीटा तथा यदि यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या अण्डमान निकोबार प्रशासन को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं और इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) अंडमान निकोबार प्रशासन से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मार्च-अप्रैल 1984 के महीनों के दौरान पुलिस ने हमफीगंज बाह्य चौकी के क्षेत्राधिकार में किसी मकान पर छापा नहीं मारा । तथापि, इस अवधि के दौरान अवैध शराब/हंडियों के रखने के लिए 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए । उन्हें बाद में जमानत पर रिहा किया गया और किसी ने भी अपनी रिहाई के विरुद्ध विरोध प्रकट नहीं किया ।

अवैध शराब की पांच बोतलें रखने के कारण श्री अपालस्वामी नामक व्यक्ति को (जो ऊपर उल्लिखत 13 व्यक्तियों में से एक था) गिरफ्तार करते समय तीन व्यक्तियों ने उसकी रिहाई की मांग की थी और जब्त शराब की बोतलों की वापसी की मांग भी की थी । जब पुलिस ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उन्होंने पुलिस दल पर आक्रमण किया । इनमें से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि तीसरा व्यक्ति भागने में सफल हो गया । इन व्यक्तियों के विरुद्ध स्थानीय पुलिस ने एक आपराधिक मामला दर्ज किया है । प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन नहीं मिला ।

सोने का उत्पादन

10624. **श्री रामकृष्ण मोरे** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान देश में सोने के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो 1983-84 के दौरान सोने का कुल कितना उत्पादन हुआ ; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सोने के उत्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) देश में 1983-84 के दौरान स्वर्ण का कुल उत्पादन 2078 कि० ग्रा० हुआ, जबकि 1982-83 में यह 2241 कि० ग्रा० था । सातवीं पंचवर्षीय योजना अभी तैयार की जा रही है ।

वनस्पति और जन्तुओं का संरक्षण

10625. **श्री ए० के० राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 25 जनवरी, 1984 के "स्टेट्समैन" के कलकत्ता संस्करण में "स्टेट्स

अर्जड टू प्रीजर्व फ्लोरा एण्ड फाउना" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) देश में विद्यमान वनस्पति और जन्तुओं का ब्यौरा क्या है और विश्व में उसका क्या प्रतिशत है ; और

(ग) क्या इसकी किस्मों में कोई कमी आई है और कुछ लुप्त होने की स्थिति में है यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के तथ्यों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां । समाचार मद की एक प्रति संलग्न है । [ग्रंथालय में रखी गई । **देखिए** सं० 8384/84]

(ख) **वनस्पतिजात** : यह अनुमान है कि भारत में पौधों की लगभग 50000 उपजातियां पाई जाती हैं । संवहनीय वनस्पति जात जिनसे विशिष्ट वनस्पति आवरण बनाता है उनमें लगभग 15000 उपजातियां शामिल है ।

प्राणीजात : भारत में पशुओं की लगभग 65000 उपजातियां रिकार्ड की गई हैं । इसमें कीड़ों की 40000 कुस्टासी की 4000, अन्य मेरुदण्डहीन प्राणियों की 16500, मछलियों की 2000, उभयचरों की 130, सरी-सर्पों की 625, पक्षियों की 1200 तथा स्तनधारियों की 370 उपजातियां शामिल हैं ।

यह अनुमान लगाया गया कि सभी प्राणी उपजातियों के लगभग 5-6 प्रतिशत तथा पृथ्वी में सभी ज्ञात पेड़ पौधों की उपजातियों के 12 प्रतिशत भारत में पाए जाते हैं ।

(ग) पिछले वर्षों में प्राकृतिक वास के विनाश तथा अन्य जैव दबावों के कारण वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत के अनेक उपजातियों की बढ़ोत्तरी में आम कमी आई है । पिछले कुछ वर्षों में देश व्यापी आधार पर सभी उपजातियों के वैज्ञानिक सर्वेक्षण नहीं होने से विशिष्ट रूप से वास्तविक कमी नहीं दर्शायी जा सकती ।

हाल के वर्षों में इस प्रवृत्ति को अवरुद्ध करने के लिए कई कदम उठाए गए । उनमें से अधिक महत्वपूर्ण संलग्न विवरणिका में दिए गये हैं ।

उत्तरी राज्यों में सिख उग्रवादियों का फैलना

10626. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री के० मालन्ना :

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 अप्रैल, 1984 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पंजाब में दबाव को कम करने के लिए सिख उग्रवादी आतंक

पैदा करने और अपने आंदोलन के लिए अतिरिक्त धन जुटाने के लिए अनेक बैंक डकैतियों की व्यापक योजनाएं बनाने के लिए पूर्व नियोजन युक्ति चालन के अनुसार अधिकांश उत्तरी राज्यों में फैल गए हैं ;

(ख) क्या पवित्र स्वर्ण मन्दिर से गुप्त सुरागों के माध्यम से जिन्हें लगातार बढ़ाया जा रहा है ; उग्रवादियों के लिए "बाहर और अन्दर" जाने का एक सुरक्षित रास्ता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) सरकार ने समाचार देखा है ।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई प्रमाणित सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत वैगन एण्ड इन्जीनियरिंग वर्कस, मुजफ्फरपुर में आंदोलन

10627. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि भारत वैगन एण्ड इन्जीनियरिंग वर्कस, मुजफ्फरपुर के नैमित्तिक कर्मचारी और प्रशिक्षण फरवरी, 1984 से आंदोलन कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) सरकार उनकी मांगों का बातचीत द्वारा समाधान करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां ।

(ख) संक्षेप में उनकी मांगें निम्नलिखित हैं :—

(1) भारत कासगार यूनियन, मुजफ्फरपुर द्वारा दिये गये 36 सूत्री मांग पत्र पर भारत वैगन एण्ड इन्जी० कम्पनी लि० के प्रबन्धकों को उक्त यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श और समझौता करना चाहिए ।

(2) प्रबन्धकों को उद्योग मन्त्रालय द्वारा स्वीकृत "चेन पद्धति" के अनुसार भूतपूर्व प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने की गारण्टी देनी चाहिए ।

(3) आकस्मिक मजदूरों की कम्पनी की नियमित/स्थाई नामावली में नियुक्ति ।

(ग) असन्तुष्ट पार्टी औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन समझौता-तन्त्र अर्थात बिहार सरकार के श्रम विभाग की सहायता ले सकती है क्योंकि यह विषय, वस्तु राज्य की अधिकार सीमा में आती है ।

जोतने वाले को भूमि सम्बन्धी नीति

10628. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने जोतने वाले को "भूमि" सम्बन्धी नीति के बारे में कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु, ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रोनिक्स और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) सभी पंचवर्षीय योजनाओं में काश्तकारों और बटाईदारों को मालिकाना हक दिए जाने की नीति रही है। इस सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश (आंध्र क्षेत्र), बिहार, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने (बटाईदारों के सम्बन्ध में) समुचित कानून बनाए हैं।

मन्त्रालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्षों के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था

10629. **श्री अनादि चरण दास** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण/छूट सम्बन्धी सरकार की नीति के उचित क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए सभी मन्त्रालयों/विभागों में अनुसूचित जाति/जनजाति कक्ष खोले गए थे ;

(ख) क्या इन कक्षों में कार्य करने के लिए सरकार ने वित्तीय व्यवस्था सहित पर्याप्त कर्मचारियों की कोई व्यवस्था की है ;

(ग) यदि नहीं, तो कर्मचारियों की मन्जूरी दिए बिना अनुसूचित जाति/जनजाति कक्षों का काम कैसे चलता है ;

(घ) क्या अनुसूचित जाति/जनजाति कक्षों द्वारा सम्बन्धित अनुभागों को भेजे गए अभ्यावेदनों पर कार्यवाही का कोई रिकार्ड रखा जाता है ;

(ङ) क्या इसके द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के क्रियान्वयन में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का सुझाव देने के लिए सम्पर्क अधिकारियों को कोई कार्यकारी शक्ति दी गई है ; और

(च) क्या सभी भर्तियों/नियुक्तियों/पदोन्नतियों के आदेश जारी करने से पहले इन्हें सम्बन्धित सम्पर्क अधिकारी को दिखाया जाता है ताकि उनमें अनुसूचित जातियों/जनजातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार संलग्न विवरण में सूचीबद्ध 24 मन्त्रालयों/विभागों/कार्यालयों में अनुसूचित जनजाति सैल नहीं खोले गए हैं।

(ख) तथा (ग) इस तरह के सैलों में कार्य करने के लिए पर्याप्त् कर्मचारियों की व्यवस्था करना मन्त्रालयों/विभागों का काम है।

(घ) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा इस तरह का कोई केन्द्रीकृत रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ङ) कार्यकारी अनुदेशों में पहले से ही यह प्रावधान है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से सम्बन्धित और अन्य आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में लापरवाही अथवा गलतियों के मामले यदि सम्पर्क अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण अथवा किसी अन्य माध्यम से सामने आएं तो हैं सम्बन्धित मन्त्रालय/विभाग के सरकार के सचिव/अपर सचिव और विभागाध्यक्ष के अधीन आने वाले कार्यालयों के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इन अनुदेशों में यह भी प्रावधान है कि इस तरह की रिपोर्टों पर सचिव/अपर सचिव/विभागाध्यक्ष द्वारा दिये गये अनुदेशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इन आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाता है।

(च) ऐसे कोई अनुदेश नहीं हैं जिनमें यह अपेक्षित हो कि भर्ती/नियुक्ति/स्थाईकरण/पदोन्नति सम्बन्धी सभी आदेश जारी किए जाने से पूर्व सम्पर्क अधिकारी को दिखाए जाएं।

विवरण

उन मन्त्रालयों/विभागों के नाम जिनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष सैल का गठन नहीं किया गया है

क्र० सं०	मन्त्रालय/विभाग का नाम	सैल का गठन न किए जाने के कारण
1	2	3
1.	कृषि अनुसन्धान तथा शिक्षा	एक छोटा विभाग होने के कारण सैल की स्थापना आवश्यक नहीं समझी गई।
2.	ग्रामीण विकास विभाग	सैल गठित करने का प्रस्ताव उक्त विभाग के विचाराधीन है। तथापि, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में आरक्षण आदेशों को लागू करने का कार्य एक कर्मचारी के सुपुर्द किया गया है।
3.	नागरिक आपूर्ति विभाग	एक छोटा विभाग होने के कारण सैल की स्थापना आवश्यक नहीं समझी गई है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित मामलों पर सम्बन्धित संयुक्त सचिव पूरा ध्यान देते हैं।
4.	समाज कल्याण विभाग	आरक्षण आदेशों से सम्बन्धित कार्य स्थापना अनुभाग द्वारा किया जाता है।
5.	कोयला विभाग	आरक्षण लागू करने के लिए एक कर्मचारी प्रशासन अनुभाग में अलग से रखा गया है।

1	2	3
	6. गृह मन्त्रालय	आरक्षण आदेशों को लागू करने से सम्बन्धित कार्य के लिए एक सहायक नामित किया गया है।
	7. विधायी विभाग	सम्पर्क अधिकारी के अधीन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित कार्य की देख-रेख की विद्यमान व्यवस्था पर्याप्त समझी गई है और स्वतन्त्र सैल गठित करने की आवश्यकता नहीं है।
	8. कम्पनी कार्य विभाग	वित्त मन्त्रालय के परामर्श से एक विशेष सैल का सृजन करने के प्रस्ताव की जांच की गई थी, लेकिन अतिरिक्त पदों के सृजन पर पूर्ण प्रतिबन्ध होने के कारण पृथक सैल के प्रस्ताव को नहीं माना गया था।
	9. रसायन तथा उर्वरक विभाग	यह कार्य सामान्य समन्वय अनुभाग में किया जा रहा है।
	10. सांख्यिकी विभाग	सैल के लिए आवश्यक स्टाफ की मन्जूरी नहीं दी गई है। तथापि आरक्षण आदेशों को लागू करने से सम्बन्धित कार्य प्रशासन अनुभाग में किया जा रहा है।
	11. इस्पात विभाग	सन 1972 में सैल की स्थापना की गई थी लेकिन 1974 में उसे बन्द कर दिया गया था क्योंकि एक छोटा संगठन होने के कारण सैल गठित करना आवश्यक नहीं समझा गया था। फिर भी यह कार्य स्थापना अनुभाग द्वारा निपटाया जा रहा है।
	12. खान विभाग	कोई कारण नहीं दिया गया है।
	13. नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय	पृथक सैल के लिए पदों को सृजित करने का प्रस्ताव वित्त मन्त्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। तथापि, सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किये गये हैं और वे आरक्षण आदेशों को लागू करने से सम्बन्धित कार्य की देख-रेख प्रभावशाली ढंग से कर रहे हैं।
	14. परमाणु ऊर्जा	यद्यपि किसी पृथक सैल का गठन नहीं किया गया है, फिर भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों

1	2	3
		के लिए आरक्षण आदेशों को लागू करने से सम्बन्धित कार्य की सभी आवश्यक मदों पर कार्रवाई करने के लिए एक उच्च श्रेणी लिपिक नामित किया गया है।
15.	संस्कृति विभाग	यह कार्य सामान्य अनुभाग में किया जा रहा है।
16.	इलैक्ट्रानिकी विभाग	स्थापना अनुभाग में इस कार्य का समन्वय किया जाता है।
17.	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	इस विभाग की संवर्ग पद संख्या पर गृह मन्त्रालय का नियन्त्रण रहता है। इसलिए इस विभाग में पृथक सैल गठित करना आवश्यक नहीं समझा गया।
18.	प्रशासनिक सुधार स्कन्ध (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)	यथोपरि
19.	मन्त्रिमण्डल सचिवालय	एक छोटा संगठन होने के कारण सैल का गठन आवश्यक नहीं समझा गया है।
20.	संसदीय कार्य विभाग	एक छोटा संगठन होने के कारण सैल का गठन आवश्यक नहीं समझा गया है। फिर भी एक सहायक द्वारा यह कार्य किया जा रहा है।
21.	राष्ट्रपति सचिवालय	एक छोटा कार्यालय होने के कारण सैल का गठन आवश्यक नहीं समझा गया है।
22.	प्रधान मन्त्री कार्यालय	एक बहुत ही छोटा संगठन होने के कारण पृथक सैल का गठन आवश्यक नहीं समझा गया है। यह कार्य प्रशासन अनुभाग में किया जा रहा है।
23.	निर्वाचन आयोग	यह कार्य प्रशासन अनुभाग में किया जा रहा है।
24.	संचार मन्त्रालय	एक बहुत ही छोटा मन्त्रालय होने के कारण पृथक सैल गठित करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है। सम्पर्क अधिकारी की सहायता से यह कार्य प्रभावशाली ढंग से किया जा रहा है। तथापि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक सैल गठित करने के प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा रही है।

चीतों की गिनती करने की प्रणाली (पैरामीटर)

10630. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि देश में रह रहे चीतों की गिनती के लिए मुख्यतया किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : बाघ गणना के लिए आधारभूत प्रणाली-विज्ञान में, पिछले पैरों के गारे में निशानों का पता लगाना तथा खोज करना जो व्यष्टिपरक होते हैं तथा उस क्षेत्र से प्राप्त अन्य सबूतों से उनका मिलान करना, आते हैं। इसमें निम्नलिखित तीन चरण होते हैं :—

(क) प्रशिक्षण तथा गणना-पूर्व की तैयारियां ।

(ख) वास्तविक गणना का संचालन, तथा

(ग) आंकड़ों का संग्रह, जांच तथा संकलन ।

वास्तविक गणना संचालन जिसमें लगभग एक सप्ताह लगता है, जिसमें वास्तविक रूप में देखा जाना, बाघ के शिकार, गारे में निशान, पंजे के निशान, बाघ की आवाज, विष्ठा पदार्थ इत्यादि जैसे सबूतों का पहले पांच दिनों में संग्रह आता है। गारे के निशानों की खोज करके तथा विशेष पहचान का अभिनिर्धारण करने वास्तविक गणना अन्तिम दो दिनों में की जाती है।

चीतों की मृत्यु

10631. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में विभिन्न चीता संरक्षण योजनाओं में (योजनावार) कितने चीते मरे हैं ;

(ख) चीतों की मौत के क्या कारण हैं ;

(ग) स्वाभाविक रूप से मरने वाले चीतों की संख्या कितनी है ; और

(घ) चीतों की अस्वाभाविक मृत्यु से बचाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही हैं तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा के कोरापुट जिले में खनिज

10632. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कोरापुट जिले में खनिज भण्डारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के कोरापुट जिले में विभिन्न खनिजों के कितने भण्डार हैं ;

(ग) उस जिले में सर्वेक्षण से कितनेचूना पत्थर का पता लगा है ; और

(घ) उड़ीसा के कोरापुट जिले में चूना पत्थर को उचित ढंग से निकालने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, हां।

(ख) कोरापुट जिले में मुख्य खनिज निक्षेप हैं—चूना पत्थर, डोलोमाइट लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, टिन अयस्क, चीनी मिट्टी, ग्रेफाइट और बाक्साइट।

(ग) कोरापुट जिले में विभिन्न ग्रेड चूना पत्थर के 256 मि० टन भण्डार होने का अनुमान है।

(घ) उड़ीसा सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम द्वारा जिले में एक मि० टन वार्षिक क्षमता का सीमेंट संयंत्र लगाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। जिले में अनेक लघु सीमेंट कारखानों की स्थापना के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा गैर-सरकारी परामर्शदाताओं की नियुक्ति

10633. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लिमिटेड ने अब तक कितने गैर-सरकारी परामर्शदाता नियुक्त किए हैं;

(ख) स्टील अथारिटी आफ इन्डिया ने गैर-सरकारी परामर्शदाताओं को किस तारीख से नियुक्त किया है ;

(ग) उन गैर-सरकारी परामर्शदाताओं का ब्यौरा क्या है ;

(घ) उनका नियुक्ति का प्रयोजन क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० के० पी० साल्वे) : (क) से (ङ) स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लि० (सेल) के लिए काम कर रहे गैर-सरकारी परामर्शदाताओं के बारे में जानकारी पृष्ठ 120 पर दी है :—

बिहार में उद्योगों की स्थापना की योजना

10634. **श्री रामअवातार शास्त्री** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में नए उद्योगों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार को कोई योजनाएं प्रस्तुत की हैं ;

क्रम सं०	नाम	अवधि	प्रयोजन	अदायगी की दर (रु०)	अन्य लाभ
1	2	3	4	5	6
1.	श्री उज्जल सेन, विपणन परामर्शदाता	19-10-83 से 30-6-84 तक	(i) केन्द्रीय विपणन संगठन तथा वाणिज्यिक निदेशालय के वर्तमान संगठनात्मक ढांचे को अधिक कुशल तथा ग्राहकोन्मुख बनाने की दृष्टि से इनका अध्ययन करना और इसमें आवश्यक परिवर्तन करने के बारे में सुझाव देना	(i) पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर 1500/-रु० (ii) दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर 1500/-रु० (iii) अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर 2000/-रु०	(i) मकान-किराया भत्ता-1000/-रु० प्रतिमाह की दर से
			(ii) शक्तियों के प्रत्यायोजन का अध्ययन करना तथा विभिन्न क्षेत्राधिकारियों को और प्रभावी बनाने के लिए अतिरिक्त शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के बारे में सुझाव देना।	(i) पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर 1500/-रु० (ii) दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर 1500/-रु० (iii) अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर 2000/-रु०	(ii) निवास-स्थान पर टेलीफोन बिलों की प्रतिपूर्ति
			(iii) वर्क स्टाक को कम करने तथा घरेलू बाजार में सेल	1500/-रु० प्रतिमाह	(iii) जब कभी कम्पनी के कार्य से यात्रा करनी

		के उत्पादों की मांग बढ़ाने हेतु नीति के बारे में परामर्श देना		आवश्यक हो, तो ऊपर निदेशकों के सम्बन्ध में कम्पनी के यात्रा भत्ते के नियमों के अनुसार देय यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का भुगतान।	
		(iv) स्टाकयार्डों से केन्द्रीय विपणन संगठन को मांग भेजने की वर्तमान पद्धति का अध्ययन करने और सुधार लाने की दृष्टि से उत्पादन की योजना बनाने के बारे में सलाह देना।	(i) ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर-3000-रु० (ii) अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर-3000/-रु०		
2. डा० बी० एस० ढिल्लन	1-1-84 से 31-12-84 तक	(i) हफ्ते में चार दिन पूर्व निश्चित किए गए समय में सेल के निगम मुख्यालय में सेल द्वारा दिए गए कमरे में सेल के कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को डाक्टरी सलाह देना।	प्रतिमाह 1500/-रु० की दर से मानदेयत तक कालम-4 में उल्लिखित विशिष्ट घंटों के बाद घर पर बुलाने पर परामर्श के लिए फीस।	(i) प्रतिमाह 2100/-रु० मकान किराया भत्ता (ii) टेलीफोन की सुविधा तथा निवास स्थान पर लगे टेलीफोन के बिलों की प्रतिपूर्ति। (iii) यदि आवश्यक हो, रोगी को घर पर देखने के लिए कम्पनी की स्टाफ पर।	लिखित उत्तर

1	2	3	4	5	6
3.	डा० पी० के० कृष्ण-कुमार	20-1-80 से 19-1-85 तक	सेलम इस्पात कारखाने के हस्पताल को चिकित्सा सम्बन्धी सलाह देने की व्यवस्था	प्रतिमाह 1500/-रु० की दर से मानदेय	(i) कम्पनी के नियमों के अनुसार स्थानीय यात्रा खर्चे की प्रतिपूर्ति
4.	डा० ओ० पी० शर्मा	5-4-83 से 4-4-86 तक	हफ्ते में पांच दिन पूर्व निश्चित किए गए समय में सेल के निगम मुख्यालय में सेल द्वारा दिए गए कमरे में सेल के कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को डाक्टरी सलाह देना ।	प्रतिमाह 2000/-रु० की दर से मानदेय	(i) टेलीफोन की सुविधा और सेल की ओर से टेलीफोन के किराए तथा कालों के बिलों के प्रति-पूर्ति ।
5.	प्रो० जी० एस० सरकार	अक्तूबर, 83 से जब तक कोयले के बारे में विशेषज्ञ दल का काम पूरा नहीं हो जाता है।	कोयला विभाग द्वारा बुलाई गई विशेषज्ञ दल की बैठकों के समय सेल को परामर्शी सेवाएं प्रदान करना ।	धनबाद में (प्रो० सरकार का मुख्यालय) विशेषज्ञ दल की बैठकों के लिए प्रतिदिन 100/-रु० की दर से परा-मर्श के लिए फीस और यदि बैठकें धनबाद के बाहर हों तो 200/-रु० प्रतिदिन के हिसाब से फीस ।	(i) सेल के अपर निदेशकों को सरकारी दौरे पर जाने पर मिलने वाले यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के बराबर यात्रा/ दैनिक भत्ता ।

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) उद्योग मंत्रालय को बिहार सरकार द्वारा उस राज्य में नये उद्योगों की स्थापना के लिए किसी योजना के प्रस्तुत किये जाने की जानकारी नहीं है। फिर भी, 1983 और 1984 (आज तक) में बिहार राज्य में नये एकक स्थापित करने के लिए लाइसेंसों की मंजूरी हेतु राज्य सरकार के उपक्रमों द्वारा 6 आवेदन प्रस्तुत किए गए थे। इन 6 आवेदनों में से, 3 मामलों में आशय-पत्र जारी किये गए थे, 2 को अस्वीकृत कर दिया गया है और 1 विचाराधीन है।

सागर विकास के लिए नई योजना

10635. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सागर विकास के लिए कोई नई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटील) : (क) और (ख) महासागर विकास विभाग के निम्नलिखित बड़ी योजनाएं सागर विकास के लिए हैं :—

(1) एन्टार्कटिक अनुसंधान।

(2) हिन्द महासागर में जीवित खनिजों और बहुधात्विक पिंडों की खोज।

(3) पानी के अन्दर तकनीकी विद्या को प्राप्त करना।

(4) विशेष विज्ञानिक समुद्री जहाजों को प्राप्त करना।

(5) उर्मी ऊर्जा और समुद्री पानी से ऊर्जा प्राप्त करने के कार्यक्रम।

(6) समुद्री तकनीक का विकास।

(7) समुद्री विज्ञान और तकनीक में शिक्षित जन-शक्ति का विकास।

(8) महासागर डाटा वेश की स्थापना।

विभिन्न धातु और खनिजों की खानों का पता लगाना

10636. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल ही में देश के विभिन्न भागों में विभिन्न धातुओं और खनिजों के भण्डारों या खानों का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भारत के आत्मनिर्भर बनने में इन भण्डारों का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है।

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) खनिजों में अब तक देश में मुख्य खनिज निक्षेपों के निम्नलिखित भंडारों का अनुमान लगाया गया है।

खनिज	भंडार (मि० टनों में)	राज्य
सीसा-जस्ता अयस्क	119	राजस्थान, महाराष्ट्र तथा पश्चिमी बंगाल
तांबा अयस्क	24.77	राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक तथा हरियाणा
धातु ग्रेड बाक्साइट	110	उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार
लोह अयस्क	1596	बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, तथा मध्य प्रदेश
मैंगनीज अयस्क	36.28	मध्य प्रदेश, उड़ीसा
क्रोमाइट	129	उड़ीसा
टिन अयस्क	.002	मध्य प्रदेश
टंगस्टन अयस्क	3.07	राजस्थान तथा महाराष्ट्र
स्वर्ण अयस्क	9.89	आन्ध्र प्रदेश, तथा कर्नाटक
राकफास्फेट	38	मध्य प्रदेश, मेघालय, पश्चिमी बंगाल तथा उत्तर प्रदेश
चूनापत्थर	970	मध्य प्रदेश
डोलोमाइट	210	अरुणाचल प्रदेश
कोयला	6995	आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल

(ग) विगत कुछ वर्षों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण खनिज खोजों में पूर्वी घाट बाक्साइट, मध्य-प्रदेश के मलंजखंड में तांबा निक्षेप, राजस्थान के रामपुरा अगुचा में सीसा जस्ता निक्षेप आदि शामिल हैं।

पूर्वीघाट बाक्साइट पर आधारित एल्यूमिनियम परियोजना के पूरा हो जाने से देश इस धातु में आत्म निर्भर हो जायेगा। मलंजखड तांबा परियोजना का द्वितीय चरण पूरा हो जाने से देश तांबा धातु के मामले में 50% तक आत्म निर्भर हो जाएगा। उपर्युक्त सीसा-जस्ता निक्षेपों का दोहन होने पर चालू दशक के अन्त तक सीसा और जस्ता के मामले में देश के लगभग 80% तक आत्म निर्भर हो जाने की आशा है। उपर्युक्त अन्य खनिजों में से अनेक के प्रसंग में देश पहले ही आत्म निर्भर है।

बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कदम

10637. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार देश के अधिकांश राज्यों में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाया है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निष्कर्ष क्या हैं ; और

(घ) उक्त निष्कर्षों के आधार पर बिहार का पिछड़ापन दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिक्स और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (शिवराज वी० पाटिल) : (क) बिहार सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा जैसाकि अनुमान लगाया गया है बिहार का वर्ष 1981-82 के लिए प्रतिव्यक्ति निवल देशीय उत्पादन 995 रु० है। यद्यपि राज्यों के लिए अनुमानठभ्व ठीक तुलनीय नहीं है, फिर भी बिहार का प्रतिव्यक्ति निवल देशीय उत्पादन भारत में सबसे कम है। त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम नियमित आधार पर राज्य आय के अनुमान तैयार नहीं करते हैं इसलिए उन्हें तुलना में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) बिहार राज्य के पिछड़ेपन के कारण, कृषि उपज की कम दरें, ग्रामीण जन-संख्या के प्रतिव्यक्ति फार्म उत्पादन का कम मूल्य, फैक्टरी क्षेत्रक में जोड़े गए प्रतिव्यक्ति मूल्य का कम स्तर और राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का बड़ा प्रतिशत हो सकते हैं।

(घ) गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों को आबंटित केन्द्रीय सहायता के 20 प्रतिशत का वितरण उन राज्यों में किया जाता है जिनकी प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम होती है, इनमें बिहार राज्य भी शामिल है। सिंचाई सुविधाओं के विकास, बीज, उर्वरक, ऋण आदि जैसे अन्य निवेशों के उपयोग के जरिए कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा रही है। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार आधार संरचना सुविधाओं में वृद्धि करने, नए उद्यमियों को आकृष्ट करने के लिए प्रोत्साहन देने और ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए केप्टिव प्लांट/डीजल जेनरेशन सैट स्थापित करने के लिए राज सहायता देने सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा, औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए केन्द्रीय राज सहायता तथा रियायती वित्त उपलब्ध हैं। ग्रामीण गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जनजातीय उपयोजना, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष सघटक योजना जैसे ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

इस्पात संयंत्रों द्वारा ऊर्जा की खपत

10638. **श्री रामकृष्ण मोरे** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान सभी इस्पात संयंत्रों की ऊर्जा की अर्थात कोकिंग कोल, स्टीम कोल, पैट्रोलियम ईंधन, बिजली आदि, कुल खपत कितनी है ;

(ख) इस अवधि में कितने बिक्री योग्य इस्पात/बिक्री योग्य ढलवें लोहे का उत्पादन किया गया ;

(ग) क्या भारतीय इस्पात संयंत्रों की ऊर्जा की खपत आधुनिक विदेशी इस्पात संयंत्र से बहुत अधिक है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) पिछले 5 वर्षों में "सेल" के सर्वतोन्मुखी इस्पात कारखानों (इस्को भी शामिल है) की ऊर्जा की कुल खपत इस प्रकार है :—

वर्ष	कोककर कोयला (शुल्क) हजार टन	कैप्टिव पावर तथा प्रोसेस स्टील के लिए अकोककर कोयला (हजार टन)	खरीदी गई पावर (एस०यू०)	पैट्रोलियम पर आधारित ईंधन (हजार टन)	ऊर्जा का कुल निवेश 10 जी० ई० जी० ए० कैलरी
1979-80	10730	1809	1776	244	82.6
1980-81	10387	2018	1670	220	81.2
1981-82	11289	2131	2146	288	88.7
1982-83	11575	2393	2239	291	90.9
1983-84	11245	2439	2382	229	88.4

(ख) गत पांच वर्षों में सेल के इस्पात कारखानों और "इस्को" में विक्रेय इस्पात और विक्रेय कच्चे लोहे का उत्पादन इस प्रकार हुआ है ।

वर्ष	बिक्रेय इस्पात और बिक्री के लिए कच्चा लोहा (हजार टन)
1979-80	5607
1980-81	6105
1981-82	6819
1982-83	6776
1983-84	6178

(ग) और (घ) भारत में सर्वतोन्मुखी इस्पात कारखानों में ऊर्जा की खपत विदेशों में स्थित आधुनिक इस्पात कारखानों में ऊर्जा की खपत की तुलना में अधिक है।

इस्पात कारखाने में ऊर्जा की खपत इकाइयों में अपनायी गई प्रौद्योगिकी तथा उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले कच्चे माल की क्वालिटी पर निर्भर करती है। विदेशों में स्थित अधिक आधुनिक इस्पात कारखानों में ऊर्जा की खपत में काफी कमी की गई है। यह कमी मुख्यतः उच्च क्वालिटी का कोककर कोयला इस्तेमाल करने, कोककर कोयले की क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए नई तकनीकें अपनाने, उच्च क्वालिटी का लौह-अयस्क (न घुलने वाले तत्वों विशेष रूप से एल्यूमिना और सिलिका की कम मात्रा वाला लोह अयस्क) के इस्तेमाल से तथा सिंटर का अधिक प्रयोग (लगभग 100 प्रतिशत तक) करने, घमन भट्टियों में इस्तेमाल किए जाने वाले कच्चे माल में सावधानी और नियंत्रण बरतने, घमन भट्टियों के तापमान तथा टाप प्रेशर में वृद्धि करने, बेसिक आक्सीजन प्रक्रिया अपनाने, सतत ढलाई, अच्छी क्वालिटी की तापसह ईंटों का इस्तेमाल, अपशिष्ट ताप ऊर्जा काम में लाने तथा एकीकृत प्रोसेस कंट्रोल इन्स्ट्रूमेंटेशन से प्राप्त की गई है। इस देश में लगाए गए सर्वतोन्मुखी इस्पात कारखानों में यह सुविधाएं न्यूनाधिक मात्रा में तो उपलब्ध हैं परन्तु विदेशों में स्थित अधिक आधुनिक इस्पात कारखानों के मुकाबले में बहुत कम हैं। जिस समय भारत में इस्पात कारखाने लगाए गए थे उस समय कई नई प्रक्रियाएं, जिनके इस्तेमाल से ऊर्जा की काफी बचत होती है, प्रमाणित नहीं थीं। भारत में अपनायी गई प्रक्रियाओं, जिनमें ऊर्जा की खपत अधिक होती है (लागत की दृष्टि से अधिक उत्कृष्ट प्रक्रियाएं), को बदलने के लिए बहुत अधिक धन-राशि खर्च करनी होगी। इसलिए ऐसी प्रक्रियाएं अपनाने की योजनाएं बनाई गई हैं जिनमें ऊर्जा की खपत कम हो (जिसके लिए न केवल वर्तमान इकाइयों को सशक्त बनाने बल्कि इस्पात कारखाने में नई इकाइयां लगाने की भी आवश्यकता होगी) इन योजनाओं को चरणों में शुरू किया जा रहा है।

दिल्ली पुलिस में अकाली समर्थक

10639. **श्रीमती किशोरी सिन्हा**

श्री बापू साहिब परूलेकर :

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :

प्रो० अजित कुमार मेहता :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली पुलिस में अकाली दल से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों के होने की रिपोर्ट मिली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्टों की जांच की है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार, द्वारा यदि किन्हीं लोगों को इस कारण नौकरी से निकाला गया है, तो उनकी संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दुबई के एक व्यापार घराने द्वारा भारत में इलेक्ट्रोनिक्स परियोजना स्थापित करना

10640 **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या दुबई के एक प्रमुख व्यापारिक घराने ने भारत में एक विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजना स्थापित करने का फैसला किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस परियोजना को स्थापित करने हेतु किया जाने वाला संभाव्यता अध्ययन पूरा हो गया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में दोनों सरकारों द्वारा क्या प्रक्रिया शुरू की गई है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) जी हां। अनिवासी भारतीयों द्वारा नियंत्रित मैसर्स "आगरा" ग्रुप्स आफ दुबई ने निम्नलिखित तीन प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं :—

(i) पंजाब डिस्प्ले डिवाइसिज लिमिटेड (पी० डी० डी० एल०) से अनिवासी भारतीयों द्वारा नियंत्रित मैसर्स "आगरा" ग्रुप्स आफ दुबई द्वारा साम्या-पूंजी (इक्विटी) सहभागिता करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो सरकार के विचाराधीन है। मैसर्स "आगरा" ग्रुप्स ने 40% साम्या-पूंजी सहभागिता की परिकल्पना की है। पंजाब डिस्प्ले डिवाइसिज के पास पहले से ही रंगीन पिक्चर ट्यूबों के लिए एक आशय-पत्र तथा श्याम और श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) पिक्चर ट्यूबों के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस है।

(ii) मैसर्स "आगरा" ग्रुप्स द्वारा नियंत्रित इन्टरमेग्नेटिक इन्टरनेशनल लिमिटेड नामक एक ब्रिटिश वेस्टइण्डीज कम्पनी की इंटर मेग्नेटिक्स इण्डिया में 40% साम्या-पूंजी (इक्विटी) है। इन्टरमेग्नेटिक्स इण्डिया को चुम्बकीय टेपों के लिए एक आशय-पत्र तथा विदेशी सहयोग-अनुमोदन जारी किए गए हैं।

(iii) वी० एच० एस० तथा बेटामेक्स वीडियों कैसेटों के लिए मैसर्स "आगरा" ग्रुप, नई दिल्ली द्वारा नियंत्रित मैसर्स आनन्द एशिया (लाइबेरिया), दुबई। आशय-पत्र जारी कर दिया गया है और विदेशी-सहयोग के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

पार्टी द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना-रिपोर्टों का विश्लेषण करने के पश्चात ही आशय-पत्र जारी किए जाते हैं।

अनिवासी भारतीय द्वारा प्रस्तावित सभी परियोजनाएं पूर्णत: वाणिज्यिक स्वरूप की है और इनमें सरकार किसी भी प्रकार से सन्निहित नहीं होती।

जिला उद्योग केन्द्रों का कार्यकरण

10641. **श्री के० प्रधानी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यकरण का कोई सर्वेक्षण अथवा मूल्यांकन किया गया है तथा उनकी पर्याप्त कमियों को बताया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा निगरानी कार्यकरण उत्पादन तथा उद्यमकर्त्ताओं द्वारा संस्थागत ऋण के समुचित उपयोग करने पर अपने नियंत्रण को और मजबूत किया जायेगा इन केन्द्रों में व्याप्त दूसरी अन्य बुराइयों को समाप्त किया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार से ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) जी, हां 1 जुलाई, 1980 के औद्योगिक नीति विवरण के संदर्भ में केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों के अन्तर विभागीय बैंक उच्च स्तरीय दल द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों के कार्य का

मूल्यांकन किया गया था। अध्ययन से मोटे तौर पर यह निष्कर्ष निकला था कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम धारणात्मक रूप से लाभप्रद है, किन्तु, जिला उद्योग केन्द्रों की तकनीकी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है इसके फलस्वरूप, प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र में जिले से सम्बद्ध तकनीकी विषयों में तीन-तीन परियोजना प्रबन्धकों तक की नियुक्ति करके कार्यकारी प्रबन्धकों की संख्या कम कर जिला उद्योग केन्द्रों का पुनर्गठन करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। केन्द्रीय, क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर पर विद्यमान चार स्तरीय मानीटरिंग प्रणाली सुदृढ़ बनाई जा रही है, ताकि यदि कोई खामी हो, तो उसका पता लगाया जा सके और सुधारात्मक अभ्युपाय किए जा सकें।

विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले सरकारी संगठनों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

10642. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जो विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले सार्वजनिक संगठनों से सम्बद्ध है तथा जिन्हें सरकार के विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबन्ध को मजबूत बनाने तथा क्रियान्वित करने के प्रस्ताव के अनुसरण में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) इस प्रकार के प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध जांच के कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या किसी मामले में जांच पूरी कर ली गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदुलारी सिन्हा) : (क) चूंकि मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है, इसलिए इस अवस्था में ब्यौरे प्रस्तुत करना उचित होगा।

(ख) जांच-पड़ताल के लिए लिया जाने वाला समय प्रत्येक मामले के स्वरूप पर निर्भर होगा। जांच पूरी करने के लिए कोई तारीख बताना कठिन होगा।

(ग) अभी तक कोई जांच पूरी नहीं की गई है।

दक्षिण दिल्ली में अग्नि-शमन केन्द्र की व्यवस्था

10643. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण दिल्ली में कोई अग्नि-शमन केन्द्र नहीं है ;

(ख) क्या अग्नि-शमन केन्द्र की स्थापना के लिए भीखाजी कामा बाजार में कुछ भूमि नियत करने का प्रस्ताव था ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा वहां अग्नि-शमन केन्द्र कब तक काम करना शुरू कर देगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा आग सम्बन्धी खतरे से सरकार का कैसे सुरक्षा प्रदान करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) दक्षिणी दिल्ली में तीन अग्नि-शमन केन्द्र स्थित हैं। ये मथुरा रोड, सफदरजंग और चाणक्यपुरी में हैं। इसके अतिरिक्त चलते-फिरते नागरिक संकटकालीन बल के अग्नि-शमन यूनिट बदरपुर-मेहरोली रोड पर स्थित हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) 2000 वर्ग मीटर का एक भूखण्ड, भुगतान किए जाने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भीखाजी कामा जिला केन्द्र में एक अग्नि शमन केन्द्र के निर्माण के लिए निर्धारित किया गया है। भूमि का कब्जा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लिया जायेगा तथा अग्नि शमन केन्द्र चालू करने के लिए आगे कार्यवाई उसके बाद की जाएगी।

(घ) भीखाजी कामा प्लेस के लिए अग्नि सुरक्षा सुविधा इस समय चाणक्यपुरी और सफदरजंग में विद्यमान दो अग्निशमन केन्द्रों से उपलब्ध कराई जाती है।

पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उपाय

10644. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण की सुरक्षा के लिए केन्द्र तथा राज्यों द्वारा विधायी उपाय किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और आवश्यकता के अनुसार क्या वर्तमान कानून में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है ;

(ग) यदि हां, तो पर्यावरणीय सुरक्षा समिति द्वारा सरकार को किन-किन परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है तथा अधिनियमों में संशोधन के लिए केन्द्र तथा राज्यों द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ;

(घ) क्या केन्द्र तथा राज्यों द्वारा अनियंत्रित व्यापारिक हित से पर्यावरण के दूषित होने को रोकने के लिए कोई कार्यकारी कार्यवाही की गई हैं ;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जल और वायु प्रदूषण के संरक्षण और नियंत्रण, वनों का संरक्षण और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए अधिनियम पर्यावरणीय संरक्षण के लिए विद्यमान कानूनों में से है। आवश्यकताओं को

पूरा करने के लिए समय-समय पर कानूनों की पुनरीक्षा करने और उनको आधुनिक बनाने की आवश्यकता होती है।

(ग) पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रशासनिक तंत्र और विधायी उपायों की सिफारिश करने हेतु सरकार द्वारा स्थापित उच्चाधिकार समिति ने पर्यावरण से सम्बन्धित कानूनों की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस प्रश्न की विधि मंत्रालय के परामर्श से जांच की जा रही है।

(घ) जी, हां।

(ङ) पर्यावरण के अवक्रमण को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों में परियोजना के अनुमोदन से पूर्व पर्यावरणीय आंकलन, बहिस्रावों और निस्सरणों की निकासी के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से स्वीकृति और वन संरक्षण की दृष्टि से अनुमोदन प्राप्त करना शामिल है।

विस्थापित आदिवासियों का पुनर्वास

10645. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालयों को सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत मध्यम और बड़े उद्योगों के कारण विस्थापित हुए आदिवासियों के पुनर्वास के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन मार्ग निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ;

(ग) उनके मन्त्रालय ने विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास के लिए राज्यों को क्या मार्ग निर्देश जारी किए है ;

(घ) क्या उद्योग के लाभ लागत अनुपात का हिसाब करते समय पुनर्वास की लागत को भी गिना जाता है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ङ) सरकारी उद्यम ब्यूरो ने सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों/उद्यमों को समय-समय पर ये अनुदेश जारी किए हैं कि इन उपक्रमों में व्यक्तियों की की जाने वाली भर्ती के सम्बन्ध में, परियोजना के लिए अधिगृहीत किए गए क्षेत्रों से विस्थापित होने वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अधिमान दिया जाए। इस बात पर बल दिया गया है कि उद्यमों को आदिवासी लोगों (यदि उद्यम मुख्यतः आदिवासी क्षेत्रों में स्थित है) की भर्ती के लिए शुरू से योजना बनानी चाहिए और उन्हें राज्य सरकारों के आदिवासी कल्याण विभाग के साथ सम्पर्क भी स्थापित करने चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया है कि रोजगार के मामले में विस्थापित व्यक्तियों को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सरकारी उद्यम ब्यूरो ने उद्योग के लाभ-लागत अनुपात का अनुमान लगाते समय पुनर्स्थापन की लागत को ध्यान में रखने के बारे में कोई अनुदेश जारी नहीं किया है।

पंजाब में उग्रवादियों द्वारा विदेशी हथियारों का उपयोग

10646. **श्री छोटूभाई गामित** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में उग्रवादियों द्वारा कुछ विदेशी हथियारों का भी उपयोग किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उपयोग में लाए गए हथियारों के नाम सहित उन हथियार के बनाने वाले देशों का नाम क्या है ;

(ग) क्या सिक्ख उग्रवादियों ने उत्तर भारत के अन्य राज्यों में भूमिगत होना आरम्भ कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन उग्रवादियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में उद्योग विहीन जिलों के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करना

10647. **श्री छोटूभाई गामित** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा उद्योग विहीन कुछ जिलों में उद्योगों को स्थापित करने के लिए लाइसेंसों को जारी करने में उदार रुख अपनाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गुजरात के उन उद्योग विहीन जिलों के क्या नाम हैं जिनको पिछले दो वर्षों के दौरान लाइसेंस जारी किए गए हैं ;

(ग) उन उद्योगों के क्या नाम है जिन्हें वर्ष 1983-84 के दौरान गुजरात के उद्योग विहीन जिलों में स्थापित करने के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं ; और

(घ) उनके लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात में डांगस जिला "उद्योग रहित जिला" माना गया है।

(ग) सभी आशय-पत्रों का ब्यौरा जैसे उपक्रम का नाम, निर्माण की वस्तु और स्थान आदि की सूचना भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा उनके "मंथली न्यूज लेटर" में प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद की पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(घ) "उद्योग रहित जिलों" में उद्योगों की स्थापना करने के लिए उपलब्ध अनेक प्रोत्साहनों की घोषणा दिनांक 27-4-83 के प्रेस नोट में की गई है जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

कलिंगा ट्यूब्स का बन्द किया जाना

10648. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलिंगा ट्यूब्स प्राइवेट लि० चौदार उड़ीसा एक वर्ष से बन्द पड़ा है जिसके परिणाम स्वरूप 1000 से अधिक श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं ;

(ख) सहकारी संस्थाओं द्वारा कलिंगा ट्यूब को कुल कितनी वित्तीय वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ग) कारखाने को बन्द किए जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) कलिंगा ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड, चौदार जिसमें लगभग 790 कर्मचारी नियमित रूप से काम करते थे, 2-2-1983 से बन्द कर दिया गया है ।

(ख) सरकारी वित्तीय संस्था (निष्ठा तथा गुप्तता के सम्बन्ध में दायित्व) अधिनियम, 1983 तथा सरकारी वित्तीय संस्थाओंको नियन्त्रित करने वाले अन्य सम्बद्ध कानूनों के अनुसार यह जानकारी नहीं दी जा सकती है ।

(ग) एकक के बन्द होने के कारणों में बहुत पुराना संयन्त्र एवं उपकरण, उत्पादों की अपर्याप्त गुणवत्ता, कार्य संचालन निधियों की कमी तथा बड़ी मात्रा में संचयी हानियां शामिल हैं जिनसे यह आर्थिक तथा वाणिज्यिक दृष्टि से अलाभकारी एकक हो गया था ।

मैसर्स जे० के० सीमेंटस द्वारा किया गया कदाचार

10649. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री मैसर्स जे०के० सीमेंट्स राजस्थान द्वारा किए गए कदाचार के बारे में 11 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7130 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वह शीघ्र मुकदमा चलाने और दोषी व्यक्तियों को दंड देने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि रामराव) : दिल्ली प्रशासन ने सूचना दी है कि इस सम्बन्ध में लगभग 70 सीमेंट स्टाकिस्टों की जांच की जानी है और मामले की जांच प्राथमिकता के आधार पर हो रही है ।

भारतीय दण्ड संहिता में गोवा का एक विदेश क्षेत्र के रूप में उल्लेख

10650. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियन्त्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54 द्वारा प्रकाशित और प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक द्वारा मुद्रित भारतीय दण्ड संहिता (1860 का अधिनियम संख्या 45, जैसाकि 1 अक्तूबर, 1976 को लागू था) के 1 अक्तूबर, 1976 के दूसरे संस्करण (1 जुलाई, 1978 को पुनः मुद्रित) में पृष्ठ 25 पर धारा 108-ए के अन्तर्गत गोवा का अभी भी भारत के अंग के रूप में उल्लेख न करके एक विदेशी प्रदेश के रूप में उल्लेख किया गया है ;

(घ) क्या गोवा को अभी भी एक विदेशी क्षेत्र समझा जाता है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस चूक के लिए सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) भारतीय दंड संहिता की धारा 108-क के नीचे 1898 में शामिल किया गया दृष्टांत इस प्रकार है :—

> "भारत में कोई व्यक्ति गोवा में एक विदेशी ख को गोवा में हत्या करने के लिए उकसाता है। क हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है।"

यह दृष्टान्त प्रश्न में उल्लिखित संहिता के संस्करण में दोहराया गया है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) उक्त दृष्टांत गोवा के भारत में विलय के बाद अनुपयुक्त हो गया था और इसे नवम्बर, 1978 में राज्य सभा द्वारा पारित भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1978 में उचित दृष्टांत द्वारा प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था की गई थी। विधेयक 1979 में लोकसभा के भंग होने पर रद्द हो गया था। कुछ परिवर्तनों के साथ रद्द हुए विधेयक के आधार पर विधान पुर:स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। दृष्टान्त को संसद द्वारा ऐसे विधान के पारित किए जाने के बाद प्रतिस्थापित माना जाएगा। किसी अधिकारी की तरफ से कोई चूक नहीं हुई है और किसी के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

बुकिंग धनराशि का उपयोग करने के संबंध में मैसर्स लोहिया मशीन्स के विरुद्ध शिकायतें

10651. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसर्स लोहिया मशीन्स लि०, कानपुर द्वारा स्कूटरों की बुकिंग से एकत्रित की गई धनराशि को अपने अन्य उद्यमों में उपयोग करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सामान्य व्यक्ति के हित की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) उद्योग मन्त्रालय में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सामान्य व्यक्ति के हित की सुरक्षा के लिए मोटरगाड़ी निर्माताओं द्वारा गाड़ियों की

बुकिंग हेतु अग्रिम जमा-राशियों के रूप में इकट्ठा की गई निधियों के उपयोग के बारे में सरकार द्वारा नवम्बर, 1983 में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं।

राजस्थान में औद्योगिक लाइसेंस जारी करना

10652. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 1984 को राजस्थान में औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए सरकार के पास कितने आवेदन पत्र विचाराधीन थे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के उपबन्धों के अधीन राजस्थान में उद्योगों की स्थापना के लिए 31 मार्च 1984 को औद्योगिक लाइसेंस जारी रखने के लिए 24 आवेदन पत्र विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन थे।

उग्रवादियों द्वारा लोगों की हत्या

10653. **श्री रामजी भाई मावणि** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, चण्डीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के विभिन्न भागों में 1 मार्च, 1984 से 17 अप्रैल, 1984 के बीच उग्रवादियों द्वारा बहुत से निर्दोष लोगों की हत्या की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ;

(घ) इसके सम्बन्ध में आज तक की गई गिरफ्तारियों का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) हत्या तथा घायल होने के प्रत्येक मामले में कितना मुआवजा दिया गया है ; और

(च) ऐसे उग्रवादियों और उनकी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (च) 1 मार्च, 1984 से 17 अप्रैल, 1984 की अवधि के दौरान पंजाब में हिंसक घटनाओं में 51 व्यक्ति मारे गए। इन घटनाओं के सम्बन्ध में भा० द० सं०, शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त इन अपराधों में अन्तर्गस्त 6 व्यक्ति पुलिस के साथ मुठभेड़ों में मारे गए और एक बैंक गार्ड द्वारा मारा गया। इन घटनाओं में मारे गए 8 व्यक्तियों के नजदीकी रिश्तेदारों को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रत्येक को 10,000 रु० की राशि, दी गयी है। मारे गए एक पुलिस सहायक उप निरीक्षक और एक कांस्टेबल के परिवारों को नियमानुसार वित्तीय सहायता दी गयी।

चण्डीगढ़ में उपर्युक्त अवधि के दौरान हिंसक घटनाओं में 3 व्यक्ति मारे गए। इन घटनाओं के सम्बन्ध में भा० दं० सं०, शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के उपबन्धों के तहत मामले दर्ज किए गए हैं इन मामलों में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी है। एक मृतक व्यक्ति के आश्रितों को 5,000 रु० की राशि स्वीकृत की गई है।

उग्रवादियों की गतिविधियों को नियमित करने के लिए पंजाब और चण्डीगढ़ में प्राधिकारियों ने विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें सामरिक महत्व के स्थानों पर पुलिस टुकड़ियों को तैनात करना, छापे और नाकेबन्दी आयोजित करना, पुलिस गश्त को गहन करना और अतिरिक्त पुलिस बलों को तैनात करना सम्मिलित है।

हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"निस्टाड्स" द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ऐतिहासिक पहलू का अध्ययन

10654. **श्री रामविलास पासवान** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक संस्थान, "निस्टाड्स" अपनी अधिकांश शक्ति विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ऐतिहासिक पहलू का अध्ययन करने में खर्च कर रहा है जबकि यह कार्य ऐतिहासिक अनुसंधान निकायों द्वारा बेहतर ढंग से किया जा सकता था ;

(ख) क्या अन्य देशों में विज्ञान इतिहास का अध्ययन करने के इसके प्रयास अन्य संस्थानों द्वारा इस दिशा में किए गए कार्य को दोहराना नहीं है ; और

(ग) क्या "निस्टाड्स" ने देश की प्रौद्योगिकी नीति में किसी प्रकार का कोई योगदान दिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष इलेक्ट्रॉनिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री(श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) संस्थान अपने आप में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन में संलग्न नहीं है। समाज के साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी की परस्परक्रिया का अध्ययन "निस्टाड्स" के अनुसंधान क्षेत्रों में एक क्षेत्र है। इसके लिए प्राकृतिक विज्ञानों इन्जीनियरी, टेक्नोलॉजी और समाज-विज्ञान के क्षेत्रों में विशेषायुक्त बहुविषयक उपक्रम की आवश्यकता होती है और जिसका अनुसरण आमतौर पर ऐतिहासिक अनुसंधान निकायों द्वारा नहीं किया जा सकता।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां। संस्थान ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी नीति के क्षेत्र में बहुत से महत्वपूर्ण अध्ययन किए हैं। 1958 में विज्ञान नीति संकल्प अपनाए जाने के समय से संस्थान ने टेक्नोलॉजी की समीक्षा की है और 1958 में विज्ञान नीति संकल्प अपनाए जाने के समय से विज्ञान और टेक्नोलॉजी की प्रगति सम्बन्धी अध्ययन संस्थान ने मन्त्रिमण्डल की वैज्ञानिक सलाहकार समिति को प्रस्तुत किया है।

राजधानी में बहुओं का जलाया जाना

10655. **श्री उत्तम भाई एच०पटेल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दहेज और इस प्रकार अन्य बातों के लिए पुत्र बधुओं और भाभीओं को उनकी ससुराल वालों द्वारा जलाए जाने के बारे में दिल्ली के विभिन्न पुलिस थानों में 1 जनवरी 1984 से 17 अप्रैल, 1984 के दौरान बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) इस प्रकार जलाये जाने की घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(घ) ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है ;

(ङ) क्या जलाये जाने के ऐसे मामलों के बारे में प्रधान मन्त्री तथा गृह मन्त्री को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में की गई कार्रवाई का ब्योरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुबय्या) : (क) से(ग) गत जनवरी से 17 अप्रैल, 1984 तक की अवधि के दौरान ससुराल वालों द्वारा तंग करने के कारण विवाहित महिलाओं की मौत के 16 मामले दिल्ली पुलिस को सूचित किए गए हैं। इनमें से 14 मामलों में जलने के कारण मौतें हुई हैं और 2 मामलों में फांसी लगाने के कारण मौत हुई हैं। इनमें से 13 मामलों में दहेज के कारण तंग करने के आरोप लगाये गये हैं। और शेष तीन मामलों में तंग करने के अन्य कारण रहे हैं।

इन मामलों में से पांच मामले भा० दं० सं० की धारा 302 के अधीन दर्ज किए गए हैं और शेष भा० दं० सं० की धारा 306 के अधीन। इनमें से 10 मामलों में अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मामले में चालान किया जा चुका है और अन्य मामलों में जांच पड़ताल की जा रही हैं।

(घ) दहेज निषेध अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। दहेज की बुराई के विरुद्ध जन-सम्पर्क माध्यम और दूरदर्शन के जरिए प्रचार किया जाता है। दहेज के कारण मौत के मामलों से निपटने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए गये हैं और दहेज की शिकार महिलाओं के मृत्यु के समय घोषणा दर्ज करने के लिए विशेष मजिस्ट्रेट नियुक्ति किए गये हैं।

(ङ) और (च) जिन चार महिलाओं की पुत्रियों की पर्याप्त दहेज न लाने के कारण ससुराल वालों के यहां तथाकथित हत्या कर दी गई थी उन्होंने 28-1-1984 को प्रधान मन्त्री के निवास स्थान के निकट भूख हड़ताल की। इन महिलाओं ने कुछ अन्य संगठनों के पदाधिकारियों के साथ दहेज के कारण मौतों की घटनाओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया और वे चाहती थीं कि ऐसे सभी मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच पड़ताल की जाए। 12-2-1984 को प्रधान मन्त्री ने तान महिलाओं की बात सुनी।

इन मामलों में से एक मामले अर्थात श्रीमती रानी कुमार की मौत की जांच पड़ताल केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपी गई है और इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

हल्दिया की पेट्रो-रसायन परियोजना को मंजूरी

10656. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में पेट्रो-रसायन काम्प्लेक्स स्थापित करने का प्रस्ताव पर्यावरण विभाग के पास मंजूरी के लिए लम्बित पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को मंजूरी देने सम्बन्धी योजना और कार्यक्रम क्या है ; और

(ग) पर्यावरण विभाग इस परियोजना को सम्भवतः कितने समय में मंजूरी दे देगा ?

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) इस विभाग को पश्चिम बंगाल औद्योगिक निगम से हल्दिया में पेट्रो कैमिकल काम्पलैक्स स्थापित करने के उनके इरादे के बारे में पर्यावरणीय परामर्श के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। औद्योगिक मूल्यांकन समिति के सदस्यों ने हल्दिया का दौरा किया और हल्दिया में प्रस्तावित औद्योगिक विकास के बारे में विभिन्न सुझाव दिए और विभिन्न पर्यावरणीय पहलुओं को शामिल करने के लिए व्यापक योजनाएं तैयार करने की भी सिफारिश की। समिति के सुझावों को सम्बन्धित राज्य प्राधिकारियों को उचित कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है। सम्बन्धित प्राधिकारियों से अपेक्षित जानकारी प्राप्त हो जाने पर ही समिति हल्दिया में प्रस्तावित समग्र औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में अपनी सलाह दे सकेगी।

महिलाओं के साथ निर्मम व्यवहार और उन्हें सताया जाना

10657. **श्री भीखाभाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई संसद सदस्यों ने कुछ महिलाओं के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/ भारत सरकार के कार्यालयों में कार्य करने वाले पतियों द्वारा उनके साथ निमर्म व्यवहार किए जाने और उन्हें बताये जाने के बारे में 1982, 1983 और 1984 के दौरान उनके अभ्यावेदन अग्रेषित किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली पुलिस को संसद सदस्यों के माध्यम से ऐसे कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है ;

(ग) क्या कई अभ्यावेदन 1982 से दिल्ली पुलिस के सतर्कता विभाग के पास जांच के लिए लम्बित पड़े हैं ; और

(घ) यदि हां, तो जांच काम में तेजी लाने के लिए पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुबय्या) : जी हां, श्रीमान, कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) विवाहित महिलाओं के पतियों द्वारा उनके साथ निर्मम व्यवहार किए जाने के सम्बन्ध में संसद सदस्यों के माध्यम से 1982 में दो और 1983 में 3 अभ्यावेदन दिल्ली पुलिस को प्राप्त हुए हैं। किन्तु दिल्ली पुलिस के रिकार्ड से यह प्रकट नहीं होता कि क्या पति सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/भारत सरकार के कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं।

इन मामलों में से दो-एक भा० दं० सं० की धारा 406 और दूसरा भा० दं०सं० की धारा 306

के अधीन न्यायालय में भेजे गए हैं और विचारण के लिए लम्बित हैं। इन मामलों में से एक दिल्ली से सम्बन्धित नहीं है, एक मामला पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण रूप से निपटा दिया गया और अन्तिम मामले में कोई संज्ञेय अपराध नहीं बना है।

(ग) और (घ) 1982 का कोई मामला दिल्ली पुलिस की सतर्कता शाखा के पास जांच के लिए लम्बित नहीं है।

सातवीं परियोजना में शामिल की जाने वाली आदिवासी उपयोजनाओं की तैयारी करने लिए पैनल

10658. **श्री भीखाभाई :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना में शामिल की जाने वाली आदिवासी उपयोजना की नीति तैयार करने के लिए कितने पैनल गठित किए गये हैं ;

(ख) क्या पैनल/कार्य दल का कार्यकारी दल में जनता के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) कोई पैनल गठित नहीं किया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु नीति तथा प्राथमिकताएं तैयार करने के लिए एक कार्यकारी दल गठित किया गया है। इस कार्यकारी दल में आदिवासी समुदायों के निम्नलिखित सदस्य शामिल किए गए हैं।

1. श्री सुबोध हंसदा, भूतपूर्व संसद सदस्य, रघुनाथपुर, डा० झाड़ग्राम।

2. श्री रविन्द्र नायक, भूतपूर्व मंत्री, आदिवासी विकास, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद।

3. श्री बसन्त राव उइके, भूतपूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश, भोपाल।

4. श्री वीर भद्र सिंह, भूतपूर्व मंत्री उड़ीसा राज्य, भुवनेश्वर।

5. श्री दृगपाल शाह, भूतपूर्व संसद सदस्य, बस्तर, मध्य प्रदेश।

आदिवासी जिलों का वर्गीकरण

10659. **श्री भीखाभाई :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार ने आदिवासी जिलों का उनके पिछड़ेपन के क्रम में जैसे पिछड़ा हुआ, अधिक पिछड़ा हुआ, अत्यधिक पिछड़ा हुआ, कोई वर्गीकरण किया है ; और

(ख) क्या यह सच है कि जब तक इस प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया जाता तब तक आदिवासी उपयोजना निष्फल रहेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक पिछड़े हुए हैं। यद्यपि पिछड़ेपन की अवस्था के अनुसार इन क्षेत्रों का कोई विनिर्दिष्ट वर्गीकरण नहीं किया गया है फिर भी प्रत्येक क्षेत्र की सम्बद्ध आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। किन्तु कुछ आदिवासी जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिसके ब्यौरे 25 अप्रैल, 1984 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 8842 के उत्तर में दिए गए हैं।

देश के आदिवासी क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं शुरू करना

10660. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा देश के आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और होस्टल की सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई योजना शुरू की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित प्रत्येक योजना के लिए वर्ष 1983-84 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और प्रत्येक राज्य में इनके अन्तर्गत किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत 1984-85 के लिए निर्धारित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) जी हां श्रीमान गृह मन्त्रालय द्वारा आदिवासियों को शिक्षा तथा होस्टल की सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं शुरू की गई और 1983-84 में दी गई धनराशि और 1984-85 के लिए प्रस्तावित धनराशि इस प्रकार है :—

योजना का नाम	1983-84 में दी गई धनराशि	1984-85 के लिए आवंटित
	(रुपये लाख में)	
1. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	3190.00	3988.00
2. पुस्तक बैंक	31.61	55.00
3. शिक्षण तथा सम्बद्ध योजनाएं	28.13	70.00
4. अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कियों के छात्रावास	119.97	150.00
5. अनुसंधान तथा प्रशिक्षण	54.51	70.00
6. स्वयं सेवी संगठनों को सहायता	50.06	75.00

ये सभी योजनाएं आदिवासी क्षेत्रों में और उसके बाहर संचालित की जा रही हैं। तब तक किये गए कार्य कें ब्यौरों में चिकित्सा तथा इन्जीनियरिंग जैसे तकनीकी विषयों में अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां स्वीकृत करने, पाठ्य पुस्तकें सप्लाई करने के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के छात्रावासों में लगभग 27800 स्थानों (1982-83 तक) की व्यवस्था करना, 62 परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों दोनों के लिए) की स्थापना करना शामिल है।

अनुसूचित जातियों तथा असूनुचित जनजातियों के बारे में संयुक्त आंकड़े।

कार्यालयों में खादी की वर्दियों के स्थान पर टेरीकाट की वर्दियां

10661. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वर्दी अब खादी के स्थान पर टेरीकोट के कपड़े की बनायी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे खादी की खपत पर जो प्रभाव पड़ेगा उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सी० जी० ग्रेड एल्यूमिनियम की कमी

10662. **श्री हेमवती नंदन बहुगुणा** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सी० जी० ग्रेड एल्यूमिनियम की भारी कमी है जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता वस्तुएं तैयार करने वाले बहुत से उद्योग बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों की छटनी कर रहे हैं और देश का आर्थिक विकास पिछड़ गया है ;

(ख) क्या भारत एल्यूमिनियम कम्पनी की स्थापित क्षमता 8000 मीट्रिक टन प्रति माह से भी अधिक है जबकि वह प्रतिमाह केवल 5500 मीट्रिक टन एल्यूमीनियम का ही उत्पादन कर रही है और वह भी ऐसी स्थिति में जबकि बिजली का कोई संकट नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने यहां तक कि चौथी "पोट लाइन" के लिए भी पूरी बिजली देने की पेशकश की हैं ; और

(ग) क्या "बाल्को" में उत्पादन की कमी या चौथी "पोट लाइन" के शुरू न होने का कारण (एक) धन की कमी (दो) कुप्रबन्ध (तीन) को. अन्य कारण हैं तथा एल्यूमिनियम की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने और बहुत से एककों को रुग्ण होने से बचाने के लिए एल्यूमिनियम का उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) राज्य बिजली

कटौतियों के कारण एल्यूमिनियम प्रद्रावकों का क्षमता उपयोग कम रहा है। फलस्वरूप घरेलू उपयोग हेतु एल्यूमिनियम की उपलब्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। एल्यूमीनियम खपत उद्योगों में छंटनी के बारे में मन्त्रालय को कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) और (ग) बाल्को में इस समय तीन पोट लाइनें निर्धारित क्षमता (75,000 टन प्रति वर्ष) पर चल रही हैं। तीसरी पोटलाइन जुलाई 1983 में चालू हुई थी। शुरू की बोर्डों द्वारा लागू बिजली 3 माह की प्रवर्तन अवधि के बाद उत्पादन में काफी सुधार हुआ है और मासिक औसत उत्पादन 6000 टन से अधिक हो गया है। मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने चौथी पोट लाइन (25,000 टन वार्षिक क्षमता) के लिए अप्रैल 1984 से बिजली देने की पेशकश की है, जिसके शीघ्र चालू हो जाने की आशा है।

एल्यूमिनियम की मांग और स्वदेशी उत्पादन में अन्तर

10663. **श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) बाल्को (दो) अन्य (निजी क्षेत्र के) कारखानों के तीन वर्षों के एल्यूमिनियम उत्पादन के आंकड़े क्या हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान देश-वार (उन देशों का विवरण अलग से दें जिन्हें रुपए में भुगतान किया गया) एल्यूमिनियिम का कितना आयात किया गया ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान एल्यूमिनियम की मांग और स्वदेशी उत्पादन में कितना अन्तर रहा तथा देश में एल्यूमिनियम उत्पादन की उत्पादकवार कुल स्थापित क्षमता कितनी थी और उत्पादकों द्वारा स्थापित क्षमता प्राप्त न कर पाने के क्या कारण थे ; और

(ग) क्या एल्यूमीनियम की कमी को समय पर आयात करके पूरा किया जाता है ; यदि हां,तो गत चौदह महीनों से एल्यूमिनियम की निरन्तर भारी कमी के क्या कारण हैं और यदि इस प्रकार कमी को पूरा नहीं किया जाता है तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान एल्यूमिनियम उत्पादन तथा उत्पादक-वार स्थापित क्षमता निम्नलिखित है :—

(टनों में)

उत्पादक	1981-82 क्षमता/उत्पादन	1982-83 क्षमता/उत्पादन	1983-84 क्षमता/उत्पादन
सरकारी क्षेत्र			
बाल्को	100,000-34,754	100,000-43,454	100,000-61,338
गैर सरकारी क्षेत्र			
इन्डाल	96,170-82,474	96,170-63,380	117,000-53,885
हिन्डालको	100,000-75,675	100,000-89,172	120,000-98,485
मालको	25,000-13,860	25,000-12,140	25,000- 6,578
जोड़	321,170-206,763	321,170-208,146	362,000-220,286

कम क्षमता उपयोग मुख्यतः प्रद्रावकों को अपर्याप्त बिजली मिलने के कारण है। 1984-85 के लिए मांग और उत्पादन (विद्युत उपलब्धि के वर्तमान संकेतों पर आधारित) में लगभग 50,000 टन अन्तर रहेगा। एल्यूमिनियम की मांग और उत्पादन के अन्तर को पूरा करने के लिए आयातकर्त्ता एजेंसी खनिज और धातु व्यापार निगम गत तीन वर्षों के दौरान एल्यूमिनियम के आयात के लिए जो ठेके किए हैं वह निम्नलिखित हैं :—

(टनों में)

1981-82		1982-83		1983-84
रुपया-अदायगी	शून्य	शून्य	रुपया अदायगी क्षेत्र	
क्षेत्र				
			1. सोवियत रूस	1297
अन्य			अन्य	
1. रुमानिया	996		1. मिश्र	15901
2. वनेजुएला	5991		2. बहरीन	6498
3. फ्रांस	2494	शून्य	3. यूगासलेविया	3792
4. दुबई	2500		4. हंगरी	452
4. मिश्र	3241		5. चीन	2043
6. हालैंड	1978			
जोड़	8200	शून्य	जोड़	29983

(ग) एल्यूमिनियम की मांग और घरेलू उपलब्धि के अन्तर को पूरा करने के लिए समय-समय पर आयात किया जाता है। तकनीकी विकास महानिदेशक द्वारा एल्यूमिनियम आयात की जरूरत पर खरीद की गति, देशी उत्पादन के स्तर तथा स्टाक की उपलब्धि आदि को ध्यान में रख कर अन्तर्मंत्रालयी बैठकें करके समीक्षा की जाती हैं। वर्ष 1983-84 में देश में उपलब्ध की गई एल्यूमिनियम की मात्रा को गत 2 वर्षों की तुलना में अधिक मानते हुए इस धातु की कमी को भारी कमी नहीं कहा जा सकता।

एल्यूमिनियम का आयात

10664. **श्री हेमवती नंदन बहुगुणा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खान मंत्रालय द्वारा एल्यूमीनियम के आयात की किस्तों में अनुमति देने के क्या कारण हैं और एल्यूमिनियम की वार्षिक मांग के अनुसार पूरी मात्रा का प्रतिवर्ष समय रहते आयात क्यों नहीं किया जाता ताकि खनिज एवं धातु व्यापार निगम एल्यूमिनियम का समय पर आयात करके इसकी नियमित सप्लाई बनाए रख सकें ;

(ख) क्या खनिज एवं धातु व्यापार निगम वित्त मंत्रालय से, जोकि खान मंत्रालय की स्वीकृति के बाद अपनी स्वीकृति देने में अलग समय लेता है, मंजूरी मिलने के बाद इस धातु का आयात करने और उसकी डिलिवरी करने में तीन महीने का समय लेता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस धातु की कमी न होने देने और उपभोक्ताओं को परेशानी से बचाने के लिए खान मंत्रालय द्वारा समय रहते आयात की मंजूरी न देने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) देश में एल्यूमिनियम उत्पादन की स्थापित क्षमता आन्तरिक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। परन्तु उत्पादन अपर्याप्त है, जो प्रमुख आदान सामग्री अर्थात् विद्युत की उपलब्धि में कमी होने के कारण है। एल्यूमिनियम की मांग और देशी उत्पादन के अन्तर को पूरा करने हेतु इस धातु का आयात किया जाता है जो तकनीकी विकास महानिदेशालय की अध्यक्षता में बने अन्तर्मंत्रालयी निकाय द्वारा तिमाही बैठकों में समीक्षा करने के बाद किया जाता है, जिसमें उत्पादक भी भाग लेते हैं।

आयातित धातु को, नौवहनपत्तन के आधार पर, विभिन्न वितरण केन्द्रों पर सुलभ कराने में खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा जारी टेंडरों की तारीख से लगभग 2 से 3 महीने का समय लगता है।

आयात की मात्रा तय करने तथा प्रावस्थाक्रम और अवधि के निर्धारण के लिए वर्त्तमान नियंत्रण और सन्तुलन व्यवस्था के निम्नलिखित लाभ हैं :—

(1) विदेशी मुद्रा का खर्च न्यूनतम रखा जाता है।

(2) एल्यूमिनियम के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के प्रतिघात न्यूनतम रखे जाते हैं तथा हमें आवश्यकता से अधिक अदायगी नहीं करनी होती है ; तथा

(3) खनिज और धातु व्यापार निगम में स्टाक जमा नहीं रहता।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महिलाओं के लिए अधिक रोजगार

10665. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों के आधुनिकीकरण से देश में महिलाओं के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या आधुनिकीकरण के अलावा, महिलाओं के लिए व्यावसायिक और प्रबन्ध सम्बन्धी प्रशिक्षण शिशु गृह (क्रेच) जैसी सहायक संस्थाओं के अभाव में बेरोजगार महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है ; और

(ग) क्या सरकार, महिलाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने से पहले महिला सामाजिक संगठनों से विचार-विमर्श करेंगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिक्स और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (शिवराज वी० पाटिल) : (क) सरकार के पास यह दिखाने के लिए कोई निश्चित सूचना नहीं है कि उद्योगों के आधुनिकीकरण से सामान्यतः महिलाओं के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ख) यह बताने के लिए कोई निश्चित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि महिलाओं के लिए व्यावसायिक तथा प्रबन्ध प्रशिक्षण और क्रेचेज जैसे संस्थागत समर्थन के अभाव में महिलाओं की बेरोजगारी में वृद्धि होती है।

(ग) योजना आयोग इस बारे में उचित ध्यान दे रहा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने में महिलाओं के कल्याण, विकास तथा रोजगार के लिए महिलाओं के सामाजिक संगठन क्या योगदान दे सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए स्थापित कार्यकारी दलों में अग्रणी महिला संगठनों के प्रतिनिधि उनके सदस्य के रूप में शामिल होते हैं।

भारत में परमाणु बिजली की सम्भावना

10666. **श्री ए० के० राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पटना से अंग्रेजी में प्रकाशित दिनांक 16 जनवरी, 1984 के दैनिक "दी इण्डियन नेशन" में "तारापुर प्लांट कैन बी० रन औन औन फ्यूल" शीर्षक के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष की आशावादी टिप्पणी की ओर दिलाया गया है ; यदि हां, तो किन कारणों से इसमें रुकावट आ रही है ;

(ख) क्या उनका ध्यान दिनांक 24 दिसम्बर, 1984 के टाइम्स आफ इण्डिया में "एन-पावर परोसपैक्ट वर्सन" शीर्षक से प्रकाशित निराशावादी टिप्पणी की ओर भी दिलाया गया है ; और

(ग) उक्त दो टिप्पणियों में से कौन सी टिप्पणी भारत में परमाणु औद्योगिकी की सही स्थिति प्रकट करती है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। समृद्ध यूरेनियम के विकल्प के रूप में काम में लाए जा सकने वाले मिश्रित आक्साइड ईंधन के उत्पादन की प्रौद्योगिकी विकसित की जा चुकी है। नवम्बर, 1982 में भारत और फ्रांस के बीच हुए करार के अनुसार, इस समय फ्रांस तारापुर परमाणु बिजलीघर के ईंधन के रूप में काम में लाने के लिए समृद्ध यूरेनियम दे रहा है। भारत न्यूक्लीयर टैक्नोलाजी के क्षेत्र में बड़ी सीमा तक आत्मनिर्भर बन चुका है।

(ख) जी, हां।

(ग) टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित उपर्युक्त समाचार में दिए गए निष्कर्षों से हम सहमत नहीं हैं।

भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड IV में पदोन्नति के लिए चयन सूची

10667. **श्री भीखाभाई :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागीय पदोन्नति समिति ने 30 सितम्बर, 1978 तक रिक्त हुए 63 पदों के सम्बन्ध में भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड IV में पदोन्नति के लिए नवम्बर, 1982 में एक चयन सूची तैयार की थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त 63 रिक्त पदों का, वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1979, 1980, 1981 और 1982 के दौरान रिक्त होने वाले पदों के लिए नवम्बर, 1982 में चयन सूची तैयार न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड IV में पदोन्नति के लिए 30-9-1978 की स्थिति के अनुसार, पदोन्नति कोटे में होने वाली रिक्तियों के सम्बन्ध में नवम्बर, 1982 में 63 अधिकारियों की एक प्रवर सूची तैयार की गई थी। रिक्तियों की वर्षवार गणना का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वार्षिक रिक्तियों के आधार पर प्रवर सूची तैयार करने के सम्बन्ध में भारतीय सांख्यिकी सेवा नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। जब तक 30-9-1978 की स्थिति के अनुसार रिक्तियों के सम्बन्ध में प्रवर सूची तैयार करने की कार्रवाई पूरी नहीं कर ली जाती तब तक 30-9-1978 के बाद पदोन्नति कोटे में होने वाली रिक्तियों के सम्बन्ध में प्रवर सूची तैयार करने की कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। तथापि, 31-1 -1983 की स्थिति के अनुसार पदोन्नति कोटे में होने वाली रिक्तियों के सम्बन्ध में 34 अधिकारियों की एक अन्य प्रवर सूची 28-4-1984 को जारी कर दी गई है।

लघु एककों को नियंत्रित दर का कागज सप्लाई न करना

10668. **श्री रतन सिंह राजदा : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज निर्माता विद्यार्थियों के लिए कापियां बनाने वाले लघु एककों को नियंत्रित दर का कागज सप्लाई करने से इन्कार कर रहे हैं ; और

(ख) कागज निर्माताओं द्वारा लघु एककों को कागज सप्लाई न किये जाने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को शैक्षिक प्रयोजनों के लिए रियायती कागज का प्रयोजन-वार आबंटन करना शिक्षा मन्त्रालय का विषय है। जब कभी आबंटियों से पूर्ति न होने सम्बन्धी शिकायतें मिलती हैं, तो कागज की पूर्ति में तेजी लाने के लिए सम्बन्धित मिलों के साथ मामले के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया जाता है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के सिविल कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की जांच

10669. **श्री रतन सिंह राजवा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के बहुत से सिविल अधिकारियों द्वारा सेवा की पूरी अवधि समाप्त होने से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिये जाने के मामलों की जांच के आदेश दिये हैं ;

(ख) क्या मुख्य सतर्कता अधिकारी ने इस खराब प्रवृत्ति तथा उसकी निहित बातों के बारे में सरकार को आज से चार वर्ष पहले सावधान कर दिया था और क्या जांच से बहुत से चौकाने वाले तथ्यों का पता चला है ; और

(ग) गत 6 वर्षों की अवधि में अपनी सेवा पूरी करने से पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने सिविल अधिकारियों (पुलिस और केन्द्रीय सेवाओं सहित) ने सेवानिवृत्ति ली है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के कारणों के बारे में सरकार ने किसी प्रकार की जांच नहीं की है। अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं) नियम, 1958 में यह आवश्यक नहीं है कि स्वेच्छया सेवानिवृत्ति चाहने वाले अधिकारी स्वेच्छया सेवा निवृत्ति संबंधी अपने अनुरोध के समर्थन में कारण भी बताएं।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के त्यागपत्र/स्वेच्छया सेवा निवृत्ति के सम्बन्ध में लगभग दो वर्ष पहले कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को एक पत्र लिखा था। आयोग ने अपने पत्र में अनेक अधिकारियों के त्याग-पत्र/स्वेच्छया सेवा निवृत्ति के बारे में उल्लेख किया था और यह सुझाव दिया था कि सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने चाहिए कि प्रतिभाशाली अधिकारी सेवा से त्यागपत्र न दें। स्वेच्छया सेवा निवृत्ति न लें।

(ग) चूंकि नियमों के अधीन स्वेच्छया सेवा निवृत्ति के सम्बन्ध में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को सम्बन्धित राज्य सरकारों को और समूह "क" के अधिकारियों को सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग को सूचना देनी होती है, इसलिए विभिन्न सेवाओं के ऐसे अधिकारियों के बारे में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है जो गत छः वर्षों के दौरान स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए हों। तथापि, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मन्त्रालयों आदि से प्राप्त सूचना के अनुसार 1980-1983 की अवधि के दौरान विभिन्न सेवाओं के 387 अधिकारियों ने सेवा से स्वेच्छया सेवा-निवृत्ति ली।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और सामान्य अभ्यार्थियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बैठने के अवसरों की सीमाओं में भेदभाव

10670. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिये कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं ;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में परीक्षा में बैठने के अवसरों की कोई सीमा नहीं है और उन्हें आयु सीमा में भी पांच वर्षों की छूट दी जाती है जबकि सामान्य अभ्यर्थियों को केवल दो/तीन अवसर दिये जाते हैं ;

(ग) सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ जो उतने ही जरूरतमन्द हैं/हो सकते हैं इस भेदभाव के क्या कारण हैं ; विशेषकर उक्त भाग (ख) में उल्लिखित नियम को देखते हुए ; और

(घ) किस संवैधानिक प्रावधान के अन्तर्गत इस प्रकार का भेदभाव किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7-1/2 प्रतिशत आरक्षण है।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली केवल तीन ही परीक्षाओं अर्थात् सिविल सेवा परीक्षा, सहायक ग्रेड परीक्षा और आशुलिपिक ग्रेड परीक्षा के मामले में सामान्य प्रवर्ग के उम्मीदवारों के सम्बन्ध में ही परीक्षा में बैठने के अवसरों की संख्या (3 अवसर) पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। तथापि, इन परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए इस तरह का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली अन्य परीक्षाओं में अवसरों की संख्या के सम्बन्ध में न तो सामान्य प्रवर्गों के उम्मीदवारों पर और न ही अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मालले में ही कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं (रक्षा सेवा परीक्षा को छोड़कर)के नियमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए ऊपरी आयुसीमा में अधिक से अधिक पांच वर्ष तक छूट देने का प्रावधान है।

(ग) तथा (घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण और उन्हें दी जाने वाली अन्य अनुवर्ती रियायतों का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 16 (4) तथा अनुच्छेद 335 के अनुसरण में किया गया है और उक्त आरक्षण आदि की प्रकृति विभेद-कारी नहीं समझी गयी है।

नासिक में संगठित क्षेत्र द्वारा पुर्जे जोड़कर टेलीविजन सैट तैयार किया जाना

10671. **श्री धर्मवीर सिन्हा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संगठित क्षेत्र की फर्मों जिन्हें नासिक और अन्य पिछड़े क्षेत्रों में ब्लैक एण्ड व्हाइट अथवा रंगीन टेलीविजन सैटों के लिए लाइसेंस दिए गए हैं पंजीकृत किया गया है वास्तव में इन्हें बम्बई शहर में पुर्जे जोड़कर तैयार कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ऐसे अनधिकृत निर्माण के लिए आयात सहायता दे रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) इस बारे में इलेक्ट्रानिकी विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

तकनीकी उपलब्धियों के विषय में हिन्दी में सूचना

10672. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तकनीकी उपलब्धियों के विषय में हिन्दी में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए और जनसाधारण को खोजों के विकास में सम्बन्धित करने के लिए और हिन्दी माध्यम के द्वारा साधारण व्यक्तियों को आविष्कारों को समझने में भी सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए गए।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी नेशनल रिसर्च डिवेल्पमेंट कार्पोरेशन (एन० आर० डी० सी०), प्रौद्योगिकी के विकास, आविष्कारों के संवर्धन, तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अन्य अनुसंधान और विकास संस्थानों में विकसित प्रौद्योगिकियों के प्रचार और वाणिज्यीकरण में व्यस्त है। यह हिन्दी में निम्नलिखित सामग्री प्रकाशित करता है :—

1. मासिक पत्रिका—आविष्कार
2. पाक्षिक पत्रिका — ग्राम-शिल्प
3. एन० आर० डी० सी० के माध्यम से उपलब्ध प्रौद्योगिकियों से सम्बन्धित तकनीकी नोट्स, और ;
4. महत्वपूर्ण विवरणिकाएं, (ब्रोशूर) पैम्फलेट और इश्तहार।

यह सामग्री विस्तृत रूप से परिचालित की जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में और ग्रामीणों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने के लिए आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनियों में इन विवरणिकाओं, पुस्तिकाओं और इश्तहारों के वितरण के लिए भी व्यवस्था की जाती है। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद्, (एन० सी० एस० टी० सी०) जन साधारण में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी सूचनाओं के प्रचार के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत स्थापित की गई है। इन व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए ये सूचनाएं हिन्दी में भी वितरित की जाएंगी।

सरकारी कर्मचारियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सहायक/आशुलिपिक ग्रेड परीक्षाओं में बैठने पर रोक लगाना

10673. **श्री ए० यू० आजमी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16 (1) में देश में किसी कार्यालय में रोजगार अथवा नियुक्ति

के मामले में सभी नागरिकों के लिए सामान्य अवसर की गारंटी की व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कारण है कि संघ लोक सेवा आयोग सहायक/आशुलिपिक ग्रेड परीक्षा में तीन से अधिक अवसर की अनुमति नहीं देता है और क्या सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों पर लगी रोक को वापस लेने तथा उन्हें कितनी भी बार परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का है ; और

(ग) ऐसे अभ्यार्थियों को जो परीक्षा दे चुके हैं तथा उनके पास होने पर वह परीक्षा के लिए शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर लेते हैं, उनको परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा सहायक ग्रेड (प्रतियोगिता परीक्षा) विनियमावली, 1965/ केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा) विनियमावली, 1969 के उपबन्धों के अनुसार सहायक/आशुलिपिक ग्रेड परीक्षा में बैठने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तीन अवसर दिए जाते हैं। सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि इन परीक्षाओं में बैठने के लिए सरकारी कर्मचारियों को चाहे जितने अवसर दिए जाएं ।

(ग) उक्त विनियमों में यह अपेक्षित है कि सहायक ग्रेड परीक्षा/आशुलिपिक ग्रेड परीक्षा का पात्र होने के लिए किसी विश्वविद्यालय की डिग्री होनी चाहिए/मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए ।

वन्य जीवों का अनाधिकृत शिकार

10674. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान गैर-सरकारी लोगों और सरकारी अधिकारियों द्वारा वन्य जीवों का अनाधिकृत शिकार किए जाने की कितनी घटनाएं सरकार के ध्यान में लाई गई हैं ;

(ख) प्रत्येक मामले का ब्यौरा क्या है ;

(ग) वन्य जीवों को उचित संरक्षण देने में सरकार के असफल रहने के क्या कारण हैं ;

(घ) दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं ; और

(ङ) वन्य जीवों को उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्वजय सिंह) : (क) से (घ) गत एक वर्ष के दौरान, अभी तक वन्य-प्राणियों की अनाधिकृत शिकार की 8 घटनाओं की केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट मिली है। संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न विवरण एक में दिया है ।

(ङ) कई उपाय किए गए हैं, तथा वन्य-प्राणियों की सुरक्षा से सम्बन्धित अधिक महत्व वाले उपाय संलग्न विवरण दो में दिए गए हैं ।

विवरण-एक

1. 20-1-1983 को सीमा सुरक्षा बल की 18/60 बटालियन के 4 अधिकारियों द्वारा रेगिस्तानी राष्ट्रीय उद्यान, जैसलमेर, राजस्थान में एक चिंकारा के अनधिकृत शिकार करने की सूचना मिली है। वन्य-प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत मामला दर्ज किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है तथा इसके बाद मामला सीमा सुरक्षा बल के प्राधिकारियों को स्थानान्तरित कर दिया गया है जो इस मामले में आगे कार्यवाही कर रहे हैं, के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है।

2. इटारणा, अलवर, राजस्थान में तैनात 3/11 गोरखा राइफल्स के एक आर्मी मेजर द्वारा बहरोड़-अलवर रोड पर ततारपुर वृक्षावली में 15-2-83 को एक नीलगाय को गैर-कानूनी रूप से गोली मारने की सूचना मिली है। वन्य-प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत मामला दर्ज कर लिया गया तथा सम्बन्धित आर्मी प्राधिकारियों को भी मामले की रिपोर्ट कर दी गई थी। यह सूचना प्राप्त हुई है, कि, न्यायालय को सेना अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गई है।

3. राजस्थान में सरिसका के नजदीक राजघाट में दो व्यक्तियों को एक बाघ को मारने के संबंध में दिसम्बर, 1983 में पकड़ा गया था। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 एक मामला दर्ज किए जाने की सूचना मिली है।

4. 40 व्यक्तियों को 6-2-1983 को उड़ीसा में गहिरमठा तट के पास समुद्री कछुओं का अनधिकृत शिकार करने के सम्बन्ध में एक मोटर लांच तथा 6 नौकाओं के साथ पकड़ा गया। इस काम के लिए प्रयोग में लाये गए मोटर लांच तथा अन्य उपकरण को जब्त कर लिया गया है तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया गया है।

विवरण-दो

1. जम्मू व काश्मीर को छोड़कर जिसका अपना इसी प्रकार का कानून है, वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 अब सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों पर लागू है। यह अधिनियम अन्य बातों के साथ-साथ जंगली जानवरों तथा पक्षियों तथा उनके प्राकृतिक वासों की सुरक्षा, व्यापार तथा वाणिज्य के नियमन की व्यवस्था करता है तथा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था करता है।

2. विभिन्न वन्य-प्राणी पारि-तन्त्रों को प्रदर्शित करने के लिए, देश भर में 223 अभयारण्यों तथा 52 राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना की गई है। इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के शिकार की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है।

3. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में व्यवस्था है कि बिना केन्द्रीय सरकार की अनुमति के कोई भी वन-भूमि गैर-वनों के उपयोग में नहीं लाई जायेगी। यह अधिनियम, इस प्रकार वन्य प्राणियों के प्राकृतिक-वासों को सुरक्षा प्रदान करता है।

4. 11 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों में जंगली जानवरों को गोली मारने तथा जाल में फांसने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है। 5 अन्य राज्यों में कुछ आम-जातियों (स्पीसीज) की बहुत कम शिकार की अनुमति प्रदान की जाती है।

5. राज्य सरकारों को समय-समय पर अपने वन्य प्राणी सकन्धों तथा सुरक्षा प्रवर्तन मशीनरी के पुष्टीकरण हेतु तथा अनधिकृत शिकारियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने के लिए सलाह दी गई है।

6. उड़ीसा केन्द्रपाड़ा के नजदीक समुद्री तट के पास 3 मोटर लांचेज में सवार 29 व्यक्तियों को समुद्री कछुओं की अनधिकृत शिकार के सम्बन्ध में फरवरी, 1983 में गिरफ्तार किया गया। मोटर लांच तथा अन्य उपकरणों को जब्त किए जाने की सूचना मिली है तथा न्यायालय में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया गया है।

7. सिम्लीपाल उड़ीसा में मखाना के ग्रामीण-वन में 12-9-83 को एक खांगदार (टस्कर) हाथी का अनधिकृत शिकार करने के सम्बन्ध में 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। दोषी व्यक्तियों पर न्यायालय में मुकदमा चला है इस बात की सूचना प्राप्त हुई है।

8. जनवरी, 1983 में उड़ीसा के सिम्लीपाल टाईगर रिजर्व के क्रोड़ क्षेत्र के बाहर एक हाथी का अनधिकृत शिकार करने के बारे में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरुद्ध न्यायालय में एक मामला दर्ज किया गया।

8. 29-11-83 को उड़ीसा के कंरजिया डिवीजन में एक खांगदार (टस्कर) हाथी के मारे जाने के सम्बन्ध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तथा न्यायालय में मामला दर्ज कर दिया गया।

कलपाक्कम परमाणु ऊर्जा केन्द्र का बन्द होना

10675. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या कलपाक्कम परमाणु ऊर्जा केन्द्र बंद कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसे पुन: चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) कलपाक्कम परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट 5 अप्रैल, 1984 से लगातार काम करता रहा है।

निलम्बनाधीन सरकारी कर्मचारी को बोनस तथा एल० टी० सी० सुविधाओं की धनराशि का भुगतान

10676. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मन्त्री निलम्बनाधीन सरकारी कर्मचारी की हैसियत के बारे में 25 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8748 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सरकारी कर्मचारी को निलम्बनाधीन परिस्थिति में सरकारी कर्मचारी माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसको सेवारत सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध सुविधाओं जैसे बोनस का भुगतान, एल० टी० सी० आदि की सुविधाओं से वंचित क्यों रखा जाता है ; और

(ग) क्या इस विषय पर सभी बातों को ध्यान में रखकर विचार किया जाएगा तथा इस विषय से सम्बन्ध आदेशों को सभा पटल पर रखा जाएगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1982-83 के लिए तदर्थ बोनस सम्बन्धित कर्मचारियों को तभी स्वीकार्य होता है यदि वे वर्ष के दौरान, वेतन छुट्टी सहित ड्यूटी की न्यूनतम अपेक्षित अवधि पूरी करते हों। इस प्रयोजन के लिए निलम्बन की अवधि को गिने जाने का प्रश्न केवल तभी उठेगा, जबकि उसकी बहाली होने पर निलम्बन की अवधि को ड्यूटी के रूप में माना जाता है। जहां तक छुट्टी यात्रा रियायत का सम्बन्ध है, नियमों में यह व्यवस्था है कि निलम्बनाधीन किसी सरकारी कर्मचारी की छुट्टी मंजूर न की जाए। तदनुसार ऐसा सरकारी कर्मचारी केवल अपने परिवार के सदस्यों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का दावा कर सकता है, यदि अन्यथा अनुज्ञेय हो, किन्तु अपने लिए नहीं कर सकता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं के लिए शैक्षिक अर्हता प्राप्त करना

10677. **हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग आवेदन पत्र भेजने की अन्तिम तारीख को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता मांगते हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा निर्णय करने का मानदण्ड क्या है ;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय का विचार यह निर्धारित करने का है कि अपेक्षित शैक्षिक अर्हता परीक्षा देने की तारीख को या परिणाम घोषित होने की तारीख को पूरी होनी चाहिए ताकि उन युवकों को प्रतियोगिता की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मिल सके जिन्होंने परीक्षा दी हुई है और परिणाम घोषित होने की प्रतीक्षा में हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के नियमों में, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पात्रता की शर्तें तथा परीक्षा में प्रवेश के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं भी शामिल हैं, सामान्यतः यह निर्धारित होता है कि उम्मीदवार के पास उन नियमों में निर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताएं होनी चाहिए और इसलिए संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग दोनों ही ने एकरूपता की दृष्टि से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को ऐसी तारीख के रूप में मानने की परिपाटी अपना ली है जिस तक उम्मीदवार को अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए ।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सहायक ग्रेड परीक्षा, भारतीय वन सेवा परीक्षा और आशुलिपिक परीक्षाओं जैसी कुछ परीक्षाओं के संगत नियम किसी ऐसे व्यक्ति को इन परीक्षाओं में बैठने की इजाजत नहीं देते हैं जिसने उस परीक्षा के सम्बन्ध में आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की अन्तिम तारीख तक अपेक्षित अर्हक परीक्षा पास न कर ली हो। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली अन्य परीक्षाओं (जिनकी सूची संलग्न में दी गई है) के नियमों/सूचनाओं में इस आशय का प्रावधान पहले से होता है कि उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठा हो जिसको पास कर लेने पर वह आयोग की परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हो जायेगा और कोई ऐसा उम्मीदवार जो इस तरह की किसी अर्हक परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र होगा बशर्ते कि वह सम्बन्धित परीक्षाओं के नियमों/सूचनाओं में निर्दिष्ट तारीख तक अपेक्षित अर्हक परीक्षा पास कर लेने का प्रमाण प्रस्तुत कर दे।

राउरकेला इस्पात संयंत्र में उत्पादन

10678. **श्री मनमोहन टुडु : क्या इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 को राउरकेला इस्पात संयंत्र की वार्षिक योजना में उत्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र ने उपर्युक्त वर्ष में अपने उत्पादन लक्ष्यों को पूरा कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 में राउरकेला इस्पात संयंत्र की उत्पादन कार्यनिष्पति का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) राउरकेला इस्पात कारखाने के लिए वर्ष 1983-84 के लिए निर्धारित किए गए उत्पादन लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है :—

मद	1983-84		लक्ष्य प्राप्ति (प्रतिशत)
	लक्ष्य (हजार टन)	वास्तविक (हजार टन)	
तप्त धातु	1120	1150	103
इस्पात पिंड	1064	1088	102
बिक्रेय इस्पात	848	862	103
बिक्री योग्य कच्चा लोहा	60	47	78

बिक्री योग्य कच्चे लोहे के उत्पादन में कमी बाजार की मांगें में कमी तथा "सेल" के पास अधिक स्टाक जमा होने के कारण हुई है।

विवरण

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली जिन परीक्षाओं के सम्बन्ध में अपेक्षित अर्हक परीक्षा पास करने का प्रमाण बाद की किसी तारीख को प्रस्तुत किया जाना है, उनकी सूची।

क्रम सं०	परीक्षा का नाम	परीक्षा आरम्भ/आयोजित होने की तारीख	अपेक्षित अर्हक परीक्षा पास करने का प्रमाण प्रस्तुत करने अन्तिम तारीख
1.	सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 1983	12-6-83	5-9-1983
2.	इन्जीनियरी सेवा परीक्षा, 1983	7-8-83	31-10-1983
3.	भारतीय अर्थ सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 1983	28-6-83	30-9-1983
4.	विशिष्ट श्रेणी रेलवे अप्रेंटिस परीक्षा, 1983	14-7-83	19-8-1983
5.	भू-वैज्ञानिक परीक्षा, 1983	22-3-83	30-7-1983
6.	सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 1983	10-4-83	26-8-1983
7.	सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा, मई, 1983	8-5-1983	आई० एम० ए०, एन० ए०, ए० एफ० ए० के लिए 31-12-1983 ओ० टी० एस० के लिए 30-4-1984
	अक्टूबर, 1983	23-10-1983	आई० एम० ए०, एन० ए०, ए० एफ० ए० के लिए 30-6-1984 ओ० टी० एस० के लिए 15-9-1984
8.	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा, मई, 1983	19-5-1983	30-12-1983
	दिसम्बर, 1983	27-12-1983	6-7-1983

वर्ष 1983-84 में राउरकेला इस्पात कारखाने में हुए विक्रेय इस्पात के कुल उत्पादन में विशेष इस्पात का उत्पादन 36 प्रतिशत हुआ जबकि वर्ष 1982-83 में 27 प्रतिशत हुआ था। वर्ष 1983-84 के दौरान संयंत्र में विशेष क्वालिटी/क्रिटिकल मदों (निम्नलिखित शामिल हैं) का उत्पादन अधिक हुआ है :—

	1982-83 में उत्पादन	1983-84 में उत्पादन
ब्वायलर क्वालिटी	6612	14867
सेल "मा"	2657	3473
बाई० एस० 2062	28805	41932
डी० डी०/ई० डी० डी०-एस० टी०-42 आदि एच० आर० क्वायल मध्यम कार्बन/स्ट्रिप	489	6209
एच० आर० क्वायल (सिग्नोड)	321	1760
.63 मि० मी० तथा उससे कम ठंडी वेलित चादरें व क्वायल	13394	28656
.5 मि० मी० तथा उससे कम जस्ती नाली-दार/जस्ती सादी/चादरें	15223	27538
टिन प्लेट	29685	48076
विद्युत इस्पात की चादरें	12510	15670

मध्यप्रदेश में "कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रिप्स" परियोजना स्थापित करना

10679. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में "कोल्ड रौल्ड स्टील स्ट्रिप्स" परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में अब तक ऐसी कितनी परियोजनाऐं स्थापित की गयी हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में ठंडी वेलन इकाई की स्थापना का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है, लेकिन इस समय इस राज्य में कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रिप्स के उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र की दो इकाइयों के पास आशय-पत्र है। ब्योरा इस प्रकार है :—

इकाई का नाम	स्थान	क्षमता
मैसर्स फैसे-कंक्रीट कंपनी (इण्डिया) लि०.	तहसील बदनवार जिला : धार	5,000 टन प्रतिवर्ष
मेसर्स ग्वालियर स्ट्रिप्स लि०	जिला भिन्ड	10,000 टन प्रतिवर्ष

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति से स्टेशनरी और फर्नीचर की स्थानीय खरीद

10680. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी विभागों द्वारा स्टेशनरी की और फर्नीचर की सभी वस्तु स्थानीय खरीद केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली से की जाती है ;

(ख) क्या यह समिति सरकारी विभागों की मांग को पूरा करने में असमर्थ रही है तथा इसने अनेक "अनापत्ति प्रमाणपत्र" जारी किए हैं ;

(ग) यदि हां, तो ग्राहकों के लिए अपेक्षित मांग में सभी वस्तुएं उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं तथा इस प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ; और

(घ) क्या सुपर बाजार भी सरकारी विभागों को फर्नीचर सप्लाई करता है और यदि हां, तो सुपर बाजार द्वारा फर्नीचर की बिक्री पर रोक लगाने के लिए उनके मंत्रालय का क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) भारत सरकार के मन्त्रालयों/विभागों, उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा उनके द्वारा वित्तपोषित और/अथवा नियंत्रित संगठनों को, जिनके कार्यालय दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित हैं, इस आशय के अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे लेखन सामग्री तथा कार्यालयी उपयोगिता की अन्य उपभोग्य मदों की स्थानीय खरीद केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड से करें। सामान्य कार्यालयी उपभोग की सभी वस्तुओं के सम्बन्ध में सरकारी विभागों की पूरी की पूरी मांग की पूर्ति प्राय: इस समिति द्वारा कर दी जाती है। फिर भी किसी मद विशेष की विशिष्टियों के आधार पर और किसी विशेष समय उस मद की मांग की अत्यावश्यकता के आधार पर ऐसी मद की पूर्ति अव्यावहारिक होने की स्थिति में ऐसी मदों से बारे में अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी कर दिये जाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी विभाग फर्नीचर की मदों सहित, अपनी स्थानीय खरीद सुपर बाजार सहित अन्य सुस्थापित स्रोतों से कर सकते हैं। चूंकि जब सरकारी विभागों को समिति के माध्यम से फर्नीचर की मदें उपलब्ध नहीं हो पाती तो इसकी सप्लाई सुपर बाजार द्वारा की जाती है। इसलिए ऐसी किसी बिक्री के सम्बन्ध में सुपर बाजार पर किसी प्रकार की रोक या प्रतिबंध लगाए जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा मादक द्रवों/औषधों का उपभोग करने के बारे में सर्कुलर

10681. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने सभी मन्त्रालयों और मुख्य मंत्रियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सर्कुलर जारी किया है कि सभी सरकारी कर्मचारी मादक द्रवों अथवा औषधों के उपभोग के विरुद्ध आपातकालीन स्थिति के समय जारी किए गए कड़े विनियमों का सख्ती से पालन करें तथा इस संदर्भ में मंत्रियों को सरकारी माना जाए ;

(ख) यदि हां, तो क्या आपातकालीन स्थिति के दौरान जारी सर्कुलर तथा अब जारी किए गए सर्कुलर की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) तथा (ख) ऐसे अनुदेश जारी किए गए हैं जिनमें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 22 के उपबन्धों का कड़ाई से अनुपालन करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है और अनुशासनिक प्रधिकारियों यह सुझाव दिया गया है कि वे नियम का पालन न करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे और उक्त अनुदेशों को बार-बार दोहराया भी गया है। ये अनुदेश 28-11-75 को जारी किए गए थे और इन्हें पहले 30-5-79 को और हाल ही में 29-3-1984 को एक बार फिर से दोहराया गया है। 29 मार्च 1984 के अनुदेश राज्य सरकारों के ध्यान में भी ला दिए गए हैं। इन अनुदेशों का न तो आपातकाल से कोई सम्बन्ध है और न इनमें प्रत्यक्षत: अथवा परोक्षत: किसी भी रूप में मंत्रियों का कोई हवाला ही दिया गया है। इन अनुदेशों की प्रतियां सदन के पटल पर (अनुबन्ध I, II, तथा III) रखी जाती हैं। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8385/84]

विशिष्ट और अतिविशष्ट व्यक्तियों के लिए मानदन्ड

10682. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास किसी व्यक्ति को विशिष्ट और अतिविशिष्ट व्यक्ति मानने के लिए कोई मानण्ड है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विशिष्ट और अतिविशिष्ट व्यक्तियों को क्या सुविधाएं दी गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा): (क) और (ख) सरकार ने "विशिष्ट व्यक्ति" अथवा "अतिविशिष्ट व्यक्ति" जैसे शब्दों की परिभाषा नहीं की है। फिर भी राष्ट्रपति सचिवालय से 33/पर्स/79 दिनांक 26 जुलाई, 1979 के अन्तर्गत अधिसूचित केन्द्रीय पूर्वता सारिणी से केन्द्रीय सरकार के राजकीय समारोहों के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों का पूर्वता क्रम निर्धारित होता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने पूरक पूर्वता अधिपत्र तैयार किए हैं जिनसे राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा आयोजित राजकीय समारोहों के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों का पूर्वताक्रम निर्धारित होता है।

(ग) किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को उसके द्वारा धारण किए गए पद की शर्तों के अनुसार सुविधाएं प्रदान की जाती है।

मद्रास में आयोजित कलर्कस ग्रेड परीक्षा, 1983

10683. **श्री डी० एस० ए० शिवनकाशम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग मद्रास की कलर्कस ग्रेड परीक्षा, परीक्षा, 1983 में कुल कितने उम्मीदवारों ने परीक्षा दी ; और

(ख) उनमें से कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया था ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) 1.10,360

(ख) 2,238

बिस्कुट एकक

10684. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिस्कुट निर्माता उद्योग की वृद्धि दर सन्तोषजनक नहीं है ;

(ख) देश में कुल कितने बिस्कुट एकक हैं और उनकी उत्पादन क्षमता, देश में उनकी मांग और सप्लाई की ओर उनकी निर्यात स्थिति क्या है ;

(ग) नए बिस्कुट निर्माताओं के लिए क्या प्रोत्साहन सुविधाएं उपलब्ध हैं ;

(घ) क्या उद्योग के मार्ग में आने वाली बाधाओं का पता लगा लिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है उनको दूर करने के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राम) : (क) और (ख) बिस्कुटों का निर्माण लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित है। लघु क्षेत्र में एककों से सम्बन्धित ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। देश में, संगठित क्षेत्र में 1,47,984 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की स्वीकृत क्षमता वाले 33 एकक हैं। दोनों क्षेत्रों में उत्पादन का स्तर संतोषजनक है। इस उद्योग के लिए मांग का कोई अलग लक्ष्य नहीं रखा गया है हालांकि, देश में मांग और पूर्ति की स्थिति संतोषजनक है परन्तु बिस्कुटों के निर्यात में हाल ही में मन्दी की प्रवृत्ति देखी गई है।

(ग) नए बिस्कुट निर्माताओं को वही प्रोत्साहन मिलते हैं जो लघु क्षेत्र में अन्य उद्योगों के लिए उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) के लिए उत्तर के देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के पदोन्नति प्राप्त न करने वाले कर्मचारियों का चयन ग्रेड

10685. **श्री बाबूराव परांजपे** : क्या योजना मंत्री कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन में आर्थिक

अन्वेषकों की पदोन्नति में प्रतिरोध के बारे में दिनांक 25 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8853 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर में दिए गए अनुसार अंतिम निर्णय कब तक आने की आशा है ;

(ख) क्या सरकार ने इसके लिए कोई समय निर्धारित किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) चयन ग्रेड के लाभ पदोन्नति प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के वेतनमानों में गतिरोध की तारीख से लागू होंगे ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु, ऊर्जा, अंतरिक्ष इलैक्ट्रोनिक्स और महासागर विकास विभागों में राज्यों मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : भारत सरकार के अन्य सम्बद्ध मन्त्रालयों/विभागों के साथ परामर्श से इस मामले में निर्णय लिया जाना है, इसलिए कोई समय सीमा निर्धारित करना या कोई निश्चित तिथि बताना जब तक निर्णय ले लिया जाएगा, संभव नहीं है।

दुभाषी समिति की सिफारिशों की जांच करने के लिए समय-सीमा

10686. **श्री बाबू राव परांजपे** : क्या **योजना मन्त्री** दुभाषी समिति की सिफारिशों के बारे में 25 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8762 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त उत्तर में विनिर्दिष्ट सिफारिशों की जांच करने और व्यापक अध्ययन करने में सरकार को कितना समय लगेगा ;

(ख) क्या इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है ; और

(ग) अब तक इस कार्य को पूरा न करने के क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रोनिक्स और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के स्टाफ को बढ़ाने के लिए सिफारिशों की पेचिदगियों का विस्तृत अध्ययन पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अन्य बातों के साथ-साथ इसका मुख्य कारण यह है कि स्टाफ का विस्तार करने में सतत व्यय की दायिता शामिल होती है और सभी सम्बद्ध पहलुओं की पहले जांच करनी होती है।

इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड की शिकायत सेवा

10687. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में ई० सी० टेलीविजन सैट खरीदने वालों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या इन टेलीविजन सैट मालिकों को देशबन्धु गुप्ता रोड, नई दिल्ली पर स्थित ई० सी० टी० वी० के सेवा केन्द्र में इस समय उपलब्ध एक अथवा दो टेलीफोन लाइनों के अधिक व्यस्त रहने के कारण अपनी शिकायत दर्ज कराने में अत्यधिक कठिनाई होती है ; और

(ग) क्या इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा टेलीविजन के मालिकों की शिकायतें दर्ज करने के लिए अधिक टेलीफोन लाइन प्राप्त करने अथवा अपने सेवा केन्द्र को प्रातः 8 बजे से सांय 8 बजे तक खोलने के लिए विचार किया जा रहा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है।

एल्यूमीनियम की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव

10688. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** :

श्री आर० एन० राकेश :

क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संचालकों (कण्डक्टर) के लिए प्रयोग किए जाने वाले एल्यूमीनियम की कीमतों में प्रस्तावित वृद्धि करने के परिणामस्वरूप ऊर्जा के विकास और वितरण पर अनिवार्य रूप से होने वाले कुप्रभावों के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या इस प्रकार की वृद्धि से संचालक (कण्डक्टर) बनाने वाले लघु उद्योगों और कृषि क्षेत्र पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा एल्यूमीनियम की कीमतों में प्रस्तावित वृद्धि करने के सरकारी निर्णय के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) एल्यूमीनियम के नियन्त्रित मूल्यों में 3-12-81 को की गई पिछली वृद्धि के बाद, राज्य बिजली बोर्डों ने एल्यूमीनियम प्रद्रावकों को विद्युत दरों में वृद्धि कर दी है। अन्य निवेश-सामग्री के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है, लेकिन एल्यूमीनियम उत्पादन लागत में सबसे बड़ा घटक विद्युत लागत का है। औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने एल्यूमीनियम उद्योग के लागत ढांचे के व्यापक अध्ययन के बाद एल्यूमीनियम मूल्यों में वृद्धि के सवाल पर विचार किया है। एल्यूमीनियम उपभोक्ताओं ने मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रत्यावेदन किया है, ब्यूरो की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने अब मूल्य में वृद्धि करने का निर्णय किया है।

आंध्र प्रदेश में स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं के प्रदेश सम्बन्धी विधेयक, 1981 के प्रारूप की स्वीकृति

10689. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं के प्रवेश सम्बन्धी विधेयक-1981 के प्रारूप को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं श्रीमान्।

(ख) 18 जनवरी, 1983 को आंध्र प्रदेश सरकार से विधेयक के कुछ उपबन्धों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगे गए थे। राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर प्राप्त होने के पश्चात् आगे कार्यवाही की जाएगी।

स्वचालित करघों के स्वदेशी निर्माताओं को दिए गए औद्योगिक लाइसेंस

10690. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वचालित करघों के स्वदेशी निर्माताओं को नवीनतम प्रौद्योगिकी के जैट करघे जैसी मदों का निर्माण करने के लिए औद्योगिक लाइसेन्स दिए गए हैं ;

(ख) क्या इससे उनके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब एक बार सरकार उसी उपकरण के लिए शुल्क रहित आयात की अनुमति देती है क्योंकि देशी मशीन निर्माता 20 प्रतिशत शुल्क पर मशीन-आयातों के साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकते जबकि उन्हें पुर्जों पर 76 प्रतिशत आयात शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होता है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) इस समय आधुनिकतम करघों जैसे एयर जेट और वाटर जेट करघों का स्वदेशी उत्पादन नहीं हो रहा है। स्वदेशी उत्पादकों में से एक उत्पादक ने जिसे एयर जेट करघों के निर्माण की अनुमति दी गई है, ऐसे करघों का अभी उत्पादन शुरू करना है।

(ख) सितम्बर, 1983 में घोषित योजना में आधुनिकतम करघों जैसे एयर जेट करघों और वाटर जेट करघों का रियायती शुल्क दर पर आयात करने की अनुमति दी गई है पर शर्त यह है कि इन मशीनों के 75 प्रतिशत उत्पादन का 8 वर्षों तक निर्यात किया जायेगा। चूंकि इस योजना में देश में अनुपलब्ध मशीनों के आयात की परिकल्पना की गई है अतः आयात के कारण प्रतिस्पर्धा में स्वदेशी मशीन निर्माताओं को हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

आकर्षक पुरस्कार देकर, उपभोक्ता वस्तुओं का विक्रय सम्वर्धन

10691. **श्री धर्मवीर सिन्हा** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाग्यशाली व्यक्तियों की आकर्षक पुरस्कार देकर उपभोक्ता वस्तुओं के विक्रय

सम्वर्धन को रोकने के लिए कोई अधिनियम हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि कुछ मामलों में, विक्रय सम्वर्धन के लिए नारा लिखने (बुद्धि) और एक विशेष लेवल या कैप (अवसर) प्राप्त करने के बाद भाग्यशाली व्यक्ति को आकर्षक पुरस्कार मिलता है ;

(ग) क्या दिल्ली में ऐसे विक्रय सम्वर्धन अभियान करने की कानूनी तौर पर अनुमति है ;

(घ) क्या सरकार ने हैवरसन कम्पनी के उत्पाद "रश" के विक्रय सम्वर्धन अभियान का अध्ययन किया है जिसमें "डी" अंकित क्राउन, जो बहुत कम और सीमित है, प्राप्त करने वाला व्यक्ति भाग्यशाली होता है और इसे बुद्धि का खेल बनाने के लिए कहा जाता है ; और

(ङ) क्या दिल्ली में वर्तमान नियमों के अनुसार ऐसा करने की अनुमति है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) सरकार को यह जानकारी है कि बिक्री सम्वर्धन के ऐसे मामले हैं जिनमें पुरस्कार जीतने के लिए भाग्य और बुद्धि दोनों तत्व हैं। दिल्ली में वस्तुओं की बिक्री के ऐसे सम्वर्धन के विरुद्ध कोई कानून नहीं हैं ।

(घ) तथा (ङ) सरकार ने रश के निर्माताओं का समाचार पत्रों में "ज्वाइन द रश टू डिस्नेलैंड कण्टेस्ट" शीर्षक का विज्ञापन देखा है । जैसा कि पहले कहा गया है बुद्धि और भाग्य दोनों के आधार पर दिए गए पुरस्कारों द्वारा बिक्री सम्वर्धन के विरुद्ध दिल्ली में कोई विशिष्ट कानून लागू नहीं हैं ।

हिन्दालको (बिड़ला उद्योग गृह) के विरुद्ध बकाया धनराशि)

10692. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्यूमीनियम विनियमन खाते में हिन्दालको (बिड़ला उद्योग समूह) के विरुद्ध 36 करोड़ रु० से अधिक धनराशि बकाया है और उसने इस धनराशि का भुगतान नहीं किया है ;

(ख) यह धनराशि कब से बकाया है ;

(ग) क्या सरकार का इस भारी बकाया धनराशि पर ब्याज वसूल करने का विचार है ;

(घ) इस धनराशि को वसूल न करने के क्या कारण हैं और

(ङ) सरकार द्वारा इसे वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा ब्याज सहित इस धनराशि को बिड़ला उद्योग गृह से कब तक वसूल कर लिया जायेगा ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) से (ङ) हिंडालको ने सर्वोच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेशों के आधार पर एल्यूमीनियम विनियमन खाते में देय राशि का भुगतान रोक दिया था। यह समग्र देय राशि 4-10-79 से 31-8-83 तक की अवधि के लिए 35,67,27,630/- रु० थी। हिन्डालको ने अन्तरिम आदेशों के अनुसार 2.5

करोड़ रु० अदा कर दिए तथा शेष 33,17,27,630/- रु० की राशि बकाया रही। न्यायालयों में मामले के विचाराधीन रहते हुए हिन्डालको से मामले को न्यायालय के बाहर इस आधार पर सुलझाने की कोशिश की गई कि वह सरकार द्वारा यथा आकलित समूची देय राशि की देनदारी बिना शर्त स्वीकार करे। हिन्डालको ने शर्त स्वीकार कर ली तथा मामला न्यायालय के बाहर सुलझा लिया गया है। अब समग्र बकाया राशि 33,17,27,630/- रु० है। यह भी स्वीकार किया गया था कि 10,42,29,128 रु० की राशि हिन्डालको को एल्यूमीनियम विनियमन खाते में से प्रति पूर्ति की जाने योग्य थी, क्योंकि यह राशि उस अतिरिक्त बिजली प्रभार के रूप में थी जो हिन्डालको ने 30-6-80 से 31-8-83 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को, जुलाई, 1980 में सरकार द्वारा हिन्डालको को किए गए वादे के अनुसरण में वास्तव में अदा की थी। इस प्रकार 4-10-79 से 31-8-1983 तक की अवधि की शुद्ध देय राशि 22,74,98,502 रुपये बनती है। हिन्डालको को इस शुद्ध देय राशि की अदायगी 47,39,552 रुपये प्रति किश्त की दर से 48 बराबर मासिक किश्तों में करने की अनुमति दी गई है तथा ऐसी पहली किश्त 31-1-1984 तक देय थी। हिन्डालको से एक बैंक गारण्टी देने के लिए अपेक्षा की गई थी जो प्रारम्भ में 22,74,98,502 रु० की बकाया राशि के लिए एक वर्ष हेतु वैध थी। हिन्डालको ने अब तक किश्तें देय तारीखों तक कर दी हैं। इसने एक बैंक गारण्टी भी दे दी है जो न्यायालयों में पूर्व प्रस्तुत बैंक गारण्टियों को मिलाकर कुल बकाया राशि को समाहित करने वाली है। हिन्डालको 1-9-83 से नियमित रूप में चालू देय राशि का भुगतान कर रहा है तथा उसके बाद बकाया राशि में और बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। हिन्डालको का यह भी दावा है कि उसकी देनदारी की गणना में 2.60 करोड़ रुपये की राशि की भूल थी, जो रिकार्ड में जाहिर है।

(ग) हिन्डालको द्वारा एल्यूमीनियम विनियमन खाते में देय बकाया राशि पर ब्याज लगाने का प्रश्न विचाराधीन है।

12.00

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान एक बहुत ही गम्भीर मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे बताओ क्या है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, स्थिति बहुत खराब है। क्या किया जाये ? मैं आपकी अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। लेकिन मुझे बताइए तो सही।

प्रो० मधु दण्डवते : इसी कारण मैं आपकी अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल) : महोदय, मैंने विशेषाधिकार हनन के नोटिस का जो प्रस्ताव किया था उसका क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात भी सुनूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, क्या आपने विषय को उठाने की अनुमति प्रदान कर दी है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, कोटा, बड़ौदा, तूतीकोरिन तथा तल्चर में भारी जल संयंत्रों की स्थिति बहुत खराब है। वहां पर अप्रत्याशित तकनीकी अड़चनें हैं। संयंत्रों की क्षमता के उपयोग में गिरावट आई है। उनके कार्यकरण के बारे में 'दी टाइम्स आफ इण्डिया' तथा 'दी इण्डियन एक्सप्रैस' में समाचार प्रकाशित हुए हैं (**व्यवधान**) परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ने इसके बारे में कहा है···**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है ।

(**व्यवधान**)**

प्रो० मधु दण्डवते : उन्हें कम से कम वक्तव्य तो देने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : अब ऐसे ही थोड़ा होगा । आप लिखकर दीजिए । नैक्स्ट सैशन में करवा देंगे । मैं इसे अगले सत्र में करवा दूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, चूंकि भारी जल संयंत्रों में विवाद चल रहा है, यदि आप यह टिप्पणी करें कि मन्त्री जी अगले सत्र में एक वक्तव्य देंगे, तो मैं आपकी बात से सन्तुष्ट हो सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे मेरे पास भेज दीजिए और मैं इसको उनके पास भेज दूंगा ।

(**व्यवधान**)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने विशेषाधिकार हनन के बारे में एक नोटिस दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ देर का इन्तजार कीजिए मैं शीघ्र ही आपकी भी बात सुनूंगा ।

(**व्यवधान**)

···(**व्यवधान**)···

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, आज के नवभारत टाइम्स अखबार में चार बच्चों के फोटो छपे हैं। भारत में स्व० पण्डित जवाहर लाल नेहरू के जन्म दिवस को बाल दिवस के नाम से मनाया जाता है। लेकिन···

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी बैठे हैं, देख लेंगे । आप उनको बता देना । मैं भी कह दूंगा ।

···(**व्यवधान**)···

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : आपके लिए मेरे पास और मसाला है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ और स्पष्टीकरण प्राप्त हुए हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, इस बारे में कुछ कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी को बता दिया है, मन्त्री जी देखेंगे। यह कोई थाना तो है नहीं कि हर एक रिपोर्ट दर्ज करें। बच्चों की बात है, मैंने कह दिया है।

श्री मनीराम बागड़ी : इस देश के बच्चों के साथ अन्याय है।

अध्यक्ष महोदय : अन्याय तो किसी के खिलाफ बुरा है।

श्री मनीराम बागड़ी : बेजुबान बच्चे उठा लिए गए, मां-बाप की क्या होगी। जुबान की बात और है, लेकिन बेजुबान इन्सान हैं।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी करेंगे। उनके दिल में उतना ही प्यार है, जितना आपके दिल में है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : महोदय, मैं अपने विशेषाधिकार नोटिस के बारे में स्थिति को जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सब मेरे पास हैं, मैं आपको लिखूंगा।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं प्यार की बात नहीं कह रहा हूं। हो सकता है उनको मेरे से ज्यादा प्यार हो।

अध्यक्ष महोदय : ध्यान करेंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष महोदय, 27 अप्रैल को पिछले दिनों हाऊस में कॉलिंग एटेंशन डा० राम मनोहर लोहिया होस्पिटल और देश के विभिन्न अस्पतालों के बारे में विचार किया था।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या बात कहना चाहते हैं ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उसमें हैल्थ मिनिस्टर ने गलत स्टेटमेंट दिया था, हाऊस के अन्दर।

अध्यक्ष महोदय : देख रहे हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उसका हमारे पास जवाब आ गया है। मैंने चार्ज लगाया है कि दो करोड़ रु० का घोटाला है···(व्यवधान)···मेरी बात सुन लें।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है और मैं इसको सुनना नहीं चाहता हूं। आप मेरे पास आ सकते हैं और इस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हमारे पास क्यों भेज दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यहां बात नहीं होगी। मेरे पास आकर बात कर लीजिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हाऊस का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : हाऊस का वास्ता नहीं है। यहां पर नहीं। मेरे पास आकर बात कर लीजिए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : यहां पर नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी इसकी अनुमति नहीं दी है और मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आप एक हजार दफा कहें, मेरी रूलिंग वही रहेगी।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड न किया जाये।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने कुछ नहीं सोचना है। एक बात आपको समझा दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आकर बातचीत कर सकते हैं। इससे अधिक व कम कुछ नहीं।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : बगैर किसी हस्तक्षेप के अपना काम करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के तहत कण्ट्रोलर तथा आडिटर जनरल को किसी मन्त्रालय के अधीन न रख कर सीधे राष्ट्रपति के अधीन रखा गया है। इसके बावजूद भी सी०ए०जी० के आफिस का बाइफर्केशन किया जा रहा है जिससे 70 हजार कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। सरकार को इस असंवैधानिक कार्य को तत्काल रोकना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखकर दे दीजिए। मैं इसको सरकार के पास भेज दूंगा...बस इतना ही काफी है। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, सत्र के दौरान आपने भी यह नोट किया होगा कि अंन्धे व्यक्तियों द्वारा बहुत से आंदोलन किए गए।

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कल मुझे एक याचिका प्रस्तुत की थी। उन्होंने आकर मुझे अभ्यावेदन दिया था। मैंने इसको गृह मन्त्री के पास भेज दिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वर्ष 1981 में अशक्त व्यक्तियों के लिए एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया था और इसको अभी तक पुरःस्थापित नहीं किया गया है। प्रधान मन्त्री के द्वारा भी एक आश्वासन दिया गया था। तथापि, विधेयक को आज तक पुरःस्थापित नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस बात को अनावश्यक रूप से क्यों बढ़ा रहे हैं ? ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा ? मैंने उनके अभ्यावेदन को पहले ही भेज दिया है। मैंने उसे भेज दिया है, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता। याचिका में उस विधेयक का उल्लेख भी किया गया है।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य) : खाद्य तेलों की कीमत इतनी बढ़ रही है, जिसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि एस० टी० सी० ने ठीक समय पर तेल खरीदने का काम नहीं किया···

अध्यक्ष महोदय : इसको नियम 377 के अन्तर्गत कहना चाहिए।

डाक्टर कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : पांच सितारा होटलों में गाय के मांस के बारे में मैंने जो प्रश्न उठाया है, क्या आपने उस पर विचार किया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार कर रहा हूं।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : लोक सभा में बंधुआ मजदूरों के सम्बन्ध में काफी चर्चा हुई है, लेकिन अब तो पत्रकारों को भी बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरठ से एक पत्र निकलता है—"दैनिक जागरण"

अध्यक्ष महोदय : यह उत्तर प्रदेश का मामला है, इसको उत्तर प्रदेश में करायें।

श्री रामविलास पासवान : वहां 4-5 साल का बांड भरवाया जाता है, जिसमें वे दूसरी जगह काम नहीं कर सकते हैं, साथ ही उनको पैसा नहीं दिया जाता है···

अध्यक्ष महोदय : अगर पढ़े-लिखे आदमी बंधुआ हो गये हैं तो दूसरे कहां जाएंगे ?

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : रामविलास जी ने जो कहा है, वह बात ठीक है। मैं इस समय अन्धों की बात उठाना चाहता हूं—वे 49 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं···

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे करवा दिया है। इसमें आपकी सहमति है और मेरी भी है।

श्री आर० एन० राकेश : अन्धों को सरकार की नाकामयाबी दिखाई दे रही है।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आज हाऊस का सत्रावसान हो रहा है। प्रो० दण्डवते जी ने हैवी वाटर प्लांट के सम्बन्ध में जो कहा है, वहां 400 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया···

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसको पहले ही नोट कर लिया है । उन्होंने मेरे पास जो भी लिखकर भेजा है मैं इसको मन्त्रालय के पास भेज दूंगा । चाहे यह जो कुछ भी है, इसको केवल अगले सत्र में लिया जायेगा ।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उसके लिए कम-से-कम कोई बयान आना चाहिए । आप कम-से-कम एक ऐसी समिति बना दीजिए जिससे गोपनीयता के पीछे जो घपला हो रहा है, वह राष्ट्र को मालूम हो जाए ।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : कल के लिए कालिंग-एटेन्शन एलाउ कर दीजिए ।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा (आरा) : बिहार में बिजली की इतनी कमी हो गई है कि गांवों में किसानों को बिजली नहीं मिल रही है···

अध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में कुछ निवेदन करना चाहते हैं तो मुझे लिखकर भेज दीजिए । आज सत्रावसान हो जाएगा, इसलिए आप जो भेजेंगे, उसे मैं उनको भेज दूंगा । मैं इसके सिवाय कुछ नहीं कर सकता ।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, आप जानते हैं कि इस सदन की पांच महिला सदस्यों ने अपनी पार्टी का ध्यान न रखते हुए सातवीं योजना के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है और महिलाओं···

अध्यक्ष महोदय : इसमें कुछ नहीं है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया हमें समाप्त करने दीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिख सकती हैं ।

श्री चिंतामणि जेना (बालासोर) : पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में पेचिश संक्रामक रोग फैला हुआ है और अब यह उड़ीसा राज्य में भी फैल रहा है । बच्चों सहित सैंकड़ों व्यक्ति पीड़ित हैं । आज का दिन सत्र का आखिरी दिन है । बीमारी पर नियन्त्रण करने के लिए मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि उड़ीसा को शीघ्र ही पर्याप्त मात्रा में औषधियां भेजी जायें ।

अध्यक्ष महोदय : हम उस पर पहले ही एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा कर चुके हैं । आप मुझे लिख सकते हैं ।

अब श्री सेठी । सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, देश में वनस्पति घी की बहुत कमी महसूस की जा रही है। इसमें ब्लैक मार्केटिंग बहुत हो रहा है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में कह तो दिया है। इस मामले पर 377 आ रहा है।

(व्यवधान)

12.11 म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

20 सितम्बर, 1981 को चौक मेहता, जिला अमृतसर में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में जांच आयोग का प्रतिवेदन, प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में ज्ञापन तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 6 अक्तूबर, 1983 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) चौक मेहता, जिला अमृतसर, में 20 सितम्बर, 1981 को पुलिस को जिन परिस्थितियों में गोली चलानी पड़ी, उनकी जांच सम्बन्धी जांच आयोग का प्रतिवेदन।

(दो) उपरोक्त प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन।

(2) उपयुक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए एल० टी० 8346/84]

पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति (संशोधन) नियम, 1983, वर्ष 1982-83 के लिए भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वार्षिक लेखे तथा लेखाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के बारे में विवरण वर्ष 1982-83 के लिए विश्व भारती, शांतिनिकेतन के वार्षिक लेखे तथा लेखाओं आदि को सभा-पटल पर रखने में विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :—

(1) पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 की धारा 31 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति (संशोधन) नियम, 1983 की एक प्रति (हिन्दीतथा अंग्रेजी संस्करण) जो 2 नवम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 815 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8347/84]

(2) भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपयुक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8349/84]

(4) विश्व भारतीय, शांति निकेतन के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(5) उपयुक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8349/84]

(6) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, के वर्ष 1981-82 और 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1982-83 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं तथा उत्तरपूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8350/84]

(7) "ट्राइबल कल्चर नांट प्रोटेक्टेड" के बारे में श्री पीयूष तिरकी के अतारांकित प्रश्न संख्या 9811 के 3 मई, 1984 को दिए गए उत्तर को शुद्ध करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8351/84]

निर्यात निरीक्षण परिषद तथा निर्यात निरीक्षण अधिकरण, भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन कलकत्ता, खेल-कूद सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली तथा पटसन विनिर्मित विकास परिषद्, कलकत्ता के वर्ष 1982-83 की वार्षिक प्रतिवेदनों के कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) निर्यात (क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 16 के उप-नियम (3) के अन्तर्गत, निर्यात निरीक्षण परिषद् तथा निर्यात निरीक्षण परिषद् तथा निर्यात निरीक्षण, अभिकरण के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परिक्षित लेखे।

(दो) निर्यात निरीक्षण परिषद् तथा निर्यात निरीक्षण अभिकरण के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8352/84]

(3) (एक) भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन, कलकत्ता, के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन, कलकत्ता के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण-हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8353/84]

(5) (एक) खेल-कूद सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) खेल-कूद सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8354/84]

(7) (एक) पटसन विनिर्मित विकास परिषद्, कलकत्ता, के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) पटसन विनिर्मित विकास परिषद्, कलकत्ता के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8355/84]

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचना

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 क की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 334 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखूंगा जो 30 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर के प्रबन्ध ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8356/84]

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचना

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : मैं श्री एन० के० पी० साल्वे की ओर से खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 1984 जो 17 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 298 में प्रकाशित हुए थे।

(2) खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 1984 जो 17 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 299 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8357/84]

1 जनवरी, 1981 से 31 मार्च 1982 तक की अवधि के लिए अल्पसंख्यक आयोग का चौथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मैं श्रीमती रामदुलारी सिन्हा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अल्पसंख्यक आयोग के 1 जनवरी, 1981 से 31 मार्च, 1982 तक की अवधि के चौथे वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8358/84]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचना

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मैं श्री पी० वेंकट सुब्बय्या की ओर से अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा (3) की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1984 जो 21 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 399 में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1984 जो 21 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 400 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8359/84]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 तथा आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग के करों के प्रशासन 1981-83 के सम्बन्ध में प्रतिवेदन

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 312 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 30 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसका आशय उन वनस्पति उत्पादों के सम्बन्ध में, जिनके विनिर्माण में चावल की भूसी का तेल प्रयोग किया जाता है, उत्पाद-शुल्क सम्बन्धी रियायत की वर्तमान योजना में कतिपय रूपभेद करने का है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8360/84]

(2) आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग के करों के प्रशासन, 1981-83 सम्बन्धी प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8361/84]

भारतीय कपड़ा निगम, बम्बई का वर्ष 1981-82 और रेशम तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्य-करण की समीक्षा

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय रूई निगम लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय रूई निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंन्त्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8362/84]

(2) (एक) रेशम और रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रेशम और रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8363/84]

12.12 म० प०

राज्य-सभा से सन्देश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महा-सचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम, 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1984 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 3 मई, 1984 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा की सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापिस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक में कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक, 1984 को, जिसे लोकसभा द्वारा अपनी 3 मई, 1684 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा की सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापिस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे संघ उत्पाद-शुल्क (विद्युत) वितरण (संशोधन) विधेयक, 1984 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 3 मई, 1984 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापिस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(चार) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उप-बन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 7 मई, 1984 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 3 मई, 1984 को पारित किए गए सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1984 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(पांच) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 115 के उप-बन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 8 मई, 1984 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 30 अप्रैल, 1984 को आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1984 में किए गए निम्नलिखित संशोधनों से सहमत हुई है :—

अधिनियम सूत्र

1. कि पृष्ठ 1 पंक्ति 1 में—

"चौंतीस" के स्थान पर 'पच्चीस' प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में—

"1983" के स्थान पर "1984" प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड 2

3. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 19 में—

"1983" के स्थान पर "1984" प्रतिस्थापित किया जाए।

———————

12.14 म० प०

याचिका समिति

18वां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी (इलाहाबाद) : मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :

(1) 18वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) समिति की 45वीं, 50वीं, 51वीं, 53वीं से 59वीं तक, 61वीं और 62वीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

———————

विशेषाधिकार समिति

8वां प्रतिवेदन

श्री आर० आर० भोले (बम्बई दक्षिण-मध्य) : मैं विशेषाधिकार समिति का 8वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———————

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, जब वे चिल्लाते हैं, तभी आप उनकी बात सुनते हैं। अब इसके बाद, जब हम चिल्लाएंगें, तो हम यहां हरेक को अपने साथ मिला लेंगे, ताकि वे हमारे साथ चिलाएं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मैं आपके साथ चिल्ला रहा हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे खास तर्क संगत बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब किन्हीं और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के लिए समय नहीं है।

श्रीमती सुशीला गोपालन (अलघी) : वास्तव में छठी योजना में उन्होंने महिलाओं के साथ न्याय नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती जी, अब कोई समय नहीं है। आप मन्त्री जी से बात कर सकती है। मैं आपके कागज-पत्र उन्हें भेज दूंगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यदि आप अपने घर में शान्ति बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए।

12.15 म० प०

मोगा में 3 मई, 1984 को हुई गिरफ्तारियों के बारे में वक्तव्य

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, 7 मई 1984 को सभा में मोगा में हुई घटनाओं तथा गिरफ्तारियों सम्बन्धी एक प्रश्न के उत्तर में गृह-मन्त्री श्री प्रकाश चन्द्र सेठी ने कहा :—

> "जहां तक मोगा में हुई घटना का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहूंगा कि 16 तारीख को 16 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। वास्तव में पुलिस की कार्रवाई के दिन 22 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 13 शस्त्र बरामद किए गए थे। बाद में पुलिस आयुक्त 3 या 4 व्यक्तियों के साथ गुरुद्वारा गए और वहां "मेटलिक डिटेक्टर" की सहायता से 2 हथगोले प्राप्त हुए। यह सच है।"

मोगा में गिरफ्तारियां 3 मई, 1984 को हुईं। फिर भी गृह मन्त्री ने 16 अप्रैल, 1984 की गिरफ्तारियों का जिक्र किया। उन्होंने यह भी कहा कि स्पष्टत: 3 मई, 1984, "पुलिस कार्रवाई" (डे आफ आपरेशन) का दिन था लेकिन उन्होंने कहा कि 22 व्यक्ति उस दिन गिरफ्तार किए गए थे।

4 मई, 1984 को गृह मन्त्री ने कहा था :

> "जहां तक कल की घटना का प्रश्न है, 16 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। यह कहना ठीक नहीं है कि वे गिरस्तार नहीं किये गए।"

अत: यह स्पष्ट है कि मन्त्री महोदय ने सभा में 7 मई, 1984 को दिये गए अपने गलत बयान द्वारा मोगा के बारे में भ्रम पैदा कर दिया है।

अत: मेरा अनुरोध है कि मन्त्री महोदय सूचना को ठीक करें।

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मैं प्रो० मधु दण्डवते का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे द्वारा दिए गए वक्तव्य में गलती को दुरुस्त किया।

आपकी अनुमति से मैं यह कहना चाहता हूं कि दिनांक 7 मई, 1984 को, मोगा में हाल में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में लोगों की गिफ्तारी के बारे में इस माननीय सभा में मैंने कुछ सूचना दी थी। मामला

अचानक ही सभा में उठाया गया था और मुझे खेद है कि जो कुछ मैंने कहा था, उसमें मामूली सी गलती हो गई थी।

सही स्थिति यह है कि दिनांक 27 अप्रैल, 1984 को, मोगा में 10 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। दिनांक 3 मई, 1984 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत, फिर 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और इनमें से छः व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 436/427 के अन्तर्गत मामले में भी गिरफ्तार किए गए। दिनांक 3 मई, 1984 को, 13 हथियार बरामद हुए। बाद में जिले के उपायुक्त गुरुद्वारा बीबी कहान कौर गए। अगले दिन 2 हथगोले बरामद किए गए।

श्री मधु दण्डवते ने यह मामला उठाया है और मैं उनकी सजगता के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जैसे भी हो, मेरा विचार अपने उन आंकड़ों को ठीक करने का था, जो असावधानी में दे गया था। अपने वक्तव्य में गलती के लिए मुझे खेद है और अपनी गलती की सभा में माफी मांगता हूं।

12.19 म०प० **(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

विभिन्न राज्यों में गेहूं और अन्य कृषि उपज की मजबूरन बिक्री और उनके मूल्य गिरने के समाचार तथा किसानों को लाभप्रद मूल्य दिलाने की आवश्यकता

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : मैं कृषि मन्त्री महोदय का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

> "विभिन्न राज्यों में गेहूं और अन्य कृषि की मजबूरन बिक्री और उनके मूल्य गिरने के समाचार तथा किसानों को मूल्य दिलाने की आवश्यकता तथा उसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

श्री योगेन्द्र मकवाना (कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री) : महोदय, माननीय सदस्यों ने विभिन्न राज्यों में गेहूं तथा अन्य कृषि उत्पादों को मजबूरी में बेचने और मूल्यों में कमी होने की सूचना तथा किसानों की लाभकारी मूल्य देने की आवश्यकता तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का उल्लेख किया है। सरकार की कृषि मूल्य नीति का उद्देश्य कृषि उत्पादकों की लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना तथा उनके हितों की रक्षा करना है। इस प्रयोजन से प्रत्येक वर्ष प्रमुख कृषि जिन्सों के अधिप्राप्ति समर्थन मूल्य घोषित किए जा रहे हैं। अधिकतर जिन्सों की खरीद सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से समर्थन मूल्यों पर की जाती है।

जनवरी, 1980 से लेकर अब तक के गत 4 वर्षों में, सरकार ने धान्य फसलों के अधिप्राप्ति या न्यूनतम समर्थन मूल्यों में 31 से 39 प्रतिशत, दलहन के मूल्यों में 40 से 71 प्रतिशत, कपास के मूल्यों में 46 प्रतिशत तथा प्रमुख तिलहनों के मूल्य में 47 से 66 प्रतिशत तक की वृद्धि की है।

उत्पादन की प्रवृत्ति मूल्य नीति के ठोस आधार की सूचक है। देश गेहूं के उत्पादन के मामले में

महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। वर्ष 1980-81 से गेहूं का उत्पादन प्रत्येक वर्ष पिछले रिकार्ड उत्पादन को पार कर रहा है और वर्तमान फसल कटाई से गेहूं का कुल उत्पादन 446 लाख मीटरी टन होने की आशा है। गत वर्ष सरकार ने 83 लाख मीटरी टन गेहूं की रिकार्ड मात्रा की खरीद की चालू मौसम में खरीद की व्यवस्था को बढ़ाया जा रहा है। गेहूं उत्पादक पांच राज्यों अर्थात पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद के लिए 6,701 केन्द्र खोले जाने की सूचना मिली है, जबकि गत वर्ष 6,071 केन्द्र खोले गए थे।

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष गेहूं की अधिप्राप्ति का स्तर 21.11 लाख मीटरी टन रहा है, जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान 12.34 लाख मीटरी टन की अधिप्राप्ति हुई थी। यह 71 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है। उपलब्ध रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि हरियाणा में बाजार के आवक की 98.3 प्रतिशत की अधिप्राप्ति हुई है। पंजाब में बाजार आवक के 99.5 प्रतिशत की अधिप्राप्ति हुई है। उत्तर प्रदेश में अधिप्राप्ति का वर्तमान स्तर 3.54 लाख मीटरी टन है, जोकि गत वर्ष इस समय तक की गई अधिप्राप्ति से 100 प्रतिशत अधिक है। राजस्थान में भी, गेहूं की अधिप्राप्ति 33.1 हजार मीटरी टन तक पहुंच गई है, जबकि गत वर्ष 5.7 हजार मीटरी टन की अधिप्राप्ति हुई थी। इन आंकड़ों से पता चलता है कि गेहूं की अधिप्राप्ति की मात्रा गत वर्ष से काफी अधिक है।

दूसरी सबसे अधिक महत्वपूर्ण धान्य फसल चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी मूल्य नीति में प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है चालू वर्ष में, चावल का उत्पादन 593.3 लाख मीटरी टन रिकार्ड स्तर तक पहुंच जाने का अनुमान है, जो गत वर्ष के उच्चतम स्तर से लगभग 55 लाख मीटरी टन अधिक है। सरकार ने पहले ही लगभग 70.9 लाख मीटरी टन चावल की अधिप्राप्ति कर ली है तथा अभी और अधिक अधिप्राप्ति की जा रही है।

सरकार द्वारा कपास, पटसन, गन्ना, मूंगफली, तोरिया और सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज आदि जैसी अन्य कई जिन्सों के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। व्यावहारिक रूप से, इन सभी जिन्सों के बाजार में मौजूदा प्रभावी मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी अधिक होते हैं।

कृषि उत्पादन की निरन्तर प्रगति से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की मूल्य नीति का अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है। बत चार वर्षों में, खाद्यान्न उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर 4 प्रतिशत से अधिक है, जो छठी पंचवर्षीय योजना के लिए परिकल्पित लक्ष्य की दर से अधिक है।

सरकार की हमेशा से यह नीति रही है कि किसानों की प्रौद्योगिकी तक पहुंच और उत्पादन के भौतिक साधनों के माध्यम से उनके हितों को बढ़ावा दिया जाए और वे उचित मूल्यों पर अपने उत्पादों का विपणन कर सके। मूल्य की स्थिति पर बराबर नजर रखी जाती है और अपने किसानों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए बाजार-मध्यस्थता, ऋण-समर्थन और अन्य सुधारात्मक उपाय किये जाते हैं।

श्री विक्रम महाजन : महोदय, सबसे पहले मैं मन्त्री जी को बधाई देता हूं, उसके बाद खाद्य उत्पादन के विकास में मदद करने सम्बन्धी तसवीर के दूसरे पहलू की बात करूंगा। जो कुछ पैदा होता है, वह सोना नहीं होता है। अतः मुझे कहानी का यह अंश भी उजागर करना है।

महोदय, यह एक सपरिचित तथ्य है कि भारत की सम्पन्नता किसानों की सम्पन्नता पर निर्भर करती है। जब तक किसान सम्पन्न नहीं होंगे, देश समृद्ध नहीं हो सकता, जैसी कि भारत के बारे में आशा करते हैं। महोदय सदैव कोई न कोई ऐसा काल निर्धारित होता है जिसके दौरान कोई देश जीवन-स्तर या सम्पन्नता स्तर की किसी विशेष उपलब्धि को प्राप्त करता है। कुछ देशों में यह काम 20 वर्षों में हो गया। कुछ अन्य देशों में इस काम में 30, 40 या 50 वर्ष तक लग गए। मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश में यह कार्य कब तक सम्पन्न हो जाएगा। जापान और हमने, वर्ष 1950 में एक साथ इस ओर कदम बढ़ाने शुरू किए थे। एक ही पीढ़ी में जापान सबसे अमीर देशों की श्रेणी में आ गया। यह अन्तिम चरण तक पहुंच चुका है। प्रश्न पैदा होता है कि क्यों ? ऐसा क्योंकर है कि जापान तथा अन्य देश यह पता लगाने के लिए कम्प्यूटरों का प्रयोग कर रहे हैं कि पानी की कब, कितनी आवश्यकता है या बीजों के बारे में यथा-स्थिति क्या है। लेकिन जहां तक भारत का सम्बन्ध है, किसानों की तो बात ही क्या करें, कृषि विश्वविद्यालय तक कृषि सम्बन्धी ब्यौरों का पता लगाने के लिए कम्प्यूटरों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार आप अन्तर खुद देख सकते हैं। जब तक आप किसान को उचित मूल्य नहीं देंगे, तब तक वह कृषि विकास सम्बन्धी सही प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कैसे करेगा। कुछ विशेष समाचार बार-बार अखबारों में छप रहे हैं और उनमें से कुछ समाचार मैं यहां पढ़ कर सुनाता हूं, ताकि यह पता लग सके कि वास्तव में क्या हो रहा है। यह 7 मार्च, 1984 का 'नवभारत टाइम्स' है। इसमें उत्तर प्रदेश की मंडियों के बारे में उल्लेख है। मुझे आशा है कि यह माननीय मन्त्री जी के ध्यान में लाया जा चुका है। लेकिन, फिर भी मैं इसे यहां पढ़कर सुनाऊंगा, ताकि, जो कुछ हो रहा है, उसकी जांच की जाए। अब देखिए, समाचार यह है। "राज्य के विभिन्न जिलों, तहसीलों और गेहूं मण्डियों से संवाद आ रहे हैं कि किसान 130-140 रुपए प्रति क्विंटल भाव पर गेहूं बेच रहा है।" तो स्थिति यह है कि किसान 130 या 140 रुपये के हिसाब से गेहूं बेच रहा है जबकि निर्धारित न्यूनतम मूल्य 152 रु० हैं। "ग्रामीण अंचलों और गांवों के छोटे हाट बाजारों में तो भाव और नीचे चले जाने की खबरें आ रही है। मतलब यह कि छोटी मण्डियों में भाव और नीचे जा रहे हैं। ' चन्द्रशेखर आजाद विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में गेहूं की उत्पादन लागत व औसत से 186 रु० प्रति क्विंटल बैठती है। कृषि मूल्य आयोग के सामने गेहूं उत्पादक राज्यों ने यदि 170 रु० प्रति क्विंटल की मांग की थी तो तर्क यही था कि किसान को न्यूनतम नहीं लाभप्रद मूल्य चाहिए।" अर्थात किसान लाभ के लिए अनुरोध कर रहा है।

दिनांक 6 मई, 1984 के 'स्टेट्समैन' में हरियाणा का जिक्र है, जिस प्रदेश के कृषि मन्त्री स्वयं हैं। 'स्टेट्समैन में कहा गया है :

> "अधिकारियों की कुव्यवस्था, सुविधाओं की कमी तथा सरकार द्वारा नियुक्त खरीद-एजेन्टों की बाधाओं से तंग आकर कुछ किसानों को अपना गेहूं हेवी अनाज मन्डी में काफी कम कीमतों पर बेचना पड़ा है। किसानों को अपना गेहूं बेचने के लिए 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।"

बारिश तथा अन्य जोखिमों का बिचौलिए और दलाल फायदा उठा रहे हैं। इस सम्बन्ध में समाचार-पत्र में आगे कहा गया है :

> "दलाल और खरीद-एजेन्ट चुपचाप उसके पास आते हैं और कहते हैं कि उसे बारिश के खतरे को देखते हुए प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। यदि वह कुछ रुपए प्रति

क्विंटल कम लेना स्वीकार करता है, तो शीघ्र ही अनाज उठाने की व्यवस्था की जा सकती है। बीस प्रतिशत तक किसान इस बहकावे में आ जाते हैं। बीस क्विंटल के पीछे उन्हें 3 रु० से 5 रु० तक धनराशि कम मिल रही है।"

इसका अर्थ यह है कि बिचौलिए के लिए और अधिक मोटा लाभ। और नुकसान किसका हो रहा है? इस प्रक्रिया में जिनको सबसे अधिक हानि हुई है। ये छोटे-छोटे किसान हैं और जो अधिक लम्बे समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते, 'स्टेट्समैन' का ही आगे उदाहरण देखें :—

"कुछ दिन पहले शादी ब्याह का मौसम शुरू हुआ है। अनेक किसानों ने गेहूं बेचना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें नगद धन चाहिए और एजेन्टों ने इस स्थिति का भरपूर लाभ उठाया है।"

प्रश्न यह उठता है कि हर वर्ष ऐसा क्यों हो रहा है, आखिरकार गेहूं तो हर वर्ष ही आता है। क्या इस बारे में कभी कोई जांच की गई है?

(व्यवधान)

समय-समय पर अवश्य यह किसी को जांच करनी चाहिए कि फलां-फलां तारीख तक मन्डी में गेहूं की फसली खेप आ जाएगी। सरकारी एजेन्सियां पहले दिन ही वहां क्यों नहीं पहुंचती है? वे कुछ समय तक क्यों इन्तजार करती हैं? यदि उन्होंने इन्तजार किया, तो क्यों इन्तजार किया। किसानों को हुए नुकसान का कौन जिम्मेदार है?

यह नुकसान छोटे किसानों का हुआ है, क्योंकि बड़े किसानों में भण्डार के रोके रखनेऔर प्रतीक्षा करने की गुन्जाइश होती है। छोटे किसाज को ही पैसे की शीघ्र आवश्यकता होती है, क्योंकि उसे उधार चुकाना होता है, उसे अपने परिवार के लिए आवश्यक वस्तुएं खरीदनी होती हैं। अतः वह पहले ही दिन मन्डी में पहुंच जाता है और औने-पौने दामों पर अपने माल को बेच देता है। अच्छे खाते-पीते किसान अपना गेहूं इस प्रकार मन्डी में नहीं बेचते, क्योंकि वे अपने माल को गोदामों में रख सकते हैं। निर्बल किसान ही पहले दिन मंडी में आता है। क्या आपने इसकी कोई जांच की और अपनी ड्यूटी का सही पालन न करने वाले किसी अधिकारी को निलम्बित किया है। यदि हां, तो आपने ऐसे कितने अधिकारियों को निलम्बित किया है, क्योंकि या तो उनकी बिचौलियों से सांठ-गांठ होती है। अथवा एजेन्टों से, यही ऐसे लोग होते हैं, जो यह देखते हैं कि जब तक ये निर्बल किसानों का गेहूं हड़प न लें तब तक सरकारी एजेन्सियों द्वारा मंडियों में अपना काम आरम्भ न किया जाये। अतः वे अधिकांश अधिकारियों के साथ भली-भांति घुल-मिल जाते हैं। और फिर बिचौलियों द्वारा निर्बल किसानों का हड़पा हुआ गेहूं सरकारी एजेन्सियों द्वारा निर्धारित मूल्य पर खरीदा जाता है। यदि इस सम्बन्ध में अभी तक किसी भी अधिकारी को निलम्बित नहीं किया गया है, तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है। अतः मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गत चार वर्षों में विभिन्न राज्यों में ऐसे कितने अधिकारियों को आरोप पत्र दिये गए अथवा निलम्बित किया गया है, जो उसे सही समय पर मंडी में नहीं पहुंचे, जब मंडी में गेहूं आना शुरू हो गया था और जिन्होंने किसानों को उचित मूल्य नहीं दिया।

दूसरे, आप अन्य राज्यों को गेहूं उत्पादक राज्यों से केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना गेहूं नहीं खरीदने देते। इस प्रकार आप जानबूझ कर किसानों को अपने उत्पाद के मूल्य कम करने को विवश

कर देते हैं। उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश पंजाब की मंडी से, सीधे ही एक राज्य के नाते गेहूं नहीं खरीद सकता, क्योंकि आप राज्यों को मंडी से सीधे ही खरीदारी करने की अनुमति नहीं देते हैं। इसक परिणाम यह होता है कि मूल्यों को जानबूझ कर कम रखा जाता है। जबकि बिचौलिया सीधे ही खरीद सकता है, लेकिन राज्य नहीं खरीद सकते। यदि आप सभी राज्यों को मन्डी से सीधे खरीदने की अनुमति प्रदान कर दें, तो किसान को स्वयं ही उचित मूल्य मिल जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। जहां तक औद्योगिक क्षेत्र का सवाल है हर वर्ष औद्योगिक क्षेत्र उत्तम मूल्य प्राप्त करता है। लेकिन अनाज उगाने वाले किसानों के मामले में आप प्रतिस्पर्धा पर रोक लगाते हैं। जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, तब तक किसानों को उत्तम मूल्य कैसे मिलेगा। यह एक और तरीका है, जिससे किसानों को प्राप्य धनराशि से बंचित रखा जा रहा है। प्रश्न यह है कि आप खरीदारों में उचित प्रतिस्पर्धा की अनुमति क्यों नहीं देते हैं ताकि गरीब किसानों को उत्तम मूल्य मिल सके?

तीसरी बात यह है कि समाज के हरे वन क्षेत्र में, जैसे कि श्रमिकों और सरकारी अधिकारियों के मामले में, उन्हें उनकी मजूरी मूल्य-सूचकांक के अनुसार वे मिलती है। प्रतिदर्ष आप उन्हें महंगाई भत्ते की किश्तें देते चले जा रहे हैं, क्योंकि मूल्य सूचकांक बढ़ रहा है। आप कृषि-उत्पादों का मूल्य भी मूल्य-सूचकांक के आधार पर निर्धारित क्यों नहीं करते? गत चार वर्षों में मूल्यों में 75 प्रतिशत वृद्धि हुई है, और आप केवल 31 प्रतिशत का भुगतान कर रहे हैं। यहां तक कि विश्वविद्यालयों ने भी यह सुझाव दिया है कि आप जो कुछ दे रहे हैं, वह उत्पादन लागत से बहुत कम है। उस दिन उद्योग मन्त्री सभा में टायरों से सम्बन्धित एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, जिस मामले में सरकार ने अत्यधिक मूल्य बढ़ जाने दिए और जवाब यह था कि "हम इसे अब औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो के पास भेजेंगे, जो यह निर्णय लेगा कि उचित मूल्य क्या है और फिर हमें उत्पादकों से मूल्य कम करने के लिए कहेंगे।" किसानों के मामले में आज दूसरों का प्रवेश नहीं चाहते हैं। अतः आप किसी भी प्रकार उनके लिए उचित मूल्य नहीं चाहते हैं। आप विदेशी मंडियों से कहीं अधिक मूल्य पर खरीद कर सकते हैं, लेकिन आप किसानों को उचित मूल्य नहीं देंगे और इसका परिणाम यह है कि अनेक मामलों में किसान नगद फसलें उगाने लगे हैं, जिससे खाद्यान्न के उत्पादन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। अभी आप भविष्य की बात नहीं सोच रहे हैं, लेकिन अनेक किसानों ने कई प्रकार की नगद-फसलें उगानी शुरू कर दी हैं। कुछ समय बाद आपको इस समस्या का सामना करना पड़ेगा और यदि आप इस ओर ध्यान दें कि गेहूं की खेती कितने एकड़ भूमि पर होनी कम हो गई है, तब आपको मेरे द्वारा कही जा रही बातों की सत्यता पता लगेगी। अतः आपको यह मालूम करना चाहिए कि वर्ष 1980 के बाद कितने एकड़ भूमि पर गेहूं की खेती करना बन्द कर दिया गया है। उत्पादन बढ़ने के अन्य कारण हैं, जैसे कि सिंचाई सुविधाएं, उन्नत किस्म के बीज और इसी प्रकार की अन्य बातें। लेकिन गेहूं की फसल के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी हुई है। इस मुद्दे की जांच की जानी चाहिए। अतः मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कितने एकड़ भूमि पर गेहूं तथा अन्य खाद्य फसलों की खेती करना बन्द कर दिया गया है।

आज गेहूं का अधिकतम भंडार मण्डी में आ चुका है। लेकिन आपके अधिकारियों ने नियम के अनुसार 'कार्य करने' का अभिमान शुरू कर दिया है। क्या यह सच है कि "नियम के अनुसार कार्य करने" का अभियान शुरू हो चुका है? यदि हां, तो इसका किसे नुकसान होगा? साफ तौर से किसानों को ही। किसानों के लिए किस विकल्प की व्यवस्था की गई है, ताकि गेहूं वसूली के कार्यक्रमों को ठेस न पहुंचे?

अन्त में, मैं यह जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश, विशेष रूप से कांगड़ा में कौन सी मण्डी

खोली गई है ? यदि कोई मंडी नहीं खोली गई है, तो क्यों नहीं खोली गई है ?

मुझे आशा है कि मंत्री जी इन मुद्दों पर विचार करेंगे और इनका उत्तर देंगे।

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने किसानों के कल्याण के बारे में और फसल कटाई का मौसम आ जाने पर खाद्यान्न की खरीद के पर्याप्त और समय पर शीघ्र प्रबन्ध करने की आवश्यकता के बारे में प्रश्न उठाए हैं।

उन्होंने भारत की स्थिति की तुलना जापान की स्थिति से की है। मुझे पक्का विश्वास है कि वे भारत की स्थिति और जिन देशों के साथ वे तुलना करना चाहते हैं, उनकी स्थिति के अन्तर को भली-भांति समझते हैं। भारत एक विशाल देश है। सिंचाई की सुविधा यहां बहुत ही कम क्षेत्र में उपलब्ध है। हमारे अधिकांश किसान छोटे किसान हैं। 75 प्रतिशत किसानों के पास दो हेक्टेयर भूमि से भी कम भूमि है। इस विकासशील देश में वह राजसहायता मुहैया कराना सम्भव नहीं है, जो जापान जैसे देश के किसानों को उपलब्ध है। वहां कृषि पर अत्याधिक राज-सहायता दी जाती है। जापान में सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी० एन० पी०) केवल कृषि उत्पाद से ही नहीं है। अनिवार्य रूप से वह एक औद्योगिक देश है। मैं जापान में कृषि उत्पाद के लिये दिए जा रहे मूल्यों और भारत में ऐसे दिए जा रहे मूल्यों के आंकड़ों के विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम यहां लाभकारी मूल्य दे रहे हैं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : नहीं।

राव वीरेन्द्र सिंह : ये समर्थन मूल्य हैं, लेकिन फिर भी लाभकारी हैं। उत्पादन लागत पर पूरी तरह ध्यान रखा जाता है। हमने यह भी निर्धारित कर रखा है कि भी कृषि मूल्य आयोग, न्यूनतम समर्थन मूल्यों या वसूली मूल्यों की सिफारिश करते समय कृषि मदों और गैर-कृषि मदों के नीच व्यापार शर्तों को ध्यान में रखें।

(व्यवधान)

यह नीति उस समय अपनाई गई, जब वर्ष 1980 में श्रीमती गांधी की यह सरकार बनी। हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों में से यह सबसे पहला निर्णय था। मैं यह दावा नहीं करता कि कृषि और गैर-कृषि वस्तुओं में व्यापार-शर्तों में पूरी समानता प्राप्त कर ली गई है। लेकिन गत चार वर्षों के दौरान हमने स्थिति में सुधार किया है। यह स्थिति कृषि क्षेत्र के हित की ओर अग्रसर है। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि अभी तक हमने 100 प्रतिशत समानता प्राप्त नहीं की है। जहां तक कृषि क्षेत्र में मूल्यों का संबंध है, गैर-कृषि वस्तुओं की तुलना में मूल्य सूचकांक की प्रतिशतता अभी कम है। लेकिन हम किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के बारे में ध्यान दे रहे हैं।

माननीय सदस्य का यह विचार है कि हमारे द्वारा दिए जा रहे मूल्यों की तुलना में उत्पादन-लागत अधिक है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के उदाहरणों का हवाला दिया है।

श्री विक्रम महाजन : मैंने चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय का हवाला दिया है।

राव वीरेन्द्र सिंह : हमने विश्वविद्यालयों से, अन्य विभिन्न एजेन्सियों से और प्रबन्ध संस्थानों से आंकड़े एकत्र किए हैं। उत्तर प्रदेश में उत्पादन लागत औसतन 138/- रुपये क्विंटल है। यह उत्पादन लागत पंजाब और हरियाणा की उत्पादन-लागत की तुलना में बहुत अधिक है, जहां पर यह लागत 120 रु० से 125 रु० प्रति क्विंटल के बीच है। यदि हम उत्पादन लागत 138/- रुपये भी लेते हैं, तो 152/- रुपये का निर्धारित मूल्य किसान के लिए लाभकारी ही है। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि वसूली-मूल्य निर्धारित करते समय सदैव लाभ की अनुमति दी जाती है।

(व्यवधान)

परन्तु ऐसे अनेक कारक हैं जो सम्भवत: किसानों को प्रभावित करते हों। उदाहरण के लिए, जैसा प्रो० रंगा ने कहा, प्राकृतिक आपदाएं हैं। परन्तु प्राकृतिक आपदाओं के मामले में किसानों की सहायता के लिए अन्य योजनाएं हैं। जैसा कि आपको पता है, पिछले दो वर्षों के दौरान, वास्तव में तभी 1980 के वर्ष से जब इस सरकार ने सत्ता सम्भाली थी, हमने प्राकृतिक आपदाओं के लिए जो सहायता दी है वह बहुत अधिक है। यह सूखा और बाढ़ आदि के लिए हैं। यहां तक कि चालू वर्ष के दौरान लगभग 35 करोड़ रुपये मुझे आंकड़ों के विषय में अधिक जानकारी नहीं है क्योंकि यह अचानक ही प्रकट होते हैं—परन्तु बाढ़ राहत कार्य हेतु बहुत ज्यादा राजसहायता उपलब्ध कराई गई है। पिछले चार वर्ष 1979-80, 1982-83 और 1983-84 के दौरान सूखे से पीड़ित राज्यों को काफी सहायता दी गई है। मैं इस बात की सम्भावना से इंकार नहीं करता कि कभी-कभी हमारे द्वारा निर्धारित मूल्यों से कुछ बाजारों में कभी-कभी कम मूल्य होते हैं। लेकिन अनेक बाजार हैं और राज्य और केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा खरीद के प्रबन्ध किए गए हैं, जैसा कि आय दिए गए आंकड़ों से जान पाएंगे, पिछले वर्ष 6000 से अधिक खरीद केंद्रों की तुलना में इस वर्ष 6700 से अधिक खरीद केन्द्र खोले गए हैं। हमने विवरण में आंकड़े दिए हुए हैं। मैं उन्हें बार-बार नहीं दोहराऊंगा। परन्तु एक संभावना है कि बाजार में देर से प्रवेश करने वाली खरीद एजेंसी कभी-कभी कुछ किसानों के लिए समस्या पैदा कर देती है। परन्तु यह कोई आम शिकायत नहीं है।

आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार के लिए खरीद करने वाली एक मात्र एजेंसी नहीं है। वास्तव में, उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में बाजार राज्य एजेंसियों को आबंटित किए गए हैं। भारतीय खाद्य निगम उत्तर प्रदेश की मंडियों में पहुंचे कुल गेहूं के 20 से 25 प्रतिशत तक की खरीद कर सकता है। पंजाब और हरियाणा में भी लगभग यही स्थिति है। मुझे बताया गया है कि हरियाणा में भारतीय खाद्य निगम द्वारा 27 प्रतिशत गेहूं की खरीद की जाएगी। और शेष 73 प्रतिशत राज्य एजेंसियों द्वारा खरीदा जाएगा। इसलिए यह कहना गलत होगा कि पूरे देश की मण्डियों से समय पर सारा अनाज खरीदने के प्रबन्ध न करने के लिए भारत सरकार की एजेंसी उत्तरदायी है।

श्री विक्रम महाजन : दोनों ही उत्तरदायी हैं।

राव वीरेन्द्र सिंह : ठीक है, दोनों ही उत्तरदायी हैं।

जहां तक दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कदम उठाए जाने का सम्बन्ध है, मेरे साथी, खाद्य मन्त्री, जो वसूली और भारतीय खाद्य निगम के प्रभारी हैं, यहां बैठे हैं और मैं नहीं समझता कि वे भी इस प्रकार

के अचानक पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जब तक कतिपय अधिकारियों, जो दोषी हैं, के विरुद्ध विभाग को कोई विशिष्ट शिकायत नहीं की जाती है, तब तक कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

(व्यवधान)

सभी राज्यों में राज्य अधिनियमों के अधीन बाजार समितियां हैं। इनका गठन बाजार समितियां किसानों के प्रतिनिधियों और चुने गए प्रतिनिधियों से किया गया है।

श्री विक्रम महाजन : आपको भली भांति पता है कि उनका नियन्त्रण किसके हाथ में है।

राव बीरेन्द्र सिंह : एक बाजार समिति में उत्पादक और मंडी के व्यापारी होते हैं और कुछ सरकार द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति-ब्लाक पक्ष से होते हैं। यह सरकार नहीं है। यह किसानों के हाथों में है। मैं हरियाणा और पंजाब के बारे में इतना ही कह सकता हूं जितना मैं जानता हूं। बाजार समिति में लगभग 19 या 20 सदस्य होते हैं, 60 प्रतिशत उत्पादक और मैं समझता हूं यही गठन अन्य राज्यों में भी हो सकता है। इसलिए यह कहना गलत है कि बाजार समितियां, जो मंडियों के प्रबन्ध और किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी हैं, सरकारी एजेंसियां हैं। व्यावहारिक रूप से वे किसानों के निकाय हैं।

(व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : यदि कोई शिकायतें हैं, तो मैं अपने माननीय मित्र श्री विक्रम महाजन से अनुरोध करता हूं कि वे श्री भागवत झा आजाद को लिखे और किसानों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए दोषी पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध निश्चय ही कार्यवाही की जाएगी।

माननीय सदस्य पूरे देश में खरीद के लिए अन्य राज्यों के साथ स्पर्धा करने वाले राज्यों की एक व्यवस्था करना चाहते हैं। यह सम्भव नहीं है। इससे भ्रान्ति पैदा हो जाएगी। यह हमारी नीतियों के विरुद्ध होगा। तब जरा भी वसूली करना सम्भव नहीं होगा। हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली विफल हो जाएगी। यह समाप्त हो जाएगी। इसलिए, अपनी एजेंसियों के माध्यम से वसूली करना राज्यों का काम है और केन्द्रीय एजेंसियां राज्य के भीतर ही खाद्यान्न की वसूली में सहायता करने के लिए है। परन्तु जहां तक किसानों का सम्बन्ध है, उन्हें किसी अन्य एजेंसी, उदाहरणार्थ व्यापारियों, को ऊंचे मूल्य पर खाद्यान्न बेचने की अनुमति है। यदि व्यापारी ऊंचे मूल्य दे सकते हैं, तो ऊंचे मूल्य पर व्यापारियों को अपना खाद्यान्न बेचने पर कोई पाबन्दी नहीं है।

माननीय सदस्य ने कहा है कि चूंकि सरकारी खरीद एजेंसियां बाजार में समय पर नहीं आई, इसलिए मूल्य हमारे घोषित मूल्य से कम हो गए।

उस स्थिति की कल्पना कीजिए जिसका किसानों को तब सामना करना पड़ेगा जब सरकारी खरीद एजेंसियां कुछ समय के लिए बाजार से बाहर रहें। व्यापारी अधिक मूल्य नहीं देंगे। वे उनका शोषण करेंगे।

श्री विक्रम महाजन : मैंने कभी नहीं कहा कि सरकारी एजेंसियां नहीं होनी चाहिएं। मैंने कहा था कि सरकार को कई एजेंसियां बनानी चाहिए ताकि किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके।

राव बीरेन्द्र सिंह : सरकार के पास अनेक एजेंसियां हैं। खरीद करने के लिए सरकार के पास भारतीय खाद्य निगम है और उसका मुकाबला व्यापारियों से है। यदि व्यापारी मुनाफा कमा सकते हैं, खाद्यान्न राज्य से बाहर भेज सकते हैं, तो इस पर कोई पाबन्दी नहीं है। हमारी नीति के अनुसार, वे अधिक मूल्य दे सकते हैं, परन्तु हमें राज्य के भीतर खरीद करने का काम राज्य एजेंसियों को ही देना पड़ता है। हम उन्हें आपस में ही कड़ी स्पर्धा करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अलामपुर कड़ी स्पर्धा की अनुमति नहीं देंगे। परन्तु यदि स्पर्धा लाभप्रद है, तो आप अनुमति देंगे।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह स्पर्धा लाभप्रद नहीं होगी। यदि राज्य खरीद करना आरम्भ कर दें, तो यह अलाभप्रद स्पर्धा होगी। परन्तु यदि राज्य पूरे देश में, प्रत्येक राज्य में बिना रोक-टोक खरीद करते हैं, तो राज्यों को केन्द्र के पास खाद्यान्न के आबंटन के लिए आने की आवश्यकता कहां रह जाती है?

श्री विक्रम महाजन : आप उन्हें अनुमति नहीं देते हैं। इसलिए वे आपके पास आते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : इसीलिए हम सार्वजनिक वितरण, उचित दर की दुकानों, जिनकी संख्या बढ़ रही है, के माध्यम से खाद्यान्न वितरित करने के लिए राज्यों के सहायतार्थ वर्ष के दौरान लगभग 200 लाख टन खाद्यान्न का रक्षित भंडार रखते हैं। अब उचित दर की दुकानों की संख्या पर्याप्त है। इसके अलावा, हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना जैसी विभिन्न रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार पर लगे हुए श्रमिकों को सस्ती दर पर खाद्यान्न सप्लाई करने का निर्णय लिया है।

प्रधान मन्त्री ने इस निर्णय की घोषणा की है। उदाहरणार्थ, विकास कार्य पर नियुक्त श्रमिकों को उचित दर की दुकानों पर 172 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर उपलब्ध गेहूं की तुलना में 150 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचा जाएगा।

ऐसी विभिन्न योजनाएं हैं जिन्हें हम पिछले कई वर्षों से क्रियान्वित कर रहे हैं और वे बहुत सफल सिद्ध हुई हैं।

मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि गेहूं का उत्पादन क्षेत्र काफी कम हो गया है। जैसा कि मेरे साथी ने वक्तव्य में अभी-अभी कहा है कि गेहूं उत्पादन में यह वृद्धि बहुत अधिक है और यह भी गेहूं के उत्पादन क्षेत्र से ही प्राप्त हुआ है, जो यदि बढ़ नहीं रहा है तो कम-से-कम स्थिर तो है। अधिकाधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं और सिंचित क्षेत्र में अधिकांशतः गेहूं अथवा धान का उत्पादन किया जा रहा है। क्योंकि ये अभी भी काफी आमदनी वाली फसलें हैं, कोई भी किसान गेहूं अथवा धान की फसल के अलावा कोई अन्य फसल नहीं लेना चाहता है। यदि आप चाहें तो मैं आंकड़े दे सकता हूं। मुझे दी गई जानकारी के अनुसार गेहूं के उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। वर्ष 1981-82 में यह क्षेत्र 221.4 लाख हेक्टर था। वर्ष 1982-83, जो कि एक सूखा वर्ष था, में गेहूं की उत्पादन क्षेत्र बढ़कर 231.5 लाख हेक्टर हो गया। इसलिए कोई कमी नहीं आई है। माननीय सदस्यों को यह गलत फहमी हो गई है।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : आरम्भ में मैं देश के किसानों, जिनके समर्पित प्रयासों से इस वर्ष खाद्यान्न का 1490 लाख टन रिकार्ड उत्पादन सम्भव हुआ है, को बधाई देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं। मैं माननीय मन्त्री और सरकार का भी धन्यवाद करता हूं जिनकी नीतियों, किसानों को दिए गए प्रोत्साहनों के परिणाम स्वरूप किसान उनका उपयोग कर सके और रिकार्ड उत्पादन को सम्भव बना सके। मैं माननीय मन्त्री से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि सरकार की कृषि नीति किसानों को लाभप्रद मूल्य और उनके हितों की सुरक्षा निश्चित करने के लिए निर्देशित थी। परन्तु फिर भी मैं माननीय मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। निःसन्देह, यह तथ्य है कि उन्होंने केन्द्रीय स्तर पर वसूली एजेंसियों की नियुक्ति की है और राज्य स्तर पर राज्य एजेंसियां भी हैं। परन्तु मैं यह कहूंगा कि हमारी वर्तमान व्यवस्था से किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमान्त किसानों, की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं किया जा रहा है। एक कृषक होने के नाते मैं अपने अनुभव से यह कह सकता हूं कि ये एजेंसियां खरीद के लिए, मान लीजिए गेहूं या चावल या आलू या अन्य कोई उत्पाद खरीदने के लिए, जिस समय बाजार में आती हैं, वह उपयुक्त समय नहीं होता है। छोटे किसान और सीमान्त किसान अपने उत्पादों को तत्काल बेचना चाहते हैं क्योंकि उन्हें सहकारी ऋणों का भुगतान करना होता है, उन्हें अपनी देय राशियों, वे ऋण जो वे विभिन्न स्रोतों यहां तक कि साहूकारों से भी लेते हैं, का भुगतान करना होता है। वे चाहते हैं कि ये एजेंसियां वहां तत्काल आ जाएं, विशेष कर दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि वे अपने उत्पादों को समय पर बेच सकें।

उड़ीसा जैसे एक पूर्वी राज्य से सम्बद्ध होने के नाते, मैं जानता हूं कि उस क्षेत्र का मुख्य उत्पाद चावल है। परन्तु मैं यह भी जानता हूं कि वसूली के लिए नियुक्त भारतीय खाद्य निगम और सहकारी समितियां बहुत देर से पहुंचती हैं। उस समय तक सीमान्त किसानों और छोटे किसानों के पास बेचने के लिए कुछ बचा नहीं रहता है। इसीलिए, इस श्रेणी के किसानों की दशा बहुत खराब है। मैंने यहां पर अनेक बार उल्लेख किया है और मन्त्री महोदय से प्रश्न भी पूछे हैं। मैं जानता हूं, माननीय मन्त्री किसानों की दशा सुधारने में बहुत रुचि रखते हैं। मुझे पता है कि वह हरियाणा के निवासी हैं। और पड़ौसी राज्य पंजाब में भी किसानों ने काफी सुधार किया है क्योंकि उन्होंने काफी उन्नति की है और उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादन आंकड़े उनके लाभ के लिए सुधरें, काफी प्रयास किए है, परन्तु उन राज्यों में, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जैसा कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई आर्थिक परामर्शदात्री समिति द्वारा उल्लेख किया गया है, चावल के उत्पादन में पिछले पांच वर्षों में कोई सुधार नहीं हुआ है। जैसा कि माननीय मन्त्री ने बताया है इसमें केवल इस वर्ष 50 लाख या इससे अधिक टन का सुधार हुआ है। आर्थिक परामर्शदात्री समिति ने यह उल्लेख किया है कि चावल के उत्पादन में कई वर्षों से गतिरोध उत्पन्न हो गया है। अतः मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि आप इसके कारणों की जांच करवाएं कि इस गतिरोध के कारण क्या है, इस सम्बन्ध में क्या कठिनाइयां हैं, ऐसी क्या बाधाएं हैं जिनके कारण चावल के उत्पादन में सुधार नहीं हुआ है। मैं उत्पादन बढ़ाने के हक में हूं। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि हरियाणा और पंजाब में उन्होंने अधिकतम उत्पादन किया है और उन्होंने चावल और गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक सफलता प्राप्त की है। मैं माननीय मन्त्री से यह आग्रह करना चाहूंगा कि वे इस बात को भी अवश्य सुनिश्चित करें कि उन राज्यों, विशेष रूप से उड़ीसा बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी और बंगाल में—मुख्य रूप से चावल उत्पादन क्षेत्रों और असम में भी उत्पादन के देश के अन्य भागों में प्राप्त की गई सफलताओं के अनुरूप न होने के कारण क्या हैं। चावल का उत्पादन बढ़ाने में क्या बाधाएं हैं? मैं माननीय मन्त्री से इसकी जांच करने का अनुरोध करता हूं।

माननीय मंत्री ने आंकड़ों में यह उल्लेख किया है कि उन्होंने वसूली मूल्यों में वृद्धि कैसे की है। परन्तु उन्होंने उत्पादन लागत का उल्लेख नहीं किया है। मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूं। उन्होंने बाद में उत्पादन लागत का उल्लेख किया है। फिर भी हमें यह भी अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि अन्य वस्तुओं के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है। जब तक किसानों को अपने उत्पाद के लिए मिलने वाले मूल्य और उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के भुगतान के बीच कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं होता है, तब तक कृषक समुदाय को कोई लाभ नहीं होगा अथवा उन्हें सन्तुष्टि नहीं मिलेगी।

अन्त में मैं विशिष्ट प्रश्न पूछूंगा। मैं उनसे पूर्ण रूपेण सहमत हूं कि उन्होंने एजेंसियां नियुक्त की हैं। भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां मौजूद हैं। परन्तु उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए एक वैकल्पिक तंत्र का पता लगाना चाहिए कि जितने भी मूल्य की वे लाभप्रद मूल्य के रूप में पेशकश कर रहे हैं उसे क्रियान्वित किया जाता है आदि—किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमान्त किसानों, को वह समय पर जब उनको उसकी अत्यधिक जरूरत है, मिल जाता है। मैं जानता हूं कि इस प्रकार के लोगों अथवा इस प्रकार की एजेंसियों को नियुक्त करना बहुत कठिन है परन्तु चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे राज्य सरकारों को, कम से कम देश के दूर-दराज और दूरस्थ क्षेत्रों में यह अनुदेश जारी करें कि यह समर्थन मूल्य किसानों को उस समय उपलब्ध कराए जाएं जब किसान को उसकी अत्यधिक आवश्यकता होती है।

अन्त में, जैसाकि मैंने पहले ही उल्लेख किया है और मैं इस बात पर बल देता हूं कि पूर्वी राज्यों में चावल का उत्पादन नहीं बढ़ा है। इसके क्या कारण हैं ? इन कारणों की जांच की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए कि उन राज्यों में चावल का उत्पादन बढ़ाया जाए और अधिकाधिक निर्धन लोगों की दशा सुधारी जाए।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं माननीय सदस्य, श्री सेठी से सहमत हूं कि अन्य राज्यों की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र में चावल का उत्पादन नहीं बढ़ा है। इसके अनेक कारण हैं। खेती करने के तरीके नवीनतम तकनीक के अनुसार नहीं हैं जिनका हमने पता लगाया है। अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रशंसनीय सीमा तक उपयोग नहीं किया जाता है, पानी की व्यवस्था भी उचित नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उर्वरकों का बहुत कम उपयोग किया जाता है। परन्तु अब हम इन पर अधिक ध्यान दे रहे हैं और जैसी कि मैंने कुछ समय पूर्व सभा में घोषणा की थी, हमने इस वर्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक नई योजना आरम्भ की है। विशेष रूप से 6 राज्यों को इसके अन्तर्गत लाया गया है। हमने एक प्रायोगिक परियोजना में कुछ प्रखण्डों का चयन किया है जहां पर किसानों को बीज के लिए राजसहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। अन्य राजसहायताएं भी उपलब्ध होंगी। किसानों को हमारे बिक्री केन्द्रों से उर्वरकों और अन्य विभिन्न वस्तुओं के छोटे पैकेट भी उपलब्ध होंगे।

1.00 म० प०

इसके अन्तर्गत लाए गए राज्यों में से उड़ीसा भी एक राज्य है और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत और वास्तव में पूरे असम को भी हमारी इस योजना में सम्मिलित किया गया है और इस योजना को सातवीं पंच वर्षीय योजना में भी लागू किया जाएगा। हमारी यह मंशा है। हम अधिक क्षेत्र और अधिक संख्या में प्रखण्डों को इसके अन्तर्गत लाएंगे। इस वर्ष इस योजना के लिए 5 करोड़ रुपए रखे गए हैं और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि उड़ीसा में भी चावल के उत्पादन में

अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। यह बढ़ रहा है। गत वर्ष के दौरान पिछले वर्षों की तुलना में उत्पादन अधिक था और इस वर्ष भी हमें आशा है कि अच्छे परिणाम निकलेंगे क्योंकि किसान उन नई तकनीकों और तरीकों को अपना रहे हैं जिनकी हम सिफारिश करते हैं और हमारे अनुसंधान संस्थान और केन्द्र विभिन्न प्रदर्शनों और हमारी विस्तार सेवाओं के माध्यम से किसानों को बेहतर फसल लेने का प्रशिक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं मानता हूं और मैंने पहले ही कहा था कि मूल्य वृद्धि कृषि क्षेत्र के पक्ष में अधिक नहीं है, परन्तु जब भी उत्पादन लागत में वृद्धि होती है, सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य भी बढ़ते हैं और जब कृषि आदानों के मूल्य बढ़ते हैं तो ऊंचे मूल्य निर्धारित करने की सिफारिश करते समय कृषि मूल्य आयोग इन पर भी विचार करता है।

माननीय सदस्य इस बात को तो मानेंगे ही कि सरकारी एजेंसियों के माध्यम से यह वसूली प्रणाली छोटे और सीमान्त किसानों की सहायता करने और उन्हें शोषण से बचाने तथा व्यापारियों द्वारा धोखेबाजी से बचाने के लिए है क्योंकि केवल छोटे और सीमान्त किसानों को ही जल्दबाजी में बिक्री का आश्रय लेना पड़ता है क्योंकि अपनी फसल काटने के बाद उन्हें धन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। बड़े किसान और धनी किसान अच्छे मूल्य के लिए अपनी फसल को बेचने से रोक सकते हैं। परन्तु छोटे किसानों के पास यह क्षमता नहीं होती है और इसलिए मैं उनसे पूर्णरूपेण सहमत हूं कि हमारी खरीद एजेंसियों को, छोटे और सीमान्त किसानों के हित में, फसल बाजार में आने पर तुरन्त बाजार में आ जाना चाहिए। वस्तुतः इसके लिए अग्रिम योजना बनानी चाहिए और मुझे आशा है कि इस बात को खाद्य मंत्रालय और राज्य सरकारों की खरीद एजेंसियों को सदैव ध्यान में रखा जाएगा। परन्तु यदि कोई त्रुटि होती है तो हमें विभिन्न स्थानों से तत्काल शिकायतें प्राप्त हो जाती हैं। जैसाकि माननीय सदस्यों ने अभी-अभी कहा था कि देश के कुछ भागों में कुछ समय से लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए कुछ निर्धन किसानों को परेशानी हुई है। परन्तु जैसाकि मैंने पहले ही वचन दिया है हम निश्चय ही इस पर ध्यान देंगे।

1.05 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजकर पांच मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर ग्यारह मिनट पर पुनः समवेत हुई

2.11 म० प० **(श्री आर० एस० स्पैरो पीठासीन हुए)**

सभापति महोदय : अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा जारी रखेंगे। श्री चित्त बसु को बोलना है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और मैंने माननीय मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य को पढ़ा है। पूरे वक्तव्य से सन्तोष की भावना

व्यक्त होती है और इसमें दिए गए तथ्य वास्तविकता से परे हैं। महोदय, यहां पर मूलभूत प्रश्न उठते हैं और मैं इस विषय अर्थात कृषि उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य के प्रश्न से सम्बन्धित मूलभूत प्रश्नों को उठाना चाहता हूं। दूसरे, मूल्य समानता का प्रश्न उठता है और तीसरे, कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित मूल्य सम्बन्धी सरकार की सम्पूर्ण नीति पर भी विचार किया जाना है।

मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री ने कृषि उत्पाद और निर्मित उत्पादों के बीच व्यापार की शर्तों का उल्लेख किया है। महोदय, यह स्वीकार किया जाएगा और मेरा विचार है उन्होंने भी स्वीकार किया है कि इन दोनों के बीच कोई समानता नहीं है और मैं सरकार, विशेष रूप से माननीय मंत्री का ध्यान केवल इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमने उद्योग के लिए कितनी कृषि की क्षति उठाई है क्योंकि आज भी हमारा उद्योग कतिपय एकाधिपत्य घरानों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के अधिकार में है और कारखानों में वस्तुओं के निर्माण के लिए कृषि उत्पाद को मूल आदान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मामले में इन दोनों के बीच समानता का भारी महत्व है। इस मामले में किसान सदैव घाटे में रहते हैं। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं कि हमारे देश में उद्योग के लिए कृषि की कितनी क्षति हुई है। वर्ष 1971-72 में उद्योग के लिए कृषि की क्षति 900 करोड़ रुपए की है।

वर्ष 1972-73 में वह घाटा बढ़कर 1200 करोड़ रुपए हो गया था जो आगे बढ़ कर वर्ष 1975-76 में 1500 करोड़ रुपए, वर्ष 1976-77 में 1680 करोड़ रुपए और 1980-81 में 4500 करोड़ रु० हो गया था। मेरे पास नवीनतम आंकड़े नहीं हैं। आप व्यवसाय की शर्त के प्रश्न पर इस मुद्दे के महत्व को समझ सकते हैं। वह इस बात से सहमत है कि कृषि के लिए व्यवसाय की शर्त अलाभकर है।

राव वीरेन्द्र सिंह : इसमें सुधार हो रहा है।

श्री चित्त बसु : मुझे इस बारे में शक है। यदि आप इस सम्बन्ध में आंकड़े दे सकें, तो मुझे प्रसन्नता होगी।

माननीय मंत्री दावा करते हैं कि स्थिति में सुधार हो रहा है, मेरे पास निर्मित वस्तुओं और कृषि उत्पादों की तुलनात्मक मूल्य समता और मूल्य सूचकांक हैं। जिनका स्रोत वर्ष 1983-84 के लिए भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण है। मेरे विचार से वही नवीनतम हैं, यदि आप दिसम्बर 1983 के आंकड़ों को लें, तो आप देखेंगे कि जहां पर निर्मित उत्पादों का सूचकांक 294.9 है, वहां कृषि उत्पादों का सूचकांक 289 है और यदि आप मूल्य समता लेते हैं, तो यह 102 है। यदि आप सारी अवधि को लेते हैं, तो आप देखेंगे कि उनमें न केवल असमानता है बल्कि असमानता को कुछ कम भी नहीं किया गया है। अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में व्यापार के साथ के प्रश्न से मेरा ज्यादा लगाव है। और मैंने यह पाया है कि निर्मित उत्पादों के सूचकांक और कृषि उत्पादों के सूचकांक के बीच जो असमानता है उसे कम नहीं किया गया है। इससे किसानों की आमदनी को धक्का लगता है। कोई यह भी तर्क कर सकता हैं कि इससे जमींदारों को सहायता मिलती है। यहां पर गरीब किसान हैं, मझोले किसान हैं, और सीमांत किसान हैं, वे ही बहुसंख्यक हैं, और उन गरीब किसानों को अपना माल भी बेचना होता है, मूल्यों में आयी किसी भी किस्म की गिरावट से सबसे अधिक नुकसान उन्हीं को होता है, इसलिए मूल्य समता का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और इस सम्बन्ध में सरकार असफल रही है। और सरकार की वर्तमान

नीति से खाई और अधिक चौड़ी हो रही है, इन दोनों के बीच की वर्तमान असमानता की खाई को कम करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है? व्यापक दृष्टि से देखें तो इसका बहुत महत्व है।

कृषि उत्पादों और निर्मित उत्पादों के मूल्यों के बीच सम्बन्ध के बारे में, मैं केवल रूई और सूती कपड़े के सम्बन्ध में हाल में 'इकोनामिक टाइम्स' में छपे एक लेख का उल्लेख करना चाहता हूं।

जिसमें निम्नलिखित कहा गया है :—

"पिछले दशक के दौरान रूई के मूल्यों की तुलना में कपड़ों के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है।"

इसका आशय बिल्कुल स्पष्ट है, इसे समझाने की मैं जरूरत नहीं समझता हूं, सार्वजनिक उपक्रमों सम्बन्धी समिति, 1981-82, की टिप्पणियों पर भी हम गौर से, समिति ने काटन कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड की जांच की थी। उसमें कपास और निर्मित कपड़े के मूल्यों के बारे में भी चर्चा की गई थी—महोदय, समिति के प्रश्नों के उत्तर में काटन कारपोरेशन आफ इण्डिया के अध्यक्ष द्वारा की गई टिप्पणी का मैं यहां पर उल्लेख करना चाहता हूं, वह कहते हैं :—

"पंजाब में उत्पादन को बनाए रखने के लिए समर्थन मूल्य भी पर्याप्त नहीं है।"

इस सम्बन्ध में मेरी जानकारी उतनी नहीं है जितनी आपकी, काटन कारपोरेशन आफ इण्डिया के अध्यक्ष कहते हैं कि पंजाब में उत्पादन को कायम रखने के लिए समर्थन मूल्य पर्याप्त नहीं है। इसका आशय भी स्पष्ट है, आगे वह कहते हैं कि काटन कारपोरेशन आफ इण्डिया (सी० सी० आई०) ने यह देखना है कि उत्पादकों को केवल समर्थन मूल्य ही नहीं, बल्कि लाभप्रद मूल्य मिलना चाहिए। समर्थन मूल्य तो न्यूनतम मूल्य है जिससे अपेक्षित लाभ सुनिश्चित नहीं होता है, जिस कारण इसके उत्पादन और विकास के लिए आगे कोई प्रोत्साहन मिलना सुनिश्चित नहीं होता है। सी० सी० आई० के अध्यक्ष का यह कथन बिल्कुल सच है कि प्रश्न समर्थन मूल्य नहीं अपितु लाभप्रद मूल्य का है।

पिछले कुछ दशकों से कपड़ों के दामों में भारी वृद्धि हो रही है और रूई के मूल्यों तथा कपड़ों में मूल्यों के बीच भारी अन्तर है, महोदय, सरकार की नीति बिल्कुल ही स्पष्ट है। रूई के मूल्य कम निर्धारित करने से कपड़ा मिल मालिकों को स्वतः ही लाभ मिल जाता है जो भारी मुनाफा कमाते हैं। इस बात को मैं पक्की तौर पर महसूस करता हूं कि इस पहलू पर विचार नहीं किया गया है। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति सिफारिश की थी कि वास्तविक उत्पादन की लागत के आधार पर सभी किस्मों की रूई के समर्थन मूल्य निर्धारित करने और उत्पादकों को पर्याप्त लाभ पहुंचाने के प्रश्न को तुरन्त कृषि मूल्य आयोग के समक्ष उठाना चाहिए। समिति का विश्वास है कि आयोग इस बारे में नये सिरे से जांच करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उनके द्वारा घोषित समर्थन मूल्य वास्तव में लाभप्रद मूल्य हैं, महोदय, निष्कर्ष स्पष्ट है, समिति का विश्वास है कि कृषि उत्पाद आयोग द्वारा रूई के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य लाभप्रद मूल्य नहीं था। मेरे विचार से इस बारे में कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। चूंकि यह एक समिति का प्रतिवेदन है, मैं एक दूसरे अध्याय में कुछ वाक्यों का उल्लेख करना चाहता हूं :—

"यह आम भावना है कि रूई उत्पादकों को उनके उत्पाद के लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहे हैं, जबकि अनेक कपड़ा मिलों के मालिक भारी मुनाफा कमा रहे हैं।"

इसलिए समिति का सुझाव है कि मंत्रालय को रूई और कपड़े के मूल्यों के बीच की सही स्थिति का पता लगाने के लिए सारे प्रश्न पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। जब भी कपड़े के दामों में मर्यादा वृद्धि होती है, तो रूई उत्पादकों को भी इसका हिस्सा मिलना चाहिए और तदनुसार रूई के दाम बढ़ाए जाने चाहिए। अब स्वाभाविक रूप से वक्तव्य में कुछ कृषि उत्पादों के मूल्यों में कुछ प्रतिशत वृद्धि न किए जाने का उल्लेख है। मेरी धारणा यह है कि रूई के मूल्यों में निर्मित उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। इसके कारण किसानों की आमदनी घट रही है और उनकी गरीबी बढ़ रही है। वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने के बारे में हमारी अर्थव्यवस्था के इस पहलू को ध्यान में नहीं रखा गया है। इसे पुनः नए सिरे से तय करने की जरूरत है।

मैं एक दूसरे महत्वपूर्ण पहलू यानि राज्य सरकारों की आज जो दुर्गति हो रही है उस पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कभी-कभी राज्य सरकारों को कुछ कृषि उत्पादों के मूल्य कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित मूल्यों से अधिक निर्धारित करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। आप गन्ने का उदाहरण ले सकते हैं। अनेक राज्य सरकारों को कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्य देने पड़े हैं।

वित्त मंत्री यहां पर नहीं हैं। इसका राज्य की अर्थव्यवस्था,से गहरा सम्बन्ध है। वित्त मंत्री पूछते हैं—"राज्य सरकार घाटे में क्यों चलती है।" बेचारी राज्य सरकार अपने राजनैतिक स्वरूप का लिहाज करने के अलावा और क्या कर सकती है? इसलिए अपने-अपने राज्यों में उत्पादकों की जरूरतों को पूरा करने हेतु राज्य सरकारों को उनके उत्पादों के लिए उनकी वैध और न्यायोचित मांगों को पूरा करने हेतु ऊंचे मूल्य देने पड़ते हैं। इस पहलू पर कभी ध्यान नहीं दिया गया है। कृषि मूल्य आयोग ने विशेष रूप से राज्यों की अर्थव्यवस्था और अन्ततः सारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव पर कभी ध्यान नहीं दिया है। यह केवल दान के रूप में कुछ खास लाभ देने का प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न का सम्बन्ध अर्थव्यवस्था की मूल मजबूरियों से है।

हाल में कर्नाटक सरकार ने एक मौलिक प्रश्न उठाया है अर्थात "क्या कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने सम्बन्धी निर्णय करने की प्रक्रिया में कभी-कभी राज्य सरकार को संबद्ध किया जाएगा?" इसके अनेक पहलू हैं। उन्होंने एक लम्बा टिप्पण तैयार किया है। उनकी शिकायत है कि केन्द्र मूल्य निर्धारित करता है और यही शिकायत पश्चिम बंगाल सरकार की भी है और वह राज्य सरकार द्वारा आंकी गई उत्पादन लागत पर विचार नहीं करता है। केन्द्र अपना फैसला थोप देता है। राज्य सरकार को सारा बोझ वहन करना पड़ता है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाती है और केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्ध बिगड़ जाते हैं। कर्नाटक सरकार और अन्य गैर कांग्रेस (ई) सरकारों ने यह मांग उठायी है कि कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने के मामले में राज्य सरकारों को भी सम्बद्ध किया जाना चाहिए।

आन्ध्र प्रदेश की सरकार केन्द्रीय मूल के लिए न केवल योगदान करना चाहती है अपितु 2/- रुपया प्रति किलो की दर से चावल भी सप्लाई करना चाहती है इसके लिए उनका अपना एक कार्यक्रम है। बच्चों को भोजन देने के लिए उनके पास बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन देने का अपना कार्यक्रम है।

इसके लिए और अधिक खाद्यान्न की जरूरत है। आप देते नहीं हैं। वे खाद्यान्न पैदा करना चाहते हैं। और वे भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेना चाहते हैं। ऋण देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक सहमत नहीं होता है। इस विशेष प्रयोजन के लिए उन्हें ऋण की जरूरत है।

मेरा मुद्दा यह है कि फैसला करने की प्रक्रिया में राज्य सरकार को साझीदार नहीं बनाया जाता है जबकि कृषि मूल्य आयोग द्वारा किए गए फैसले का राज्य की अर्थव्यवस्था पर बहुत असर पड़ता है, जिससे आर्थिक विषमता पैदा होती है। इन सब बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि देश के विभिन्न भागों में विभिन्न कृषि उत्पादों के उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहे हैं। मूल्य निर्धारित करने की वर्तमान प्रणाली बिल्कुल असंगत हो गई है। क्या सरकार कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने की नीति पर पुनर्विचार करेगी ? क्या वे खेती में रुचि लेने वालों के पर्याप्त प्रतिनिधियों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को कृषि मूल्य आयोग में शामिल करते हुए इसका पुनर्गठन करेंगे ? क्या वे कृषि उत्पादों और निर्मित उत्पादों के मूल्यों में समानता लाने हेतु उनके मूल्यों पर विचार करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन करेंगे ? मुझे उम्मीद है सरकार इन तीन विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर देगी और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए समुचित कार्यवाही करेगी कि यह कुछ उत्पादों को मूल्यों में 5 प्रतिशत अथवा 2 प्रतिशत बढ़ाने का ही प्रश्न नहीं है बल्कि यह हमारे देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है।

राव वीरेन्द्र सिंह : मैं माननीय दोस्त की इस बात से सहमत नहीं हूं कि सरकार ने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान उठाए गए विभिन्न सवालों का उत्तर देते समय कोई सन्तोष प्रकट किया है। हमने तथ्यों का ज्यों का त्यों उल्लेख किया है और हम वास्तविक स्थिति का मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने रूई के मूल्य का उल्लेख किया है। मुझे यह मालूम नहीं है कि माननीय सदस्य को यह जानकारी किस प्रकार मिली है। लेकिन इस वर्ष जब हमने मूल्य घोषित किए थे, तो रूई के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि की गई थी (**व्यवधान**) वर्ष 1979-80 के मूल्यों की तुलना में पिछली बार हमने जो मूल्य निर्धारित किए थे वह 4 वर्षों की अवधि में 45.5 प्रतिशत अधिक थे। लगभग 50 प्रतिशत अधिक मूल्य निर्धारित किए गए हैं, और बाजार में कपास के लिए घोषित मूल्यों की अपेक्षा काफी अधिक दाम मिल रहे हैं। आपने पंजाब का उल्लेख किया है। पंजाब में एफ-414 किस्म की कपास के लिए घोषित मूल्य 400/-प्रति क्विंटल के स्थान पर अबोहर और फिरोजपुर जिले की अन्य मण्डियों में यह 626/- रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है। जो घोषित मूल्यों से 50 प्रतिशत से अधिक है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यही माननीय सदस्य किसानों के विषय पर बातें करते हुए जो आज सरकार की कड़ी आलोचना कर रहे हैं, उस समय भी सरकार की कड़ी आलोचना कर रहे थे जब खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य बढ़ाए जाने का प्रश्न उठाया गया था। (**व्यवधान**)**...

श्री चित्त बसु : आप विड़लाओं और राजाओं को राजसहायता देते हैं परन्तु किसानों को राजसहायता देने से इन्कार कर देते हैं (**व्यवधान**)**

राव वीरेन्द्र सिंह : जब हम राज्य सरकारों से सलाह मशविरा करते हैं, तो वे हमेशा किसानों को अधिक दाम दिए जाने की सिफारिश करते हैं, लेकिन निर्गम मूल्य बढ़ाने के लिए वे सहमत नहीं होते हैं।

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : आप अपने पास से दें।

राव बीरेन्द्र सिंह : शास्त्री जी कहां से दें। आपको देना पड़े तो पता चले। कैसे दें।

(व्यवधान)**

राव बीरेन्द्र सिंह : न वे उत्पादन करते हैं न समाहार करते हैं। वे इसे केवल केन्द्र सरकार पर छोड़ देते हैं। मैं निर्मित उत्पादों के बारे में एक-एक वस्तु पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं इस तथ्य से नहीं मुकर रहा हूं कि निर्मित उत्पादों के दाम कृषि उत्पादों से ऊंचे हैं। यदि आप थोक मूल्य सूचकांक को देखेंगे, तो वहां पर आपको ऐसा ही मिलेगा। मैं इस बात से सहमत हूं और मैंने यह कहा भी है कि अपनी तरफ से सारे प्रयास करने के बावजूद श्री चित्तु बसु द्वारा दिए गए दुहरे सुझाव के अनुसार सरकार कार्यवाही नहीं कर सकती है। हमें एक तरफ किसानों को देखना है, तो दूसरी तरफ उपभोक्ताओं के हितों पर भी ध्यान देना है।

(व्यवधान)**

हमारे पास तीन आंखें नहीं हैं। लेकिन अपने सभी नागरिकों, उत्पादकों और उपभोक्ताओं को हर सम्भव सुविधा देने के लिए हम अपनी दोनों आंखों का प्रयोग करते हैं।

श्री चितबसु ने कुछ आंकड़ों का उल्लेख किया है। उन्होंने 1983 के थोक मूल्य सूचकांक का उल्लेख किया है। मैं उन्हें मूल्य सूचकांक के नवीनतम आंकड़े दे सकता हूं।

श्री चित बसु : यह ठीक है। लेकिन रुख क्या है?

राव बीरेन्द्र सिंह : इस वर्ष अप्रैल के मध्य में निर्मित उत्पादों का थोक मूल्य सूचकांक 303.2 था और कृषि उत्पादों का 297.3 और इसमें केवल 5.5 प्रतिशत का अन्तर है। और मैं इसकी तुलना वर्ष 1980 के आकड़ों से करना चाहता हूं। चार वर्ष पूर्व जब यह सरकार सत्ता में आयी थी। वर्ष 1980 में जनता सरकार, अथवा जो भी सरकार उस समय थी उसके तत्काल बाद के समय में मूल्य सूचकांक···**(व्यवधान)***

कृषि के बारे में मैंने जो भी कहा है, मैं कृषि को जानता हूं लेकिन इस प्रकार कार्य करने का गड़बड़ तरीका मेरी समझ में नहीं आता है। **(व्यवधान)****

वर्ष 1980 में इसी अवधि में अप्रैल के मध्य में निर्मित मदों का थोक मूल्य सूचकांक 234.7 था। श्री बसु इस बात को याद रखना चाहेंगे। कृषि उत्पादों का मूल्य सूचकांक इस समय 193.3 था। यह 21.4 प्रतिशत का अन्तर है।

श्री चित्त बसु : जनता सरकार!

राव बीरेन्द्र सिंह : उसके तुरन्त बाद, उस समय जनता सरकार नहीं थी। मैं अपने माननीय

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

दोस्त से सहमत नहीं हूं। शायद यह कोई और सरकार थी। यह शायद चौधरी सरकार थी।

(व्यवधान)**

उस समय के मंत्रियों के भी नाम मुझे याद नहीं है।

(व्यवधान)**

1980 में इनमें 21.4 प्रतिशत का अन्तर था इस सरकार के सत्ता में आने के बाद चार वर्ष के भीतर निर्मित उत्पादों और कृषि उत्पादों के बीच के अन्तर को हमने घटा कर 5.5 प्रतिशत कर दिया है, क्या यह एक उपलब्धि नहीं है? क्या हम निर्मित उत्पादों और कृषि उत्पादों के बीच समता नहीं लाये हैं? इससे आपको सन्तुष्ट होना चाहिये। लेकिन यदि आप इस असमानता के ही बारे में कहते रहें, यदि आप मुझे यह बताये कि आपके सुझावों पर किस प्रकार अमल किया जा सकता है, तो मैं निश्चित रूप से आपके सुझावों पर अमल करना पसन्द करूंगा, लेकिन आपको उपभोक्ता और उत्पादन दोनों के बारे में एक साथ सोचना होगा।

आंध्र प्रदेश को केन्द्र सरकार से 10 करोड़ रुपये के ऋण न मिलने का उन्होंने उल्लेख किया है। हम तम्बाकू उत्पादकों को बाजार सहायता देने के लिए राज्य सरकार को उसके अपने मूल्य उत्तरदायित्व में सहायता देना चाहते थे लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने 10 करोड़ रुपये के इस ऋण को लेना नहीं चाहा। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि उनका ध्यान तम्बाकू उत्पादकों के कल्याण में नहीं है बल्कि वे केवल केन्द्रीय सरकार की छवि को किसी न किसी प्रकार बिगाड़ना चाहते हैं। अन्यथा कोई राज्य सरकार केन्द्र सरकार से ऋण लेने से क्यों इन्कार करती? मेरे विचार से यहां पर भी श्री चित्त बसु की गलत जगह सहानुभूति दिखा रहे है।

उन्होंने तीन प्रश्न उठाये हैं। उन्हें यह बात अच्छी तरह मालूम है कि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक होगा। लेकिन फिर भी उन्हें उनके बारे में बोलना ही था।

मूल्यों के बारे में पुनर्विचार करने की हमारी नीति के जो परिणाम निकले हैं, उनसे स्पष्ट है कि इस पर भली-भांति विचार किया गया है। हमने व्यापार की स्थिति को ध्यान में रखते हेतु कृषि मूल्य आयोग के निर्देश पदों को बदल दिया है। यह 1980 में इस सरकार के बनने के बाद किया गया था न कि आपके समय के दौरान वे चाहते हैं कि कृषि मूल्य आयोग का पुनर्गठन किया जाए। हमने कृषि मूल्य आयोग बहुत ठोस, आर्थिक, वैज्ञानिक तरीकों से काम करता है। इसे पंचायत अथवा स्थानीय निकाय नहीं बनाया जा सकता, जहां पर हर सदस्य एक दूसरे की टांग खींचता है। हमें विशेषज्ञों की सोचा-विचारी सलाह लेनी होती है। हमने अतीत में देख लिया है कि यदि बहुत अधिक सदस्य हों और उनमें से कुछ या एक अथवा दो ही सदस्य यदि गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करें, तो इससे भ्रम पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम फैसला नहीं कर सकते हैं और लोग सरकारी फैसलों का गलत अर्थ लगायेंगे। लोगों की आंखों में वैज्ञानिक आधार नष्ट हो जायेगा इस लिए कृषि मूल्य आयोग के गठन में विशेषज्ञ और उत्तर-दायी व्यक्ति दिए जायेंगे। सरकार को उनकी बात मान्य होगी और यहां सरकार लोगों की सरकार है। हम संसद के माननीय सदस्यों की सलाहों पर भी ध्यान देते हैं। आप चाहे पक्ष में बैठे अथवा विपक्ष में,

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

आप भी इस सरकार के अंग हैं। हम आपसे सलाह लेते हैं। हम हमेशा आपकी राय पर विचार करते हैं। कोई भी फैसला करने से पहले हम सभी दृष्टिकोणों पर विचार करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि कृषि मूल्य आयोग एक-एक सलाहकार निकाय है। कृषि मूल्य आयोग अन्तिम फैसला नहीं करता है। फैसले सरकार करती है और सरकार लोगों की संसद के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। न कि कृषि मूल्य आयो ग के पुनर्गठन पर क्यों इतना जोर दिया जा रहा है।

एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति की नियुक्ति के बारे में, मैं यह नहीं समझ रहा हूं कि किस प्रकार की उच्च अधिकार प्राप्त समिति वह चाहते हैं। सरकार के पास उच्च अधिकार है। इस संसद के पास उच्च अधिकार है। उन्होंने संसदीय समितियों और अन्य निकायों की सिफारिशों का उल्लेख किया है। हम इस प्रकार की सभी सिफारिशों की इज्जत करते हैं हम इन पर गम्भीरता से विचार करते हैं इसलिए सरकार ने जब कृषि मूल्य आयोग का गठन, कृषि उत्पादों के लिए मूल्यों की सिफारिश करने हेतु एक विशेष उद्देश्य से एक निकाय के रूप में किया था, जैसा कि कुछ लोग कृषि मूल्य आयोग के स्थान पर समय-समय पर लागत की सिफारिश करने के लिए कहते हैं कि एक निकाय लागत आयोग होना चाहिए यह बात मेरी समझ में नहीं आती है, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं जहां तक मेरे मन्त्रालय का सम्बन्ध है कृषि मूल्य आयोग सराहनीय काम कर रहा है।

श्री चित्त बसु : आश्चर्यजनक काम कर रहा है।

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : यदि मैं आपके शब्दों का प्रयोग करूं तो निसन्देह आश्चर्यजनक काम कर रहा है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, यह सरकार जनता को आंकड़ों के जाल में फंसाने में बहुत प्रवीण है। आपकी सरकार और स्वयं आप आंकड़ों के जाल में फंसा कर लोगों को भ्रम में डाल देते हैं। आपके इस वक्तव्य से यह पता लगता है और मैं इसमें से एक वाक्य कोट करना चाहता हूं :—

> "सरकार की कृषि मूल्य नीति का उद्देश्य कृषि उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना तथा उनके हितों की रक्षा करना है।"

मैं समझता हूं कि इसको उलट देना चाहिए। इनकी नीति किसानों को लूटने वाली है और आप किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने की नीति पर नहीं चलते हैं और मेरा आरोप है कि आप ठीक इस के विपरीत किसानों को लुटवाने या स्वयं लूटने वाली नीति पर चलते हैं।

एक माननीय सदस्य : आपका आरोप निराधार है।

श्री रामावतार शास्त्री : यह बात ठीक है कि इस साल गेहूं का उत्पादन बढ़ा है और मैं गेहूं पर ही ज्यादा बोलूंगा क्योंकि बीच-बीच में हम आलू और ईख पर विचार करते रहे हैं। उस समय जो विचार व्यक्त किए गए थे वे ये थे कि उन वस्तुओं के लाभकारी मूल्य किसानों को कभी नहीं मिले लेकिन आप का दावा रहा था कि अगर आप लाभकारी मूल्य उनको नहीं दिला पाए तो कम से कम सपोर्ट प्राइस के मूल्य आपने उनको दिलाए हैं। इसलिए इस समय में उन बातों में नहीं जाना चाहता और सिर्फ गेहूं के बारे में ही कहना चाहता हूं।

गेहूं का उत्पादन जरूर बढ़ा है और हमारा प्रदेश बिहार तो एक डेफीसिट स्टेट है, कम अनाज पैदा करने वाली स्टेट है लेकिन गेहूं की उपज इस साल वहां भी अच्छी हुई है और इससे भी अच्छी फसल होती अगर आप उनको पानी दे देते। आपने कोई पानी उनको नहीं दिया और नहरें सूखी हुई थीं लेकिन वहां पानी बरसा और किसानों को कुछ पानी मिला परन्तु समय पर आपने उनको यूरिया खाद नहीं दी। अगर वह खाद पूरी तरह से उनको मिल जाती तो मेरे ख्याल से और ज्यादा उपज बढ़ जाती। यह मैं आपको अपने क्षेत्र में अनुभव पर बता रहा हूं। अब आप यह देखिए कि हमारे यहां स्थिति क्या है। बिहार के प्राय: सभी जिलों में पूर्णिया, चम्पारण, पटना, सहरसा, नालन्दा और नवादा में, इन तमाम जिलों में गेहूं की कीमत गिर गई और सपोर्ट प्राइस, जो कि 152 रुपए प्रति क्विंटल है, वह भी इनको नहीं मिल रही है और मेरा ऐसा ख्याल है कि 100 रुपए से 125 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं वहां बिक रहा है यानी हमारे यहां गेहूं 50 रुपए प्रति मन बिक रहा है। पता नहीं, बिहार सरकार ने आपको कोई सूचना दी है या नहीं। दी होगी तो आप उसके बारे में बताएं कि वहां के क्या आंकड़े हैं, वहां की क्या स्थिति है? बिहार में सब जगहों पर गेहूं के मूल्यों में कमी आई है।

पंजाब में भी आप देख रहे हैं कि पंजाब के किसानों को विवश होकर आन्दोलन पर उतरना पड़ा और कहना पड़ा कि हम बाजार में गेहूं नहीं लायेंगे। पता नहीं झा जी को गेहूं खरीदने में मुसीबत है या नहीं। लेकिन हमने अखबारों में यही पढ़ा है कि वहां के किसान लाभकारी मूल्य मांग रहे हैं क्योंकि 152 रुपये क्विंटल में उनकी पोसाई नहीं होती, गुजारा नहीं होता। इसीलिए वे अधिक मूल्यों की मांग कर रहे हैं।

अब इसी से जुड़ी हुई बात है। कृषि मूल्य आयोग कृषि जन्य चीजों का मूल्य निर्धारण वैज्ञानिक तरीके से करता है या नहीं, यह हम जानना चाहते हैं। आप कृषिजन्य वस्तुओं, चाहे गेहूं हो, कपास हो, तिलहन हो, जूट हो और दूसरी चीजें हों, उनकी कीमतें जब तय करते हैं तो उन पर किसान जो खर्च करता है—एक क्विंटल को पैदा करने में उसको जो खर्च करना पड़ता है उसको ध्यान में रख कर तय करते हैं या नहीं? आपको इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि किसानों का यह कहना है कि गेहूं के एक क्विंटल उत्पादन में उनको दो सौ रुपया क्विंटल खर्च करना पड़ता है और आप उनका मूल्य तय करते हैं 152 रुपए क्विंटल। इससे जाहिर है कि उनको घाटा होगा। आपको यह बात मालूम होगी कि किसानों को विभिन्न जिन्सों के उत्पादन में प्रति क्विंटल इतना खर्च करना पड़ता है और जितना उन्हें खर्च करना पड़ता है उसके ऊपर उन्हें आप मुनाफा देते हैं या नहीं। अगर नहीं देते हैं तो किसान अपने परिवार का भरण-पोषण कैसे कर सकेगा। जाहिर है कि वह नहीं कर सकेगा।

हम लोग किसान सभा के तहत इस बात की बराबर मांग करते रहे हैं कि किसानों को उनका हक मिले। हमारी किसान सभा के प्रो० रंगा साहब भी पुराने नेता रहे हैं। हम उनके नेतृत्व में जमींदारों के खिलाफ लड़ते थे। यह किसान सभा 1936 में लखनऊ कांग्रेस के समय बनी थी। रंगा साहब किसान सभा के नेता रहे हैं। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपने भाषण में यह जरूर बताइए कि एक किसान को अपनी उपज करने में कितना खर्च करना पड़ता है। एक किसान को जितना अपनी उपज में खर्च करना पड़ता है, उससे कम से कम 15 प्रतिशत अधिक मूल्य आप किसान को अवश्य दीजिए। नहीं तो वह अपने परिवार का भरण-पोषण आज के जमाने में नहीं कर सकता है।

आप अपने भाषण में यह भी बताइये कि उद्योग-धन्धों, कारखानों में जो सामान बनते हैं उनके मूल्यों में और कृषिजन्य वस्तुओं के मूल्यों में कितना फर्क अभी है? इस फर्क को मिटाना बहुत मुनासिब

होगा क्योंकि किसानों को उद्योगों में बने सामान बहुत ऊंचे दामों में मिलते हैं, भले ही आप किसानों को खाद में छूट दे दें लेकिन और चीजों में आप उन्हें छूट नहीं देते हैं। जैसे कि सीमेंट है, ईंटें हैं, मकान बनाने के दूसरे सामान हैं, उनके दाम आसमान को छूते चले गये हैं। खाने की चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। कोई चीज ऐसी नहीं है जिसकी कीमत नहीं बढ़ रही हो। आपके आंकड़े इस बात को बताते हैं। इसलिए कृषिजन्य वस्तुओं और उद्योग-धन्धों में बनी हुई चीजों के मूल्यों में फर्क कितना होना चाहिए यह सरकार को भारत की जनता को बताना चाहिए। जो आप कहें उसको अमल में भी लाया जाना चाहिए। किसानों को उद्योगों में बने सामान जितना मूल्य मिलता है या नहीं, यदि नहीं मिलता है तो कितना फर्क है और उस फर्क को कम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? अब एक बात और जानना चाहता हूं कि कृषि मूल्य आयोग के बारे में आप कहते हैं कि यह विशेषज्ञों की कमेटी है। तो मैं जानना चाहूंगा कि किसानों के विशेषज्ञ भी इसमें कोई हैं या नहीं जो किसानों की सारी परिस्थितियों से परिचित हों। कितना उनको खर्च करना पड़ता है जिंसों को पैदा करने में, कितना मिलना चाहिए, इसके बारे में एक्सपर्ट्स वहां हैं या नहीं। किसानों के जो संगठन हैं, आल इंडिया किसान सभा है और भी दूसरे संगठन हैं, ये लोग बराबर मांग करते रहे हैं कि किसानों का प्रतिनिधित्व वहां हो।

(व्यवधान)

इनका प्रतिनिधित्व वहां होना चाहिए। स्वयं प्रोफेसर साहब भी कह रहे हैं कि वे किसानों को नहीं चाहते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह: उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। आप गलत समझे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री: इसलिए किसानों के प्रतिनिधि आप रखिए ताकि उनके विचार भी आयोग को मालूम हो सकें। आपने कहा है कि आयोग सिफारिश करता है, तय तो हम करते हैं। तो आप यहां बराबर सुनते होंगे, आपके पक्ष में लोग भी बराबर मांग करते रहे हैं कि कृषिजन्य वस्तुओं की कीमत लाभकारी नहीं मिलती है। आपने पार्लियामेंट का हवाला दिया है कि पार्लियामेंट तय करती है। तो अभी सब लोगों की जो राय है...।

राव बीरेन्द्र सिंह: पूरा गौर करते हैं आपकी राय पर भी।

श्री रामावतार शास्त्री: अभी मांग हो रही है 250 रुपए क्विंटल गेंहूं के दाम होने चाहिए और आप देते हैं 152 रुपए क्विंटल। वह भी नहीं मिल रहा है। डिस्ट्रेस सेल में बेचना पड़ता है। बिहार और पंजाब के बारे में मैं जिक्र कर चुका हूं। इन बातों की ओर आपको ध्यान देना चाहिए। आप कहते रहें और किसान को लाभकारी मूल्य न मिले तो इससे काम नहीं होगा। आपने जिक्र किया है कि कई चीजों के भाव निर्धारित किए गए हैं। यह बात सही है लेकिन उनको मिलता कहां है। आपने कहा है कि डिस्ट्रेस सेल हो जाता है तो खरीदने लगते हैं। तो जहां इस तरह की स्थिति है वहां आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं। बिहार में आपने क्या व्यवस्था की है जहां डिस्ट्रेस सेल में गेहूं बिक रहा है। उसको आप खरीदें। जहां गेहूं की पैदावार समय से पहले हो जाती है जैसे बंगाल में, तो वहां के किसानों को तो नुकसान नहीं हुआ क्योंकि जो दाम तय हो गया था, उससे कम नहीं मिला उससे ज्यादा ही मिल गया, अब जब बाजार में गेहूं आया है और डंप हो गया है तो इस वक्त ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है कि कीमतें नीचे न गिरें। इसके लिए आपने कौन-कौन से उपाय किए हैं और वे उपाय कारगर हो रहे

हैं या नहीं। खरीद हो रही है या नहीं या बेचारा किसान तबाह होता रहेगा और आप कहते ही रहेंगे। इससे काम नहीं चलेगा।

जो-जो मैंने प्रश्न उठाए हैं उनको मेहरबानी करके मन्त्री महोदय बताएं। सचमुच आपकी सरकार किसानों के लिए कुछ करना चाहती है या केवल कागज पर ही बातों को रखना चाहती है।

राव बीरेन्द्र सिंह : चेयरमैन साहब, शास्त्री जी ने करीब-करीब वही बातें की हैं जो पहले माननीय सदस्य कह चुके हैं और उनका जबाव भी मैं दे चुका हूं। इनका सबसे बड़ा एतराज यह है कि ये सरकार आंकड़ों से बात करती है। अब आंकड़ों से बात न करें इनकी तरह जबानी जमा खर्च तो हो नहीं सकता।

श्री रामावतार शास्त्री : मेरे कहने का मतलब यह है कि आंकड़ों के जाल में फंसाकर आप लोगों को बेबकूफ बनाते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : उन आंकड़ों को आप भी सही मानते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : सबको नहीं, 152 रुपए वाला आंकड़ा सही माना है।

राव बीरेन्द्र सिंह : हम तो जो बात यहां करते हैं बहुत सोच समझ कर पूरी जानकारी हासिल करके करते हैं। सही जानकारी ब्यौरेवार पार्लियामेंट को देना चाहते हैं और उसके लिए हम पूरी तरह कोशिश करते हैं।

3.00 म० प०

शास्त्री जी की तरह इधर-उधर की लाठी चलाने की बात नहीं करता।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं लाठी चलाने वाला आदमी नहीं हूं।

राव बीरेन्द्र सिंह : यदि आप बिना आंकड़ों के आधार पर अपनी बात कहना चाहते हैं तो कहिए। वैसे इन्होंने भी माना है कि बिहार में इस बार काफी ज्यादा गेहूं का उत्पादन हुआ है। मुझे इस बात की खुशी है कि किसी सही बात को तो इन्होंने माना। सारे मुल्क में, सिर्फ गेहूं ही नहीं, अन्य फसलों में भी हमारा उत्पादन पिछले सालों के मुकाबले बढ़ा है, रिकार्ड तोड़ उत्पादन हुआ है तथा गेहूं के अन्दर तो पिछले चार सालों से लगातार उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो रही है। मैंने अपने बयान में भी इसका जिक्र किया है कि हर साल पिछले रिकार्ड टूटते जा रहे हैं और उत्पादन ज्यादा होता जा रहा है। जैसा इन्होंने बताया, बिहार में यूरिया की कमी है, मैं मानता हूं कि कुछ अर्से के लिए बिहार में किसानों को खाद नहीं मिल पाई। लेकिन हर साल जिस तरह से खाद की खपत और उत्पादन बढ़ता जा रहा है, यह सब सरकार की नीतियों का ही परिणाम है, शास्त्री जी के क्रीटिसिज्म का नतीजा नहीं है। पिछले साल हमारे यहां 6 1/2 मिलियन टन की खाद की खपत के मुकाबले इस वर्ष खपत 7.8 मिलियन टन हुई है। उत्पादन का हमारा लक्ष्य 72 लाख टन था, जबकि उत्पादन 78 लाख टन हुआ है।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने कहा था कि हमारे इलाके में लोगों को खाद नहीं मिली।

राव बीरेन्द्र सिंह : उसको मैंने माना कि एक बार कुछ अर्से के लिए खाद की कमी पड़ी, लेकिन

दूसरी तरफ आप यह भी देखिए कि एकदम से उसकी खपत में कितनी वृद्धि हुई है और उसका श्रेय सरकार की नीतियों, कोशिशों, एजेन्सियों के प्रचार तथा राज्य सरकारों के कृषि विभाग द्वारा किए गए प्रयत्नों को जाता हैं। इसके साथ-साथ किसानों की सूझ-बूझ को भी जाता है कि उन्होंने हमारी बात को नहीं माना और हमारी खपत बढ़ी। कहीं वक्त पर खाद न पहुंचने की वजह से जरूर दिक्कत हुई होगी, लेकिन हमारी सरकार ने फौरन उसका इन्तजाम किया। एक हफ्ते के लिए बिहार में यह कठिनाई आई, मैं उस वक्त बिहार में ही था, और हालत को सुधारने के लिए मैंने तुरन्त कदम उठाये।

श्री रामावतार शास्त्री : नहीं आप वहां बाद में पहुंचे।

राव बीरेन्द्र सिंह : शायद शास्त्री जी के बहकावे में आकर, इनकी सलाह से या कुछ आर्गेनाई-जेशन्स की ओर से किसानों को कहा गया कि वे अपना गेहूं मण्डियों में न लाएं। हमने पहले भी बार-बार कहा है कि यदि किसान मण्डियों में बाकायदा तौर पर अपना गेहूं नहीं लायेगा तो सरकार की ओर से उसका अनाज ठीक वक्त पर खरीद कर बाहर ले जाने की जो व्यवस्था की जाती है, उसमें रुकावट आयेगी तो उससे किसान का ही नुकसान होगा। क्योंकि मण्डियों में अगर एकदम से ग्लट आ जाता है और जैसा कुछ आर्गेनाइजेशन्स ने पीछे एलान भी किया कि एक हफ्ते तक मण्डियों में गेहूं मत लाओ और उस दौरान गेहूं की आमद कम हो गई और परिणामस्वरूप बाद में ज्यादा अनाज आया तो हमें बन्दोबस्त में दिक्कत पेश आती है। जब किसान का माल एकदम से नहीं उठेगा, उनको एक-दो दिन इन्तजार करना पड़ेगा तो उनको भी दिक्कत आएगी।

(व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : मण्डियों में आवक में कुछ विलम्ब हुआ है। परन्तु अब अर्थात एक सप्ताह पश्चात् अधिक आवक है। पंजाब की मण्डियों में इस बार जितना गेहूं आया, वह पिछले सालों की तुलना में बहुत ज्यादा है।

3.04 म० प० (श्री एफ० एच० मोहसिन पीठासीन हुए)

इस साल 7 मई तक पंजाब की मण्डियों में 8 लाख 50 हजार टन गेहूं आया, जो कि पिछले साल की इसी अवधि में आए 4 लाख 81 हजार टन के मुकाबले बहुत ज्यादा है, लगभग दुगना आया है। हमने 8 लाख 50 हजार टन में से 8 लाख 45 हजार टन की खरीद अब तक कर ली है जिसका मतलब है कि जितना गेहूं अब तक पंजाब की मण्डियों में आया हमने उसका 99 प्रतिशत भाग खरीद लिया है। इससे साबित हो जाता है कि गेहूं भी खूब आया और खरीद का इन्तजाम भी अच्छा चला। इसी तरह से हरियाणा में भी पिछले साल की वनिस्बत दुगने के करीब अनाज आया है।

श्री रामावतार शास्त्री : आपने पंजाब से बाहर गेहूं ले जाने पर रोक लगाई हुई है जिसकी वजह से बाहर गेहूं नहीं जा सकता और आपके पास आ रहा है।

राव बीरेन्द्र सिंह : ऐसी कोई रोक हमने नहीं लगाई है, हमारी नीति इस मामले में बिल्कुल साफ है, उसमें ऐसा कोई बैन नहीं है। लेकिन गेहूं अगर व्यापारी खुद ही बाहर न ले जाये जो उसमें सरकार क्या करे ? इसलिए कि हर जगह गेहूं का भण्डार काफी है। बाहर से भी गेहूं आया है ताकि कंज्यूमर्स को दिक्कत न हो, गेहूं के भाव शोर्टेज की वजह से बढ़ने न पाएं इसलिए गेहूं कहीं और ले जाकर मुनाफा कमाने की गुंजाइश नहीं है।

रही यह बात कि ए०सी०पी० में एक्पर्ट्स होने चाहिएं···

श्री रामावतार शास्त्री : किसानों के एक्सपर्ट्स।

राव बीरेन्द्र सिंह : वह तो हम और आप हैं और यहां सदन में बहस कर लेते हैं। वहां एग्रीकल्चरल इकानामिस्ट चाहियें। तो ए० पी० सी० में 2 एग्रीकल्चरल इकोनामिस्ट्स हैं—एक चेयरमैन और एक मैम्बर। यह दोनों यूनिवर्सिटीज से आए हुए हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : डा० जेड० ए० अहमद थे जो रीयल किसान थे।

राव बीरेन्द्र सिंह : आपको भी अगर मौका मिल जाय शास्त्री जी, तो आप लीडर के तौर पर काम करेंगे।

सभापति महोदय : संसद सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे हर बात जानते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : हां, महोदय। मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रो० रंगा, मेरी कठिनाई यह है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में अन्य सदस्य भाग नहीं लेंगे।

राव बीरेन्द्र सिंह : रंगा जी की बात पर तो हम हमेशा ध्यान देते हैं चाहे वह वक्त से बोलें या बेवक्त बोलें, मौका बोलने का देखें या न देखें, क्योंकि यह तजुर्बा है हमारा। आप भी ध्यान देते हैं और हम भी ध्यान देते हैं। इनकी खूब सुनते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय: :श्री हाल्दर, मुद्दा यह है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

(व्यवधान)**

सभापति महोदय : नहीं। वह उनका बहुत आदर करते हैं। वह सदन के सबसे आदरणीय सदस्यों में से एक हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : अतः हम प्रो० रंगा की बात पर जो कुछ भी वह कहते हैं, पूरा ध्यान देते है।

अब मैं श्री रामावतार शास्त्री द्वारा कही गई बात पर आता हूं क्योंकि यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। **(व्यवधान)****

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : यदि कहीं कोई बात गलत है तो मैं रिकार्ड देखूंगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है।

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय, मुझे सूचना मिली है—सभी वस्तुओं के लिए नहीं—वरन कुछ प्रमुख कृषि वस्तुओं के लिए। मैंने पहले ही कहा है कि पंजाब और हरियाणा में गेहूं के लिए, इस वर्ष, वर्तमान फसल के लिए हमारी अनुमानित उत्पादन लागत 120 रु० से 125 रु० प्रति क्विंटल है। परन्तु बिहार में यह थोड़ी अधिक अथवा कम भी हो सकती है। मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में यह थोड़ी अधिक है।

धान के लिए, उड़ीसा में यह थोड़ी कम है। वर्तमान वर्ष के लिए यह 113 रु० प्रति क्विंटल है। आंध्र प्रदेश में धान के लिए 120 रु० प्रति क्विंटल का अनुमान लगाया गया है। तमिलनाडु में यह थोड़ी सी कम है।

श्री शास्त्री ने कम से कम 15% लाभ की गुंजाइश का तर्क किया है। वास्तव में यह निर्धारित मूल्यों के मूल्य आधार पर उससे भी अधिक है। यदि पंजाब और हरियाणा के लिए जहां सबसे अधिक खरीद होती है उत्पादन लागत 120-125 रु० है तो 152 रु० के घोषित मूल्य पर लाभ लगभग 20% है न कि 15% अथवा 10%। वे उन्हें कहीं अधिक लाभ दे रहे हैं।

(व्यवधान)

इससे श्री रामावतार शास्त्री को सन्तुष्ट होना चाहिए। हमसे जो कुछ हो सकता है हम कर रहे हैं। यदि कोई स्थान ऐसा है जहां निर्धारित मूल्य से कम पर गेहूं बेचा जा रहा है तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे मेरे माननीय सहयोगी श्री भगवत झा आजाद को सूचना दें जो कि उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : क्या आपके पास अभी कोई सूचना है?

राव बीरेन्द्र सिंह : हमारे पास कोई सूचना नहीं है। हमारे पास इस समय ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि बिहार की किसी मण्डी में सरकार द्वारा निर्धारित 152 रु० से कम मूल्य पर गेहूं बेचा जा रहा है। परन्तु मुझे विश्वास है कि मेरे सहयोगी इस मामले पर पुनः ध्यान देंगे और यदि कहीं सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर गेहूं नहीं बेचा जा रहा है तो स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।

3.11 म० प०

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

सभापति महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति द्वारा अपने 15वें प्रतिवेदन में निम्नलिखित सदस्यों को प्रत्येक के नाम के सामने उल्लिखित अवधि के लिए, सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी गई :—

1. **श्री काजी-सलीम** —23 फरवरी से 6 अप्रैल, 1984 तक

2. **श्री डी० पत्तु स्वामी** —22 दिसम्बर, 1983 और 23 फरवरी से 17 अप्रैल, 1984 तक।

3. **श्री लहना सिंह तुर** —21 और 22 दिसम्बर, 1983 और 23 फरवरी से 19 अप्रैल, 1984 तक।

4. **श्री आनंदगोपाल मुखोपाध्याय** -2 मार्च से 21 अप्रैल, 1984 तक।

5. **श्री के० बी० चौधरी** —1 मार्च से 27 अप्रैल, 1984 तक।

6. **श्री जी० वी० जी० राजू** —18 अप्रैल से 4 मई, 1984 तक।

क्या सभा समिति द्वारा की गई अनुपस्थिति की सिफारिश को मंजूरी देती है।

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : अनुमति दी जाती है। माननीय सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा।

प्रो० मधु दण्डवते : (राजापुर) अनुपस्थित रहने के लिए और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : शायद आपके पास इसके पर्याप्त कारण हैं।

3.12-1/2 म० प०

राष्ट्रीयकृत कम्पनियों अर्थात रानीगंज नं० 2 वर्क्स तथा दुर्गापुर वर्क्स (बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड जिला बर्दवान) को बन्द किए जाने के प्रस्ताव के बारे में याचिका

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मैं, राष्ट्रीयकृत कम्पनियों, अर्थात् रानीगंज नं० 2 वर्क्स तथा दुर्गापुर वर्क्स (बार्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड, जिला बर्दवान) को बन्द किए जाने के बारे में श्री हरधन राय तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

3.13 म० प०

लेवी चीनी समान कीमत निधि (संशोधन) विधेयक, 1984

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लेवी चीनी समान कीमत निधि अधिनियम, 1976 में संशोधन वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति : प्रश्न यह है कि :

"कि लेवी चीनी समान कीमत अधिनियम, 1976 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री भगवत झा आजाद : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

3.14 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : सभापति महोदय, गत 1 मई से उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर विद्युत कटौती लागू कर दी गई है, जिससे प्रदेश में विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। यह कटौती विभिन्न प्रकार के उद्योगों तथा घरेलू उपभोगों पर लागू होगी। यहां तक कि महत्वपूर्ण उद्योगों, उर्वरक, सीमेंट भेल की इकाइयों, वनस्पति, कपड़ा, कताई, जूट, टेलीफोन आदि में भी 50 प्रतिशत की विद्युत कटौती कर दी गई है। अनेक उद्योगों को सप्ताह में लगातार 3 दिन तक विद्युत उपलब्ध नहीं होगी। जब भी इस प्रकार की कटौतियां लागू होती हैं, सबसे अधिक बुरा प्रभाव कृषि क्षेत्र तथा छोटे एवं मझोले उद्योगों पर पड़ता है।

प्रदेश में इस समय रबी फसल की मड़ाई पीक पर है। विद्युत कटौती से किसान गम्भीर रूप से त्रस्त है। आकस्मिक वर्षा, आंधी, तूफान आदि प्राकृतिक आपदायें किसानों के सिर पर तलवार की तरह लटकती रहती हैं। अभी लगभग पन्द्रह दिन पहले प्रदेश के कई हिस्सों में असामयिक वर्षा एवं आंधी तूफान से कृषि की काफी क्षति हो चुकी है। विद्युत परिषद की अनियमितताओं, अक्षमता, अकर्मण्यता का भुक्तभोगी उपभोक्ता होता है। 1980 में किसान 12 रु० प्रति हार्स पावर भुगतान करता था, जब विद्युत 12-14 घंटे प्रतिदिन उपलब्ध रहती थी। आज किसान 23 रु० प्रति हार्स पावर भुगतान कर रहा है, परन्तु इस कटौती के पूर्व कठिनाई से 4-5 घंटे विद्युत मिल पाती थी। कटौती के कारण किसान हाथ पर हाथ रखकर बैठ गया है।

अतएव माननीय ऊर्जा मन्त्री उत्तर प्रदेश की विद्युत स्थिति को सुधारने में सहयोग करें। प्रदेश को अन्य स्रोतों से विद्युत उपलब्ध कराई जाए। इस बात की भी व्यवस्था की जाए कि किसानों से हार्स पावर के स्थान पर यूनिट के आधार पर भुगतान लिया जाए। इस बात को तुरन्त सुनिश्चित किया जाये कि कृषि कार्यों पर कटौती का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(दो) सैनिक स्कूलों के अध्यापकों तथा कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में सुधार करने की आवश्यकता

सभापति महोदय (**श्री एफ० एच० मोसलिन**) : श्री वृद्धि चन्द्र जैन यहां उपस्थिति नहीं है। श्री ईरा अनबारासु।

श्री ईरा अनबारासु (चेंगलपट्टू) : महोदय, सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल सोसाइटी नामक की एक स्वायत्तशासी सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। सोसाइटी का एक शासक मण्डल है जो रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है।

इस समय, भारत में 18 आवासीय सैनिक स्कूल हैं। सैनिकों में विद्यार्थियों में शिक्षा, अनुशासन और सांस्कृतिक रुचि का स्तर बनाए रखा जाता है।

परन्तु इन प्रमुख संस्थानों ने कर्मचारियों की सेवा स्थितियां और वेतन काल असंतोषजनक है। उनके लिए नौकरी की सुरक्षा, पेंशन, उपदान, सामूहिक बीमा, परिवार पेंशन, अवकाश यात्रा भत्ता, अन्तरिम सहायता आदि का मिलिटरी स्कूलों और राष्ट्रीय भारतीय मिलिट्री कालेज, देहरादून आदि की तरह कोई प्रावधान नहीं है हालांकि उनके कार्य और जिम्मेवारियां समान हैं। उनके लिए पदोन्नति के कोई अवसर हैं। संसद द्वारा पारित उपदान अधिनियम और भविष्यनिधि अधिनियम का भी बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया जाता है। भविष्यनिधि और अन्य कटौतियां कुल परिलब्धियों के स्थान पर मूल वेतन से की जाती है। सैनिक स्कूल के कर्मचारियों में अत्यधिक निराशा और असन्तोष व्याप्त है। कर्मचारी न तो केन्द्र सरकार के नियमों/राज्य सरकार के नियमों द्वारा शासित होते हैं और न ही संसद और राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित शिक्षा अधिनियम से संरक्षित हैं। इस समय, वे रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत सैनिक स्कूल सोसाइटी के मनमाने नियमों द्वारा शासित हैं।

और तो और, सैनिक स्कूल के कर्मचारियों का शासक मण्डल और प्रशासन के स्थानीय निकाय में कोई प्रतिनिधि नहीं है। उनकी शिकायतों को दूर करने का कोई माध्यम नहीं है।

अतः, मैं, माननीय रक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि सैनिक स्कूल के अध्यापकों की सेवा शर्तें सैनिक स्कूलों को सीधे या तो रक्षा मन्त्रालय अथवा शिक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत लाकर सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

(तीन) स्थापित सिंचाई क्षमता तथा उसके उपयोग के बीच अन्तर को कम करने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : जल प्रबन्ध के अतिरिक्त सिंचाई आधुनिक कृषि के विकास के लिए मुख्य अंग है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों दोनों द्वारा अधिक से अधिक भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाकर देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में सुधार में सहायता के लिए हमारी आयोजन प्रक्रिया में इसकी आवश्यकता पर जोर दिया जाना ठीक ही है।

परन्तु, सिंचाई की उत्पन्न की गई क्षमताओं और राष्ट्र के हित में उसके वास्तविक उपयोग में बहुत अन्तर है। वर्ष 1980 के अन्त तक यह अन्तर 4.2 मिलियन हैक्टेयर का था परन्तु अब, यह इस अन्तर को कम करने के सरकार के आश्वासन के बावजूद बढ़कर 7 मिलियन हैक्टेयर हो गया है।

इसमें सन्देह नहीं है कि उपयोगिता में सुधार के लिए सरकार द्वारा सिंचाई क्षमताओं के उपयोग के लिए अधिक कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं को अपनाकर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं परन्तु असन्तोषजनक और धीमी क्रियान्विति के कारण, इस दिशा में वांछित परिणाम नहीं निकले हैं। उदाहरणार्थ, उड़ीसा में, सालंदी कमान क्षेत्र विकास परियोजना पिछले 12 वर्षों से चल रही है परन्तु अब

तक कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है क्योंकि वहां उपलब्ध जल के अधिकतम उपयोग के लिए भू-माध्यमों की प्राप्ति के लिए चकबन्दी, भूमि को समतल बनाने जैसे उपायों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है।

क्योंकि सिंचाई क्षमताओं की प्राप्ति के लिए भारी राशि, श्रम और समय व्यय हुआ है राष्ट्र के हित में यह ध्यान रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि चाहे जो भी कठिनाइयां हों अथवा जो भी उसके लिए जिम्मेवार हो उसे जनता के अधिकतम उपयोग के लिए दूर किया जाना चाहिए।

(चार) स्वर्णकारों को सहायता

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, नियम 377 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

स्वर्णकार भी भारत के नागरिक हैं। उनका मुख्य व्यवसाय सोने चांदी के आभूषणों की खरीद और बिक्री था। मगर 1963 में जब स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम लागू हुआ उस समय करीब 17 लाख से अधिक स्वर्णकार विस्थापित एवं बेकार हो गए क्योंकि 14 कैरेट के सोने का जेवर बनाना उनके लिए कठिन हो गया। कुछ समय के लिए भारत सरकार ने उन्हें छोटी-मोटी राहत दी पर वह अपर्याप्त थी, जैसा कि बिहार सरकार द्वारा गठित मुंगेरी लाल पिछड़े वर्ग आयोग ने अपनी रपट में चर्चा की थी। उनकी समस्याओं के सम्बन्ध में तथा उन्हें राहत देने हेतु बराबर ही सरकार के पास इस प्रश्न को रखा जा रहा है परन्तु उत्तर असन्तोषजनक मिलता है। स्वर्णकारों की अपनी न्यायोचित मांगों के साथ-साथ सोने चांदी के बढ़ते मूल्य को नियन्त्रित करने की भी मांग है क्योंकि उस ऊंची कीमत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, बंधी आय वाले तथा मध्यम वर्ग लोग जेवर बनवाने—में असमर्थ हैं।

अतः वित्त मन्त्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह भारत के स्वर्णकारों की समस्याओं तथा उनकी न्यायोचित मांगों के समाधान में योगदान देकर उन्हें भुखमरी से बचाने का प्रयास करें। उनके व्यवसाय के सम्बन्ध में भारत सरकार को सोचना है, जैसे बुनकर, बीड़ी मजदूर, इलायची व्यवसाय आदि में लगे लोगों के लिए सरकार चिन्तित है। स्वर्णकारों को अपने कारोबार को चलाने के लिए बैंकों से आसान शर्तों पर ऋण दिए जाएं। ऐसा करने से उनके पुनर्वास में मदद मिलेगी।

आशा है, वित्त मन्त्री का ध्यान भारत के इन अभागे कारीगरों एवं शिल्पकारों की दयनीय स्थिति की ओर आकृष्ट होगा।

(पांच) यूरेपेटोरियम खरपतवार की वृद्धि को, जिसके कारण उड़ीसा में पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, रोकने हेतु तुरन्त उपाय करने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : सभापति महोदय, एक अनिष्टकारी और विदेशज खरपतवार की अबाध वृद्धि के कारण सिमपलियाल वन और उड़ीसा के मयूरभंज जिले आसपास के क्षेत्र के पर्यावरण को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है।

"यूरेपेटोरियम" को स्थानीय रूप में "असामलता" के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिम बंगाल के निर्वनीकृत क्षेत्रों में फैला और फिर उड़ीसा के सिमलीपाल और गणसिका के पहाड़ी क्षेत्रों में। इस खरपतवार से चंडक आरक्षित वन क्षेत्र जहां आजकल एक हाथी परियोजना का कार्यान्वयन किया

जा रहा है, भी प्रभावित हुआ है। पर्यावरण की दृष्टि से खतरनाक इस पौधे ने उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्रों में जहां बड़े पैमाने पर निर्वनीकरण से ऊपरी मिट्टी पर्याप्त रूप से प्रकाश में आ गई है, अपनी जड़ें जमा लीं हैं। इस खरपतवार का कोई उपयोगिता नहीं है। जब इसे काटा जाए और इकट्ठा किया जाए तो यह चूरा-चूरा हो जाता है और इसकी जहरीली पत्तियां और फूल चारे के काम भी नहीं आती हैं। इस बढ़ते हुए खरपतवार से पालतू पशु चारे से वंचित हो जाते हैं जंगली जानवर जंगल में मुक्त रूप में विचरण नहीं कर पाते हैं। इसकी घनी और विस्तृत फैलाव के कारण वन की आग से लकड़ी प्रभावित नहीं होती है।

हालांकि यह खरपतवार उड़ीसा के जंगलों में पिछले दो वर्ष से बड़ी तेजी से बढ़ी है, राज्य सरकार अथवा केन्द्र में इसकी वृद्धि पर रोक लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। जब तक इसके फैलाव को रोकने के लिए तुरन्त कदम नहीं उठाए जाएंगे इससे उड़ीसा के समस्त वन क्षेत्र में गंभीर पर्यावरणीय खतरे उत्पन्न होंगे। अतः मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस समस्या की गम्भीरता को समझे और इस खरपतवार की वृद्धि से मूल्यवान वन सम्पदा को होने वाली हानि को रोकने के लिए तुरन्त और प्रभावी कदम उठाए।

(छः) रूपसर बांगड़ीपोसी छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

श्री मनमोहन टुडु (मयूरभंज) : रूपसर में बोंगिनी-पोशी तक की रेल लाइन 1905 में बनाई गई थी और मयूरभंज के भूतपूर्व रजवाड़े को कलकत्ता-मद्रास मुख्य लाइन से जोड़ने के लिए बारी-पेड़ा से बोंगिनी-पोशी तक की लाइन का निर्माण 1920 में किया गया था। तब से अब तक कोई आधुनिकीकरण नहीं किया गया है। क्योंकि इस छोटी लाइन पर काफी यातायात है और यह समझा गया है कि एक बार इस लाइन को धलभुनगढ़ और चाकुलिया अथवा रायरंगपुर से गोरूनशीसानी और टाटानगर बाडामयाहौर के बीच किसी स्थान पर हावड़ा-बम्बई मुख्य लाइन से जोड़ने तक बढ़ाकर बड़ी लाइन में बदलने से यह काफी उपयोगी रहेगी और इससे विभिन्न स्थानों से परिवहन क्षमता में भी वृद्धि होगी। इससे तटीय उड़ीसा और दक्षिण भारत के बीच दूरी कम हो जाएगी। जैसाकि सर्वविदित है, मयूरभंज मुख्य रूप से एक आदिवासी जिला है और इसकी अर्थव्यवस्था इस छोटी लाइन प्रणाली के सक्षम कार्यकरण पर निर्भर करती है। परन्तु, दुर्भाग्यवश रेलवे प्रशासन ने उपर्युक्त छोटी लाइन को बदले जाने के कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। पिछले कई दशकों से कोई नए इन्जिन अथवा डिब्बे नहीं लगाए गए हैं और छोटी लाइन प्रणाली की उपेक्षा की जा रही है। इसका यात्रियों की आवा-जाही और खनिज और वनोत्पादों सहित माल-यातायात पर प्रभाव पड़ा है।

इसीलिए, मैं माननीय रेल मन्त्री से निवेदन करता हूं कि रूपसर —बोंगिनी-पोशी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए कार्यक्रम में तेजी लाएं।

(सात) जम्मू तथा कश्मीर में पर्यटन

अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : पर्यटन व्यवसाय को कश्मीर घाटी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ समझा जाना काफी हद तक ठीक है। मई के प्रारम्भ से ही पर्यटकों की स्थिति काफी भ्रामक रही है क्योंकि बहुत थोड़े से ही पर्यटक आ रहे हैं और हाउसबोड, पर्यटक बंगले और होटल खाली पड़े रहते हैं, दूकानदार, दस्तकार, शिकारा वाले, टैक्सी वाले, टैक्सियों और हाउसबोटों के स्वामी खाली बैठे हुए हैं और अप्रत्याशित आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।

दुर्भाग्यवश, यह लगातार दूसरा वर्ष है जबकि कश्मीर का पर्यटन व्यवसाय को भीषण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, पिछले वर्ष विधानसभा चुनावों से पूर्व की हिंसापूर्ण घटनाओं से पर्यटन सत्र को बर्बाद कर दिया। इस वर्ष, पंजाब के हिंसक आंदोलन से पर्यटन व्यवसाय को भारी नुकसान हुआ है। जम्मू और कश्मीर को पंजाब से होकर आने वाली गाड़ियां और बसें तोड़-फोड़ की डर से सुरक्षित नहीं समझी जाती हैं। राज्य के पर्यटन उद्योग को नुकसान पहुंचाने का दूसरा कारण, कुछ नेताओं द्वारा राज्य सरकार के विरुद्ध तथाकथित अलगाववादी गतिविधियों के बारे में जारी किए गए वक्तव्यों और पंजाब की स्थिति की कश्मीर के साथ जो कि देश का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है तुलना करने सहित लगाए गए आधारहीन आरोपों के परिणामस्वरूप है।

ऐसी परिस्थितियों में, कश्मीर के पर्यटन व्यवसाय के हितों की रक्षार्थ यह आवश्यक है कि :—

1. जम्मू और कश्मीर को पर्यटन व्यवसाय की असफलता के कारण हुए भारी नुकसान की पर्याप्त प्रतिपूर्ति की जाए जिससे प्रभावित व्यक्तियों को उचित राहत मिल सके।

2. पंजाब समस्या के सर्वसम्मत हल के लिए प्रयत्नों में शीघ्रता लाई जाए।

3. पर्यटकों को हवाई यात्रा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु हवाई जहाजों के टिकटों में छूट और सहायता दी जानी चाहिए।

(आठ) चिंगलपुर जिले (तमिलनाडु) में श्री पेरम्बुदुर के परिवारों को, जिन्हें भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत विस्थापित किया जा रहा है, दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की दर बढ़ाने की आवश्यकता

श्री टी० नागारत्न (श्री पेरम्बुदुर) : तमिलनाडु में चिंगलपुर जिले के श्री पेरम्बुदुर के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चौदह गांव बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में बसे हुए हैं। मछुआरों, अनुसूचित जाति, मुसलमानों और अन्यों की 10,000 की कुल आबादी अपने पक्की टाइलों वाले घरों और झोंपड़ियों में स्थायी रूप से रह रहे हैं और उनके पास 'कैसुरिकी घोप' भूमि हैं तभी उनकी जीविका समुद्र में मछली मारने पर आधारित है। अब तमिलनाडु सरकार ने राज्य और केन्द्र के भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत उन गाँवों को खाली कराने तथा केंद्रीय सरकार के निवेदन पर श्री हरिकोटा, राकेट प्रक्षेपण केन्द्र के क्षेत्र विस्तार का कार्य प्रारम्भ किया हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने उपर्युक्त गांव वालों को नोटिस जारी करके भूमि के मूल्य का 11 प्रति सेंट मुआवजा के रूप में स्वीकार करने पर मजबूर किया हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने उनको बसाने के लिए कोई वैकल्पिक सुविधाजनक स्थान भी आबंटित नहीं किया है। राजस्व अधिकारियों ने प्रत्येक परिवार को घरेलू उपयोग के लिए केवल 3 'सेंट' उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। लोगों ने निवेदन किया है कि 3 'सेंट' पर्याप्त नहीं है और एक 'सेंट' के लिए। 1 रुपए का मुआवजा वर्तमान समय के अनुसार बहुत कम है। इसे बढ़ाया जाना चाहिए।

अतः, मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि राज्य सरकार को वर्तमान बाजार भाव पर मुआवजे की दर बढ़ाए जाने के लिए उपयुक्त अनुदेश दे। केन्द्रीय सरकार को उन सभी प्रभावित गरीब परिवारों को केन्द्रीय निधि से अलग से मुआवजा देने और उन्हें रोजगार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए आगे आना चाहिए।

(नौ) खगड़िया और समस्तीपुर के बीच यात्री रेलगाड़ी को पुन: चलाना

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, पूर्वोत्तर रेलवे में बरौनी और कटिहार के बीच बड़ी लाईन के निर्माण का कार्य चल रहा है। इस वजह से जानकी एक्सप्रेस जो बरौनी होकर समस्तीपुर आती थी उसका मार्ग परिवर्तन कर दिया गया है और अब जानकी एक्सप्रेस रोसरा और हसनपुर होकर समस्तीपुर आती है। इसी समय में खगड़ियां और समस्तीपुर के बीच एक पैसेन्जर ट्रेन चलती थी जिसे रद्द कर दिया गया है। इस पैसेन्जर ट्रेन के रद्द हो जाने की वजह से वहां के स्थानीय यात्रियों को दोहरी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जानकी एक्सप्रेस लम्बी दूरी की ट्रेन होने की वजह से उसमें पहले से ही यात्रियों की भीड़ रहती है और स्थानीय यात्रियों को उसमें जगह नहीं मिलती। जो स्थानीय यात्री रोजमर्रा के काम से रोज आते-जाते हैं उन्हें भी एक्सप्रेस ट्रेन का किराया देना पड़ता है।

इसलिए मेरी मांग है कि जानकी एक्सप्रेस में स्थानीय यात्रियों की सुविधा लायक अतिरिक्त बोगियां जोड़ी जायें जो सम्भव नहीं दीखता। इसलिए रद्द की गई पैसेन्जर ट्रेन को शीघ्र चालू किया जाए।

(दस) कर्नाटक शिक्षा विधेयक, 1983 पर राष्ट्रपति की अनुमति को रोके जाने की आवश्यकता

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, कर्नाटक विधान सभा द्वारा पारित कर्नाटक शिक्षा विधेयक, 1983 राष्ट्रपति जी को उनकी सहमति के लिए भेजा गया है। यह विधेयक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के अधिकारों का संविधान के अनुच्छेद 29/1 और 30 में और उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के विभिन्न विनिर्णयों में रक्षित अधिकारों का न केवल गम्भीर अतिसर्पण है वरन् उसको अस्वीकार करना भी है। अल्पसंख्यक संस्थानों की परिभाषा अनुच्छेद 30 की तुलना में संक्षिप्त कर दी गई है। विधेयक के कई उपबन्ध, विशेषकर वे जो किसी संस्थान के पंजीकरण और मान्यता, अध्यापकों और संस्थान के प्रधान की नियुक्ति, सजा और बर्खास्तगी, अनुदानों की स्वीकृति, पदों के आरक्षण, सम्पत्ति के किसी सक्षम प्राधिकारी को सौंपने, शिक्षा के माध्यम के निर्धारण और प्रबन्ध समिति के गठन, किसी संस्थान के अधिग्रहण और इसी प्रकार जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के रूप में हैं, से सम्बन्धित हैं, संविधान और न्यायालय के विनियमों का अत्यधिक उल्लंघन करने वाले हैं। यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि विधेयक में ऐसे प्रत्येक उपबन्ध के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं है कि यह अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए लागू नहीं होंगे। जहां तक उनके अनुच्छेद 30 का उल्लंघन करने का सम्बन्ध है विधेयक में, एक सामान्य और स्पष्ट उपबन्ध का कि अधिनियम में अथवा इसके अन्तर्गत नियम अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होंगे, न किया जाना संविधान के उपबन्धों की दृष्टि केवल अनावश्यक है वरन् ऐसे संस्थानों को प्राधिकारियों द्वारा परेशान किए जाने से बचाने में भी असफल रहेगा और बार-बार न्यायालयों की शरण लेनी पड़ेगी। ऐसे संस्थानों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को अधिकारियों और प्राधिकारियों की सनक और मनमानी पर छोड़ दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप अल्पसंख्यकों में काफी चिन्ता और असन्तोष है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह राष्ट्रपति का उपर्युक्त विधेयक को सहमति न देने की सलाह दे।

(ग्यारह) कलकत्ता में गैर-पत्रकारों की यूनियन की हड़ताल

श्री संतोषमोहन देव (सिल्चर) : सभापति महोदय, मैं सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री का ध्यान निम्नलिखित विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

24 अप्रैल, 198[illegible] की गैर-पत्रकार संघ ने अचानक हड़ताल कर दी जिसे उन्होंने बाद में अनिश्चित काल की हड़ताल में बदल दिया। यह अघोषित तथा पूर्णतः गैर-कानूनी थी। पश्चिम बंगाल में मुख्य मन्त्री और श्रम राज्य मन्त्री का भी यही विचार है। किन्तु केन्द्रीय सरकार के नेताओं ने उनकी सलाह की उपेक्षा की है। एक छोटा सा वर्ग हल निकाले जाने के मार्ग में रोड़े अटका रहा है। अवगतिरोध पैदा हो गया है। संघों का कहना है कि जब तक उनकी 19 सूत्री मांगें तुरन्त नहीं मान ली जाती, वे नहीं झुकेंगे। प्रबन्धकों का दृष्टिकोण यह है कि पहले गैर-कानूनी हड़ताल समाप्त हो उसके पश्चात् बातचीत आरम्भ की जा सकती है। आनन्द बाजार पत्रिका, टेलीग्राफ, बिसनेस स्टैंडार्ड, सन्डे, देश तथा अन्य समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हो रहे है। पश्चिम बंगाल में संघ के 90 प्रतिशत कर्मचारियों और सभी पत्रकार संघों ने इस हड़ताल का विरोध किया है। तो भी एक उग्र अल्पसंख्यक निकाय ने अन्य सभी पर यह हड़ताल थोपी है।...(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आपके विचार उनसे अलग हो सकते हैं किन्तु आप उन्हें वक्तव्य देने दीजिए।

श्री संतोष मोहन देव : कलकत्ता के किसी भी समाचार पत्र ने उनके संघ के दबाव में आकर भारत में समाचार पत्रों में दूसरे सबसे बड़े समूह में हुई इस हड़ताल का समाचार प्रकाशित नहीं किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन तक ने इस समाचार का प्रसारण नहीं किया।

संघ के उग्र लोगों द्वारा 5 पत्रकारों और एक अधिकारी को पीटा गया...(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : यह एक दूसरे के विरुद्ध आरोप लगाने का मंच नहीं है।

केवल अनुमोदित विवरण ही रिकार्ड किया जाएगा।

श्री सन्तोष मोहन देव : कुछ मास पूर्व इस संघ ने हड़ताल का आवाहन किया था। किन्तु इसके विरुद्ध काफी विरोध के कारण यह नहीं हो सकी। अब इस संघ ने गैर-कानूनी रूप से अचानक हड़ताल करके प्रैस को पूर्णतः ठप्प कर दिया है। यह एक ऐसा मामला है जसमें, गैर-जिम्मेवार मजदूर संघ भी गतिविधियों द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को खतरा पैदा हो गया है।

इस बात में कोई सन्देह नही है कि यह संघ, राज्य विधान सभा के आगामी उप-चुनाव समाप्त होने तक समाचार पत्रों को प्रकाशित होने से रोके रखना चाहता है क्योंकि आनन्द बाजार पत्रिका के प्रकाशन से उप-चुनावों में उनके आसार बिगड़ सकते है।

इस हड़ताल से 1600 कामगर बेकार हो गए है। मैं सरकार से कलकत्ता में आनन्द बाजार पत्रिका समूह की इस गैर-कानूनी हड़ताल के सम्बन्ध में एक वक्तव्य की मांग करता हूं। सरकार को स्वयं भी तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए।

(बारह) अपर्याप्त आधार भूत सुविधाओं के कारण रेलगाड़ियों में व्याप्त अव्यवस्था

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : हाल ही में एक्सप्रेस तथा पैसेन्जर गाड़ियों तथा विशेष रूप से गर्मियों में चलायी जाने वाली विशेष गाड़ियों के परिचालन से काफी अव्यवस्था हो गई है। जैसा कि

सर्वविदित है हाल ही में कई नई रेल गाड़ियां चलायी गई हैं। इन गर्मियों में कई विशेष गाड़ियां (समर स्पेशल) चलाने के भी आदेश दिए गए है। किन्तु यह सब बिना किसी आधार भूत ढांचे के किया गया है। भारतीय रेलों में पहले से ही डिब्बों की भारी कमी है। पर्याप्त संख्या में डिब्बों के अभाव में नई गाड़ियां चलाने और विशेष ग्रीष्मकालीन गाड़ियां चलाने से गाड़ियों का आकार कम होता है और यात्रियों की समस्याएं बढ़ती हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि हावड़ा पर एक दस डिब्बों की गाड़ी को आधा करके पांच डिब्बों की गाड़ी बना दिया जाता है। जिन लोगों की प्रमाणित बुकिंग और आरक्षण होता है उन्हें भी अपने पैसे वापस लेकर घर जाने को कह दिया जाता है। कई बार, वातानुकूलित II टीयर बोगीस को द्वितीय श्रेणी और III टीयर से बदल दिया जाता है और यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है।

सरकार को रेलवे के मोर्चे पर इस गड़बड़ी की ओर ध्यान देना चाहिए और रेल मंत्रालय को रेलवे की इस अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए।

(तेरह) त्रिपुरा सरकार आदिवासी स्वशासी जिला परिषद का गठन कर सके इसके लिए संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : त्रिपुरा के लोग त्रिपुरा स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना के लिए लगातार मांग कर रहे है और जिसके लिए विगत में भारी जन आन्दोलन भी हुआ। अन्त में, 1979 में त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र स्वायत जिला परिषद अधिनियम पारित हुआ और 1980 में वामपंथी मोर्चा सरकार द्वारा स्वायत: जिला परिषद की स्थापना की गई। किन्तु उक्त परिषद की स्थापना संविधान की सातवीं अनुसूचि के अन्तर्गत की गई है। और त्रिपुरा के लोगों की वास्तविक मांग संविधान की छठी अनुसूचि को त्रिपुरा में लागू करने की है ताकि परिषद् को राज्य के जनजातीय लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अधिक शक्तियां प्राप्त हो सके। राज्य सरकार के पास संविधान की छठी अनुसूचि के अन्तर्गत जनजातीय स्वायत्त जिला परिषद का गठन करने की शक्ति नहीं है और यह केन्द्रीय सरकार का कार्य है कि वह छठी अनुसूचि का विस्तार त्रिपुरा तक करने के लिए संविधान में संशोधन करे। त्रिपुरा उपजाति जनमुक्ति परिषद ने इसके लिए एक लाख लोगों के हस्ताक्षर करवा के प्रधानमन्त्री को भिजवाए हैं। त्रिपुरा के मुख्यमन्त्री ने इस प्रयोजन के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए बार-बार अनुरोध किया है और केन्द्र सरकार ने भी त्रिपुरा के लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति का आश्वासन दिया। छठी अनुसूचि के विस्तार से राज्य में जनजातीय और गैर-जनजातीय लोगों के बीच एकता और साम्प्रदायिक सद्भाव को मजबूत बनाने और उग्रवादी और विघटनकारी ताकतों के विरुद्ध लड़ने और देश की अखण्डता बनाए रखने का वातावरण तैयार करने में सहायता मिलेगी। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में संसद में विधेयक प्रस्तुत करें।

(चौदह) देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली के बारे में समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई खबरों पर चर्चा

श्री दिगंबरसिंह (मथुरा) : सभापति महोदय, आजकल हमारे देश में राष्ट्रपति प्रणाली की सहकार की चर्चा हो रही है। केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकारों के मंत्री कांग्रेस (आई) और विरोधी पार्टियों के संसद सदस्य, नेता, अखबार, बुद्धिजीवी और जनता में यह चर्चा है कि शासन प्रणाली बदलनी चाहिए या नहीं। नाना प्रकार की अटकलें और कल्पनाएं की जा रही हैं। पंजाब की स्थिति से देश का हर देशभक्त असाधारण रूप से चिंतित है। सरकार और विरोधी पार्टियां इस राष्ट्रीय समस्या के हल के

लिए एक मत नहीं। लोग कहते हैं यदि राष्ट्रपति का चुनाव पूरे देश की जनता द्वारा होगा तो राष्ट्रीय स्तर का ही नेता चुनाव लड़ेगा। वह कभी देश का बटवारा नहीं चाहेगा। किस नेता या पार्टी की सरकार बनेगी यह बात साधारण है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार भारत और पाकिस्तान बनने के बाद कोई इस बात की कल्पना भी न कर पाए कि देश का विभाजन भी हो सकता है। क्या यह विषय सरकार के सम्मुख विचाराधीन है, बताए ?

सरकार से मेरी प्रार्थना है कि वह इस विषय पर संसद में खुलकर बहस कराए और वक्तव्य दे ताकि जनता को विचार करने का अवसर मिले या इस विषय पर आम जनता की राय जाने।

(पन्द्रह) इस्पात पुनर्वेलन कारखानों में व्याप्त संकट

श्री लक्ष्मण मलिक (जगतसिंहपुर) : इस्पात पुनर्बेलन उद्योग पिछले तीन वर्षों से गम्भीर संकट से गुजर रहा है। संकट के कारणों का पता लगाना कोई मुश्किल नहीं है। कोयला और विद्युत जैसे प्रमुख माल भी अनुपलब्धता के कारण उद्योग में यह संकट हुआ है। कोयले की कीमतें एक दशक से कम भी अवधि में 400 प्रतिशत बढ़ गई है। इस वर्ष 8 जनवरी से प्रभावी पिछली वृद्धि के बाद प्रतिटन स्कीम कोयले का औसत मूल्य 270 रुपए बैठता है। इतने अधिक मूल्यों पर भी ठीक किस्म और ठीक भार का कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। बिजली की कमी की समस्या कमोवेश रूप से सभी राज्यों में है और इसके कारण इस्पात पुनर्बेलन एककों को दी जाने वाली बिजली की कटौती की गई है।

यह उद्योग पुन: स्वस्थ हो सकता है यदि उपयुक्त अधिकारी पूरी गंभीरता के साथ निम्नलिखित कदम उठाएं।

सभी आधारभूत वस्तुओं के मूल्यों को कम से कम दो वर्ष तक न बढ़ने दिया जाए। मुख्य उत्पादक की संयुक्त संयंत्र समिति को काम में आने वाली वस्तुओं के मूल्य इस प्रकार निर्धारित करने चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि री-रोलरों को इसके द्वारा इन्टैग्रेटेड इस्पात संयंत्रों के लिए निर्धारित की गई रूपान्तरण लागत मिल सके। इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए कि इस्पात पुन: बेलन एककों को उचित दरों पर प्रमुख आवश्यक कच्चा माल मिल सके। मैं माननीय इस्पात और खान मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह उपर्युक्त मामले में आवश्यक कदम उठाएं और इस्पात बेलन एककों का संकट समाप्त करे।

(सोलह) एम० ए० एम० सी०, दुर्गापुर, को बंद होने से बचाने हेतु उपाय करने की आवश्यकता

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : एम० ए० एम० सी० दुर्गापुर, जो कि उद्योग मन्त्रालय के अन्तर्गत भारत सरकार का उपक्रम है, को आर्डर प्राप्त नहीं हो रहे और यदि सरकारी प्रयतों के माध्यम से इसे कोई आर्डर नहीं मिलता तो 1985 से इस उद्योग की हालत पतली हो जाएगी।

यह कम्पनी कोल इण्डिया लिमिटेड की सहायक कम्पनियों की खनन उपकरणों सम्बन्धी आवश्यकताओं को भली भान्ति पूरा कर सकती है। यह वास्तव में खेद जनक हैं कि कोल इण्डिया लिमिटेड की सहायक कम्पनियां तथा इन कम्पनियों के शीर्ष निकाय भी वास्तव में एम०ए० एम० सी० को आर्डर देने में दिलचस्पी नहीं रखते। इसके परिणाम स्वरूप यह उद्योग अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में

असमर्थ है। जैसी कि आपको जानकारी है, भारत सरकार का एक सरकारी क्षेत्र की कम्पनी से दूसरी सरकारी क्षेत्र की कम्पनी को आर्डर देने के सम्बन्ध में खरीद और मूल्य प्राथमिकता का स्पष्ट फार्मूला है। इन नीति पर भी वास्तव में अमल नहीं किया जा रहा।

मैंने, ए० सी० सी० एल० के अन्तर्गत मधुबन कोल वाशरी के लिए एम० ए० एम० सी० को आर्डर देने के सम्बन्ध में ऊर्जा मन्त्री से पहले ही अनुरोध किया है, क्योंकि 60 करोड़ रुपए की राशि का एक आर्डर एक निजी विदेशी फर्म को दिया जा रहा है, यद्यपि एम० ए० एम० सी० का टेंडर निम्नतम था। मैं इस बात का फिर उल्लेख करता हूं कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अन्तर्गत विंध्याचल परियोजना के लिए कोल हैंडलिंग प्लांट का 30 करोड़ रुपए का आर्डर भी पहले एम० ए० एम० सी० के दावे और उपयुक्तता की उपेक्षा करते हुए एक निजी क्षेत्र की कम्पनी को दिया गया ; और जब एम०ए० एम० सी० ने इसका विरोध किया तो ग्राहक ने यह ठेका सरकारी क्षेत्र के एक अन्य उपक्रम को दे दिया जिसे इस क्षेत्र में कोई विशेषज्ञता प्राप्त नहीं है।

यदि इस प्रकार की स्थिति एम० ए० एम० सी० पर थोपी गयी तो इससे न केवल एम० ए० एम० सी० के अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा बल्कि लघु क्षेत्र के अनुसंगी उद्योगों सहित इस दुर्गापुर क्षेत्र पहले से बनाए आधारभूत ढांचे को भी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि पिछले 20 वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा कोई और नया उद्योग स्थापित नहीं किया गया।

इसलिए, मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वह उपयुक्त कदम उठाएं।

(सत्रह) देश में वनस्पति घी की कमी

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय सभापति जी, देश के विभिन्न भागों विशेषकर दिल्ली में वनस्पति घी की भारी कमी पैदा हो गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह कमी निकट भविष्य में दूर होने वाली नहीं है क्योंकि वनस्पति घी बनाने वाली मिलों को कच्चा माल और आयातित खाने का तेल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उत्पादन में कमी होने की वजह से बाजार में भी माल कम सप्लाई किया जा रहा है। आम जनता की मांग को पूरा करने के लिए सरकार को चाहिए कि वह वनस्पति निर्माताओं को निर्देश दे कि वे सरकार द्वारा नामांकित एजेंसियों जैसे सुपर बाजार, दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेशन और कन्जूमर्स कोआपरेटिव्ज आदि को ही माल सप्लाई करने में वरीयता दें और जो व्यापारी जखीरेबाजी तथा ब्लैक करने के दोषी पाए जाए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाएं।

(अठारह) दिल्ली तथा सीकर (राजस्थान) के बीच बरास्ता लोहारू, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने की मांग

श्री भीम सिंह (झुन्झुनू) : सभापति महोदय, पिछले कई वर्षों से सीकर व झुन्झुनू (राजस्थान) के निवासी सीकर से दिल्ली वाया लोहारू एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने की लगातार मांग करते आ रहे हैं। मैंने भी कई बार सदन में बहस के दौरान सीकर-दिल्ली रेलगाड़ी चलाने की मांग रखी। इस समय सीकर से दिल्ली के लिए एक कोच पहला व दूसरा दर्जा का व एक कोच दूसरा दर्जा तीन टीयर शयन का उत्तर रेलवे 91, पश्चिम रेलवे 18 में लगाये जाते हैं। ये काफी नहीं हैं, इनमें भेड़-बकरी की तरह मुसाफिर घुसते हैं और सोना तो दूर रहा, खड़े-खड़े भी दिल्ली आना कठिन होता है। जिनको इन डिब्बों में जगह नहीं मिलती उन्हें लोहारू जंक्शन पर आधी रात को रेल बदलना पड़ता है। रात्रि को यात्री

डिब्बे के फाटक आम तौर पर खोलते नहीं और बहुत बड़ी संख्या में यात्री लोहारू जंक्शन पर गाड़ी पलट कर गाड़ी में बैठ नहीं पाते। इनमें विशेषकर (1) राजस्थानी व्यवसायी प्रवासी, (2) हरिद्वार भस्मी ले जाने वाले यात्री, (3) छुट्टी आने-जाने वाले फौजी जवान व (4) खाड़ी के मुल्कों में जाने वाले मजदूर होते हैं।

मेरे सन 1983 के अतारांकित प्रश्न के उत्तर में रेल मन्त्री महोदय ने सीकर-दिल्ली व दिल्ली से आगे जाने वालों व आने वाले यात्रियों के जो आंकड़े दिये उसके आधार पर औसतन करीब 500 यात्री प्रतिदिन आते हैं और करीब पांच सौ ही प्रतिदिन जाते हैं। इतना ही नहीं इन दोनों जिलों (सीकर, झुन्झुनू) से करीब पांच सौ आदमी बस से सफर करते हैं। इस तरह से इन दोनों जिलों से करीब एक हजार यात्री प्रतिदिन दिल्ली से आते व जाते हैं। इस प्रकार पूरी एक रेलगाड़ी की सवारियां होती हैं। रेलवे को सीकर से दिल्ली सीधी रेल चलाने में कोई घाटा नहीं होगा। जन हित में सीकर-दिल्ली के बीच वाया लोहारू एक्सप्रैस रेलगाड़ी उत्तर रेलवे द्वारा शीघ्र चलाए जाने की मांग मैं करता हूं।

(उन्नीस) किसानों की सहायता करने के लिए जीरा तथा सौंफ का समर्थन मूल्य निर्धारित करने और उनका निर्यात बढ़ाने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता

श्री मोती भाई आर० चौधरी (मेहसाना) : सभापति जी, इस साल जीरे और सौंफ के भाव एकदम गिरे हुए हैं। पिछले साल सौंफ और जीरे के भाव ऊंचे बढ़कर 600 रु० प्रति 20 किलो का हो गया था। अब इस साल सौंफ का भाव प्रति 20 किलो का 60 के आसपास हो गया है। और जीरे का भाव प्रति 20 किलो का 100 के आसपास हो गया है। इससे किसान एकदम बरबाद हो रहा है। बिजली, कीटनाशक दवाइयों और दूसरी सब चीजों के बढ़ते हुए दाम में इस भाव में सौंफ और जीरा बिकने से किसान मरा जा रहा है। इसका निर्यात होता है खुले आम लाइसेन्स से। लेकिन इसकी भी मर्यादा आ गई है। इसका निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार को चाहिए कि कुछ अच्छा इन्सेन्टिव देकर निर्यात किया जाए। और नाफेड और एस० टी० सी० के जरिये इसको खरीदा जाये। इसकी सपोर्ट प्राइस सरकार की ओर से तय नहीं होती है। इससे किस रेट से यह खरीदा जाये यह भी निश्चित नहीं है। इसलिए कम-से-कम सौंफ के लिए 200 रु० प्रति 20 किलो का और 300 रु० प्रति 20 किलो का जीरा का सपोर्ट प्राइस जाहिर की जाये और इस रेट से नाफेड और एस० टी० सी० किसानों का माल मंडियों में जाकर खरीदे, ऐसा प्रावधान शीघ्र किया जाये। विलम्ब करने से पानी के भाव में व्यापारियों की खरीदी से किसान लूटा जायेगा। अतः मेरी वाणिज्य मन्त्री से प्रार्थना है कि सपोर्ट प्राइस से किसानों का माल जीरा और सौंफ जल्दी से खरीदा जाये और अच्छा इन्सेन्टिव देकर ज्यादा निर्यात भी किया जाये।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति जी, मैंने नियम 377 में एक मामला दिया था कि हमारे क्षेत्र हाजीपुर में पानी का भयंकर अकाल है। लोग मरने पर बैठे हुए हैं श्री रवीन्द्र वर्मा के नेतृत्व में। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे नोटिस का क्या हुआ ?

सभापति महोदय : मेरे पास है ही नहीं। आप स्पीकर से मिल सकते थे।

श्री रामविलास पासवान : तब मैं वाक आउट करता हूं। कम-से-कम लोग जान तो जाएंगे कि पानी के प्रश्न पर मैंने वाक आउट किया है।

(तत्पश्चात् श्री रामविलास पासवान सभा भवन से बाहर चले गए।)

सभापति महोदय : वाक आउट नहीं है, उनको काम है इसलिए जा रहे हैं।

(बीस) अभ्रक व्यापार निगम में काम करने वाले मजदूरों के वेतनमानों को केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों के बराबर निर्धारित करने की आवश्यकता

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, भारतीय अभ्रक व्यापार निगम (मिटको) केन्द्र विभिन्न शाखाओं के सभी कर्मचारी केन्द्रीय वेतनमान आधार पर माहवारी वेतन पाते हैं किन्तु मिटको के अभ्रक-संसादित करने वाले कारखानों के लगभग 1,000 मजदूर, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी पाने के लिए विवश हैं। वे 1972 से अभी तक माहवारी वेतन लेने के हकदार नहीं हैं। वे श्रम नियमों के अधीन मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हैं। यह सौतेला व्यवहार है। मेरी वाणिज्य एवं श्रम मन्त्री से पुरजोर अपील है कि अभ्रक व्यापार निगम के 1000 मजदूरों का मासिक वेतनमान केन्द्रीय स्तर पर निर्धारित किया जाये ताकि उन्हें क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए विवश नहीं होना पड़े।

3.55 म० प०

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और उसके सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति पर चर्चा

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और उसके सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति पर विचार करती है।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि यह सभा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और उसके सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति पर विचार करती है।"

इसका एक स्थानापन्न प्रस्ताव है। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"कि यह सभा, वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और उसके सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति पर विचार करने के पश्चात सरकार से आग्रह करती है कि वह विदेश नीति को पुनः निर्धारित करे जिसमें पड़ोसियों के साथ मैत्री और

दोनों महाशक्तियों से समान दूरी बनाये रखने के सिद्धांतों को प्रमुखता दी जाये।"

महोदय, मैं आशा करता हूं आप इसे स्वीकार करेंगे।

सभापति महोदय : श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकता हूं और इस पर चर्चा कर सकता हूं?

सभापति महोदय : आपकी बारी आएगी।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : सभापति महोदय, हम माननीय विदेश मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। चार बजने में तीन मिनट हैं। कल, उपाध्यक्ष महोदय ने इच्छा व्यक्त की थी कि सभी विधेयक पारित कर दिए जाएं ताकि हम जल्द-से-जल्द अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार कर सकें। किन्तु आज मैं देखता हूं कि सभापति महोदय ने दोपहर के भोजन के अवकाश की भी घोषणा की है और कई विशेष उल्लेख स्वीकार किए गए हैं और दहेज विधेयक अभी प्रस्तुत किया जाना है। अब, सत्ताधारी दल के सदस्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। किन्तु आज मैं देखता हूं कि वे इतने इच्छुक नहीं हैं। अन्यथा···(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं। हम पूरी तरह से इच्छुक हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हमने अब आरम्भ किया है। हमें इसे पहले आरम्भ करना चाहिए था।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या सी० पी० एम० सरकार की विदेश नीति से असहमत है या नहीं?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मेरी बात सुनने के बाद आपको पता चलेगा।

सभापति महोदय, आप इस बात से सहमत होंगे कि आज भी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति कुछ ऐसी है कि सही दिशा में सोचने वाले लोगों को इससे दोहरी चिन्ता है। इस सदन में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर कई बार विचार हुआ है और इस बात का उल्लेख किया गया है कि युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। और इस बात का खतरा है कि विश्व एक ऐसे युद्ध में घिर सकता है जिससे सम्पूर्ण सभ्यता नष्ट हो सकती है। इस पृथ्वी से मानव जाति का नाश हो जाएगा।

4.00 म० प०

महोदय, इस खतरे को कभी कम नहीं किया जा सकता। आज हम देखते हैं कि सीमित परमाणु युद्ध के नाम पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को न्यायोचित बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। पश्चिम में विशेष रूप से अमरीका और इंगलैंड में लगातार यह प्रचार किया जा रहा है कि परमाणु युद्ध निर्णायक होगा। यह कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहेगा और इससे विश्व के नष्ट होने का कोई खतरा

नहीं है। सबसे अधिक खतरनाक जिस विचारधारा का प्रचार किया जा रहा है वह यह है कि इस युद्ध के बाद भी काफी संख्या में लोग। इस विनाश लीला के पश्चात जीवित रहेंगे। आप मेरी बात से सहमत होंगे कि एक मिथ्या सिद्धांत है। किन्तु यह प्रचार इसलिए किया जा रहा है कि परमाणु युद्ध लोगों को स्वीकार्य हो सके और इसे वैधता प्राप्त हो सके। जैसा कि मैंने विदेश मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा के दौरान कहा कि इस समय विश्व हथियारों पर 600 बिलियन डालर से अधिक व्यय कर रहा है। विकासशील देशों पर यह बहुत अधिक भार है। हथियारों की यह दौड़ विकासशील देशों को अपने संसाधनों को रक्षा और सुरक्षा के प्रयोजनों पर खर्च करने के लिए मजबूर कर रही है। यदि नि:शस्त्रीकरण अथवा हथियारों की इस दौड़ को रोका गया होता तो इन देशों ने अपने सीमित साधनों को लोगों का जीवन स्तर सुधारने, गरीबी, निरक्षरता और बीमारी को दूर करने के लिए विकास और आयोजना पर व्यय किया होता।

उप-निवेशवाद को समाप्त करने की प्रक्रिया बहुत वर्ष पहले आरम्भ हुई और धीरे-धीरे एशिया, अफ्रीका और लेतिन अमरीका के बहुत से देशों को राजनीतिक आजादी मिल गई। किन्तु उप-निवेशवाद समाप्त होने के बाद भी हम देखते हैं कि उप-निवेशवादी आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक ढांचे कायम रहे क्योंकि यह ढांचे साम्राज्यवादियों और उपनिवेशवादियों द्वारा राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपनी प्रभुसत्ता बनाए रखने के लिए बनाए गए थे। दुर्भाग्य से, इस स्वतन्त्रता अथवा राजनीतिक स्वतन्त्रता के बाद भी आर्थिक निर्भरता जारी है। और चूंकि तृतीय विश्व के देशों के लोग राजनीतिक रूप से जागरूक हो गए हैं और साम्राज्यवादी भी अधिक समझदार और चालाक हो गए हैं, इसलिए वे इन देशों को अप्रत्यक्ष तरीके से नियन्त्रित रखने का प्रयत्न करते हैं।

गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में नेताओं ने ठीक ही कहा है कि नई आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय ढांचा ऐसा है, जिसमें विकसित पश्चिमी देश व्यापार के नाम पर विकासशील देशों के संसाधनों को लूट लेते हैं। असमान परिस्थितियों के कारण व्यापार लूट बन गया है। और इसी कारण आर्थिक संस्था के पुनर्गठन की मांग भी की गई है। मैं सदन का ध्यान एक बार फिर इस तथ्य की ओर आकर्षित करूंगा कि आज विश्व की लगभग 20 प्रतिशत आबादी, विश्व के संसाधनों के एक भाग का उपभोग कर रही है। औद्योगिक रूप से विकसित लोगों का विश्व के संसाधनों पर एकाधिकार है। वे लोग अधिक ऊर्जा, अधिक भोजन का उपयोग करते हैं। वास्तव में यदि आप विश्व पर नजर डालें तो यह अमीरों और गरीबों में बंटा है—औद्योगिक रूप से विकसित देश अमीर हैं और विकासशील देश गरीब हैं—और संयुक्त राज्य अमरीका के नेतृत्व में विकसित औद्योगिक देश यह प्रणाली बनाए रखना चाहते हैं, अपनी विशिष्ट स्थिति बनाये रखना चाहते हैं और इसीलिए वह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। पुराने दिनों बन्दूक-जहाज की कूटनीति हुआ करती थी। आज भी हम देखते हैं कि वही स्थिति है। युद्ध भी इस तैयारी से उन्हें दो प्रकार से मदद मिलेगी। पहले, वह युद्ध की तैयारी के लिए संसाधनों का निवेश कर रहे हैं। और यह आज महावर था जिसने संयुक्त राज्य अमरीका में सैनिक औद्योगिक कम्पलैक्स की ओर ध्यान दिलाया था। इस युद्ध उत्पादन द्वारा वह अपनी अर्थव्यवस्था को चलाए रख सकते हैं। दूसरे, वे विकासशील देशों पर भारी दबाव डाल सकते हैं और इसीलिए उनके लिए यह आवश्यक है कि वह विश्व के विभिन्न भागों में ऐसी परिस्थितियां पैदा करें ताकि विकासशील देश अपने संसाधनों को युद्ध प्रयोजनों की ओर लगाने के लिए मजबूर हों और वे हथियारों का उत्पादन भी करते ताकि हम हथियार खरीदें और हम

जीवन उपयोगी अन्य वस्तुओं का उत्पादन न करें। वह इसी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए वह यथास्थिति बनाए रखने में दिलचस्पी रखते हैं। अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और यह सब विकसित पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियां यथास्थिति—प्रभुसत्ता और निर्भरता की स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए, आप देखेंगे कि उनकी सभी गतिविधियां एक ही लक्ष्य की ओर प्रेरित हैं—सबसे पहले अस्थिरता की परिस्थितियां पैदा करो, अनिश्चितता के हालात पैदा करो और हस्तक्षेप करने के लिए भी तैयार रहो और जब कभी भी आवश्यक हो साम्राज्यवादी शक्तियों के हित में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार रहो।

उन्होंने तुरत नियोजन बल (रेपिड डेप्लायमेंट फोर्स) का गठन किस उद्देश्य से किया है।

तुरत नियोजन बल क्या है ? यह संयुक्त राज्य अमरीका का केवल चलता-फिरता हस्तक्षेपकारी बल है। वे किसी भी स्थान पर हस्तक्षेप कर सकते हैं, वे सैनिक ले जा सकते हैं, वे काम करके वापस आ सकते हैं। आप देखेंगे कि जब कभी भी आवश्यक हुआ उन्होंने लेबनान में हस्तक्षेप किया। न केवल हस्तक्षेप किया बल्कि ग्रेनाडा पर खुल्मखुल्ला कब्जा कर लिया। यह है साम्राज्यवादी ताकतों की नीति। यह है अमीरों और गरीबों में बंटा विश्व, जो हम आज देख रहे हैं। विकासशील देश, विकसित देशों, साम्राज्यवादी ताकतों के आर्थिक शोषण के विरुद्ध लड़ने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, क्या प्रो० चक्रवर्ती मुझे हस्तक्षेप करने की अनुमति देंगे ? महोदय, जब हस्तक्षेप की बात चल रही है, तो उन्हें अफगानिस्तान में हस्तक्षेप के बारे में भी बताना चाहिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : चिन्ता न करें। आपकी सन्तुष्टि के लिए मैं वह भी करूंगा।

सभापति महोदय, अंग्रेजों ने भारत में किस प्रकार राज किया ? उन्होंने भारत में राज इसलिए किया क्योंकि यहां पर देशद्रोही थे। राजा, महाराजा लोग देशद्रोही थे। जो देशद्रोही थे उन्हें कुछ विशेषाधिकार दिए गए। आज भी यदि आप तृतीय विश्व के देशों को देखें तो यहां पर देशद्रोही हैं। और इन साम्राज्यवादी शक्तियों को देशद्रोहियों की आवश्यकता है। ये देशद्रोही कौन लोग हैं ? वे मुख्यतः वे राज्य हैं जहां सत्ताधारी वर्ग का सामाजिक आधार बहुत संकीर्ण है—या तो वे सैनिक तानाशाह हैं, अथवा राजा या मिलिटरी प्रशासक परिषद है। यह इसलिए है कि वे लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते जैसे कि भारत में राजा-महाराजा लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इसलिए, उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ भारतीय लोगों के विरुद्ध गठबन्धन किया। आज भी ऐसे शासन हैं जिनका अमरीका के साथ गठबंधन है। यह प्रतिक्रियावादी शासन है और यह और कुछ न होकर केवल अमरीकी साम्राज्यवाद के मोहरे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : और 1942 में किसने उनका साथ दिया था ?

सभापति महोदय : कृपया बीच में हस्तक्षेप न करें। जब तक वह नहीं मानते मैं अनुमति नहीं दे सकता।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : किन्तु 1942 में किसने उनका साथ दिया था ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : महोदय, वह उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। इसलिए वह इस बारे में कुछ भी नहीं जानते ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आज के विश्व में हम पाते हैं कि विकासशील देश मांग करते हैं कि विकसित देशों के संसाधनों का एक भाग उनके विकास के लिए उन्हें दिया जाए तो विकसित देशों और साम्राज्यवादी देशों द्वारा इसका कड़ा विरोध होता है। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि अमरीका चाहता है कुछ देश जिनकी जनसंख्या ज्यादा है और अपने संसाधनों का उपयोग कर सकने की स्थिति में नहीं है, आर्थिक सहायता के हकदार नहीं हैं और उन्हें मिट जाने दिया जाए। केवल उन्हीं देशों को आर्थिक सहायता दी जाएगी जिनकी जनसंख्या कम है और जो अमरीका के साथ गंठबन्धन करने को तैयार हैं। यह एक खतरनाक सिद्धांत है जो उन्होंने प्रतिपादित किया है।

महोदय, हमारा देश गुट-निरपेक्ष आंदोलन का नेता है। गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में हमने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के असन्तुलन का ठीक ही उल्लेख किया। हम एक ऐसा विश्व बनाने के लिए, जहां संसाधनों का समान बंटवारा हो, उत्तर-दक्षिण वार्ता करने के इच्छुक हैं। किन्तु, हमारी सभी अपीलें बेकार गई हैं। कोई भी पश्चिमी देश, कोई भी साम्राज्यवादी शक्ति, विकासशील देशों के साथ अपने संसाधन बांटने को तैयार नहीं हैं, जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के साथ अपने संसाधनों को बांटने के लिए तैयार नहीं है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : नहीं, नहीं, इस प्रकार से नहीं।

सभापति महोदय : क्या तुलना है !

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : जी, हां, जब राज्य मांग करते हैं तो आप सहमत नहीं होते।

इसलिए, अब हम दक्षिण-दक्षिण वार्ता करवाना चाहते हैं। हमें अपने संसाधनों का पूल बना के एक-दूसरे की सहायता करनी चाहिए तथा संयुक्त रूप से साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ लड़ना चाहिए। गुट-निरपेक्ष आंदोलन मूल रूप से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक आंदोलन है। यह स्थाई शक्तियों के विरुद्ध विकासशील देशों का संयुक्त मोर्चा है। यह पिछड़े हुए देशों के विकास के लिए एक संयुक्त मोर्चा है।

महोदय, विकासशील देशों जैसे भारत और इसके पड़ोसी देशों के सम्मुख कौन-सी समस्यायें हैं ? सबसे पहली समस्या हमारी राष्ट्रीय अखण्डता की समस्या है। क्योंकि ये राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर हैं इसलिए आप देखेंगे कि साम्राज्यवादी शक्तियां यहां काम कर रही हैं ताकि यहां राष्ट्रीय विघटन हो और इसीलिए तो वे उन ताकतों को बढ़ावा देते हैं, जो विघटनकारी कार्यों में रुचि रखते हैं। आप इसे केवल भारत में ही नहीं पाएंगे बल्कि अफ्रीकी देशों और लेटिन अमरीका के देशों में भी पाएंगे।

इन देशों की दूसरी समस्या आर्थिक विकास की समस्या है। यह सच है कि इन देशों के आर्थिक विकास के लिए विकसित देशों से प्रौद्योगिकी और संसाधनों की अदला-बदला जरूरी है। इसी तरह यह भी अत्यन्त अनिवार्य है कि इन देशों में आमूल आर्थिक सुधार हो। जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का

सम्बन्ध है, यदि हम संसाधनों के बराबर वितरण की मांग करते हैं तो क्या यह तर्क संगत नहीं है कि आंतरिक रूप से भी संसाधनों का बराबर वितरण होना चाहिए ? इसीलिए तो हम देखते हैं कि इन सभी देशों में भूमि सुधार व संसाधनों के बराबर वितरण में अभाव होने के कारण एक विशिष्ट वर्ग, निहित स्वार्थ वाले लोग हैं, जो किसी प्रकार के आमूल भूमि सुधार के विरुद्ध हैं तथा कुछ ऐसी सरकारें भी हैं जो आमूल सुधार की उपेक्षा करके निहित स्वार्थों के हितों की रक्षा करने का प्रयास कर रही हैं। अन्यथा, यदि यह न होता तो ये सभी सरकारें कहेंगी कि क्योंकि विकसित देशों ने हमें संसाधन देने से इन्कार किया है इसलिए यहां गरीबी है, बेरोजगारी है। यह गलत बात है। यह इसका एक भाग है। वास्तव में इनमें से अधिकांश देश, जहां सैनिक शासन है, आमूल आर्थिक सुधार के माध्यम से किसी प्रकार के आमूल आर्थिक सुधार संसाधनों के बराबर वितरण, गरीबी और बेरोजगारी का मुकाबला करने से इन्कार करते हैं। महोदय, आंतरिक नीति में भी आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए।

इस पृष्ठभूमि में हमें देखना चाहिए कि हमारे देश के इर्द-गिर्द क्या हो रहा है। यह सही है कि अब हम शत्रु पड़ोसियों से घिरे हुए हैं, मैं इस शब्द 'शत्रु' का प्रयोग जान बूझकर कर रहा हूं क्योंकि हमारे कुछ पड़ोसी देश हमारे शत्रु हो गए हैं। अब प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों हुआ है? किसी देश की विदेश नीति इस बात से आंकी जाती है कि वह अपने पड़ोस देश से अच्छे सम्बन्ध बनाने में कितना समर्थ है। लेकिन यहां आप देखेंगे कि हमारे पड़ोसी हमारे शत्रु बन गए हैं। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी व उनकी तरह कुछ ऐसे लोग हैं जो यह विश्वास करते हैं कि हमारी नीति के कारण ये देश हमारे शत्रु बन गए हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप क्या विश्वास करते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं जो विश्वास करता हूं, अभी बताऊंगा।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं वे सही नहीं हैं। वे अमरीकी साम्राज्यवाद की कार्यवाहियों को कभी नहीं देखेंगे और हमारे इर्द-गिर्द कौन-सी ताकतें काम कर रही है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय, पाकिस्तान को लीजिए, मैं पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध चाहता हूं, हमें पाकिस्तान की जनता से सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रखने चाहिए, लेकिन डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी के विचारों से भिन्न मैं पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान शासक के बीच भेद बताता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वे कम्युनिस्ट पाकिस्तान चाहते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : पाकिस्तान क्या है ? पाकिस्तान अमरीका की युद्ध नीति का एक भाग है। अमरीका की विश्व में प्रभुत्व जमाव की चाल में पाकिस्तान अमरीकी साम्राज्यवाद का स्वैच्छिक सहयोगी है। पाकिस्तान सरकार दूसरों से साठ-गांठ से चलने वाली सरकार है। पाकिस्तान सरकार का समर्थन आधार बहुत संकुचित है।

कल मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। मैंने देखा कि पाकिस्तानी सिपाहियों में से 70 प्रतिशत सिपाही पश्चिम पंजाब से हैं। इसीलिए तो उनकी अपनी व्यवस्था अस्थिर है।

पाकिस्तान के बारे में निम्नलिखित दो बातें हैं :--

1. वह साम्राज्यवादी शक्तियों से सहयोग लेता आ रहा है।

2. वह दो राष्ट्र के सिद्धान्त पर विश्वास रखता है। और उस सिद्धान्त के कारण उसे बांगला देश से हाथ धोना पड़ा था। वे भारत के मुसलमानों सहित उप-महाद्वीप के मुसलमानों की ओर से बोलना चाहते हैं। इस तरह वे कश्मीर पर अपना हक उचित ठहराने का प्रयास करते हैं।

एक बात हुई है। हम देखते हैं कि भारत में कुछ नेता हैं जो जिया-उल-हक की प्रशंसा करते हैं। वे उनके शांतिपूर्ण इरादे को प्रमाणित करते हैं। मैं नहीं समझता कि क्यों? पत्रिकायें और समाचार पत्र भी कह रहे हैं, किन्तु मैं विश्वास नहीं करता कि जिया-उल-हक शांतिप्रिय हैं। वह बाज नहीं है, वह एक फाखता है और वह निश्चय अनाक्रमण युद्ध न करने से सन्धि करने के इच्छुक हैं। उनके साथ युद्ध न करने की सन्धि कैसे हो सकती है जब तक पाकिस्तान इस बात से सहमत नहीं हो जाता है कि वह किसी विदेशी शक्ति यहां तक कि संयुक्त राज्य अमरीका को भी सैनिक अड्डे के लिए अपनी भूमि या अपना क्षेत्र नहीं देगा।

वर्ष 1981 में उन्होंने संयुक्त राज्य अमरीका के साथ पारस्परिक सुरक्षा समझौते पर सैनिक सुरक्षा सन्धि करनी चाही। फिर समझौते से वे "सन्धि" कार्य 1959 की सन्धि के आधार पर आये, जिसमें बगदाद सन्धि का उल्लेख है, इसका क्या मतलब है?

वर्ष 1981 में जिया-उल-हक ने संयुक्त राज्य अमरीका के साथ 1959 के पारस्परिक सुरक्षा समझौते का दर्जा बढ़ाकर उसे पूर्ण रूपेण सुरक्षा सन्धि बनाने के लिए कहा। संयुक्त राज्य आर्म्स एण्ड एग्रीमेंट ने 1959 के अमरीकी समझौते को पुनः निश्चित किया जिसमें बगदाद सन्धि का उल्लेख था। यदि स्थिति यह है तो क्या पाकिस्तान वास्तव में गुट-निरपेक्ष देश है, यद्यपि वह गुट-निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य है? यह एक खतरा है। यदि पाकिस्तान संयुक्त राज्य अमरीका से अलग हो जाता है, यदि पाकिस्तान एक स्वतन्त्र व वास्तविक गुट-निरपेक्ष नीति अपनाता है वे उचित गुट-निरपेक्षता की बात कर रहे हैं। तो इसे पाकिस्तान को सम्बोधित किया जाना चाहिए, वे पाकिस्तान को सम्बोधित नहीं करते हैं।

पाकिस्तान को गुट-निरपेक्ष की नीति अपनानी चाहिए। उसके बाद ही पाकिस्तान शांति का रुख अपना सकता है। जब तक पाकिस्तान अपनी नीति नहीं बदलेगा तब तक यह कठिन है। और तब तक समस्या रहेगी। मैं विदेश मन्त्री का ध्यान पाकिस्तान में प्रजातन्त्र की बहाली के लिए आन्दोलन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है "सैनिक शासक से बात न करिये, जनता के प्रतिनिधियों के साथ बात कीजिए। हम प्रजातन्त्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।" वे यह कहते हैं कि पाकिस्तान में जब तक प्रजातन्त्र की पुनः स्थापना नहीं हो जाती तब तक वहां स्थायी शांति नहीं हो सकती। निश्चित रूप से, यदि हम पाकिस्तान में प्रजातन्त्र की पुनः स्थापना के लिए आन्दोलन में सहायता और समर्थन करते हैं तो यह आन्तरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं है। यह इसलिए आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में प्रजातांत्रिक सरकार होनी चाहिए ताकि कोई सार्थक बातचीत की जा सके। इसका मतलब यह नहीं कि मैं यह कहूंगा कि जब तक जिया-उल-हक सत्ता में हैं, तब तक भारत सरकार को कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। अनेक कठिनाइयों के बावजूद हमें अच्छे सम्बन्ध बनाने चाहिए और उसके लिए प्रयास करने चाहिए।

महोदय, डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी चले गए हैं। जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और अमरीकी स्रोतों से यह उल्लेख करना चाहूंगा कि अमरीका अफगानिस्तान को पाकिस्तान के माध्यम से हथियार आदि भेज रहा है और अफगानिस्तान शासन से लड़ने के हेतु पाकिस्तान अफगानिस्तान को सशस्त्र कर्मचारी भेजने में इच्छुक है। यदि यह होता है तो अफगानिस्तान में शांति कैसे हो सकती है।

अब मैं बांगला देश की ओर आता हूं। एक दिन हमने बांगलादेश की सीमा पर कंटीले तारों की बाढ़ लगाने आदि के सम्बन्ध में चर्चा की थी। हम बांगला देश के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध चाहते हैं। जब बांगला देश में प्रजातन्त्र पुनः कायम हुआ और जब वह आजादी की लड़ाई के बाद स्वतन्त्र हुआ तो हम और भारत की जनता बहुत प्रसन्न हुए थे। हम वास्तव में प्रसन्न थे कि उस समय हमारे पड़ोसी देश ने प्रजातन्त्र ग्रहण किया, गुट-निरपेक्ष में शामिल हुआ और शांति में शामिल हुआ। दुर्भाग्यवश समय बदल गया और फिर मैं देखता हूं कि श्री इरशाद वाशिंगटन गए और कहा; और अमरीका को मेरी सहायता करनी चाहिए क्योंकि मैं कम्युनिस्ट राज्यों— पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा से घिरा हुआ है। उन्होंने इस तरीके से अमरीका से समर्थन और सहायता प्राप्त करनी चाही। और बांगलादेश में, आज जहां प्रजातन्त्र है? वहां अस्थिरता है। महोदय, हमें बांगलादेश के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने के प्रयास करने चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ बांगला देश में प्रजातांत्रिक सरकार होनी चाहिए। बांगला देश में अस्थिरता होना हमारे लिए खतरा ही है। हमें साम्राज्यवादी शक्तियों को बांगला देश में अपना प्रभाव डालने की कभी अनुमति नहीं देनी चाहिए। वह हमारे लिए और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के लिए तथा विश्व शांति के लिए खतरनाक होगा।

श्रीलंका में समस्यायें हैं। मन्त्री महोदय, पहले ही एक वक्तव्य जारी कर चुके हैं, मैं इस बात से सहमत हूं कि वहां राजनीतिक समझौता होना चाहिए। लेकिन वहां फिर यह समस्या है। जब तक श्रीलंका में प्रजातांत्रिक ताकतें जोर नहीं पकड़ेंगी तब तक श्रीलंका में कोई चिर स्थायी हल नहीं हो सकता। वह प्रजातन्त्र की जनता है जो प्रजातांत्रिक हल करने में अपना परिचय दे सकती है। अब तक यह किया जाता है, तब तक हल ढूंढना बहुत कठिन है। श्रीलंका सरकार को चाहिए कि वह इसे महसूस करे और भारत को काफी सतर्क रहना चाहिए ताकि संयुक्त राज्य अमरीका इससे कोई फायदा न उठा सके। ऐसा लगता है कि उसने पहले ही फायदा ले लिया है, उसने त्रिनकोमेली में पांव जमा लिया है तथा श्रीलंका में अमरीकी साम्राज्यवाद का भी खतरा है।

अब में चीन-भारत के सम्बन्धों के प्रश्न पर आता हूं। चीन हमारा बड़ा पड़ोसी देश हैं। उनके साथ हमारे मतभेद ह। लाकन हमें चीन के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखने चाहिए आर हमें उनके साथ अपने विवादों को निपटाना चाहिए। अब आप देखेंगे कि अधिकांश लोग जो भारत और चीन में रहते हैं, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़े हैं। अतः साम्राज्यवाद के खिलाफ और साम्राज्यवादी ताकत की इस शासन-की स्थिति को कुचलने के लिए आम राय होनी चाहिए। मैं समझता हूं हमें इस मसले के हल के लिए निष्कपट प्रयास करने चाहिए और चीन को भी निष्कपट प्रयास करने चाहिए। इन दो महान् देशों के बीच किसी प्रकार के तनाव से साम्राज्यवाद-विरोधी शक्ति कमजोर होगी और इसलिए यह नितान्त आवश्यक है कि हमारे चीन के साथ अच्छे सम्बन्ध होने चाहिए।

भारत सरकार कह रही है कि हमें अन्दर से और बाहर से खतरा है। बाहर से जो खतरा है वह

मुख्यत: संयुक्त राज्य अमरीका की विघटनकारी अस्थिरीकरण और अशांति की नीति से है।

आपने देखा है कि निकारागुआ में क्या हुआ है। सी०आई०ए०के साथ अदृश्य सरकार काम कर रही है, सभी अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रही है पत्तनों में खानें बिछा रही है और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार कहती है कि एक सीमित अवधि के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कानून प्रभावहीन हो जाएंगे। यह क्या हो रहा है? वही संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार भारत के इर्द-गिर्द अस्थिरता पैदा करने में भी लगी है।

हम इससे कैसे निपट सकते हैं? क्या यह नए हथियार लेने से होगा? हो सकता है। यदि यह नितान्त अनिवार्य है तो ऐसा करना चाहिए। यदि आप इसके बिना निपट सकते हैं तो और भी अच्छा है। लेकिन यदि हमें मजबूर किया जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं समझता हूं, जैसे कि लेनिन ने कहा था कि किसी देश की बेहतर रक्षा उस देश की जनता की एकता, जनता की सजगता है। यदि लोग एकजुट हों और राजनीतिक दृष्टिकोण से सजग हों, तो वह एक शक्तिशाली ताकत बनेगी जिसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं हरा सकती। वियतनाम का उदाहरण है। किसान न केवल एक साम्राज्यवादी शक्ति से लड़े बल्कि वे जापान, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमरीका से भी लड़े, क्योंकि उनकी चाह थी, उनमें एकता तथा देश भक्ति की भावना थी और उन्होंने सबको पराजय किया। क्यों? उनके पास कोई आधुनिक हथियार नहीं थे। यह केवल लोगों की एकता, लोगों की चाह और उनकी देश भक्ति के कारण हुआ।

आज भारत में आप क्या पाते हैं? जब आप बाहरी खतरों की बात कर रहे हैं तो यदि आप आंतरिक तौर पर देखें तो पाएंगे कि यहां विघटनकारी ताकतें हैं। स्वतन्त्रता के इतने वर्षों के बाद भी हम राष्ट्र को एक साथ रखने में असफल हैं। हमें गम्भीरतापूर्वक अपने दिलों में टटोलना चाहिए कि ऐसा क्यों है। ऐसा क्यों है कि हम राष्ट्र को एक साथ नहीं रख सकते? क्या यह विदेशी हाथ के कारण ही है अथवा उन नीतियों के कारण है जिन पर कि सरकार चल रही है? क्यों? कुछ तो कहिए। निश्चित ही सरकार द्वारा पालन की जा रही नीति में कुछ ऐसा है जो अस्थिरीकरण की ओर विघटन की ताकतों को मजबूत बना रहा है। इसका उत्तर आपको देना है।

आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या आप राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति का अनुपालन कर रहे हैं? आप राष्ट्रीय स्तर पर दल-बदलाव की नीति का अनुपालन कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति का नहीं। यह भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है। बाहरी तौर पर, यद्यपि आप इस बात की घोषणा करते हैं कि आप युद्ध की शक्तियों से लड़ना चाहते हैं। आंतरिक तौर पर आप ऐसी नीति का अनुपालन कर रहे हैं जो लोगों का विघटन कर रही है। आंतरिक तौर पर आप ऐसी नीति का अनुपालन कर रहे हैं जिससे शक्ति और धन का केन्द्रीकरण हो रहा है। क्या इस तरह के राष्ट्र के साथ आप वास्तव में विदेशी ताकतों से लड़ने की स्थिति में हैं? मैं समझता हूं, आप उन ताकतों से लड़ने की स्थिति में नहीं है।

क्या सरकार लोगों को उत्तेजित कर रही है? डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी जैसे लोग बराबरी की बात करते हैं जबकि आप 'बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वन्द्विता' की बात करते हैं। क्या बड़ी शक्तियों की प्रति द्वन्द्विता के कारण ऐसा है?

मैंने इस बात का विश्लेषण किया है और शिखर सम्मेलन भी इस बात से सहमत है कि यह संघर्ष विकासशील देशों और विकसित देशों के बीच है। संघर्ष साम्राज्यवाद और नवस्वतन्त्र देशों के बीच भी है।

सभापति महोदय, यदि ऐसी बात है तो आप इस बात से सहमत होंगे कि यह संघर्ष है, अमेरिका सभी समाजवादी देशों को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। वे यही चाहते हैं। बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वन्द्विता की बात करने की बजाय क्या हमें उन ताकतों के साथ एकजूट नहीं होना चाहिए जोकि शान्ति चाहती हैं, जो साम्राज्यवाद से लड़ना चाहती हैं ? ये ताकतें समाजवादी देशों में हैं। यही कारण है कि हमें अपना संघर्ष आगे बढ़ाने और अपने इस संघर्ष को मजबूत बनाने के लिए अपने प्रबद्ध स्वहित के कारण हमें युद्ध की ताकतों, अस्थिरीकरण की ताकतों और शोषण की ताकतों, अस्थिरीकरण की ताकतों और शोषण की ताकतों के विरुद्ध एक समान मंच के रूप में समाजवादी देशों के साथ एकजुट होना चाहिए। लेकिन तब आप बड़ी शक्तियों की प्रतिद्विन्द्विता की बात करते हैं। और अन्य कोई समानता की बात कर रहा था। यह दृष्टि को अस्पष्ट कर देने के अलावा कुछ नहीं है, यह लोगों की आंखों में धूल झोंकने के अलावा कुछ नहीं, यह दुश्मन से लड़ने की इच्छा के अभाव और शत्रु की पहचान करने के अभाव और लोगों को उत्तेजित करने के अलावा कुछ नहीं है। यदि आप स्पष्ट तौर पर यह नहीं कह सकते कि अमेरिका वाले अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं; यदि आप खुलासातौर पर यह नहीं कह सकते कि संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध की तैयारी कर रहा है तो आप उन ताकतों के विरुद्ध जोकि युद्ध की तैयारी कर रही हैं लड़ने के लिए किस तरह लोगों की पहचान कर सकते हैं, उन्हें उत्तेजित कर सकते हैं और उन्हें एकजुट कर सकते हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

अब सरकार को अमेरिका की युद्ध योजनाओं की निन्दा करने में, शोषण की प्रणाली-अंतर्राष्ट्रीय शोषण प्रणाली की निन्दा करने में और गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को मजबूत बनाने में एकदम स्पष्ट होना चाहिए। यह हमारी आशा है ताकि हम शोषणकर्ताओं से एकजुट होकर लड़ें इसके साथ ही मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, कृपया उसके लिए मुझे दो मिनट का समय दीजिए। आज हम बौद्धिक उपनिवेशवाद देख रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा खतरा है। आइवर जैनिंग्स ने कहा है कि हम भारत में भले ही न रहें लेकिन हम अंग्रेजी के कारण भारतीय लोगों के मस्तिष्क पर शासन कर सकते हैं। यह पश्चिमी शिक्षा है। और पश्चिमी बौद्धिक पद्धति ही हम पर शासन कर रही है। हम ज्ञान के निर्माता नहीं हैं, हम तो ज्ञान के उपभोक्ता हैं; जो कुछ ज्ञान पश्चिम में तैयार किया जाता है हम तो उसकी खपत करते हैं। यह बौद्धिक उपनिवेशवाद है। इसके बारे में सतारुढ़ दल के किसी सदस्य से अथवा सरकार से कोई बात सुनने को नहीं मिलती। मैं यह पता करना चाहता हूं। आप सूचना व्यवस्था की बात कर रहे थे।

4.38 म० प० **(श्री चिन्तामणि पाणीग्रही पीठासीन हुए)**

यदि आप बौद्धिक उपनिवेशवाद को देख नहीं पाते और यदि आप ज्ञान के उपभोक्ता बने रहते हैं, यदि हमारे मस्तिष्क पर उन लोगों का नियंत्रण रहता है जो हमारा शोषण करना चाहते हैं। अथवा हमारा शोषण कर रहे हैं तो अन्य क्षेत्रों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना अत्यन्त कठिन होगा।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं कहूंगा कि जापान के प्रधानमन्त्री ने हमारे देश की यात्रा

की यह अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अब सैन्य स्थिति की दृष्टि से जापान एक महत्वपूर्ण देश बन गया है। 1984 की सहयोग भावना के नाम पर अमेरिकी सेनाओं, जापानी सेनाओं और दक्षिण कोरियाई सेनाओं ने एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था। अब जापान एक सैन्य शक्ति बन रहा है। वहां सैन्यीकरण शुरू हो गया है; अमेरिका ने जापान से कहा है कि उसे अमेरिका के सैन्य भार में सहयोग करना होगा, जापान वैसा ही कर रहा है ; वे उत्तरी कोरिया पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। मैंने समाचारपत्रों में यह देखा है कि वे उत्तरी कोरिया पर आक्रमण करने के लिए दक्षिणी कोरिया में विनाशकारी प्रक्षेपास्त्र लगाने जा रहे हैं। ये खतरे हैं। आप आर्थिक सम्बन्धों का विकास कीजिए। सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि वहां वह खतरा है। आप भी जानते हैं कि दक्षिण कोरिया की क्या स्थिति है। यह अमेरिका के एक उपनिवेश के अलावा कुछ नहीं है। वहां कोई लोकतन्त्र नहीं है। अगले दिन आपने देखा होगा कि छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। उत्तर कोरिया की सरकार ने विश्व संसद से अपील की है कि कोरिया का एकीकरण होना चाहिए, दक्षिण कोरिया से अमेरिकी सेनाएं हटायी जानी चाहिए। दोनों कोरियाओं का एकीकरण शांतिपूर्ण एकीकरण होना चाहिए। मैंने इस बात का इसलिए उल्लेख किया क्योंकि जापान के प्रधानमंत्री यहां आए और उन्होंने तमाम अच्छी बातें कहीं। उन्होंने हमारी प्रधानमंत्री की प्रशंसा की लेकिन वह इस बात का उल्लेख करना भूल गए कि संयुक्त सैन्य अभ्यास की अनुमति कैसे दी जा रही है।

महोदय अन्त में मैं कहूंगा कि यदि आप वास्तव में ही लड़ना चाहते हैं तो आपको भारत को संगठित करना होगा। अब आपको भिंडरावाले का भय है ? आप किस तरह फोर्सेज से लड़ेंगे ? उसके लिए आर्थिक नीति में पूरी तबदीली आवश्यक है और महाशक्तियों की प्रतिद्वन्द्विता की बात करने के बजाय आपको समाजवादी देशों और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बीच सम्बन्धों को मजबूत बनाना चाहिए और अस्थिरीकरण की ताकतों के साथ और युद्ध की ताकतों के साथ लड़ना चाहिए। धन्यवाद।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : सभापति महोदय, डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी का प्रस्थावित संशोधन पढ़ने के बाद पुरानी स्मृतियां जाग उठती हैं। जनता पार्टी के सत्ता में आने से पूर्व अपने चुनाव घोषणा में उन्होंने इस बात का सुझाव दिया था कि वे देश की विदेश नीति को बदल देंगे क्योंकि इसका झुकाव एक महाशक्ति की ओर किया जा रहा है। लेकिन अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा विदेश मन्त्रालय संभालने के पश्चात उन्होंने वक्तव्य दिया कि भारत-सोवियत सम्बन्धों भारत-सोवियत मैत्री की विदेश नीति कर आधार मजबूत है। इसलिए मैंने सोचा कि नीति का एक तरफ झुकाव होने की बात समाप्त हो गई लेकिन आज डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने व्यर्थ में ही यह कह कर इस बात का उल्लेख किया कि :

> "....पड़ोसी देशों के साथ मित्रता को प्रमुखता देकर और दोनों महाशक्तियों से अपने आपको दूर करके।"

मुझे नहीं पता कि क्या डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी को इस तरह की भाषा में बात करने का अपनी पार्टी की ओर से अधिकार है। यदि उनकी पार्टी इसे स्वीकार कर लेती है तो वह इसके लिए जिम्मेदार होगी।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : यह हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति के निर्णय का एक अंश है।

श्री बृजमोहन महन्ती : महोदय, हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और अनुभवों की उपेक्षा नहीं कर सकते। हमें सही परिप्रेक्ष्य में इनका विश्लेषण करना होगा।

जब हम अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि अमेरिका के साथ हमारे मतभेद दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 'यूनेस्को' से अलग होने की धमकी दी है। श्री रीगन ने न केवल चीन की यात्रा की है अपितु उन्होंने चीन को परमाणु सहायता के सम्बन्ध में रियायत भी दी। मानव अधिकार क्षेत्र के लिए सहायता के बारे में कार्टर फार्मूला में पाकिस्तान के पक्ष में उस समय छूट दी गई जब उनको वित्तीय सहायता दी गई यद्यपि पाकिस्तान में मानव अधिकारों का आदर नहीं किया जाता है। अब हमने देखा कि परमाणु प्रवर्जनन नियमों में उसके लिए छूट दी जा रही है। उन्होंने हमें तारापुर में प्रयोग में लाए गए परमाणु ईंधन को पुनः शोधित करने की अनुमति नहीं दी लेकिन चीन से इस रियायत की अनुमति दी गई है। यह बात समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। केवल इतना ही नहीं, चीन-अमेरिका-पाकिस्तान सहयोग प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए अकेले पाकिस्तान की चर्चा करने और विश्लेषण करने का कोई लाभ नहीं है। हमें पाकिस्तान के साथ चीन और अमेरिका का विश्लेषण करना होगा।

हमें एक अन्य पहलू को नहीं भुला देना चाहिए कि जिया-उल-हक ने अमरीकी समाचार पत्रों को एक वक्तव्य दिया है। वह अमरीका से सुरक्षा की गारन्टी चाहता है। इसका मतलब है अमरीका पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए गारन्टी होगा। यह गारन्टी पाकिस्तान को सप्लाई किए गए हथियारों, डियेगो ग्रासिया में सैनिक अड्डे के निर्माण और पाकिस्तान को दिये जाने वाले समर्थन के अतिरिक्त है। अब पाकिस्तान इससे सन्तुष्ट नहीं है। पाकिस्तान चाहता है और जिया-उल-हक चाहता है कि उसे सुरक्षा की गारन्टी अवश्य मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के रक्षा मन्त्री ने स्पष्ट रूप से दावा किया है, चाहे अमरीका पाकिस्तान में सैनिक अड्डा बनाए अथवा नहीं तथ्य यह है कि अमरीका को सुरक्षा की योजना ऐसी तैयार करनी चाहिए, मानो पाकिस्तान में उसके सैनिक अड्डे हों। यही स्थिति है। आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि पाकिस्तान स्वतन्त्र रहेगा ? यह सम्भव नहीं है। उनकी आन्तरिक स्थिति ऐसी है। वहां धार्मिक रुढ़ीवाद है। धार्मिक रुढ़ीवाद पाकिस्तानी सैनिक शासकों के अस्तिव का मुख्य आधार है। यही कारण है कि अहमदियों को अलग-थलग कर दिया गया और उन्हें दूसरी श्रेणी का नागरिक बना दिया गया। आप जानते हैं कि वहां पर ऐसा हो रहा है। हम जानते है कि पाकिस्तान के सैनिक शासक इस प्रकार के धार्मिक रुढ़ीवाद से जुड़े हुए हैं। यह कैसे सम्भव हो पायेगा कि वे इस स्थिति से निकल आए और भारत के साथ औचित्य के आधार पर मित्रता स्थापित करें। वहां कई आन्तरिक गड़बड़ियां हैं। पाकिस्तान में प्रतिदिन लोकतांत्रिक आन्दोलन की चेतना बढ़ रही है। पाकिस्तान के शासक समझते हैं उनका सत्ता में रहना कि यथा शक्ति से समझौते से ही है। सम्भव है, क्योंकि वे यथा शक्ति की कठपुतली जो हैं। यह स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है और अब रुढ़ बनती जा रही है। पाकिस्तान अमरीका की कठपुतली है। मैं यह सभी बातें सभा के समक्ष रख रहा हूं। केवल इतना ही नहीं, पाकिस्तान हर किस्म के हथियार और गोला बारूद इकट्ठा कर रहा है, उनके हथियार भारत की सीमा पर हैं। कोई तीन महीने पहले, सोवियत संघ के न्यू टाइम्स ने यह कहते हुए भारत को चेतावनी दी थी कि पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान की 30 प्रतिशत टैंक शक्ति जमा की गई है। केवल इतना ही नहीं, अफगान शरणार्थियों को विभिन्न स्थानों को भेजा जा रहा है, हो सकता है वे बागी आदिवासियों के रूप में भेजे जा रहे हों। स्थिति यह है।

आप अफगानिस्तान की समस्या के बारे में जानते हैं। 30 लाख अफगान शरणार्थी पाकिस्तान के अन्दर तबाही मचा रहे हैं। पाकिस्तान इसके बारे में सोवियत संघ से विचार-विमर्श नहीं करना चाहता है। महोदय, हम किसी देश में दूसरे देश की सेना के होने का विरोध करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं। हम अफगानिस्तान में सोवियत सेना की मौजूदगी का विरोध करते हैं। परन्तु एक बात हमें याद रखनी है। वहां कुछ ऐसी स्थितियां हैं। जब तक उसमें सुधार नहीं होता, सोवियत सेना की वापसी सम्भव नहीं है। आप इससे सहमत हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अफगानिस्तान में सोवियत सेना की मौजूदगी पाकिस्तान को भारत पर आक्रमण करने से रोक रही है। हमें यह बात नहीं भुला देनी चाहिए! यह स्थिति की यथार्थता है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, क्या सरकार की यही नीति है ? अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का आक्रमण पाकिस्तान को भारत पर हमला करने से रोकता है ?

श्री बृज मोहन महन्ती : आप क्यों परेशान हो रहे हैं। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। यह पाकिस्तानी आक्रमण में बाधक हैं। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी सोवियत संघ अपनी सेना वापस करता है, उतना अच्छा है। परन्तु वास्तविकता क्या है ? पाकिस्तान के परमाणु बम के संबंध में प्रतिदिन आप समाचार पढ़ते हैं कि वहां परमाणु बम पहले ही बन चुका है। श्री रेगन ने चीन को समझाया था कि वह पाकिस्तान को आणविक प्रौद्योगिकी न दे। चीन ने उसे नहीं माना। यह सब समाचार पत्रों की खबरें हैं। मेरा दूतावासों से कोई सम्पर्क नहीं है। महोदय, मैं तो एक गरीब आदमी हूं। मेरा दूतावास से कोई सम्पर्क नहीं है। समाचार पत्रों की खबरों से पता चलता है कि स्थिति ऐसी है। मामले का दूसरा पक्ष देखा जाये, तो कौन नहीं जानता कि इस्लामाबाद कश्मीर मुक्ति आन्दोलन का केन्द्र है। हर किस्म की तोड़फोड़, और तोड़फोड़ वाली गतिविधियों का मार्गदर्शन इस्लामाबाद से हो रहा है। अतः स्थिति यही है जिसकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। पाकिस्तान और भारत की जनता को मित्रों और भाइयों की तरह रहना चाहिए। परन्तु जब तक सैनिक प्रशासन सत्ता में है। यह बहुत ही मुश्किल है और सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना बिल्कुल असम्भव है। अब, पाकिस्तान में सैनिक प्रशासन की शक्तियां अपने आप को द्विपक्षीय आदान-प्रदान के सिद्धान्तों से मुक्त कराने की कोशिश कर रही हैं।

शिमला समझौते के बारे में कौन नहीं जानता है ? हम वचनबद्ध थे कि पाकिस्तान और भारत दोनों आपसी समझौता रखेंगे और हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे तथा प्रत्येक मामले का समाधान आपसी बातचीत के जरिये होना चाहिए। मैं शिमला समझौते के संगत अंश का उद्धरण देना चाहूंगा जिसमें कि स्पष्ट रूप से लिखित है कि हमें द्विपक्षीय बातचीत करनी चाहिए और कोई भी मामला अन्तर्राष्ट्रीय मंच में नहीं उठाना चाहिए। अब, दुर्भाग्यवश, एक दिन हमने समाचार पत्रों में देखा है जिसमें एक सवाल उठाया गया था। द्विपक्षीय सम्बन्ध कैसे सम्भव है ? पाकिस्तान के भूतपूर्व विदेश मन्त्री ने पहले एक अवसर पर कहा था "कोई द्विपक्षीय सम्बन्ध नहीं, अन्तर्राष्ट्रीयता हमेशा होनी चाहिए। मैं पूछता हूं :" अन्तर्राष्ट्रीयता क्यों। यह दक्षिण पूर्व एशिया में वृहत शक्तियों की साजिश है। इससे भारतीय उप महाद्वीप कमजोर हो जायेगा। यही कारण है कि जब बंगला देश पर वाद-विवाद चल रहा था, मैंने चेतावनी दी थी कि इस मामले पर कोई अन्तर्राष्ट्रीय महत्व देने की कोशिश की जाने वाली है और हमें सावधान रहना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय मामले का अर्थ है भारत को कमजोर

कोशिश करना और एशिया में भारत की छवि को धूमिल करना है। मैं सभा के सूचनार्थ अनुच्छेद 5 खण्ड 2 रखता हूं।

> "5 (दो) जम्मू और कश्मीर में किसी भी पक्ष की मान्य स्थिति के बिरुद्ध कुछ ध्यान किए बिना, दोनों पक्ष 17 दिसम्बर, 1971 के युद्ध विराम के परिणामस्वरूप बनी नियन्त्रण की रेखा का आदर करेंगे; आपसी मतभेदों और कानूनी व्याख्याओं के बावजूद भी कोई सा पक्ष उसमें एकतरफा परिवर्तन नहीं करेगा। दोनों पक्ष यह भी वायदा करते हैं कि कि इस रेखा का उल्लंघन करके एक दूसरे को न तो धमकी देंगे और न ही शक्ति का प्रयोग करेंगे।"

अत:, दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को स्वीकार किया। परन्तु उसके बावजूद भी शिमला समझौते के खिलाफ कई उल्लंघन किए हुए। वे इसे द्विपक्षीय मंच के दायरे से बाहर लेना चाहते हैं और वे अपने आपको द्विपक्षीय व्यापार से मुक्त कराना चाहते हैं। अर्थात्, उन्होंने कुछ सुझाव दिए कि रूस द्वारा अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस लेने के लिए उसके साथ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। वे कहते हैं कि यह खतरनाक सिद्ध होगा। इसका अर्थ है "हम अपने आपको द्विपक्षीय व्यवहार के प्रति वचनबद्ध करेंगे।" यही कारण है कि आपकी तरफ से दो विशिष्ट नेताओं ने पाकिस्तान का दौरा किया। लौटने पर उन्होंने बताया है कि उन्होंने पाकिस्तान में युद्ध का कोई उन्माद अथवा कोई तैयारियां नहीं देखी है। मैं उनका वक्तव्य देखकर हैरान हूं। उन्हें गांधीजी के सिद्धांतों को समझना चाहिए। उन्हें याद रखना चाहिए कि वहां जाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : आप उनकी तुलना महात्मा गांधी से मत कीजिए।

श्री बृज मोहन महन्ती : कुछ लोगों को महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रेरणा मिलेगी। यह बात प्रत्येक पर लागून हीं है।

अब, मैं बंगला देश की समस्या पर आता हूं। जहां तक इस देश का सम्बन्ध है, इसमें क्या भिन्नता है? ऐसा लगता है कि बृहत-शक्ति वहां पर भी मोजूद है। जहां तक भारत और बंगला देश से सम्बन्धित आन्तरिक समस्याओं का सम्बन्ध है, उनका समाधान भारत बंगलादेश समझौते के अनुसार किया जायेगा। हमारी विदेशी नीति स्वतन्त्रता आंदोलन के दौरान उत्पन्न हुई अपनी सांकृतिक विरासत के उद्देश्य पर आधारित है। भारत बंगला देश संधि के पहले वाक्य में इस प्रकार उल्लेख है :—

> "शांति, धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र, समाजवाद और राष्ट्रवाद की आम भावना से प्रेरित होकर।"

परन्तु, आज बंगला देश के शासक साम्प्रदायिकता से प्रेरित हैं। परन्तु वहां की जनता बिल्कुल ऐसी नहीं है। अत: मेरा निवेदन है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के सवालों सम्बन्धी हमारी धारणा में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। इसके सम्बन्ध में कोई संभ्रान्ति नहीं रहनी चाहिए। हममें स्पष्ट

धारणा होनी चाहिए कि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है और सैनिक शासक हर स्थिति का लाभ उठा सकते हैं इसके संकेत भी दिखाई देते हैं।

श्री जेठमलानी ने दिनांक 21 फरवरी, 1984 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में एक लेख लिखा था··· (**व्यवधान**) उस लेख में श्री जेठमलानी ने लिखा था कि 1965 के युद्ध में भारत के विरुद्ध अमरीकी हथियारों का प्रयोग किया गया था, और अब खतरा है, परन्तु इस समय नहीं है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने भारत का कब से अपने आपको भविष्य वक्ता बना दिया है।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिये।

श्री बृज मोहन महन्ती : महोदय, हमारी विदेश नीति उस उद्वेग से बनी है जो हमारे स्वतन्त्रता संघर्ष के दौरान उत्पन्न हुआ था और यह हमारी सांस्कृतिक विरासत पर आधारित है। इसके सम्बन्ध में कोई दूसरी राय नहीं है। परन्तु तथ्य यह है कि हमें अपने चारों तरफ की नई स्थितियों, नये परिवर्तनों और नई घटनाओं की ओर ध्यान देना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो हमें कुछ क्षेत्रों में अपनी नीति को नया रूप देना चाहिए। आणविक शक्ति के उपयोग के सम्बन्ध में भी यह बात है। यदि पाकिस्तान इस्लामिक बम बनाता है, तो हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? हमें इसके बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए कि हमें क्या करना पड़ेगा, क्या हम भी बम बनायें या अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये कुछ और कार्य करें।

मैं नहीं कहता हूं कि हम भी आणविक हथियार बनायें, परन्तु साथ ही हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए और निगरानी रखनी चाहिए। हमें चीन द्वारा पाकिस्तान को हथियार की सप्लाई किये जाने सम्बन्धी तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। स्वाभाविक ही है कि हमें जागरूक रहना चाहिए, जैसे भी हो, हमारे सुरक्षात्मक उपाय कमजोर नहीं पड़ने चाहिए।

एक अन्य पहलू है जिस पर हमें विचार करना चाहिए, और वह है नई सूचना व्यवस्था, नई अर्थव्यवस्था में अमरीका की भूमिका और हाल ही में उसने विकासशील देशों को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्तर्राष्ट्रीय किस्म एजेन्ट्रों के ऋणों के मामले में अड़चनें डाली थी। इन कारणों से हमारे मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। हमारे लिये निर्णायक रूप से कार्यवाही करने का समय आ गया है और हमें अमरीका को समझाना चाहिए ताकि वे कुछ मामलों में अपने दृष्टिकोण और नीतियों में परिवर्तन करें ताकि जिससे संसार में शांति सुनिश्चित की जा सके। दिन प्रति दिन शांति को खतरा हो रहा है और वृहत् शक्तियों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है। सम्पूर्ण शांति होनी चाहिए। उसे स्थान विशेष पर केन्द्रित नहीं किया जा सकता है। और आप स्थानीय शांति के बिना पूर्ण शांति प्राप्त नहीं कर सकते।

5.00 म० प०

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, पिछले सत्र में 6 दिसम्बर, 1983 को जब अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा हो रही थी, उस समय नेम, चौग्म, डियागो गार्शिया, ग्रेनाडा और विश्व के बहुत से पहलुओं पर विचार हुआ था। इन चार-पांच महीनों में ऐसी स्थिति बनी कि वह और भी बदतर होती गई।

मैं खास तौर से अमेरिका से शुरू कर रहा हूं। अमरीकन वाइस-प्रेसीडेंट मि० जार्ज बुश यहां विजिट करने वाले हैं और उन्होंने यह कहा है :

> "अमरीका के उप-राष्ट्रपति श्री जार्ज बुश ने कहा उनकी नई दिल्ली यात्रा का उद्देश्य भारत में अमरीका के हितों को जारी रखने का है और उन्होंने बताया कि भारत और अमरीका के बीच के सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं।"

लेकिन मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने राज्य सभा में इस संबंध में थोड़ा सा साफ किया कि जब तक आर्म्स सप्लाई पाकिस्तान को यू० एस० ए० के द्वारा हो रहा है, तो हमें दिमागी तौर पर कैसे एतवार होगा कि हमारे सम्बन्ध अच्छे हैं। बातचीत के जो सम्बन्ध हैं, वे अच्छे हैं और इन सारे पहलुओं पर मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं ताकि आने वाले समय में इन पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

यह साफ है कि इस सब-कान्टीनेन्ट के अन्दर चाहे वह यू० एस० एस० आर० की बात हो या यू० एस० ए० की बात हो और चाहे चीन की बात हो, उनका अपना एक प्रयास यह रहा है कि वे कहीं न कहीं ऐसी जमीन देखना चाह रहे हैं जहां वे अपना प्रभुत्व कायम कर सकें और यह बात साफ है कि यू० एस० ए० के लिए पाकिस्तान की सरजमी ऐसी मिली, जहां से वह अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश कर रहा है और यह हमारे लिये एक चिन्ता का विषय है। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि अगर सोफिस्टीकेटेड आर्म्स की सप्लाई बनी रहेगी, तो हमारे देश की इनटेग्रीटी को खतरा बना रहेगा, हमारी सोवरेन्टी को खतरा बना रहेगा। तो यह निश्चित रूप से हमारे लिए एक चिन्ता की बात है लेकिन एक बात बार-बार मेरे मन में आती है कि पाकिस्तान की एम्बीशन न्यूकिलयर पावर बनने की है और साथ ही साथ वह अपनी आर्मी को आर्गेनाइज करने का प्रयास भी कर रहा है और जो उसके स्रोत हैं, वे आज से नहीं बल्कि 1950 से हैं। 1950 से लगातार उसका यह क्रम चल रहा है और उस क्रम में अमेरिका की एक अहम भूमिका है। हमारी विदेश नीति क्या रही है इतने लम्बे अर्से में, यह कुछ मेरी समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं गम्भीरता से यह बात कहना चाहूंगा कि यह एक गम्भीर विषय है और इस पर मन्त्री जी को गम्भीरता से सोचना चाहिए और सिर्फ इतना कह देने से काम नहीं चलेगा कि हम इक्वी-डिस्टेंस थ्यौरी में विश्वास करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रूस के साथ हमारी फ्रैन्डशिप है, इसलिए इसकी वजह यह हो सकती है। रूस के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे हैं और इस वजह से अमेरिका की विदेश नीति में कुछ टकराव की बात आती है। अगर यह मान भी लिया जाए, इसके साथ एक प्रश्न यह भी जुड़ जाता है कि हम जानते हैं कि अमेरिका की अपनी नीति क्या है। दुनिया के अधिकांश ऐसे राष्ट्रों से उसकी दोस्ती है, जहां पर मिलिट्री शासन है और जहां पर लोकतन्त्र नहीं है। हम लोकतन्त्र में आस्था रखने वाले लोग हैं और रूस से हमारे सम्बन्ध अच्छे हैं। मैं इस मुद्दे को इसलिए उठाना चाह रहा था कि अभी हाल ही में यू० एस० ए० की सीनेट की फौरेन रिलेशन्स कमेटी ने एक रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा है :

> "अमरीकी सेनेट की विदेशी सम्बन्धी विधेयक समिति ने अमरीकी सरकार को नई दिल्ली के साथ भारत के पड़ौसियों को उनके द्वारा की जा रही हथियारों की बिक्री के बारे में विचार-विमर्श करने को कहा है।"

मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह की रिपोर्ट वहां की सीनेट की फोरेन रिलेशन्स कमेटी

की है। उन्होंने कहा है कि हिन्दुस्तान के दृष्टिकोण को, उसके व्यूज को समझना चाहिए और उसके बाद अपना दृष्टिकोण उसके प्रति अपनाना चाहिए। उन्होंने आर्म्स सेल्स के बारे में भारत से कन्सलटेशन करने की बात भी कही है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि :

श्री बुश के साथ बातचीत के दौरान ये सवाल उठाये जाने चाहिए।

हमें अपनी बात को जोरदारी के साथ रखने की जरूरत है जब हम उनसे बातचीत करें क्योंकि लड़ाई और आर्म्स रेस के बारे में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना की कोई बात नहीं बनती है। यह एक बहुत बड़ी बात है और इसमें हमारी तरफ से पूरी कोशिश होनी चाहिए। हमारी प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी कानकून में श्री रीगेन से मिली थी। तो एक उम्मीद हुई थी कि अमेरिका से हमारे सम्बन्धों में सुधार होगा लेकिन वह सुधार नहीं हुआ। हमारे सामने यह मसला नहीं है कि हमारे और दूसरे देश के व्यूज कहां मिल रहे हैं, कहां नहीं मिल रहे हैं, यूरोप में कहां मिसाइल्स लगाये जा रहे हैं, अफगानिस्तान में किसी देश की क्या भूमिका है, सेन्ट्रल अमेरिका में क्या भूमिका है। किसी देश या राष्ट्र की दोस्ती दूसरे राष्ट्र या देश से आइडेंटिकल व्यूज होने से ही नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए कि किसी दूसरे राष्ट्र से परस्पर सम्बन्ध हमारे तभी अच्छे होंगे जबकि विदेश नीति के सम्बन्ध में दोनों आइडेन्टिकल व्यूज रखते हों, ऐसी बात नहीं है। हमारे सम्बन्ध दूसरे राष्ट्र से अलग-अलग व्यूज रखने पर भी अच्छे हो सकते हैं अगर हम एक-दूसरे के विचारों को समझें, उनका एप्रीसियेशन हो। यह जरूरी है कि दूसरे राष्ट्र से दोस्ती बढ़ाने के लिए हममें आपस में सहयोग हो।

मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि एक लम्बे अर्से से हमारी विदेश नीति में कहीं-न-कहीं खामियां हैं। मान्यवर, आप देखेंगे कि नान-एलाइमेंट मूमेंट की हमको लीडरशिप मिली क्योंकि बगदाद की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह कांफ्रेंस वहां होल्ड करता, इसलिए यह लीडरशिप हमें मिल गई। इसको एक साल गुजर गया, दो साल बाकी हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि एज ए चेअरपरसन आफ नान-एलाइन मुमेंट आपने क्या उपलब्धियां कीं, अब तक की आपकी क्या उपलब्धियां हैं? मेरा ख्याल है कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह हो सकती अगर आप ईरान-इराक वार का कुछ हल निकाल सकते। ईरान-इराक वार का सबसे बड़ा फैक्टर हमारे सामने है। इसके क्या रिजल्ट्स आपके सामने सामने हैं? ईरान-इराक वार वैसी-की-वैसी बनी हुई है। गल्फ कन्ट्रीज की स्थिति भी वैसी ही बनी हुई है। इसमें हमें कोई कामयाबी नहीं मिली है। आपने नान-एलाइन मूमेंट की लीडरशिप की बात कही। हमारे पड़ोस में इन्स्टेक्लिटी बनी हुई है। सारे नेबर हमारे खिलाफ़ हैं। श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान में अगर ऐसी स्थिति है तो हमारे नान-एलाइन मूमेंट का चेअरपरसन होने के बाद हमारी क्या उपलब्धि रही? कोई उपलब्धि नहीं रही।

वेस्टर्न यूरोप में जो एक्स्ट्रीमिस्ट मूमेंट चला रहे हैं, उन्हें शेल्टर मिल रहा है। इस बारे में अब तक आपने क्या पहल की, हमारी विदेश नीति का उन राष्ट्रों पर क्या प्रभाव पड़ा? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं पड़ा। हम घूम-फिर कर वहीं आ जाते हैं। इस पर आपको विचार करना चाहिए। एक तरफ हमारे देश की एकता को, अखण्डता को तोड़ने का प्लान चल रहा है और उसमें कुछ राष्ट्र साजिश कर रहे हैं हम दुनिया में शांति के दूत बने हुए हैं। हमारे रिलेशन्स विदेशी राष्ट्रों के साथ कैसे हैं, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि विदेशी ताकतें हिन्दुस्तान में उग्रवादी आन्दोलन को सपोर्ट कर रही हैं।

कहीं-न-कहीं इसमें उनका हाथ है, यह बात हमारी प्रधान मन्त्री ने कही है लेकिन वे उस देश का नाम नहीं बताती हैं। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका की बात आती है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि वे कौन-सी विदेशी ताकत है जो हिन्दुस्तान की एकता और अखण्डता को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, हिन्दुस्तान में अस्थिरता लाना चाहती हैं? इसके बारे में भारत की जनता को जानकारी होनी चाहिए। अखबारों में इसके चर्चे आ जाते हैं, आप कह देते हैं लेकिन कोई बात सामने नहीं आती है। हम यह जानना चाहते हैं कि किससे हमें खतरा है। हमें यह जानना चाहिए, हमारे मुल्क के लोगों को यह मालूम होना चाहिए। अगर यह नहीं होता है तो यह बात कह कर ही हम रह जाते हैं।

यह बात सही है कि बड़ी पावर्स की इस सब-कांटीनेन्ट में, एशिया में एक भूमिका है, उनके अपने-अपने इन्ट्रेस्ट्स हैं। हमारी सोवियत यूनियन से दोस्ती है और मैं उस दोस्ती का हामी हूं लेकिन अफगानिस्तान का इशू आज तक वैसा ही बना हुआ है। क्या दोस्ती का मतलब यह है कि हम अपने दोस्त से किसी उचित बात को भी न कह सके? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो नान-एलाइन मूमेंट के नेता की हैसियत से आपके बारे में दुनिया के लोगों की क्या राय होगी। आप जब ईरान-इराक लड़ाई की बात करते हैं तो आपके सामने पाक और बंगलादेश के सम्बन्धों की बात आ जाती है। श्रीलंका में तमिलों को वूचर किया जा रहा है। आपके बारे में कहा जाता है कि तमिलों को प्रवोक करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे कौन लोग हैं? आपका प्रभाव जब यहीं नहीं है तब अन्य जगह क्या पड़ेगा? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जबकि हमें अपने रिलेशन्स वेटर बनाने चाहिए, इस पर हमें विचार करना चाहिए, हम नामिविया की इण्डीपेंडेंस के लिए चिन्ता कर रहे हैं, गल्फ कन्ट्रीज के लिए चिन्ता कर रहे हैं, विश्व की शांति के लिए कर रहे हैं। लेकिन अपने पड़ौसी मुल्कों से मधुर सम्बन्ध बनाने की कोई ठोस चिन्ता आपको अभी तक नहीं हुई। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मान्यवर, भारत चारों तरफ से खतरे के दौर से गुजर रहा है। भूटान छोटा सा देश है। हमारे बहुत से अहसान हैं उस पर। बहुत छोटा सा देश है। हमारे उससे घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। लेकिन हाल ही में अखबारों में देखा क्या भूटान ने सीमा समझौते के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए बेजिंग को एक शिष्टमण्डल भेजने से पहले भारत सरकार से विचार-विमर्श किया था?

आपको इसकी जानकारी है या नहीं है। मैं जानना चाहूंगा।—क्या वार्ता की प्रगति से नई दिल्ली को अवगत रखा गया था? कौन से क्षेत्र विवाद ग्रस्त हैं? क्या उसमें भारत का हित अन्तर्ग्रस्त है?

इसकी सफाई हो जानी चाहिए। छोटा सा मुल्क है। जो कल तक हमारी रहनुमाई में रहा, हमको बड़ा भाई मानता रहा, उसकी भी यह स्थिति है। अगर यह स्थिति है तो विश्व शांति की कीमत के सामने हमारे पड़ोसी देशों की शांति की कीमत भी कोई कम नहीं है।

कुछ बातें और कहना चाहूंगा। अगर इस बात को मान लिया जाए कि देश को चारों तरफ से खतरा है तो आप सारे दलों को जो पार्लियामेंट को रिप्रजेंट करते हैं, उनको कान्फीडेंस में क्यों नहीं लेते हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं—कि यदि आवश्यक हो, तो व्यापक आधार पर एक राष्ट्रीय मिली-जुली सरकार का गठन किया जाए।

इसकी भी जरूरत हो तो करना चाहिए। अगर सही माने में देश को खतरा है। खाली चुनावी प्रचार है तो और बात है।(व्यवधान)इस स्थिति का प्रभाव पड़ेगा। हिन्दुस्तान का सारा अवाम जब एक

राष्ट्रीय सरकार के रूप में आपके सामने काम करेगा तो निश्चित रूप से तमिल समस्या और बंगलादेश समस्या का हल निकल आएगा। (व्यवधान)

सभापति महोदय, आज बोल्ड स्टैप लेने की जरूरत है। हिम्मत करने की जरूरत है। क्योंकि राष्ट्रीय एकता सबसे बड़ी चीज है। राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने के लिए कोई भी कदम उठाया जाए। पहले भी ऐसा हुआ है। दुनियां में वर्ल्ड वार के समय लोग आपस में मिले हैं, पार्टियां आपस में मिली हैं। आज अगर हिन्दुस्तान को खतरा है तो पूरे हिन्दुस्तान के लोगों को इसकी चिंता है और हिन्दुस्तान के सियासी लोगों को इसके लिए पहल करनी चाहिए। और अगर खतरा है तो वह भी साफ होना चाहिए। प्रधानमन्त्री जी कहती हैं कि नेशनल इन्टरेस्ट की वजह से वे यह बात नहीं कहती हैं तो वह कौन सा नेशनल इंटरेस्ट है, वह भी साफ नहीं होता है। लोगों में भ्रांति पैदा नहीं होनी चाहिए और साफ बात होनी चाहिए। हमें किस तरह से खतरा है यह साफ होना चाहिए।

हमारे जिनके साथ पुराने सम्बन्ध रहे हैं, किसी वजह से पाकिस्तान और भारत के रूप में आज हैं, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे सम्बन्ध अच्छे हों। हम उनको दूसरों के हाथों में खेलने न दें। इसके लिए आपको पहल करनी चाहिए। आज अगर इस कांटीनेंट में लड़ाई की स्थिति पैदा होती है तो वह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रह जाएगी। जिस तरह से विग पावर्स एशिया में रोल अदा कर रही हैं, वे यहां की खुशहाली को समाप्त करने की कोशिश में हैं। आज अगर वह स्थिति होती है तो वह अनोखी स्थिति होगी। इसलिए भारत को "नाम" के चेयर परसन की हैसियत से अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए नहीं तो वह पड़ोसी देशों से दोस्ती ही निभा ले और चेयर परसन की बात को भूल जाए। इति

श्री आर० आर० भोले (बम्बई दक्षिण मध्य) : सभापति महोदय, आरम्भ में मैंने सोचा कि मैं डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी के संशोधन के बारे में कुछ बताऊं, मैं हैरान था कि क्या यह संशोधन वास्तव में हमारी सुप्रतिष्ठित विदेश नीति के दायरे से बाहर जा रहा है।

5-15 म० प० **(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

वह मूल प्रस्ताव में इस ढंग से संशोधन करने की कोशिश करते हैं। वह पड़ोसियों के साथ मित्रता को प्रमुखता देते हुए विदेशी नीति का पुनर्गठन करने हेतु सरकार से आग्रह करते हैं।

महोदय, अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारी विदेशी नीति न केवल अपने पड़ोसियों के साथ बल्कि सभी देशों के साथ मित्रता कायम करने की है, अथवा नहीं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप प्रत्येक देश के साथ मैत्री सम्बन्ध कैसे रख सकते हैं ?

एक माननीय सदस्य : डा० स्वामी को मित्रता पर विश्वास है।

श्री आर० आर० भोले : इससे स्पष्ट होता है कि डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी समझते हैं कि हम विशेषकर पड़ोसी तथा अन्य देशों के साथ मित्रता को प्रमुखता देने की नीति नहीं अपना रहे हैं।

और उसके बाद, उनके संशोधन का दूसरा भाग इस प्रकार है। वह हमसे आशा रखते हैं कि हमारा देश और हमारी नीति दोनों वृहत्-शक्तियों से बराबर की दूरी पर रहे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप एक की तरफ झुक रहे हैं।

श्री आर० आर० भोले : अब उनका आरोप यह है कि हम एक की तरफ झुक रहे हैं। मैं पूछूंगा, कि क्या हम एक की तरफ झुक रहे हैं या हम दोनों शक्तियों का मित्र बनना चाहते हैं? हमने घोषणा की है और डा० स्वामी जानते हैं कि हम न केवल एक शक्ति का बल्कि अन्य सभी शक्तियों के मित्र बनना चाहते हैं। हम सभी शक्तियों के नजदीक से नजदीक आना चाहते हैं परन्तु कोई एक शक्ति हम से दूर रहना चाहती है अथवा वे इस प्रकार की कोई कार्यवाही करते हैं जिससे हम उन पर सन्देह करें, तब हम उनकी तरफ नहीं झुक सकते, हम उस शक्ति की ओर बराबर की दूरी पर नहीं रह सकते। और, इसलिए, हमारी घोषित नीति यह है कि हम प्रत्येक देश का मित्र बनना चाहते हैं, हम वृहत शक्तियों सहित सभी देशों के नजदीक रहना चाहते हैं और इसलिए मैं महसूस करता हूं कि यह संशोधन निरर्थक है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह स्थानापन्न प्रस्ताव है। यह कोई संशोधन नहीं है।

श्री आर० आर० भोले : महोदय, मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे सुरक्षा वातावरण दिन-प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। और उसके परिणाम स्वरूप, लगभग 36 साल के बाद भी, एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में हम अपने देश के विकास पर पर्याप्त धनराशि खर्च करने की स्थिति में नहीं हैं जिससे अनेक कमजोर वर्गों को, कमजोर वर्गों की बहुत भारी आबादी को और कामगरों तथा ग्रामीण किसानों को लाभ दे सकें। इसलिए, इसी सन्दर्भ में हम अपने सुरक्षा वातावरण में खतरा महसूस कर रहे हैं।

जहां तक पाकिस्तान के दृष्टिकोण का सम्बन्ध है, इस समय यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है— वस्तुत: दूसरे दिन हमारे रक्षा मन्त्री ने बताया कि हमारी सीमा पर एक छोर से दूसरे छोर तक पाकिस्तानी सेना बड़ी संख्या में है।

जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, हमसे जो दूसरी बात विचार में ली गई है कि पाकिस्तान खतरनाक हथियार और उपकरण खरीद रहा है जिसका प्रयोग किया जा सकता है तथा यथार्थ रूप से यह कहा जा सकता है कि इसका प्रयोग केवल भारत के विरुद्ध ही किया जा सकता है। अति आधुनिक हार्पून, एम० 60 टैंक, जैसे हथियारों, लड़ाकू बममारक एफ-16 विमानों का प्रयोग केवल पंजाब के मैदानी क्षेत्र और कच्छ के रेगिस्तानों पर ही किया जाएगा परन्तु निश्चित रूप से अफगानिस्तान के पहाड़ों पर नहीं किया जाएगा। इसके सम्बन्ध में हमारा बहुत ही कटु अनुभव रहा है। अमरीका ने पाकिस्तान को 1965 और 1971 में हथियारों की सप्लाई की थी। उन्होंने हमारे साथ हुए दोनों युद्धों में अमरीका के हथियार प्रयोग किए थे। इसलिए, इसका कोई कारण नहीं दिखाई देता कि हम क्यों सन्देह न करें कि अबकी बार भी वे अति आधुनिक हथियारों का प्रयोग हमारे विरुद्ध ही करेंगे और वैसा नहीं जैसा कि वे कहते हैं कि अफगानिस्तान के विरुद्ध करेंगे। ऐसा विशेष कर इस सन्दर्भ में सही है कि प्रधानमन्त्री रहते समय भुट्टो ने कहा था कि हम भारत के साथ हजारों वर्ष तक लड़ते रहेंगे।

आयूब ने भी कहा था, यदि उनके पास अधिक सेना और बेहतर हथियार होते, तो वे भारत को सबक सीखा देते। पाकिस्तानी शासकों का मानसिक दृष्टिकोण इस प्रकार है। यही वे लोग हैं जो हथियार और उपकरण बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं। हाल ही में हमने वह एक बहुत ही अशांतिजनक खबर सुनी है कि चीन राष्ट्रपति जिया को आणविक सहायता दे रहा है। यह भी बताया गया है कि चीन ने पाकिस्तान के लिए एक आणविक विस्फोट किया है। यदि यह सच है, तो यह समाचार वास्तव में बहुत ही अशांतिजनक है। इसलिए, हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। यह वक्तव्य पाकिस्तान के दृष्टिकोण से सम्बन्धित है।

हमारा सीमावर्ती क्षेत्र बहुत लंबा है और हिन्द महासागर भी है। हम चाहते हैं कि यह शांति क्षेत्र बने। परन्तु यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि बड़ी शक्तियों उसमें आपस में प्रतिद्वन्दता कर रहे हैं और महासागर में समुद्री बेड़े चला रहे हैं। अतः हमारी सुरक्षा की स्थिति फिर खतरे में है। यह अत्यन्त दुर्भाग्य पूर्ण बात है कि यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ ने हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र घोषित करने के लिए कई संकल्प पारित किए हैं, तथापि कोई भी इन संकल्पों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी नहीं ले रहा। वृहत-शक्तियां संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्पों को प्रभावी रूप में कार्यान्वित नहीं कर रही है। केवल इतना ही नहीं, वे संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति स्थापित करने वाले संस्थान के रूप में नहीं ले रहे हैं। वस्तुतः, अब हम देख रहे हैं कि संकल्प पारित करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है परन्तु उनका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। अधिक से अधिक देश संयुक्त राष्ट्र संघों की नीतियों के बाहर रहकर आपसी समझौता कर रहे हैं। वस्तुतः, वर्ष 1982 में महासचिवों ने एक बार कहा था कि सदस्यों का, विशेषकर महाशक्तियों का दृष्टिकोण ऐसा है कि संयुक्त राष्ट्र कमजोर होता जा रहा है। और उन्होंने संयुक्त राष्ट्रसंघ को मजबूत करने हेतु इन शक्तियों से अनुरोध किया था। परन्तु अब तक उन शक्तियों के, जिनकी गणना की जाती है, दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हम केवल इतनी ही आशा करते हैं कि लीग ऑफ नेशन्स की तरह जो 1939 में टूट गया था, यह भी बेकार सिद्ध न हो। इसलिए, यह आवश्यक है कि हमें इस महत्वपूर्ण संगठन, अर्थात् संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत बनाना चाहिए। उसके लिए, जैसाकि हम सभी जानते हैं, हमारे पास भी गुट निरपेक्ष आन्दोलन है। हम इस आन्दोलन के प्रति समर्पित हैं। हमारी प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्रसंघ गयी थीं और वह इस संगठन को मजबूत बनाने की भरसक प्रयत्न कर रही हैं जिससे न केवल अपने देश में ही बल्कि अन्य सभी देशों में शान्ति स्थापित की जा सके। यह निश्चित रूप से हम सभी के लिए स्वर्ग हो जाएगा। हम हथियारों की होड़ को बढ़ावा देने के लिए पूरी लापरवाही देख रहे हैं। मुझे कोई सन्देह नहीं है कि दूसरे पक्ष के हमारे मित्रों सहित, पूरी सभा हथियारों की होड़ को पसन्द नहीं करती हैं और हम सब शांति चाहते हैं। हमारी विदेश नीति भी पूरी तरह घोषित है कि हम सभी के मित्र बनना चाहते हैं और हम शांति चाहते हैं ताकि हम स्वयं का विकास कर सकें।

जहां तक श्रीलंका समस्या के प्रति हमारे दृष्टिकोण का सम्बन्ध है, मुझे खुशी है कि हम बिल्कुल सही नीति अपना रहे हैं। जैसाकि हम देखते है, हम विविधकृत नीति अपना रहे हैं। हमने श्रीलंका में भारत मूल के तमिलों की समस्याओं तथा अन्य राजनैतिक और आर्थिक समस्याओं को अलग-अलग समझा है। मुझे विश्वास है कि हम श्रीलंका समस्या पर जो कुछ कर रहे हैं, विरोधी दल भी हमारा समर्थन करेगा। मैं जानता हूं कि हमारे द्रमुक दल के मित्र इससे इतना सन्तुष्ट नहीं हैं, परन्तु हमने एक समस्या, अर्थात् श्रीलंका में भारत मूल के तमिलों की समस्या और दूसरी समस्या जैसे वहां की अन्य राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को अलग-अलग समझा है।

मैं और अधिक बोलना आवश्यक नहीं समझता क्योंकि और बहुत से सदस्य हैं जो बोलेंगे। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि सभा हमारे आदरणीय विदेश मन्त्री के प्रस्ताव का खुले दिल से समर्थन करेगी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई-उत्तर पूर्व) : महोदय, विदेश मन्त्री ने आखिरी दिन अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति पर विचार के लिये एक प्रस्ताव रखा है। महोदय, आप जानते हैं कि आपकी अनुमति से मैंने भी एक स्थानापन्न प्रस्ताव रखा है। मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि अधिकांश वक्ताओं ने विशेषकर हमारे मित्र, श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती ने जो यहां उपस्थित नहीं है अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बनाम भारत की नीति के बारे में कुछ नहीं कहा, परन्तु अमरीका की साम्राज्यवादी नीति संबंधी सैद्धान्तिक प्रश्नों पर बहुत कुछ कहा है और इससे इनकी मनःस्थिति का पता चलता है।

वास्तव में प्रश्न यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है और हम उस अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति से निबटने के लिए भारत सरकार की नीति की, सफलता यदि कोई हो तो, पर कैसे विचार कर रहे हैं। कुछ स्थितियां हमने नहीं पैदा की हैं। वस्तुतः, इनमें कई स्थितियां हमारी बनाई हुई नहीं है, परन्तु वे हैं। प्रश्न यह कि उसका सामना कैसे करें और उसके लिए किस नीति का अनुसरण करें।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जब मैं यहां बोलता हूं और मैं जनता पार्टी का सदस्य हूं तथा मैं वह कहूंगा कि मैं उस नीति को सही समझता हूं जिसे हमारी पार्टी ने अपनाया था और इसमें कोई असहमति अथवा दुर्भावना नहीं होनी चाहिए कि जो विचार मैं व्यक्त कर रहा हूं, वे मेरे अपने हैं। वे नहीं हैं। ये विचार पार्टी के होते हैं। कुछ सदस्यों ने पूछा है कि क्या मैं अपनी राय के बारे में बोलूंगा या पार्टी की राय के बारे में बोलूंगा। मेरी कोई राय नहीं है, मैं जो कुछ कहता हूं, वह पार्टी की राय है। कभी-कभी मैं आगे चला जाता हूं जैसे मैं पहले पाकिस्तान जाता हूं और जार्ज फर्नाण्डीज और पटनायक बाद में जाते हैं। परन्तु मूल रूप से कोई भेद नहीं हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : लेकिन महोदय, जब प्रो० मधु दंडवते जा रहे है। हमारी उसमें रुचि हैं

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं केवल संसद में उपस्थित हूं।

एक माननीय सदस्य : डा० स्वामी का रवैया बहुत ही पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने प्रो० मधु दंडवते को नहीं भेजा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : आप श्री चन्द्रशेखर को क्यों नहीं भेजते।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपका मतलब है कि उन्हें पाकिस्तान भेजा जाए और उन्हें वापस नहीं आने दिया जाए।

महोदय, आज विश्व में अनेक संकट ग्रस्त स्थल है और प्रश्न यह है कि वहां किस प्रकार शांति स्थापित हो और कम से कम संकट को थोड़ा कम करने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है।

अफगानिस्तान में संकट की स्थिति है, दिसम्बर, 1979 में नरसिंह राव के विदेश मन्त्री बनने तथा श्रीमती गांधी के दोबारा प्रधान मन्त्री बनने से कुछ दिन पहले, भारी संख्या में सोवियत सैनिकों ने उस देश पर कब्जा कर लिया और उस देश में राष्ट्रपति के रूप में बरक कारमाल को बिठाकर कठपुतली सरकार बना दी वे कहते है कि वे वहां बुलाने पर गए हैं, लेकिन हम जानते हैं यह बुलावा एक व्यक्ति द्वारा दिया गया था जो कि अब मर गया है अर्थात् हाफिजल अमीन। सोवियत संघ ऐसा दावा करता है।

अब, यहां गुट-निरपेक्ष देश, अफगानिस्तान जोकि हमारी सीमा के बहुत निकट है जिसके भारत के साथ बहुत ही घनिष्ठ ऐतिहासिक सम्बन्ध है और यह बात हमारे इतिहास में है कि जो देश भी खैबर दर्रा पर कब्जा करता है अन्ततः हमारे देश को खतरनाक साबित हुआ है। उन्होंने एक ऐसे देश पर कब्जा कर रखा है जोकि एक दूसरे देश से बिल्कुल समीप है, जो किसी भी प्रकार से स्थिर देश नहीं है, क्योंकि वहां लोकतन्त्र नहीं है।

महोदय, मैं उस सिद्धान्त को स्वीकार करता हूं कि जिन देशों में वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतन्त्र नहीं है। वहां स्थिरता संभव नहीं है वहां हिंसा के माध्यम से सत्ता परिवर्तन होती है जैसाकि पाकिस्तान में होता रहा है।

अब, यहां सोवियत संघ की बात है जिसके 1.10 लाख सैनिकों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर रखा है और खैबर दर्रा उनके नियन्त्रण में है और उसके साथ ही पाकिस्तान है जोकि स्थिर नहीं है। इसलिए इस देश की सुरक्षा पर जो उसके प्रमाद है वे बहुत ही स्पष्ट है।

इसलिए, अब प्रश्न उठता है कि स्थिति को शान्त करने के लिए भारत सरकार की क्या नीति है? वे कहते हैं कि सोवियत संघ के साथ हमारे घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। मैं सोवियत संघ के साथ दुश्मनी करने के कभी भी पक्ष में नहीं रहा। हम सभी ने जनता पार्टी में सोवियत संघ की ओर झुकाव की नीति का विरोध किया था। सोवियत संघ को भारत की बहुत ही आवश्यकता है। सोवियत संघ के बहुत ही कम मित्र हैं। उदाहरण के लिए एशिया को लें। इजराइल से जापान तक मेरे विचार में भारत अथवा वियतनाम या सम्भवतः दक्षिण यमन, को छोड़कर सोवियत संघ का कोई मित्र नहीं है। इसलिए, हम सोवियत संघ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वे हमारे साथ मित्रता रखनी चाहेंगे और उनकी कीमत देने को भी इच्छुक होंगे। और उसका एक प्रमाण यह है कि जब श्री देसाई प्रधानमन्त्री थे तो उन्होंने बहुत ही सख्त रवैया अपनाया था और फिर भी सोवियत संघ की हमारे साथ अच्छी मित्रता थी और हथियारों के आज तक के सबसे बड़े समझौते पर भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए थे जबकि श्री देसाई प्रधान मन्त्री थे। इसलिए, सोवियत संघ को हमारी जरूरत थी और आप कहते हैं उनके साथ हमारे अच्छे सम्बन्ध हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : हमें भी उनकी जरूरत है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह बात ठीक है। मैं यह कर रहा हूं यदि आपकी इतनी अच्छी मित्रता है तो ऐसी क्या बात है कि आप सोवियत संघ को अफगानिस्तान से चले जाने को राजी क्यों नहीं हो सके? यह हमारे लिए बहुत ही महत्व की बात है। इससे यह पता चलता है कि आप असमर्थ और प्रभावहीन हैं।

इसलिए, यह विश्व में एक संघर्षस्थल स्थान है जहां पर नीति पूरी तरह असफल रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि यदि जनता सरकार दिल्ली में सत्ता में होती, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में जाने का साहस न किया होता। इसमें सच्चाई यह है कि आप सत्ता में थे, तो उनमें अफगानिस्तान में जाने का साहस हुआ।

महोदय, इस संसद में केवल जनता पार्टी ही लोक दल के साथ मिलकर इस विषय में वैकल्पिक विचार रख सकती है। ये सभी लोग आपके साथ हैं और जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय नीति का सम्बन्ध है ये कभी आपके साथ चलने वाले है। मुझे इस बात की हैरानी नहीं होगी यदि वे इसको स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपसे यह प्रश्न पूछ रहा हूं और मैं फिर यह बात कहता हूं कि यदि जनता पार्टी सत्ता में आती है। तो सोवियत संघ एक बार फिर अफगानिस्तान से चला जाएगा।

दूसरा संघर्ष स्थल है कम्पूचिया और यहां मैं इस सदन में विदेश मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य की ओर ध्यान दिलाता हूं—उसमें यह था कि भारत सरकार श्रीमती गांधी के नेतृत्व में हेंग समरिन की सरकार को कम्पूचिया की सरकार के हक में मान्यता प्रदान करती है। निःसंदेह जनता शासन के दौरान हमने मान्यता प्रदान करने से मना कर दिया था और सोवियत संघ ने हमारे ऊपर सरकार को मान्यता प्रदान करने के लिए बहुत भारी दबाव डालने की कोशिश की थी। वास्तव में मिस्टर कोमिजीन मार्च, 1979 में यहां आए थे। और उन्होंने श्री देसाई को इस बात के लिए राज़ी करने के लिए काफी समय तक कोशिश की थी कि वह इस वास्तविकता को स्वीकार कर ले कि भारत सरकार द्वारा हेंग समरिन की सरकार को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। हमने मान्यता प्रदान करने से मना कर दिया क्योंकि 30,000 वियतनामी सैनिक उस सरकार की देखभाल कर रहे थे और उन्होंने कहा था। जब तक वियतनामी सैनिक कम्पूचिया में हैं। हम इस सरकार को मान्यता नहीं दे सकते। इसके बाद जुलाई, 1980 में, श्री नरसिंह राव इस सदन में आए और उन्होंने यह घोषणा की कि हम उसे मान्यता प्रदान करते हैं और मैंने उनसे पूछा हेंग समरिक की सरकार को अब तक कितने देशों ने मान्यता प्रदान की है? अपने उत्तर में उन्होंने कहा कि 11 देशों ने मान्यता प्रदान कर दी है—ये देश है सोवियत संघ, बलगारिया, चेकोस्लोवालिया, हंगरी, क्यूबा, अफगानिस्तान और ऐसे कई देश। इसलिए मैंने कहा, आप क्यूबा, बलगेरिया चिकोस्लोवाकिया, हंगरी और अफगानिस्तान की श्रेणी में हों, और मान्यता प्रदान करने वाले अब आप 12 वें देश हो। उन्होंने बताया क्योंकि हम एक गुट-निरपेक्ष देश हैं। यदि हम हेंग समरिन की सरकार को मान्यता प्रदान करते है तो इससे सामान्य स्थिति आ सकती है, और अन्य देश भी उसका अनुकरण करेंगे। आज 9 मई, 1984 है और महोदय उसके बाद एक भी देश ने इनका अनुकरण नहीं किया है। आप आज भी 12 वे और अन्तिम देश हो। सरकार द्वारा हेंग समरिन की सरकार को मान्यता प्रदान करने के बाद, लगभग चार वर्ष बीच चुके है। किसी भी देश ने भारत के उदाहरण का अनुकरण नहीं किया और हेंग समरिन की सरकार को मान्यता प्रदान नहीं की है। यह असफलता का एक और उदाहरण है (व्यवधान)

इसी प्रकार तीसरा संघर्ष स्थल है मध्य पूर्व देश। गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में 7 व्यक्तियों की एक विशेष समिति बनाई गई थी जिसमें प्रधान मन्त्री को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। जब राष्ट्रमण्डल अध्यक्षों-का शिखर सम्मेलन जारी था, तो श्री नरसिंह राव को बेरुत जाने के लिए तैयार किया गया था कि वहां जाओ और उसे निपटाने की कोशिश करो। उन्हें ईरान-इराक युद्ध का हल ढूंढने का उत्तरदायित्व

भी सौपा गया था। यह विश्व का तृतीय संघर्ष स्थल का स्थान है। आज मध्य पूर्व में अथवा पश्चिम एशिया में भारत की क्या स्थिति है? क्या आज कोई ऐसा देश है जो यह कहने को तैयार हो जाए कि भारत समस्याओं को सुलझा सकता है? भारत पश्चिम एशिया स्थिति में एक पक्ष का समर्थक है इसलिए भारत उसका पक्ष लेगा। फलीस्तीनियों के प्रश्न पर निश्चय ही मैं यह कहूंगा कि फलीस्तीनियों को अपनी मातृभूमि लेने का अधिकार है और भारत को उसके लिए संघर्ष करना चाहिए।

प्रो० एन० जी० रंगा : आपका धन्यवाद।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : ठीक है, मेरा हमेशा यह विचार रहा है। ऐसी बात नहीं है कि मैं अब ऐसा कह रहा हूं। मैंने इसे इजराइल में भी कहा था। मैं आपकी तरह नहीं हूं जो एक जगह एक बात कहता हूं और दूसरी जगह पर दूसरी इसलिए फलीस्तीनियों को अपनी मातृभूमि मिलनी चाहिए और आपको उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। लेकिन आप किसके साथ संघर्ष करोगे? पश्चिम एशिया की स्थिति के सम्बन्ध में आपकी बात से कोई सहमत नहीं है। आप अरब के लोगों के साथ दोहरी नीति अपना रहे हैं। आपने इजराइल को मान्यता प्रदान की है। बम्बई में वाणिज्य दूतावास है। आपका उस देश के साथ 100 करोड़ रुपए का व्यापार है। विद्यार्थी उस देश में जाते हैं। आपके व्यापारी लोग उस देश में जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के हीरे इजराइल में जाते है और उसके बाद सूरत मे आते है, तराशे जाने के उन्हें फिर ब्रसैल्स में बेचा जाता है। आप इजराइल से बातचीत करने को तैयार नहीं है और कहते यह हो कि आप अरब अधिकृत भूमि को क्यों नहीं छोड़ते हो और फलीस्तीनियो अपना देश सौंपने को तैयार क्यों नहीं होते? यह इसलिए है कि आप इस बात से डर गए हो कि अरब के लोग आपको गल्त न समझ बैठे। लेकिन अरब के लोग आपको अच्छी तरह जानते हैं।

सउदी अरब ने 67 भारतीय कम्पनियों को उनके इजराइल के साथ व्यापार करने कारण काली सूची में दिखाया हैं। अन्य कौन-सा देश है जिसकी भारत के तुलना में अधिक कम्पनियों को काली सूची में दिखाया गया है? यह केवल एक देश है और वह अमरीका। यह वास्तविकता है। सम्पूर्ण अरब विश्व उस कारण की सच्चाई के बारे में जानता है। जो भी हो आप कितना भी कहे कि आप इसमें सफल है। अरब के लोग वास्तव में आप पर विश्वास नहीं रखते। आपकी ईमानदारी इसी में है कि आप यह कहो कि हम पश्चिम एशिया समस्या में बिचौलिए होंगे। हम इजराइल देश को 17 सितम्बर, 1950 को पहले ही मान्यता प्रदान कर चुके हैं और फलीस्तीनियों के अधिकार के लिए संघर्ष जरूरी रखेंगे। हम इसके लिए दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे। लेकिन श्री नरसिंह राव इराक-ईरान गए थे वापस लौट आए। वहां भारी शत्रुता का वातावरण था जिस के सम्बन्ध से वह कुछ नहीं कर सकते थे। और वह वहां से चल पड़े। वह बेरुत में गए। वहां पर वह कुछ नहीं कर सके क्योंकि वह एक का पक्ष लेने वाले थे। दूसरी ओर इजराइल प्रेस अमरीकी प्रेस ने श्री राव के दौरा का मजाक उड़ाया क्योंकि वहां वह केवल एक तरफ के प्रवक्ता के रूप में थे। भारत जैसे एक विशाल देश के लिए अफगानिस्तान, कम्पूचिय और पश्चिम एशिया के मामले में कुछ कर सकना। विदेश नीति में कितनी बड़ी असफलता है। मेरे विचार में, आप स्वयं इस पर विचार कर सकते हैं।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में विदेश नीति के अन्य पहलू के तीन भागा हैं—जिन देशों के साथ आपकी मित्रता है अपनी विदेश नीति के द्वारा आपको उसे मजबूत करना चाहिए, दूसरे जहां आप नए मित्र बनाते हैं, और अन्तिम जो देश आपका विरोध करते है आप अपनी विदेश नीति द्वारा

उन्हें नर्म करने की कोशिश करते हैं। आपकी विदेश नीति में उपरोक्त तीनों बातों को शामिल किया जाना चाहिए। हम क्या देखते हैं कि कांग्रेस (आई) के 4-1/2 वर्षों के शासनकाल में मित्र देशों के साथ मित्रता को धक्का लगा हैं। मुझे श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा जनता सरकार के पूर्व की नई टिप्पणी याद है— जिसमें उन्होंने कहा था—जनता सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि यहां तक कि एक छोटा देश—उन्होंने हिन्दी में बताया था :

> "छोटा देश भूटान ने भी भारत को आंख दिखायी। दूसरे राज्यों में भूटान जैसे देश ने भी भारत जैसे एक बड़े देश को आँख दिखाने की हिम्मत की। लेकिन आज भूटान के केवल आपको आंख दिखा रहा है बल्कि अगर मैं उसको मुहावरे दार भाषा में कहा जाए तो वह आपको चिकोटी काट रहा है। वे चीन भी गए हैं। वे कहते हैं कि वे चीनियों से बातचीत करेंगे। वे दक्षिण पूर्व एशिया भी गए हैं और कहा कि आपकी नीतियां पूरी तरह गलत है। ऐसी बात जो भूटान ने कभी नहीं कही। आपने श्री रसगोत्रा को भेजा। वह भूटान की राजधानी में गए। लेकिन वह आपकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। ऐसा क्यों हुआ ? यह इस कारण से हुआ क्योंकि भूटान यह अनुभव करता है कि यह देश ठीक नीति नही अपना रहा। इसलिए वे स्वतंत्र रूप से चलना चाहते हैं।

बांग्लादेश—यह एक ऐसा देश है जिसकी स्वतन्त्रता में हमने उसका साथ दिया। आज हम क्या समाचार पढ़ते हैं ? वे हम पर गोलियां चला रहे हैं। मैं बाड़ लगाने के प्रश्न की ओर नहीं जा रहा हूं। लेकिन वास्तविकता यह है कि आपकी कूटनीति को ठीक तरह से उपयोग नहीं किया गया। अन्यथा ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। आप कहते है कि 1975 में बांगलादेश इस बात से सहमत था। आप उनको इस बात के लिए राजी क्यों नहीं कर सके ? बांगलादेश के राष्ट्रपति ने कहा हैं कि उन्होंने ऐसा बिना परामर्श के किया है। आपने उनसे परामर्श क्यों नहीं किया ? हमने फरक्का के संबंध में समझौता किया है। आप नदी जल के सम्बन्ध में समझौता करने में असफल रहे है। यह असफलता पहले से चली आ रही है। एक देश जिसकी स्वतन्त्रता में आपने उसका साथ दिया। जोकि आपके पड़ोस में है। आप उससे समझौते नहीं नहीं। लेकिन आपका सरकार ने नवम्बर, 1977 में समझौता किया था। आपको वह समझौता पसन्द कर सके। जनता क्या समझौता है ? गंगा जल के बटवारे के बारे में 4-1/2 वर्षों के बाद भी कोई समझौता नहीं हो सका। मेरे विचार में यह पहले से चली आ रही असफलता है अब मन्त्री जी को इसे स्पष्ट करना चाहिए।

श्रीलंका भी एक ऐसा देश है जिनके बारे में मेरे स्वयं के व्यक्तिगत विचार है जिन्हें मैं इस वाद-विवाद में व्यक्त नहीं कर रहा हूं। **(व्यवधान)**

श्री मधुसूदन बैराले (अकोला) : आप अपनी पार्टी के विचार व्यक्त करें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : ठीक है, मैं अपनी पार्टी के विचार व्यक्त करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप पार्टी के विचार यहाँ व्यक्त कर सकते हैं। अपने व्यक्तिगत विचार बाहर व्यक्त कर सकते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि मैं पार्टी के समय में नहीं बोल रहा हूं तो मैं अपने व्यक्तिगत विचार रखूंगा। मैं एक स्वामी हूं। मैं निश्चय ही ऐसा कर सकता हूं।

महोदय, इसके अलावा श्रीलंका की समस्या को ठीक तरह से नहीं समझा गया। हम सही मानो में यह नहीं जानते कि श्रीलंका में क्या हो रहा है। मन्त्री जी हमें पूरी कहानी नहीं बता रहे हैं। मैं भी श्रीलंका के बहुत से लोगों को जानता हूं, उनमें से कुछ मंत्री रहे हैं। जब मैं अमरीका में पढ़ रहा था तो वे मेरे साथ पढ़ते थे। वे भी वहां विद्यार्थी थे। इस विषय में सच्चाई यह है कि भारत सरकार आज श्रीलंका में न तो तमिल लोगों अथवा न सिंहली लोगों में कोई विश्वास पैदा कर सकी। भारत सरकार ने मिस्टर जयवर्धन को कुछ प्रस्ताव दिए जिन्हें अनुबन्ध ग कहा गया है और आप इस बात से सहमत नहीं होंगे। श्री जी० पार्थ सारथी वहां गए थे। जो भी हो, आपने श्री जी० पार्थसारथी जैसे नौकरशाह को वहां क्यों भेजा। वास्तव में आपको उसे वहां नहीं भेजना चाहिए। आप जैसे लोगों को वहां जाना चाहिए। आपको वहां किसी राजनीतिज्ञ को भेजना चाहिए। लेकिन नौकरशाह भेजे जाते हैं क्योंकि आप नौकरशाही तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं। आपने कुछ प्रस्ताव तैयार किए और उन्हें मिस्टर जयवर्धन को दे दिया। मिस्टर जयवर्धन ने एक बैठक बुलाई और कांग्रेस (आई) की मित्र, श्रीमती भंडारनायके भी उसमें थी। वह काफी समय से कांग्रेस (आई) से सम्बन्धित रही हैं। वह स्वयं सत्ता में नहीं थी। जब उन्हें सत्ता से हटाया गया था, श्रीमती गांधी भी भारत में सत्ता में नहीं थी। श्रीमती गांधी ने सहानुभूति में यह कहा था कि श्रीमती भंडारनायके को सत्ता से हटाने में विदेशी शक्तियों का हाथ है। इस बात पर श्रीलंका ने कड़ा विरोध प्रकट किया था। और इसी भंडारनायके ने असल में यह कहा था कि ये किससे प्रस्ताव हैं? क्या ये भारतीय प्रस्ताव हैं? मिस्टर जयवर्धन ने कहा, 'जी, हां ये भारतीय प्रस्ताव है।" और तब उसके बाद और कोई बैठक नहीं हो सकी। मुझे यह बताया गया है आज बैठक होनी है। मैं नहीं जानता कि बैठक हुई है अथवा इसके कारण कोई और बात हुई है लेकिन जो कुछ भी भारत सरकार के साथ हुआ है वह यह है कि श्रीलंका इसमें समय गुजार रहा है और तमिल लोगों की समस्याएं हल नहीं कर रहा है और भारत सरकार भी। ऐसा दिखाई देता है कि समय गुजार रहा है जब तक कि लोक सभा के चुनाव नहीं हो जाते। जो भी हो वे समय गुजार रहे हैं और तमिलनाडु के लोगों को पहले से ही सावधान कर देना चाहिए कि श्री नरसिंह राव की चाल और उसके साथ ही श्रीमती इन्दिरा गांधी की चाल के आगे बेवकूफ न बनें।

ये वर्तमान मित्रता के कमजोर होने के उदाहरण हैं। उसके बाद इस पूर्ण अवधि में आपने एक भी नया मित्र नहीं बनाया। जनता सरकार ने पाकिस्तान और चीन के साथ नई मित्रता स्थापित की थी।

श्री ईरा अनबरासु (चिंगलपट्टु) : आपने शत्रुता पैदा की।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : पाकिस्तान के नाम, जनता सरकार ने शत्रुता पैदा नहीं की। आप पाकिस्तान जा सकते हैं और तथ्यों का पता लगा सकते हैं। आज कोई भी व्यक्ति आपको यह बता देगा कि जनता शासन का समय भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों के लिए स्वर्ण युग था।

श्री ईरा अनबरासु : आप शत्रुओं के काम दिला रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आपको यकीन है कि अन्तर्राष्ट्रीय नीति में शत्र कौन है और मित्र कौन है? वर्ष 1962 में सोवियत संघ ने कहा था कि चीन···

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : आप भी अमरीकियों की लाइन पर चल रहे थे। इसलिए आप सहन नहीं कर सकते।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सरदार जी महोदय, मैं सभी बातें आपको बताऊंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : आप उनके चैम्बर में चले जाइए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, यह एक सच्चाई है कि पाकिस्तान के साथ जनता सरकार ने गहरी मित्रता स्थापित की थी और इस मित्रता का परिणाम था सलाल बांध। आपने इसे 15 वर्ष तक लम्बित रखा। जनता सरकार ने इसे 20 मिनट के अन्दर हल कर लिया। उनके विदेश मन्त्री यहां आए और हमने उसे हल कर लिया। उन मुद्दों पर जिनके ऊपर आप जोर दे रहे थे। यह इस कारण है क्योंकि आप यह नहीं जानते कि पाकिस्तान के साथ किस तरह व्यवहार किया जाए। आप यह नहीं जानते कि कूटनीतिज्ञता कैसे की जाए। आप उनके साथ बातचीत करना चाहते थे। आप यह नहीं जानते कि कूटनीतिज्ञता का अर्थ क्या है। यही वजह है कि पाकिस्तान बातचीत करने से मना कर रहा था। लेकिन जनता शासन के दौरान, यह एक सच्चाई है कि सलाल बांध का मामला हल कर लिया गया था। उन मुद्दों पर जिन पर आप जोर दे रहे थे और आपकी पहली सरकार जोर दे रही थी उन मुद्दों को हमने हल कर लिया है। लेकिन आज हम क्या देखते हैं। सत्ताधारी पार्टी—कांग्रेस (आई) के महा सचिव श्री राजीव गांधी कहते हैं कि दिसम्बर तक लड़ाई हो जाएगी। पाकिस्तान में हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि लड़ाई होने वाली है। भारत में भी धीरे-धीरे यह विचार बढ़ने लगा है कि लड़ाई होने वाली है।

5.50 म० प० **(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

इसलिए यह एक ऐसी लड़ाई है जिसका गलत हिसाब लगाया गया है क्योंकि प्रत्येक पक्ष यह सोचता है कि अन्य पक्ष-लड़ाई की घोषणा करेगा। यह धारणा बढ़ती जा रही है। इस धारणा को शांत करने का आपका कोई विचार है? पिछले वर्ष अक्तूबर में मैं पाकिस्तान गया था और मैं यह कह सकता हूं कि इसको शांत करने के लिए मैंने थोड़ा बहुत प्रयत्न किया। लेकिन आज मुझे शंका है कि क्या इसे शांत किया जा सकता है। मैं यह बात नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान हमारे ऊपर कभी भी आक्रमण नहीं करेगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे ऊपर कभी आक्रमण नहीं करेगा। मैं यह भी नहीं कह सकता कि चीन हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। मैं यह भी नहीं कह सकता कि अमरीका हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, अथवा यह कि रूस हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। मैं यह नहीं कह सकता कि बंगलादेश हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा।

लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हमारी तैयारी पूरी है जो इन देशों में से किसी भी देश से आक्रमण होने का मुकाबला कर सकते हैं; यह मेरा वक्तव्य नहीं है। मैं रक्षा सलाहकार समिति का सदस्य हूं। लेकिन सलाहकार समिति की बैठक में आम राय यह थी कि यदि पाकिस्तान हमारे ऊपर आक्रमण करने की कभी गलती करता है, तो उससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। कुछ सैनिकों ने मुझे बताया कि 1965 में हमने पाकिस्तान की अच्छी पिटाई की थी। 1971 में, हमने पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया। और अब यदि एक युद्ध और होता है तो पाकिस्तान का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। यह बात

बिल्कुल साफ है। हम उतने शक्तिशाली हैं और उस शक्ति में आत्म-विश्वास पैदा होना चाहिए। हर रोज हम यह सुनते हैं कि पाकिस्तान यह कह रहा है और वह कह रहा है। अब ऐसी क्या बात है ?

यह आपकी कूटनीति है जोकि असफल रही है। आपको उसी प्रकार तैयारी करते रहना चाहिए जैसाकि हमने जनता शासन के दौरान किया। हम तैयारी करते रहें और हथियारों को मंगवाते रहें। हमने हथियारों को मंगवाने के कार्य को नहीं रोका। लेकिन इसके साथ ही, हमने पाकिस्तान की धमकी के बारे में चिन्ता नहीं की क्योंकि हमने कहा था, जब हमारे ऊपर वास्तव में आक्रमण होगा तो हम उनका उत्तर दे सकते हैं और उसमें पक्का विश्वास पैदा हुआ।

आज अविश्वास का वातावरण इतना मजबूत है कि, वास्तव में श्री राजीव गांधी अपनी भविष्यवाणी की उपलब्धि के कारण एक ज्योतिष सम्बन्धी यथार्थ पूर्वानुमानकर्ता सिद्ध हो सकता है। ऐसा कह कर, ऐसा वातावरण बना दिया गया है। एक अविश्वास पैदा कर दिया गया है। अब प्रत्येक पाकिस्तानी यह मानता है कि हम उनके ऊपर आक्रमण करेंगे। हम भी यह मानते हैं कि वे तैयारी कर रहे हैं। और अन्ततः ऐसी स्थिति में और क्या होगा ? गलत हिसाब लगाने से युद्ध छिड़ जाएगा। यदि आप युद्धों का इतिहास पढ़ें, आपको पता चलेगा कि उनमें से आधे युद्ध गलत हिसाब लगाने के कारण हुए।। ऐसी स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगी। अन्त में, यद्यपि ये विरोधी बातें तो हैं, हम उनको और कठोर बनाते हैं।

श्रीमती गांधी ने अमरीका का दौरा किया था। यह दौरा क्यों किया गया ? यदि हम अमरीका के साथ मित्रता नहीं चाहते तो उन्होंने यह दौरा क्यों किया ? उन्होंने यह दौरा किया। उन्होंने यह दौरा जुलाई, 1982 में किया और आज मई, 1984 में अमरीका में विदेश सेवा संबंधी सेनेट का यह कहना है कि हमारे सभी दौरे व्यर्थ गए हैं। उन दौरों से भी ठोस परिणाम नहीं निकलता है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : मिस्टर बुश यहां किसलिए आ रहे हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : ठीक है, श्री राव को इस प्रश्न का उत्तर देना है। मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता फिर भी जो कुछ भी मैं जानता हूं उनसे ज्यादा जानता हूं। लेकिन मामले की सच्चाई यह है कि अमरीका हमारे लिए वाणिज्यिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण देश है। वहां 5 लाख भारतीय रहते हैं। हमारे सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है जोकि हमारा प्रमुख सहयोगी है। कुछ वर्षों से, हम सोवियत संघ से आगे हैं। कुछ क्षेत्रों में हम सोवियत संघ से आगे हैं सोवियत संघ की बात को छोड़िए। टेक्नोलॉजी के मामले में जो टेक्नोलॉजी हमने अमरीका से खरीदी उससे भारत को भारी लाभ हुआ है। सरकार की नई उदार नीति के कारण बहुत सी अमरीकी कम्पनियों को आमन्त्रित किया गया है और इस कारण से कुछ आर्थिक सम्बन्ध मजबूत हुए हैं। लेकिन अमरीका के प्रति नीति ऐसी दिखाई देती है कि हर बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ; हम उनको समझ नहीं पाए। मेरी समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान उसका एक अंग है। सरकार इसको क्यों नहीं समझ सकी। अमरीका की एक विश्वव्यापी पाकिस्तान उसका एक अंग है हम नीति है। आप उसके अंग नहीं हैं हम अमरीका के पिट्ठू कभी नहीं बन सकते, यह बात बिल्कुल साफ है, और इसलिए, हम अमरीका के पाकिस्तान की तरह घनिष्ठ मित्र कभी भी नहीं बन सकते। पाकिस्तान, अमरीका का पिट्ठू बनने को तैयार है और इसलिए, वे उनके साथ घनिष्ठ मित्रता रखना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है।

लेकिन इसके साथ ही, जो उसे आज हमारे उनके साथ सिविल सम्बन्ध हैं उनको बढ़ा सकते हैं। अमरीका को हमेशा गालियां देते रहते हैं···

एक माननीय सदस्य : कौन गालियां देता है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : संसद में। आप शून्य काल पर आए। प्रो० तिवारी यहां उपस्थित नही हैं। हरेक छोटी बात पर, अमरीका को बीच में लाया जाता है, अमरीका द्वारा विपक्ष को प्रोत्साहित किया जा रहा है, और यह सब चल रहा है। मैं आपको बताऊं, यदि आसूचना क्षेत्र में अमरीका के साथ आपके सहयोग के बारे में इतिहास लिखा जाए, तो यह बहुत ही सदमा पहुंचाने वाला इतिहास होगा। प्रथम यू-2 उड़ान उड़ीसा से चीन में जवाहरलाल नेहरू सरकार द्वारा कराई गई थी। उन्होंने चीन के सैनिक ठिकानों के फोटो लिए थे और वे फोटो बाद में कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य द्वारा जो बाद में जनता सरकार का सदस्य बन गया, सोवियत संघ में ले जाए गए और वहां यह बताया कि चीन के लोग क्या कर रहे हैं। नन्दा देवी में अमरीका के तीन आसूचना का सहयोग प्रलेखबद्ध है। इसलिए, मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहता, मैं सब यह उखाड़ना नहीं चाहता। लेकिन यह समाप्त होना चाहिए—रोज यह बात कहना कि पंजाब में सी० आई० ए० है, असाम में पी० आई० ए० है, श्रीलंका में सी० आई० ए० है और हर जगह सी० आई० ए० है। यदि कल जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है तो भी यह कहा जाएगा कि सी० आई० ए० ने उन्हें चुनाव में जिताया है। इस तरह की गैर-जिम्मेदाराना बातें खत्म होनी चाहिए। यदि आप अमरीका के साथ सिविल सम्बन्ध रखना चाहते हैं आपको यह बात माननी पड़ेगी कि न केवल सी० आई० ए० सक्रिय है। बल्कि के० जी० बी० भी सक्रिय है। आपको सम्बन्धों को सन्तुलित रखना चाहिए। और यही कारण है कि मैंने 'एक समान दूरी' की बात की है। मैं यह नहीं कह रहा कि, दिआगो गार्सिया के मामले में अमरीका का समर्थन करो। दिआगो गार्शिया के मामले यदि आप उनकी भर्त्सना करना चाहते हों तो उनकी भर्त्सना करो। ग्रेनाडा के मामले में, यदि आप उनकी भर्त्सना करना चाहते हों तो उनकी भर्त्सना करो। मैं भी उस भर्त्सना में आपके साथ शामिल हूं। लेकिन इसके साथ ही, उसी तरीके से आप सोवियत संघ को भी समझो।

अपनी बात को समाप्त करते हुए···

एक माननीय सदस्य : श्रीलंका के बारे में क्या हुआ ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीलंका के बारे में मैंने जो कुछ कहना था वह मैं कह चुका हूं।

सभी अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों में जो भी उन्होंने यहां आयोजित किए हैं, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की साख कम ही हुई है। हाल ही में उन्होंने श्री टी० एन० कॉल को यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड के निदेशक के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए पेरिस भेजा था। इस चुनाव में घाना ने भारत को हराया था। श्री टी० एन० कॉल को अपमानित होकर वापस आना पड़ा था। ऐसी कोई अन्तर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है जिसके लिए वे आज चुनाव जीत सकते हैं। वे एक के बाद एक चुनाव हारते जा रहे हैं। मैं अन्य सभी चुनावों का उल्लेख नहीं करना चाहता, जिनमें वे हार गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है ?

श्री बी० आर० भगत (सीतामढ़ी) : अन्य कौन से चुनाव हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अभी 1-1/2 महीने पहले आप यूनेस्को के चुनाव में हार गए हैं···

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने चुनाव याचिका दमन की है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : भारत का क्या आदर है जिसके बारे में वे बात करते हैं ? इन 4-1/2 वर्षों में, वास्तव में भारत का आदर कम हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है ? भारत ने ऐसा क्यों किया कि उसने यूनेस्को जैसे स्थान के लिए चुनाव लड़ा और वह उसमें हार गया ? हमने इससे पहले चुनाव जीता था। डा० राधाकृष्ण प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चुनाव जीता था।

श्री बी० आर० भगत : 'यूनेस्को' को छोड़कर आप अन्य किसी चुनाव का उदाहरण दे सकते हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी हां, मैं ऐसे बहुत से चुनावों के बारे में बता सकता हूं लेकिन मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। यदि आप इसके बारे में और अधिक चाहते हैं, तो मैं आपको और अधिक बता सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही 30 मिनट ले लिए हैं। अन्य वक्ताओं को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी कृपया अपना भाषण समाप्त करिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप मुझे बताइए कि आपने अपने समय में क्या जीता है ?

इसी प्रकार जब गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ उस समय अफगानिस्तान के बारे में जो संकल्प पारित किया गया था ! क्या वह भारतीय संकल्प था ? वास्तव में यह पाकिस्तानी प्रारूप था जो पारित हुआ। उनका प्रारूप अस्वीकार नहीं किया गया। यह एक तथ्य है। विश्व के अन्य सम्मेलनों में भी ये अल्पमत में हैं, वे चुनाव हारते हैं ? ऐसा क्यों है कि इसका संकल्प स्वीकार नहीं किया गया ?

6 म० प०

निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि पूरे विश्व में आज यह धारणा है कि जब भारी विवाद की स्थिति आती है तो यह देश सोवियत संघ के साथ होता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतन्त्र देश नहीं है। वे यहां-वहां कुछ दिखावा कर सकते हैं परन्तु जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो यह देश सोवियत संघ के साथ होता है। सोवियत संघ की ओर झुकाव है। इसीलिए मैं अपना वैकल्पिक प्रस्ताव लाया हूं। मैं कह रहा हूं कि अपने आपको और अधिक लचीला बनाइए। यदि आपकी अपने पड़ौसियों के साथ मित्रता है तो आप अधिक लचीले बनेंगे। यदि आप पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे, तो अमरीका इसका लाभ उठाएगा। इसमें कोई सन्देह नहीं है। यदि आप चीन से लड़ेंगे तो उस समय चीन और पाकिस्तान एक हो जाएंगे और तब आपके लिए बहुत बड़ी रक्षा समस्या पैदा हो जाएगी। अकेले चीन से आप टक्कर ले सकते हैं, अकेले पाकिस्तान से आप टक्कर ले सकते हैं। परन्तु यदि ये दोनों देश एक साथ मिल जाएं तो यह आपके लिए बहुत बुरा है। पड़ौसियों से आपकी मित्रता का बहुत महत्व है। इससे आपको अपने अन्य हितों की रक्षा करने की क्षमता प्राप्त होती है।

दूसरी बात मैं यह कह रहा हूं कि यह अन्तर्राष्ट्रीय धारणा यही थी और हर जगह देश के सम्मान को नुकसान पहुंचा रही है और यह कि हर मंच पर आप सोवियत संघ की तरफ झुक रहे हैं। आप इस

झुकाव को सही कीजिए और समान अन्तर कायम कीजिए। यह मेरे वैकल्पिक प्रस्ताव का सार है। मेरा विचार है कि विदेश मन्त्री सन्तुष्ट होंगे और वे मेरे वैकल्पिक प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य): महोदय, विधेयक का क्या हुआ ? मुझे यह बताया गया था और मुझे यह दिखाया भी गया था कि यह सांय 5.30 बजे परिचालित किया जाएगा। अब तो 6 बज चुके हैं···

उपाध्यक्ष महोदय: वह अभी भी यह काम कर रहे हैं। आपको या सभा को जो भी आश्वासन दिया गया है उसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वे विधेयक पुर:स्थापित करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते: वह साइक्लोस्टाइल कराने के लिए गए हैं।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते: प्रात: 11 बजे से लेकर अभी तक यह साक्लोस्टाइल ही किया जा रहा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: हरपक्ष का सदस्य आपसे—इस पर सहमत हैं···मैं आपके साथ हूं। यह आ रहा है।

एक माननीय सदस्य: आप उनके साथ एक कैसे हो सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय: वे मेरी बहनें हैं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर): अभी-अभी डा० स्वामी यह उचित ठहराने का प्रयास कर रहे थे कि वह जो कुछ भी कह रहे हैं वह उनका मत नहीं है बल्कि उनकी पार्टी का मत है। जब वह ऐसा कहते हैं तो या तो उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है या उनकी पार्टी को उनके ऊपर विश्वास नहीं है। नहीं तो यहां उन्हें उसका औचित्य बताने की क्या आवश्यकता थी ?···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी: क्योंकि आपकी पार्टी ने यह मामला उठाया था और मैं इसका जवाब दे रहा था।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया: जब वह अफगानिस्तान के बारे में बोल रहे थे तो उन्होंने हमें एक नया तर्क दिया कि वहां अफगानिस्तान शरणार्थी बड़ी संख्या में हैं और पाकिस्तान सरकार टिकाऊ सरकार नहीं है। इसलिए यह हमारे लिए एक सुरक्षा सम्बन्धी खतरा है और इसीलिए हमें रूस वालों को अफगानिस्तान छोड़ने के लिए कहना चाहिए। क्या हम किसी भी सरकार को किसी अन्य देश से चले जाने को कह सकते हैं क्या हम कह सकते हैं कि अमरीका को दक्षिण कोरिया से अपनी फौज वापिस बुला लेनी चाहिए ?···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी: जी हां, ऐसा कहिए।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया: प्रत्येक देश की अपनी नीति होती है। किसकी नीति और किसके

हित का कोई प्रश्न नहीं है। हमें केवल अपने हितों को देखना चाहिए और हमारे राष्ट्रीय हित क्या हैं और अफगानिस्तान के बारे में इस देश की राष्ट्रीय धारणा क्या है? यह सच है कि एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष देश, अफगानिस्तान भारत का मित्र देश है और अफगानिस्तान में पाकिस्तान और अमरीका का समर्थन पा रही प्रतिक्रियावादी ताकतें भारत के मित्र नहीं हैं। इसलिए यह हमारे राष्ट्रीय हित हैं कि हमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी अफगानिस्तान की सहायता करनी चाहिए···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : गुट-निरपेक्ष अफगानिस्तान के बारे में क्या विचार हैं?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : उन्होंने भारत द्वारा कम्प्यूचिया को मान्यता देने का हवाला दिया है। दो वर्ष पहले मैं वहां था और मेरा विचार है कि यह सबसे बुद्धिमतापूर्ण नीति थी जो भारत ने अपनाई और सच्चाई को पहचानने में भारत ने बल्कि देर कर दी क्योंकि पूरे समय वे यह ही पता लगाते रहे कि कम्प्यूचिया पर किसका नियन्त्रण है। चूंकि नई हेंग सामरिन सरकार का कम्प्यूचिया पर पूर्ण नियन्वण है और वहां की जनता खुश है इसलिए हमने उसे मान्यता दे दी। क्या उनका कहने का मतलब यह है कि हमें पोल पोट सरकार को मान्यता देनी चाहिए जिसने 30 लाख लोगों को मार डाला? वह यह करवाना चाहते हैं। यदि वह ऐसा करवाना चाहते हैं तो फिर मैं यह कहता हूं कि भारत ऐसा करना नहीं चाहता; यह अमरीका का दृष्टिकोण हो सकता है; चीन का दृष्टिकोण हो सकता है। इस देश में वे किसका समर्थन कर रहे हैं? (**व्यवधान**)

महोदय, उन्होंने मध्यपूर्व में हमारी नीति पर भी आपत्ति की है। फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन फिलिस्तिनियों का एकमात्र प्रतिनिधि है और उन्हें अपना देश बनाने का पूरा अधिकार है और हम उनके इस अधिकार को मान्यता देते हैं। क्योंकि भारत की नीति सिद्धांत की नीति है, चाहे वह मध्य-पूर्व के बारे में हो या इजराइल के बारे में या कहीं और के बारे में हम सिद्धांत से चलते हैं। फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन फिलिस्तिनियों का एकमात्र प्रतिनिधि है इसलिए उन्हें अपना देश बनाने का अधिकार है। इसलिए हमने इसका समर्थन किया है।

बांग्ला देश के बारे में उन्होंने (डा० स्वामी ने) कहा कि भारत ने बांग्ला देश के राष्ट्रपति से परामर्श नहीं किया। यदि हम अपने देश में कोई काम करना चाहते हैं तो क्या हमें दूसरों से पूछना चाहिए? वह (डा० स्वामी) कहते है कि ऐसा होना चाहिए। यह एक बेतुकी बात है जो बहुत से लोग कर रहे हैं। हम यह सोचने लगते हैं कि क्या डा० स्वामी एक भारतीय हैं या वे किसी अन्य देश के एजेंट हैं? वह सदा पाकिस्तान के बारे में बोलते रहते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं इस पर आपत्ति करता हूं। उन्हें उन लोगों का नाम बताना चाहिए। कौन कहता है इस तरह? ताकि मैं ऐसे लोगों से निपट सकूं।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० स्वामी विश्व नागरिक हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वे कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैं किसी विदेशी देश का एजेंट हूं। उन्हें उन लोगों का नाम बताने दीजिए। डरपोक मत बनिए। श्री वाजपेयी को अपना यह आरोप एक दम वापिस लेना पड़ा था। आपको भी अपनी बात वापिस लेनी पड़ेगी।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैं शब्द बदल देता हूं। उन्होंने (डा० स्वामी ने) उनकी नीति के बारे में बोला। आपको भारत की नीति का समर्थन करना चाहिए ; भारत के राष्ट्रीय हितों का समर्थन करना चाहिए। राष्ट्रीय भावना क्या होती है ? जो अन्य लोग हमसे करवाना चाहते हैं ; हम वह नहीं मानेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि पाकिस्तान अमरीका की अन्तर्राष्ट्रीय नीति का एक भाग है और भारत नहीं है। हमें इसकी क्यों चिंता करनी चाहिए ? यह एक बहुत ही आसान-सवाल है। यहां तक कि एक साधारण आदमी, एक रिक्शाचालक भी उन्हें यह समझा देगा। पाकिस्तान को अमरीका की अन्तर्राष्ट्रीय नीति का भाग बनाने से किसका नुकसान होगा ? क्या वह सोचते कि इससे अफगानिस्तान को नुकसान होगा या रूस को नुकसान होगा ? क्या पाकिस्तान रूस से टक्कर लेने की स्थिति में है ? महोदय, पाकिस्तान की तीन चौथाई सेना भारतीय सीमा पर तैनात है और पिछला अनुभव हमें बताता है कि अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दी गई सभी युद्ध सामग्री, हथियारों आदि का भारत के विरुद्ध लड़ने में प्रयोग किया गया है अभी भी वह यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत को अमरीका की अंतराष्ट्रीय नीति से क्यों डरना चाहिए ? क्योंकि यह हम पर सीधे चोट करती है, इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं।

महोदय; अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति काफी खराब हो गई है। अब स्थिति यह है कि हम विश्वयुद्ध, परमाणु, प्रक्षेपास्त्र युद्ध के कगार पर खड़े हैं। कौन कर रहा है यह ? शस्त्रों की होड़ को कौन बढ़ा रहा है ? यह केवल एक बड़ी शक्ति है। जहां कहीं भी आप देखते हैं, यूरोप में कौन प्रक्षेपास्त्र स्थापित कर रहा है ? मध्य-पूर्व में कौन कार्यदल तैनात कर रहा है ? डियगो गार्सिया को अड्डा किसने बनाया है ? अमरीका के सभी देशों में ठिकाने हैं। मेरे विचार से 30 से अधिक देशों में उनके सैनिक ठिकाने हैं। आप उसका विरोध क्यों नहीं करते ? हमें इस तथ्य की ओर से अपनी आंखें क्यों बंद कर लेनी चाहिए ? यह केवल एक देश है जो पूरे विश्व के लिए यह सारी समस्या खड़ी कर रहा है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उसका नाम बताइए।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : यह अमरीका है, आपका मित्र देश। मैं अनेक क्षेत्रों के बारे में नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे बोलने के लिए दिया गया समय बहुत कम है। मैं अपनी बात केवल इस क्षेत्र, विशेषकर पाकिस्तान तक ही सीमित रखूंगा।

भारत-पाक सम्बन्धों के बीच एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। वर्ष 1980 में जबसे यह सरकार पुन: सत्ता में आई है तभी से हमने पाकिस्तान के साथ सहयोग करने और मैत्री सम्बन्ध करने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। परन्तु, दुर्भाग्यवश पाकिस्तान से इसका कोई प्रत्योत्तर नहीं मिला। हमने अपने विदेश सचिव श्री साठे को वहां भेजा और उसके बाद हमारी प्रधान मन्त्री के व्यक्तिगत दूत की हैसियत से सरदार स्वर्ण सिंह वहां गए। और उसके बाद स्वयं हमारे विदेश मन्त्री दोनों देशों के बीच मैत्री की संभावनाओं का पता लगाने के लिए वहां गए और उसके बाद हमारी प्रधान मन्त्री ने सालिसबरी में जनरल जिया से भेंट की और बात-चीत की और बाद में उन्होंने जनरल जिया को इस आशय का एक पत्र भी लिखा कि हमें मैत्री सम्बन्ध रखने चाहिए, एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए तथा हमें टकराव का मार्ग छोड़ देना चाहिए। परन्तु, दुर्भाग्यवश, इस बारे में उनका कोई प्रति उत्तर नहीं मिला। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी वहां गए थे। और वे इस बात के बड़े इच्छुक हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ संबंध विकसित करने चाहिए। हमें किसके साथ सम्बन्ध विकसित

करने चाहिए। हमने अपने पड़ौसी से सहयोग करने का भरसक प्रयास किया है। हम उनके साथ संबंध बनाना चाहते हैं। हम एक मजबूत पाकिस्तान चाहते हैं क्योंकि मजबूत पाकिस्तान भारत के हित में है। हम उस देश को खुशहाल देखना चाहते हैं, स्वतन्त्र देखना चाहते है, प्रभुसत्ता सम्पन्न देखना चाहते हैं, परन्तु जब हम यह पाते हैं कि एक देश अमरीका का ग्राहक देश बन गया है, उसका प्रतिनिधित्व करने अग्रणी हो गया है और अपने देश के हितों को देखने की बजाए अमरीका के हितों को देखता है, तो यह स्वाभाविक ही है कि हमें यह महसूस होता है और हमें इस पर आपत्ति है।

महोदय, मेरी दृष्टि से चार बातें हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बन्धों के विकास में आड़े आती हैं। पहली बात है भारत से जनरल जिया की असुरक्षा की भावना। भौगोलिक दृष्टि से भारत बड़ा देश है। भारत के पास एक बड़ी जन शक्ति है। भारत के पास भारी प्रौद्योगिकी और भारी औद्योगिक आधार है। यही बातें हैं जिनका उनको डर है। इस प्रकार जनरल जिया बहुत असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। उनमें इस प्रकार की ग्रंथी पैदा हो गई है, यद्यपि हम उनके साथ मैत्री रखना चाहते हैं, उनके साथ सहयोग करना चाहते हैं, और किसी भी प्रकार की आपसी समझ बनाना चाहते हैं। परन्तु ऐसा नहीं होने जा रहा है क्योंकि उनके मन में डर बैठा हुआ है और इस बारे में हम कोई मदद नहीं कर सकते।

दूसरी बात है सुरक्षा सम्बन्ध, जो पाकिस्तान ने अन्य देशों के साथ विकसित किए हैं। इस भय पर काबू पाने के लिए उन्होंने अमरीका, चीन जैसे, देशों और मध्य-पूर्व के कुछ अन्य देशों के साथ सुरक्षा प्रबन्ध किए हैं। शुरू से ही वे बगदाद संधि में शामिल रहे हैं और इसी तरह के अन्य समझौतों में भी शामिल रहे हैं क्योंकि वे अन्य देशों को मित्र बनाना चाहते हैं जो कि हथियार और युद्ध सामग्री सप्लाई कर सकें जिससे वे अपने आपको सुरक्षित महसूस सर सके। इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहूंगा कि हम युद्ध न लड़ने का समझौता करने को तैयार हैं परन्तु इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया और इसे कार्यान्वित नहीं किया गया तथा कई अन्य बैठकों में भी हमने यह प्रकट किया है कि हम मैत्री रख सकते हैं और एक समान मुद्दों पर बात-चीत कर सकते हैं परन्तु वे इसमें आगे नहीं आ रहे हैं। इसके बजाए वे अपनी जरूरतों से भी अधिक अमरीका से सैन्य सहायता प्राप्त कर रहे हैं। वे चीन से परमाणु जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तथा और अधिक सैनिक डिविजन खड़े करने के उद्देश्य से काफी धन प्राप्त करने के लिए मध्य-पूर्व के अनेक देशों में उनके डिविजन हैं। उनके पास बम भी है जिसके बारे में उसने अन्य देशों को बताया है कि यह एक इस्लामिक बम होगा। इस प्रकार, ये सुरक्षा प्रबन्ध भी जिम्मेदार हैं जो हमारी मैत्री में आड़े आते हैं।

तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान में लोकप्रिय सरकार नहीं है। पाकिस्तान में सामान्यत: एक परम्परा ही चल पड़ी है एक जनरल दूसरे को मारता है और गद्दी हथिया लेता है। जब अयूब आए तो ऐसा ही हुआ या जब याइया खां थे तो तब भी ऐसा ही हुआ। जिया भी ऐसे ही गद्दी हड़पने वाले हैं जिन्होंने जनता की अनुमति के बिना शक्ति हथिया ली है। उन्होंने गद्दी पर अनधिकार कब्जा किया और सरकार की बागडोर अपने हाथ में ले ली। केवल भुट्टो के समय का एक जमाना ऐसा था जब वहां एक लोकप्रिय सरकार थी। उस दौरान दोनों देशों के बीच सर्वाधिक मैत्री सम्बन्ध थे। हमने शिमला समझौता और दिल्ली समझौता किया था क्योंकि एक लोकप्रिय सरकार को लोगों की बात सुननी होती है तथा लोगों के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होता है और राष्ट्र के हितों को देखना होता है। एक सैनिक जनरल को केवल अपने हितों की ही परवाह होती है। इसलिए कि क्या राष्ट्रीय हितों को

ध्यान में रखा जाए या अपने स्वयं के हितों को, इस पर जनरल स्वयं को प्राथमिकता देगा चूंकि पाकिस्तान में विदेश नीति के बारे में एक आदमी को निर्णय करना होता है इस लिए यह जनता की सरकार नहीं यह जनता की नीति है ; यह तो केवल उन लोगों की नीति है जो पाकिस्तान में शासन कर रहे हैं और वह है, सेना।

चौथी समस्या जो हमारे मैत्री सम्बन्धों में आड़े आती है, वह यह है। वह है अमरीका की अन्तर्राष्ट्रीय नीति। अमरीका के पूरे विश्व में, चाहे वह लातीनी अमरीका, मध्य-पूर्व, हिन्द महासागर, प्रशांत या दक्षिण पूर्व एशिया, अपने महत्वपूर्ण हित हैं। हर जगह उनके हित हैं। उनके कोई उपनिवेश नहीं हैं परन्तु फिर भी वे पूरे विश्व में अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। यदि वे रूस के प्रति विरोध की नीति अपनाते हैं तो उससे हमें कुछ लेना-देना नहीं है। परन्तु ऐसा करने से कई देशों को खतरा पैदा हो जाता है। हिन्द महासागर में उनके पास डिमगो गार्सिया है। उन्होंने शुरू में यहां एक चौकी बनाई थी परंतु अब यह एक पूर्णरूप से सुसज्जित परमाणु ठिकाना बन गया है जिससे हिन्द महासागर के आस-पास के तटीय देशों की स्वतन्त्रता के लिए खतरा पैदा हो गया है। श्री स्वामी कहते हैं कि पाकिस्तान अमरीका की अंतर्राष्ट्रीय नीति का हिस्सा है, भारत नहीं। जब दिएगो गार्सिया तलवार की तरह हमारे ऊपर लटक रहा है तो किसी भी देश प्रभुसत्ता के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। वे दिएगो गार्सिया में बैठे हैं, जोकि हमारे देश के इतने समीप है कि हम इसका विरोध करने के लिए बाध्य हैं, हम असुरक्षित महसूस करते हैं और हम सुरक्षा प्रबन्ध करने के लिए बाध्य हैं ताकि हम असुरक्षित न रहें और अपनी प्रभुसत्ता की रक्षा कर सकें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या अफगानिस्तान में रूसी सेनाएं आपकी सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है—क्या वह बहुत दूर है ?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैंने आपको बताया है कि अफगानिस्तान के बारे में हमारी नीति बहुत स्पष्ट है। हम अफगानिस्तान की धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी सरकार का समर्थन करते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : और सोवियत सेना वहां शांति के लिए है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : इस प्रकार, अमरीका की यह, अंतर्राष्ट्रीय नीति भी जिम्मेवार है, क्योंकि वे पाकिस्तान को आवश्यकता से कहीं अधिक हथियार सप्लाई कर रहे हैं। जैसाकि श्री स्वामी ने कहा है कि पाकिस्तान में एक कमजोर सरकार है, अस्थिर सरकार है। अमरीका ने उसका लाभ उठाया है। आज आप यह नहीं कह सकते कि जिया वहां शासन चला रहे हैं। आप यह नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की जनता वहां शासन कर रही हैं। आज पाकिस्तान का शासन अमरीका चला रहा है। जब तक अन्तर्राष्ट्रीय नीति के अंग के रूप में और अमरीकी नीति के अग्रणी देश के रूप में पाकिस्तान का शासन अमरीका द्वारा चलाया जाता रहेगा और जब तक पाकिस्तान अमरीका की इच्छानुसार कार्य करता रहेगा तब तक हम अमरीका की अन्तर्राष्ट्रीय नीति का विरोध करने के लिए बाध्य हैं। इसीलिए, अमरीका की यह नीति पाकिस्तान को हमारे नजदीक न आने देने के लिए जिम्मेवार है। महोदय, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले हमने वार्ता की थी। हमने सोचा था कि हम पाकिस्तान के साथ सहयोग कर सकेंगे और दोनों देशों के बीच समझौते वगैरा हो जाएंगे। तुरन्त बिना किसी बजह के उन्हें

एफ-16 विमान सप्लाई कर दिए गए। अमरीका एफ-16 विमान सामान्यतः अन्य देशों को उपलब्ध नहीं कराता है। बड़ी संख्या में ये विमान देने की घोषणा की गई। इसका क्या मतलब था? इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच चल रही वार्ता को तुड़वाना था। इसलिए जब तक अमरीका की यह अंतर्राष्ट्रीय नीति रहेगी और पाकिस्तान उसका ग्राहक देश बना रहेगा तब तक दोनों देशों के बीच कोई मैत्री नहीं हो सकती है। मैं विदेश मंत्री से पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान के साथ मैत्री और सहयोग करने के लिए हमारे सभी प्रयासों के बाद—हमने द्विपक्षीय समझौते किए थे, जिनका वे अब खंडन कर रहे हैं—अब क्या किया जाना है? हमारी पाकिस्तान के बारे में एक स्थायी नीति होनी चाहिए। हमें एक नई नीति तैयार करनी चाहिए जो हमारे लिए लाभकारी हो और जो हमारे राष्ट्रीय हित में हो। आप कब तक पाकिस्तान के पीछे मैत्री के लिये दौड़ते रहेंगे जबकि वे हमसे दूर हट रहे हैं क्योंकि एक तीसरी पार्टी वहां है जो आपकी मैत्री नहीं होने देगी? इसलिए मेरा जोर इस बात पर है कि हमें पाकिस्तान के बारे में एक सकारात्मक स्थायी नीति बनानी चाहिए। हमें वह नीति बनानी चाहिए ताकि भारत की जनता यह महसूस कर सके कि पाकिस्तान के बारे में हमारी एक स्थायी सकारात्मक नीति है।

इन शब्दों के साथ ही में हमारे विदेश मंत्री द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, आज टेक्नोलॉजी के एडवान्समैंट के कारण दुनिया के मुल्कों का एक-दूसरे से फासले में बहुत कम हो गया है। हम अलग-थलग होकर न रह सकते हैं, न सोच सकते हैं, इसीलिए आज इंटरनेशनल सिचुएशन पर हम डिस्कशन कर रहे हैं।

अक्साई-चिन में चीन, अफगानिस्तान में रूस और डिएगो गार्शिया में अमेरिका, इस त्रिकोण से भारत घिरा हुआ है। केवल यह त्रिकोण ही नहीं, हमारे पड़ोसी देश, चाहे वह पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बंगलादेश हो, और आज मुझे यहां तक भी कहना पड़ रहा है कि नेपाल के साथ भी हमारे सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं।

यहां से कुछ प्रसिद्ध पत्रकार नेपाल गए थे। उन्होंने बताया है कि वहां पर लोगों में भारत-विरोधी भावना बढ़ती जा रही है।

मैं बंगलादेश से शुरू करना चाहता हूं। 1980 में जब सदन में इस इस्यु पर डीबेट हुई, तो फरक्का बांध के बारे में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात का जवाब देते हुए श्री नरसिंह राव ने कहा था :—

> "···जब पड़ोसियों की बात उन्होंने उठाई, तो उन्होंने मुझे एक ऐसे धर्म-संकट में डाल दिया है कि मैं कुछ कह भी नहीं सकता। इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने जो कुछ किया है, उसका नतीजा यह है कि आज हम खून के घूंट पीकर चुप हैं।"

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1975 में श्रीमती इन्दिरा गांधी और शेख मुजीबुर्रहमान में जो समझौता हुआ था, उसके आधार पर 11,000 से लेकर 16,000 क्यूसेक पानी हमको मिलना था, लेकिन जनता रेजीम में फरक्का बांध का जो एग्रीमेंट हुआ, उसके हिसाब से 20,500 क्यूसेक पानी

हमको मिलना था । तो फिर मंत्री महोदय को खून के घूंट पीने की जरूरत क्यों पड़ी ? अब तो वह समझौता भी खत्म हो गया है । अब तो वह कम से कम पानी के घूंट पिला दें । मैं जानना चाहता हूं कि अब वह क्या समझौता करने जा रहे हैं और उसमें क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ।

जहां पर सीमा तक बाड़ लगाने का ताल्लुक है, घुसपैठिए आसाम, बंगाल, बिहार और बम्बई में आ रहे थे—और रिपोर्ट यह है कि हमारे कैपिटल, दिल्ली, में ढाई लाख लोग बैठे हैं -- उनको रोकने के लिए बाड़ लगाने की जरूरत पड़ी । मैं पूछना चाहता हूं कि बंगलादेश के साथ लेटेस्ट क्या बातचीत हुई है । क्या सरकार ने बाड़ लगाने के काम को रोक दिया है ? उसमें कहां तक प्रोग्रेस हुई है ? बंगलादेश एक छोटा मुल्क है । उसके साथ ताल्लुकात सुधारने चाहिए ।

आज से अखबारों में छपा है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी फौज हमारे आर्डर पर जमा हो गई है । यह भी एक कटु सत्य है कि अमरीकन आर्म्ज पाकिस्तान के पास हैं । वे मोस्ट मार्डर्न आर्म्ज हैं और वे हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने हैं । पाकिस्तान के लोग यह भी कह रहे हैं कि हम एटामिक हथियार बनाने वाले हैं । उनका मुकाबला करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है ?

कांग्रेस पार्टी के महामंत्री, श्री राजीव गांधी ने कहा है कि एक साल के अन्दर अन्दर पाकिस्तान हमला करने वाला है । अगर यह फैक्ट नहीं है, तो मंत्री महोदय हाऊस को बताएं कि किस आधार पर वह यह बात कह रहे हैं । अगर वह यह बात कह कर महज मुल्क में यूनिटी, इत्तिफाक, लाने की बात सोच रहे है, तो यह प्रोसेस बहुत डेंजर्स और गलत है । अगर वह लड़ाई का हौवा खड़ा करके देश के लोगों को इकट्ठा करना चाहता है, तो यह बड़ी गलत बात है । मंत्री महोदय मुल्क को कान्फिडेंस में लें कि इस बात में कहां तक असलियत है । अगर लड़ाई होने वाली है, तो सरकार उसके लिए क्या तैयारी कर रही है ? हम लोग इस बात में यकीन करते हैं कि एटामिक पावर को पीसफुल परपज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए । लेकिन अगर पाकिस्तान के पास एटामिक वैपन्ज होते हैं तो सरकार क्या करेगी ? मन्त्री महोदय पार्लियामेंट के जरिए मुल्क को कान्फिडेंस में लें ।

जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, रूस हमारा मित्र है, जो आड़े वक्त में हमारे काम आया है । आर्थिक स्थिति की बात हो या मुल्क की रक्षा का मामला हो, जब कभी और कोई मुसीबत आई है, सभी मरहलों पर हमने रूस को एक दोस्त के नाते अपने पास खड़ा पाया है । मगर अफगानिस्तान के मामले में भी उसकी पालिसी को मैं पसन्द नहीं करता, वहां पर जो उसकी फौजें आई हैं उसको बिल्कुल पसन्द नहीं करता । लेकिन रूस की जो तीखी नुक्ताचीनी करते हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा और वह भी उर्दू के शेर में । इसलिए कि जब कभी देश पर हमला हुआ तो अमरीका ने मदद नहीं की, चीन ने हमला किया तो रूस ने ही हमारी मदद की है । तो उन तीखे नुक्ता चीनों से मैं कहना चाहता हूं कहीं कल पछता कर उन्हें यह ना कहना पड़े ।

कभी जिसको ठोकर लगाई थी मैंने

सिर उसी आस्तां पर झुकाने चला हूं ।

इसका सीधा सा मतलब यह है कि कहीं ऐसा मौका न आ जाए, कोई जरूरत पड़े तो आड़े में उन्हीं के दहलीज पर सिर झुकाना पड़े । कहीं पछतावा न करना पड़े । लेकिन एक बात मैं जरूर कहना

चाहता हूं कि अफगानिस्तान में जो कुछ रहा है, जैसे बिल्ली के नरम नाजुक पंजे में कुछ तीखे और तेज नाखून भी होते हैं, बिल्कुल वही मामला है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की आग की चिनगारी हिन्दुस्तान के दामन में भी कभी आ सकती है। इसलिए इतनी हिम्मत तो आप में होनी चाहिए, आपकी दोस्ती कच्चे धागे की तरह इतनी कमजोर न हो कि कभी भी टूट जाए और आप अपने दोस्त को असलियत भी न बता सकें, सच्चा दोस्त तो वही होता है जो दोस्त के मुंह पर बता सके कि सच्चाई क्या है। आप इतना तो कहते हैं कि फारेन ट्रूप्स किसी मुल्क में नहीं रहने चाहिए लेकिन आप इतना भी कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि अफगानिस्तान में रूस के ट्रूप्स हैं, वह वापिस जायें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह तो कई दफा बोले हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आपसे कहा जैसे उनसे कहा, और क्या करें ?

श्री सूरज भान : ठीक है, अच्छी बात है।

आप अपने ही झगड़ों से उलझे हुए हैं। भारत गुट निरपेक्ष आन्दोलन का चेयरमैन है, चाहिए तो यह था कि एशिया में, अफ्रीका में जहां कहीं भुखमरी है उसको दूर करने में आप मदद करते, कम्पूचिया लेबनान या ईराक-ईरान की लड़ाई की जो समस्याएं हैं उनको हल करने में मदद करते लेकिन बदकिस्मती यह है कि आप खुद ही पंजाब के मामले में उलझे हुए हैं, लंका के मामले में उलझे हुए हैं। आपको अपने घर से ही फुर्सत नहीं है और पड़ोसियों से ही सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं तो विदेशों में आप क्या साख बिठा पायेंगे ?

आखिर में एक बात कहना चाहता हूं। हिन्दुस्तान को सुपर पावर्स की प्राक्सी वार का मैदान नहीं बनने दिया जाना चाहिए कि वे यहां पर अपने हथियारों को टेस्ट कर सकें। इस बात को बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। अभी पिछले महीने भारतीय जनता पार्टी की आल इण्डिया वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, वह बहुत लम्बा है, उसके कुछ सेन्टेन्स ही पढ़कर मैं खत्म करना चाहूंगा :

> "उस उद्देश्य के लिए हम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन बुलाने के लिए आग्रह करेंगे जिसमें अन्य बातों के अलावा इन बातों के लिए भी कार्य किया जाए :
>
> (क) अफगानिस्तान के लिए स्थायी समाधान खोजने के लिए संयुक्त क्षेत्रीय प्रयास किए जाएं जिससे कि बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के इसकी स्वतंत्रता और गुटनिरपेक्षता सुनिश्चित होगी ;
>
> (ख) बड़ी शक्तियों से हिन्द महासागर से हट जाने और डिएगो गार्सिया जैसे सभी नौसैनिक ठिकानों को समाप्त करने के लिए क्षेत्रीय आह्वान किया जाए।
>
> (ग) इराक-ईरान युद्ध जल्दी समाप्त हो और खाड़ी के देशों में सभी बड़ी शक्तियों का हस्तक्षेप समाप्त हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री ईरा अनबारासु (चिंगलपट्ट) : उपाध्यक्ष महोदय, यह उचित होगा कि हम अपने विशाल बजट अधिवेशन को समाप्त करके अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की चर्चा करें। हमारी आन्तरिक स्थिरता बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर है। जैसाकि हमारी माननीय प्रधान मंत्री ने एक दिन बम्बई में कहा कि यदि हमारी बाह्य परिस्थितियां देश की प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए मजबूर करती हैं तो हमारी विकास गतिविधियां खतरे में पड़ जाएंगी।

मैं केवल अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के साथ-साथ सीमा के चारों ओर निकटवर्ती देशों की बाह्य स्थिति के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। दुर्भाग्यवश लोकसभा में कुछ माननीय सदस्यों के माध्यम से एक दिन हमें जनरल जिया की आवाज सुनाई दी। श्रीमान प्रारम्भ में ही मैं सदन में ऐसे राष्ट्रविरोधी कथनों पर दुःख व्यक्त करता हूं। हमारे माननीय सदस्य और जनता पार्टी के श्री पटनायक और श्री जार्ज पाकिस्तान के सैनिक तानाशाही के समर्थक हो गए हैं, इसमें वास्तव में कितना विरोधाभास है कि वे लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई हमारी प्रधान मंत्री को तानाशाह कहते हैं जबकि जिया उनके मित्रों में से हैं। माननीय सदस्य राष्ट्रपति जिया के शान्ति प्रस्ताव के प्रशंसक हैं जो हमारी वायु सीमा और सीमा क्षेत्रों में अतिक्रमण कर रहे हैं। वह लद्दाख के सीमा क्षेत्र में फौजों का जमाव बढ़ा रहे हैं। उनके सैनिक साथी गुप्त रूप से पंजाब में उग्रवादियों के लिए, शस्त्र, गोला बारूद भिजवा रहे हैं, तोड़फोड़ करने वाले विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी अमेरिका और चीन के पक्के समर्थक हैं, जब खुद उनका झुकाव अमेरिका की ओर है तो देश में उनका यह प्रचार कोई तमाशा नहीं कि हमें अपनी नीति बदलकर अमरीका और रूस के बीच बराबर दूरी रखनी चाहिए। श्री स्वामी जानते हैं कि अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को बहुत से आधुनिकतम परमाणु हथियार दे रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि फिर भी वे अमरीकी नीति और पाकिस्तान द्वारा अपनाई गति नीतियों के समर्थक हैं। मुझे पता चला है कि हमारे माननीय सदस्य मित्र महोदय श्री जार्ज फर्नान्डीज अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सदस्यों का एक दल लेकर श्रीलंका जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि वे वहां जाकर क्या करेंगे जबकि उन्होंने सरकार द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का कभी भी समर्थन नहीं किया। मैं जानता हूं कि श्रीलंका में जातीय दंगे केवल भारत सरकार द्वारा उठाए गए सही कदमों के कारण रुक सके। मैं नहीं जानता कि हमारे माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज और श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी श्रीलंका में घटने वाली घटनाओं को कैसे परिवर्तित कर पायेंगे।

राष्ट्रपति जयवर्द्धने पिछली बार यह मान चुके थे कि हिंसा के समय सेना उनके नियन्त्रण में नहीं रह गई थी, हम भारतवासी उनके इस वक्तव्य पर विश्वास कर गए। लेकिन बाद में वास्तव में उन्होंने जो कहा वह बहुत ही दुखदायी था। उन्होंने कहा कि 100 भारतीय भी श्रीलंका को नहीं हिला सकते। शायद उन्होंने ज्वलन्त आन्तरिक समस्याओं अथवा अपनी सैनिक शक्ति दिखाने के लिए ऐसा कहा हो, लेकिन श्रीमान, हम दुनिया में किसी से भी कम नहीं हैं। हम किसी भी देश के विरुद्ध युद्ध नहीं छेड़ रहे हैं। किसी दूसरे देश की एक इंच भूमि भी हथियाने का हमारा इरादा नहीं है। लेकिन हम किसी देश से कम नहीं हैं। वास्तव में मेरा कहना है कि श्रीलंका* को कुचलने में आधे घण्टे से अधिक समय नहीं लगेगा।

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

लेकिन हमारी बिल्कुल भी ऐसी इच्छा नहीं है। हम महात्मा गांधी के आदर्शों में पले हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए।

श्री ईरा अनबारासु : हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी योग्य है, हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए।

श्री ईरा अनबारासु : जब श्रीलंका कैबिनेट के एक अन्य मंत्री कहते हैं कि हिन्द महासागर तमिलों के लिए श्मशान होगा, क्या ऐसा कहने पर मैं उत्तेजित नहीं हुआ ? आप यह क्यों नहीं सोचते कि मेरा भी खून खौलता है। श्रीलंका में मेरे सगे सम्बन्धी और रिश्तेदार हैं। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि श्रीलंका के जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा कही गई ऐसी उत्तेजनात्मक टिप्पणियों का जबाब देने का मुझे अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनबारासु, आपने कहा कि श्रीलंका ऐसा था आदि भारत ये कर सकता है वो कर सकता है—

इससे भारत सरकार की विदेश नीति प्रतिबिम्बित नहीं होती। इसलिए मुझे रिकार्ड देखना पड़ेगा।

जब हम किसी अन्य देश के बारे में कहते हैं तो हमें उसे वैसा नहीं कहना चाहिए।

श्री ईरा अनबारासु : यह मेरी निजी टिप्पणी है, मैं ऐसा नहीं कहने के लिए स्वतन्त्र भी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, लेकिन आपको इसका जिक्र नहीं करना चाहिए। इससे कोई भी प्रयोजन हल नहीं होगा।

श्री ईरा अनबारासु : जब वे भारत के बारे में इतना कुछ कहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें विश्व के अन्य देशों का सम्मान करना चाहिए, हो सकता है उनसे हमारे विचार न मिलते हों।

श्री ईरा अनबारासु : यहां पर मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूं वह यह है कि जब श्रीलंका के राष्ट्रपति कहते हैं कि निश्चित रूप से वे श्रीलंका की तमिल समस्या हल कर लेंगे अथवा वे श्रीलंका में तमिलों की समस्या का उचित और शान्तिपूर्ण राजनीतिक हल ढूंढ़ लेंगे तब हमें उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए।

पुनः मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था संकट में है। इसलिए वह अमरीका की मदद पर अधिक निर्भर है। यह एक प्रत्यक्ष तथ्य है कि ट्रिन्कोमिली को सिंगापुर आधारित

एक अमरीकी कम्पनी के सार्थ संघ को पट्टे पर दिया जा रहा है जिसे हिन्द महासागर की आंख के रूप में जाना जाता है। यह प्रत्यक्ष तथ्य है कि वे अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अमरीका की तरफ झुक रहे हैं और उससे सभी सम्भव सहायता प्राप्त कर रहे हैं। वे थोड़ी-थोड़ी देर बाद अमरीका जा रहे हैं। विश्व के इस भाग में 'वाइस आफ अमेरिका' ने श्रीलंका रेडियो को शक्तिशाली रेडियो बना दिया है। हिन्द महासागर में रूस के बेड़ों की गति पर निगाह रखने के लिए श्रीलंका को दूसरा दिआगो-गार्शिया बनाया जा रहा है। वियतनाम में नियन्त्रण समाप्त हो जाने के बाद अमेरिका श्रीलंका में अपने पांव जमा रहा है।

यहां पुनः मैं हमारे माननीय सदस्य मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा दिए गए हाल के भाषण का उल्लेख करूंगा जिसमें उन्होंने टिप्पणी की कि अमरीका बिल्कुल सही है। यहां तक कि भारत के साथ जिया की सौहार्द और मैत्री का प्रयास बहुत तर्कसंगत है। मैं केवल इन तीन व्यक्तियों श्री पटनायक डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी, और श्री जार्ज फर्नान्डीज पर** होने का शक करता हूं। इससे केवल अमरीका चीन-पाकिस्तान की धुरी प्रतिबिम्बित होती है। मैं केवल यही कह सकता हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपके विचार भिन्न हो सकते हैं। लेकिन आपको माननीय सदस्यों पर सन्देह नहीं करना चाहिए। यह ठीक नहीं। आप बहस में भाग ले सकते हैं। (**व्यवधान**)

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य) : आप उनकी विश्वसनीयता पर शक नहीं कर सकते**....निश्चित रूप से यह कथन शालीन नही है। यह केवल हमारे देश की रक्षा के लिए है ताकि हम यह महसूस कर सकें कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ मित्रता के साथ रहना चाहिए। आप क्यों शक करते हैं**....

श्री ईरा अनबारासु : निस्सन्देह, यहां तक कि श्री चक्रवर्ती में कह रहे थे.....

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनबारासु, आपको उनकी देशभक्ति पर सन्देह नहीं करना चाहिए।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : मुझे इस पर आपत्ति है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें यह वापस लेना चाहिए।

श्री भगन भाई बरोट (अहमदाबाद) : एक अन्य सज्जन ने अपने को विदेशी एजेन्ट कहा है.....(**व्यवधान**)

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : कृपया उन्हें इसे वापस लेने के लिए कहना चाहिए। यह अनुचित है।

श्री भगन भाई बरोट : यह असंसदीय है।

श्री ईरा अनबारासु : श्री चक्रवर्ती ने जब यह कहा था कि हम देश को एक नहीं रख सकते, तब

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

क्या उनकी बात तर्कसंगत थी इसका क्या कारण है ? यह मानते हुए कि उनकी बात सच होती है, इसका कारण है कि देश में हमारे पास ऐसे नेता हैं।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : श्रीमन्, आपने उनसे इसे वापस लेने के लिए नहीं कहा है। यदि हम ऐसी कोई बात कहते, तो आपने हमें अनुमति नहीं दी होती। आपको उनसे इसे वापस लेने के लिए कहना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है ; आप यह बात मुझ पर छोड़ दीजिए। आप यह बात कह चुकी हैं।

श्री ईरा अनबारासु : जब आप समर्थन करते हैं, जब आप कहते हैं···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनबारासु, यह ठीक नहीं है। किसी माननीय सदस्य के बारे में आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। यह गलत है। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए।

श्री मगन भाई बारोट : किसी की सदाशयता पर सन्देह नहीं किया जाना चाहिए।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : उस बात को कार्यवाही-वृत्तांत से बाहर निकाला जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वह उसे वापस ले चुके हैं।

श्री मगन भाई बारोट : हम इसका जोरदार विरोध करते हैं।

श्री ईश अनबारासु : ठीक है। मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं। मैं अपने शब्द वापस लूंगा। हम इस पर इससे अधिक और कुछ नहीं चाहते हैं।

श्री मधुसूदन वैराले (अकोला) : आप उनकी समझदारी पर संदेह कर सकते हैं···**(व्यवधान)**

श्री ईश अनबारासु : श्रीलंका के एक मन्त्री की यह टिप्पणी पढ़कर मुझे वास्तव में आश्चर्य हुआ था कि हिन्द महासागर श्रीलंका के तमिलों के लिए शमशान भूमि बन जायेगा। जब वे ऐसा कहते हैं तो आप मुझसे चुपचाप बैठने और उनकी बातों का उत्तर न देने के लिए कहते हैं। इसीलिए वे श्रीलंका में किसी-न-किसी प्रकार से सारे तमिलों का सफाया कर देना चाहते हैं। इसीलिए, अन्तिम और स्थाई समाधान के लिए भारत को पहल करनी चाहिए।

एक बार जयवर्द्धने ने कहा था कि बौद्ध मठवासी इतने अधिक शक्तिशाली हैं कि पार्थसारथी और जयवर्द्धने के बीच हुए औपचारिक समझौते को वे कार्यान्वित नहीं होने देते हैं। हम भारत में बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं और उसमें उन मठवासियों को निमंत्रण दें और उन्हें बताएं कि महात्मा बुद्ध क्या चाहते थे तथा उनकी शिक्षा और मूल सिद्धांत क्या थे। इसीलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

स्थाई राजनीतिक समाधान खोजने के लिए उच्च स्तरीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाये।

मुझे बताया गया था कि वहां नौसैनिक अवरोध के कारण—वास्तव में, वे निगरानी के कार्य को नौसैनिक अवरोध कहते थे--उन्होंने हमारी समुद्री सीमा में अनधिकृत प्रवेश किया है और हमारे तट रक्षक खतरे में हैं। ऐसा दिखाई देता है कि हमारे मछुआरे अपनी समुद्री सीमा में मछली नहीं पकड़ सकते। अत: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि शत्रु से अपने हित की रक्षा करने के लिए उन्हें हथियार और गोला-बारूद सप्लाई किए जाएं। आखिरकार, हमारा लक्ष्य न आक्रमण करना है, न उनके विरुद्ध लड़ाई करना है, हमें तो अपने तट रक्षकों और मछुआरों की रक्षा करनी है। इसके अतिरिक्त, हमें श्रीलंका के मानव-अधिकार सम्मेलन का स्पष्ट उल्लंघन करने के बारे में अपनी आवाज संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग में उठाने में संकोच नहीं करना चाहिए। मेरे विचार से आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक बार सितम्बर अथवा अक्तूबर, 1983 में सियोल, दक्षिणी-कोरिया में हुए आई० पी०यू० सम्मेलन में श्रीलंका के प्रतिनिधियों ने श्रीलंका में पृथकतावादी तमिल शक्तियों और उनकी गतिविधियों के बारे में मामला उठाया। हमारे संसद सदस्यों के शिष्टमण्डल को निदेश दिया गया था कि वे उस देश में अल्पसंख्यक तमिलों पर श्रीलंका के अत्याचारों के बारे में बात न करें। यह वास्तव में आश्चर्यजनक बात है कि हम अन्तिम समाधान खोजने के लिए ऐसे मामलों को समस्त अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर क्यों नहीं उठाएं। श्रीलंका की वास्तविक स्थिति का सामना करने में हम क्यों संकोच करें? श्रीलंका में राजनीतिक समाधान को खोजने की प्रक्रिया में अपने देश के प्रयत्नों को समझना मेरे वश से बाहर है।

तमिलनाडु के उन लोगों की सहनशीलता की एक सीमा है जिनके निकट सम्बन्धियों की हत्याएं और कत्लेआम किए जा रहे हैं। इससे पहले कि तमिलनाडु के क्रोध का ज्वालामुखी फूटे, केन्द्र को कुछ उपचारात्मक कदम उठाने चाहिएं। वस्तुत: इस मामले को राजनीतिक रंग दिए बिना सच्चाई यह है कि श्रीलंका में तमिलनाडु के लोगों के निजी रक्त सम्बन्ध हैं। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : क्या हुआ? यह अन्तिम दिन है। हमें इसे जारी रखने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। आप सबको भी बोलना है।

श्री ईश अनबरासु : श्रीलंका की सेना के निरन्तर अत्याचारों का भारत की ओर से जोरदार विरोध किया जाना चाहिए। तमिलों पर किए जा रहे निरन्तर अत्याचारों की हमें अत्यन्त कड़े सशक्त शब्दों के साथ निन्दा करनी चाहिए।

हमें अपनी सभी आशाएं कोलम्बो में हो रहे सर्वदलीय सम्मेलन पर नहीं लगानी चाहिए। हालांकि हम इसकी सम्पूर्ण सफलता की कामना करते हैं, क्योंकि इस संकटकाल में इसके असफल रहने से लंका में अराजकतावाद को बढ़ावा मिलेगा, इन सब की वजह से, हमें वहां पर अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में ढील नहीं बरतनी चाहिए।

हमारी माननीय प्रधानमन्त्री जी ने कहा है कि जब भारतवासियों के जीवन और सम्पत्ति को वहां खतरा हो रहा है तो ऐसी स्थिति में भारत स्वयं को इससे अलग नहीं रख सकता। यहां, मैं बताना चाहता हूं कि बंगलादेश मुक्ति युद्ध के दौरान श्रीलंका सरकार ने पाकिस्तानी वायु सेना के विमानों को कोलम्बो हवाई अड्डे पर पुनः ईन्धन प्राप्त करने की अनुमति दी थी। एक स्वतन्त्र और प्रभुसत्तासम्पन्न राष्ट्र का यह अधिकार हो सकता है, किन्तु इससे श्रीलंका के भारत-विरोधी रुख का पता चलता है। समाचार-पत्रों में छपा है कि ब्रिटिश और चीनी नौकाएं जाफना के नौसैनिक अवरोध की मदद के लिए श्रीलंका के उत्तरी तट पर पहुंच गई हैं। अतः उन्होंने चीन और पाकिस्तान की तरफदारी की है और हमें इन सभी तथ्यों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। इस संकट के समय में, उत्तरी सीमाओं पर पाकिस्तान के साथ युद्ध का वातावरण है और जबकि हमारी सीमा में तार लगाने के कार्य में व्यस्त हमारे निहत्थे कर्मचारियों पर बंगलादेश की ओर से गोलियां चलाई जा रही हैं, हमें दक्षिण की ओर से श्रीलंका के धमकीपूर्ण रवैये से सीख लेनी चाहिए।

मैं चाहता हूं कि अपने भाषण में मेरे द्वारा उठाए गए मामलों का माननीय विदेश मन्त्री उत्तर दें और इसके अतिरिक्त, भाषण समाप्त करने से पहले—तमिलों पर किए जाने वाले अत्याचारों के मैंने कुछ फोटोग्राफ तथा कुछ वीडियो रिकार्डिंग के टेप भी इकट्ठे किए हैं—मैं उन्हें यहां दिखाना चाहता हूं और उन्हें सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इन्हें माननीय अध्यक्ष को उनके कक्ष में दे सकते हैं। नियमों के अनुसार ये चीजें यहां नहीं दी जा सकतीं।

श्री ईश अनबारासु : मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय को इसके बारे में सुबह नोटिस दे दिया है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को इन्हें तभी देना चाहूंगा यदि वे यह देखना चाहते हैं कि गलियों में खुले आम किस प्रकार तमिलों को जला दिया गया था और किस प्रकार तमिलों को वहां खुलेआम कत्ल किया जा रहा था। और, इसीलिए, इससे कुछ प्रयोजन पूरा हो सकता है; इससे कुछ ऐसी उपयोगी जानकारी मिलेगी जो मामले पर कुछ ध्यान दिलवाएगी और श्रीलंका के तमिलों की समस्या के राजनीतिक हल ढूंढ़ने में सहायक होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दण्डपाणि।

आप इन्हें माननीय अध्यक्ष को दे सकते हैं। इन्हें अन्य किसी को न दें। हां; अब श्री दण्डपाणि।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची) : अभी हाल ही में हमने इसी सभा में श्रीलंका के मामले पर चर्चा की। माननीय मन्त्री जी ने श्रीलंका सरकार से प्राप्त जानकारी की हमें सूचना देकर बड़ी कृपा की थी। उस विषय पर चर्चा के बाद, प्रधानमन्त्री द्वारा श्रीलंका सरकार को पत्र लिखा गया था और श्रीलंका में राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रभारी मन्त्री श्री अतुलत मुदली ने तत्काल ही भारत का दौरा किया था। मुझे नहीं पता कि उस पत्र में क्या लिखा गया था। किन्तु समाचार पत्रों में बताया गया था कि प्रधान मन्त्री ने श्रीलंका सरकार को अत्यन्त कठोर पत्र लिखा है। श्री ललित अतुलय मुदली के दिल्ली को प्रस्थान के अवसर पर सम्वाददाताओं ने उनसे प्रश्न किए थे। ये सब बातें 14 अप्रैल, 1984 के **'दि पेट्रियोट'** में प्रकाशित हुई थीं जिन्हें मैं यहां उद्धत करना चाहता हूं :—

प्रश्न— बताया जाता है कि आप दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि श्रीमती गांधी ने राष्ट्रपति को कठोर पत्र लिखा है ?

उत्तर—यदि मैं दिल्ली इसलिए जा रहा हूं कि श्रीमती गांधी ने राष्ट्रपति को कठोर पत्र लिखा है, तो इस देश की प्रभुसत्ता समाप्त हो गई है। यदि यह एक कठोर पत्र है तो हम इसका कठोर उत्तर देंगे। मैं आपसी हित की बातों पर चर्चा करने के लिए जा रहा हूं।

प्रश्न—आपसी बातें कौन-सी ?

उत्तर—मैं उन्हें बताऊंगा। ऐसी कई बातें हैं जिनकी जानकारी मिली है। जुलाई में उन्होंने कहा कि हिंसा बन्द हो गई थी क्योंकि भारत···"

इससे स्पष्ट होता है कि जो कुछ भी यहां कहा गया है उसका उनके उत्तर में पूरी तरह खण्डन किया गया है। इससे पता चलता है कि वे श्रीलंका की जाति सम्बन्धी समस्या को किस प्रकार सुलझाना चाहते हैं। ये सब बातें सार्वजनिक तौर पर बताने से उनके रवैये और उनके दुःसाहस का भी पता चलता है। भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा मानव अधिकारों और आत्म-निर्णय का पक्ष लेता है। हमारे देश ने अनेक अवसरों पर आत्मनिर्णय के समर्थन में आवाज बुलन्द की थी और मानव अधिकारों का हनन करने वाले देशों का विरोध किया था।

6.52 म० प० (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

मैंने कई उदाहरण देखे हैं। मैं सरकार द्वारा अपनाये गए दृष्टिकोण की सराहना करता हूं। वर्ष 1960 में लैंगा टाउनशिप में कुछ स्वतन्त्रता सेनानी एक जुलूस में गए। वे गोरों द्वारा मार दिए गए थे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 28 मार्च, 1960 को इसी सभा में जो संकल्प प्रस्तुत किया था उसे मैं उद्धृत करना चाहता हूं :—

"मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

"21 मार्च, 1961 को दक्षिण अफ्रीका में केपटाउन के निकट शरपेविली और लैंगा टाउनशिप में जो दुःखद घटनाएं घटीं और जिनमें पुलिस की गोली से काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी उनकी यह सभा निन्दा करती है और इस बारे में अपना शोक प्रकट करती है। यह सभा उन अफ्रीकियों के प्रति गहरी सम्वेदना भेजती है जिन्हें इस गोलीबारी और जाति भेद की नीति से तथा अफ्रीकियों का उनकी अपनी ही मातृभूमि में दमन किए जाने से क्षति हुई है।"

उनके द्वारा यह संकल्प प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात् प्रधान मन्त्री ने वह तरीका खोजा कि इस भेदभाव और नरसंहार के ऐसे मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ नाम के एक अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर कैसे ले जाया जाये। उन्होंने कहा कि :—

"वहां जो कुछ हुआ है वह भयावह है, यह भयावह कृत्य न केवल एक विशेष अवसर पर हुआ बल्कि यह आधुनिक विश्व की परिस्थिति में हुआ था और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इसकी पूरे विश्व में बहुत बड़ी प्रतिक्रिया होती रही है और मुझे विश्वास है कि यह मामला संयुक्त राष्ट्र के समक्ष ले जाया जायेगा।

अब संयुक्त राष्ट्र संघ भी, सामान्यतः, दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। हालांकि ऐसे मामले हुए हैं जिनमें इसने हस्तक्षेप किया है और उन मामलों पर विचार करने के लिए उचित तौर पर हस्तक्षेप किया है। यह कहा जा सकता है कि यह मामला संयुक्त राष्ट्र के लिए नहीं है—यह ऐसा मामला है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा भंग हो सकती है, अर्थात् संयुक्त राष्ट्र का घोषणा-पत्र (चार्टर) है। अच्छा, इस अभिप्राय से, विश्व के सही अर्थ में, शायद ऐसा नहीं है। किन्तु, उस सूक्ति के किसी भी वास्तविक अर्थ में, यह ऐसा महत्वपूर्ण मामला है जिसमें संयुक्त राष्ट्र को, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए, इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा विषय सम्मिलित है जिसका स्वयं मानवता से घनिष्ठ आत्मीय सम्बन्ध है।"

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने यह उस समय कहा जब अफ्रीकी नीग्रो लैंगा टाउन में मारे गए थे, श्रीलंका में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में लैंगा टाउन में। उसी प्रकार, वर्तमान प्रधान मन्त्री, जब वह बंगलादेश समस्या के दौरान प्रधान मन्त्री थीं, ने भी इसी सभा में संकल्प प्रस्तुत किया था। इसमें कहा गया है कि :—

"पूर्वी बंगाल में हाल की घटनाओं पर यह सदन अपनी गहरी मनोव्यथा और गम्भीर चिन्ता व्यक्त करता है। पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा भेजी गई सशस्त्र सेनाओं द्वारा भारी आक्रमण पूर्वी बंगाल के समस्त लोगों के विरुद्ध उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं का दमन करने की दृष्टि से प्रवर्तित किया गया है।"

केवल यही नहीं, कांग्रेस कार्य समिति ने भी इस घटना पर सम्वेदना व्यक्त की। उन्होंने एक संकल्प पारित किया जिसमें कहा गया कि :

"कार्य समिति पूर्वी बंगाल के लोगों के प्रति अपनी हमदर्दी व्यक्त करती है और दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा करती है कि उनके दुःख को कम करने के लिए यह समिति अपनी शक्तियों के अन्तर्गत स्वतः ही प्रयत्न करेगी। कार्य समिति अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करती है कि वह जाति संहार के इस अपराध के विरुद्ध आवाज उठाए।"

अतः मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि भारत सरकार आत्म-निर्णय के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को हमेशा से ही सहयोग देती आ रही है। इसी प्रकार, हमारी सरकार ने हाल ही में दिनांक 25-8-1983 को कहा है कि :—

"सरकार, पाकिस्तान में हाल की घटनाओं और उन लोगों की पीड़ा को बेचैनी और

दुःख के साथ देखती आ रही है जो उस देश में लोकतन्त्र की बहाली की मांग करते आ रहे हैं। एक राष्ट्र के रूप में हम लोकतन्त्र के प्रति वचनबद्ध हैं।"

हम लोकतन्त्र में विश्वास रखते हैं इसीलिए हमने यह वक्तव्य जारी किया है। इसके बावजूद भी यह सब कुछ हो रहा है।

एक और महत्वपूर्ण मामला जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा वह है पी० एल० ओ०। हमने पी०एल०ओ० को मान्यता प्रदान की है। यह बात 'हिन्दू' के 16 अप्रैल, 1984 के संस्करण में प्रकाशित हुई और इस बात की ओर हमने मन्त्री जी का ध्यान दिलाया। इसमें कहा गया है :—

"भारत सहारवी अरब गणतन्त्र को मान्यता प्रदान करने को लगभग तैयार।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (आई०) के विदेश कार्य विभाग ने, स्वतन्त्रता के लिए और प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य के लिए सहारवी लोगों के लम्बे संघर्ष को पूरा समर्थन दिया है। इस कदम को व्यापक मत के अनुसार सहारवी अरब लोकतांत्रिक गणतन्त्र को मान्यता प्रदान किए जाने के रूप में लिया गया है।"

इसमें आगे कहा गया है :—

"अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (आई०) ने अपने वक्तव्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की 'महा सभा' के संकल्प का समर्थन किया, जिसने पश्चिमी सहारा के लोगों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने की मांग की है और 19वें अफ्रीकी एकता संगठन के संकल्प का समर्थन किया है जो युद्धविराम और दोनों विरोधी पक्षों के बीच वार्ता की मांग कर रहा है। "पोलिसारियो फ्रण्ट" के एक प्रवक्ता के अनुसार मोरोक्को पश्चिमी सहारा पर गैर-कानूनी कब्जा किए हुए है और दोनों संकल्पों को मानने से इन्कार करता है।"

मोरोक्को और श्रीलंका के मामले में एकरूपता है। मैं 1981 में मोरोक्को गया था और वहां कई लोगों से मिला था और मुझे उनसे बातचीत करने का अवसर भी प्राप्त हुआ था। उस देश को स्पेनिश लोगों और फ्रांसीसियों ने विभाजित किया। तत्पश्चात् मोरोक्को के लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। अब वह स्वतन्त्रता चाहते हैं। 'पोलिसारियो फ्रण्ट' अपना एक राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रहा है। वह वर्तमान मोरोक्को की सरकार के विरुद्ध लड़ रहे हैं। अब हम उनके संघर्ष का समर्थन करते जा रहे हैं, जैसाकि समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार से पता चलता है।

7.00 म० प०

इन घटनाओं से पता चलता है कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की प्रतिरक्षा में दिलचस्पी रखती है। किन्तु प्रश्न यह है कि फिर श्रीलंका में तमिलों को बचाने में सरकार कैसे विफल हो गई? तमिलों को 1958 से यातनाएं दी जा रही हैं और उनकी हत्याएं की जा रही हैं। 1958, 1961, 1972, 1977, 1979, 1982 और 1983 में निरन्तर उन्हें यातनाएं दी गईं। बेशक श्रीलंका

हमारा पड़ोसी मित्र देश है और उससे हमारे अच्छे सम्बन्ध हैं किन्तु प्रश्न यह है कि क्या इन सब घटनाओं के बारे में आपको जानकारी मिलती रही। और यदि हां, तो आपने आज तक क्या कार्यवाही की ? क्या आपने इन सब वर्षों के दौरान श्रीलंका सरकार से कोई विरोध प्रकट किया ?

कुछ लोगों ने कहा कि मेरी पार्टी द्रमुक इस स्थिति का राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है और हम एक आंदोलन शुरू करना चाहते हैं और इस मामले को संसद में उठाना चाहते हैं और इसे चुनाव प्रचार का रूप देना चाहते हैं। जैसे ही यह हत्याकांड हुआ हम सब प्रधानमन्त्री के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि वह इस मामले की जांच-पड़ताल करें और वह इस जाति संहार और अत्याचार को रोकने के लिए आवश्यक राजनयिक एवं अन्य कदम उठाएं। हमने सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं कहा। किन्तु हुआ यह कि भारत सरकार स्वयं इसे राजनीतिक खेल के रूप में ले रही है। कोई कदम उठाने के बजाय उन्होंने अमृतलिंगम को आमन्त्रित किया। वह उनका वक्तव्य चाहते थे। हम जानते हैं कि वह उनसे यह बयान चाहते थे कि भारत सरकार ने जो भी कार्रवाई की है वह उचित है और हम भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत और समर्थन करते हैं। इसके पीछे दूसरा उद्देश्य यह था कि तमिलनाडु के नेताओं को चुप रहने और इस मामले में हस्तक्षेप न करने की अपील की जाएगी। तीसरा यह कि 'एलर्म' की मांग करना छोड़ दी जानी चाहिए। यह तीन मामले इस पत्र में थे किन्तु भारत सरकार ने इस पत्र को लेने का कोई प्रयास नहीं किया। तत्पश्चात भारत सरकार यही वक्तव्य श्रीलंका के एक मन्त्री श्री तोंडामन से लेने में सफल हो गए।

किन्तु कांग्रेस पार्टी और भारत सरकार ने इसे दूसरे रूप में लिया। उन्होंने सोचा कि इस मामले को वह चुनाव उद्देश्य से लोगों के सामने रखेंगे। अब चार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं। हम यहां पर घोषणा करते हैं कि जहां तक उप-चुनावों का सम्बन्ध है हम यह मामला नहीं उठाएंगे। हम लोगों से कभी नहीं कहेंगे कि प्रधानमन्त्री इसके विरुद्ध थीं।

महोदय, दिसम्बर, 1964 में स्वर्गीय अन्ना का राज्य सभा में दिया गया भाषण श्रीलंका के लोगों और राज्य रहित लोगों के प्रश्न से सम्बन्धित था। उन्होंने यह तब कहा था जब हमें विश्वास था कि हम सत्ता में नहीं आएंगे। मैं बता देना चाहता हूं कि हम यहां पर किसी विशेष मसले को लेकर उससे राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहते हैं।

हम चाहते हैं यह मामला भारत सरकार द्वारा ही निपटाया जाए। द्रमुक अथवा तमिल लोग श्रीलंका सरकार का सामना नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह इतने शक्तिशाली नहीं हैं, और हम मात्र सामान्य नागरिक हैं। भारत सरकार पर कुछ नैतिक दायित्व है। यह उनका मूल कर्तव्य है। भारतीय मूल के कई लोग वहां हैं। यह उनका कर्तव्य है कि उन्हें बचाया जाए चाहे इसके लिए बचाव कार्य ही क्यों न करना पड़े। आप कोई बचाव दल भी भेज सकते हैं ताकि सिंहल लोग हमारे तमिल लोगों की हत्या करना बन्द कर दें।

मैं माननीय मन्त्री से पुनः आग्रह करता हूं कि वह इस बात की ओर ध्यान दें कि इस बार हुई बातचीत विफल न हो और उसके कुछ परिणाम निकलें।

अन्त में, इससे पहले कि मैं समाप्त करूं मैं आपका ध्यान उस समाचार की ओर दिलाना चाहता

हूं जिसमें कहा गया है "जयवर्द्धने क्षेत्रीय अन्तरण की योजना का प्रस्ताव रख रहे हैं" लन्दन के समाचार पत्र 'दि टाइम्स' को एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि :—

"यदि 'तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रण्ट' इस बात से सहमत नहीं है, तो वह इससे कोई सरोकार न रखे।"

उन्होंने आगे बताया कि :—

"हमें अपने प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है।"

तो आज यह स्थिति है। इस मामले में मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी आगे की कार्रवाई क्या होगी ? श्री जयवर्द्धने ने इस मामले में बहुत कड़ाई से काम लिया है और वह हावी हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं तो ऐसा ही समझता हूं। अतः मैं यह मामला मन्त्री पर छोड़ रहा हूं और आशा करता हूं कि वह इससे उचित ढंग से निपट लेंगे।

सभापति महोदय : अब श्री बी० आर० भगत बोल सकते हैं। जब तक सभी सदस्य सहयोग नहीं करेंगे। मैं सभी सदस्यों को अवसर नहीं दे सकता।

श्री बी० आर० भगत (सीतामढ़ी) : सभापति महोदय. सदन की यही परम्परा रही है कि विदेश नीति मामलों पर हम एकमत होकर विचार करते हैं।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : नहीं, नहीं।

श्री बी० आर० भगत : आप या तो नए सदस्य हैं अथवा इस परम्परा से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक यही परम्परा रही है। मैं आपको एक तथ्य बता रहा हूं क्योंकि आधारभूत रूप से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध देश के अपने हित पर निर्भर है और मैं समझता हूं कि चाहे हम किसी भी पार्टी के हों जहां देश के हित की बात है हम सब का एक ही मत है और इसलिए कम से कम इस मामले पर इस सदन में एकमत हैं। जहां केवल दो पार्टी होती हैं, चाहे वह अमरीका हो या इंगलैंड, वहां द्विपक्षीय दृष्टिकोण से काम लिया जाता है। जहां तक इस देश का सम्बन्ध है हमें अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति अथवा अन्य किसी चर्चा पर इसी दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति आज बहुत गम्भीर है। जहां तक हमारे देश का प्रश्न है हमें कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है अतः इस मामले पर तो कम-से-कम इस सदन को उचित दिशा देनी चाहिए और कुछ लोगों ने इस मामले पर सदन की एकता की बात की है। एकता की आवश्यकता है और एकता के दृष्टिकोण की आवश्यकता है। दो मूल कारण हैं शांति को खतरा और प्रगति को खतरा। इन दो कारण से, जो स्पष्ट रूप से सामने आ गए हैं, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की हालत खस्ता हो गई है। यह सही है कि आज विश्व के समक्ष जो द्वितीय शीत युद्ध की स्थिति आ खड़ी हुई है वह पहले से कहीं अधिक खतरनाक सिद्ध होगी क्योंकि आणविक शस्त्रागार—जिसमें आणविक शस्त्र हैं वह आणविक विध्वंस का खतरा बनकर विश्व के समक्ष है—जिससे मानव-जाति ही विलुप्त हो जायेगी। और इस पर विश्व भर में सभी की एक राय है कि चाहे वह उत्तर हो या दक्षिण-पूर्व हो अथवा पश्चिम अतः हमें इस बात से सहमत होना चाहिए कि यदि आणविक युद्ध छिड़

जाएगा तो हमारा सम्पूर्ण विलोपन होगा, इसी प्रकार से विश्व आर्थिक संकट की खस्ता हालत के कारण इस स्थिति में बढ़ोत्तरी हुई है। मैं ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। हाल ही में हुए गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में यह दो पहलू ठोस रूप में सामने आये थे। आर्थिक संकट ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहा है जिससे विश्व शांति को खतरा है। अतः हमें इस समस्या से निपटना है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी बराबर दूरी की बात करते हैं। यह बराबर दूरी का प्रश्न नहीं है। यदि आपके पास कोई समझौता है तो आप मित्र और शत्रु के साथ बराबर दूरी नहीं रख सकते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कौन मित्र है और कौन शत्रु है ?

श्री बी० आर० भगत : बराबर दूरी किससे ?

आपने अफगानिस्तान के बारे में कहा था। अफगानिस्तान के प्रति हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है हम किसी भी देश में विदेशी सेनाओं की उपस्थिति के विरुद्ध हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आपने ऐसा कहा ?

श्री बी० आर० भगत : अफगानिस्तान समस्या को राजनीतिक ढंग से निपटाना है। हम युद्ध की तैयारियां और शस्त्रों का जमाव इत्यादि देख रहे हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि अफगानिस्तान की इस स्थिति का लाभ उठाकर, अमरीका ने हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र बनाने सम्बन्धित सम्मेलन, को स्थगित कर दिया।

क्या आप चाहते हैं कि इसमें भी हम बराबर दूरी बरतें। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर कोई चिन्तित है हिन्द महासागर में पनडुब्बियों, आणविक पनडुब्बियों की भरमार है और 'डिगो ग्रेशिया' 'परमाणु मिसाइल' का अड्डा बन गया है। यह मीटिंग 1980 में होनी थी लेकिन अमरीका का कहना है क्योंकि अफगानिस्तान में सोवियत सेनाएं हैं अतः हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। इस दौरान वह-चारों ओर शस्त्र लगा रहे हैं, जैसे अरब की खाड़ी में, पाकिस्तान में। क्या आप अब भी हमें इस मामले में बराबर दूरी रखने को कहेंगे ? हम गुटनिरपेक्ष हैं। गुटनिरपेक्ष का तात्पर्य है कार्य करने की स्वतन्त्रा। इसका अर्थ है कि हम सभी मामलों के सम्बन्ध में स्वतन्त्रतापूर्वक कार्यवाही करते हैं और इसका सबूत आपने गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन में सम्मिलित उन 100 देशों में देख लिया होगा। **(व्यवधान)**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : संकल्प इससे भिन्न है।

श्री बी० आर० भगत : इस समय देश को खतरा है, चारों ओर शस्त्र हैं। अस्थिरता फैली हुई है। नव साम्राज्यवाद तेजी से कार्यरत है नव उपनिवेशवाद फैल रहा है। वह हमारी अर्थव्यवस्था में अस्थिरता और उसे दुर्बल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। विश्व आर्थिक, वित्तीय मामलों में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। निरस्त्रीकरण वार्ता आगे नहीं चल पाई है। शस्त्रों की होड़ जारी है। सेनाओं को तेजी से लगाया जा रहा है। आज जिस स्थिति का सामना हम कर रहे हैं उससे अधिक संकटमयी और खतर-नाक स्थिति नहीं हो सकती है। क्या हम सब एकमत होकर इस बात को नहीं मानते हैं ?

आप कहते हैं हमें अपने पड़ोसी देशों से मित्रता करनी चाहिए। यह हमारी नीति है। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वह आपके प्रति शत्रुता रखते हैं।

श्री बी० आर० भगत : मैं यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अतिरिक्त बाकी सभी पड़ोसी राज्यों से हमारे सम्बन्ध अच्छे हैं। पाकिस्तान के साथ भी बातचीत चल रही है। अनाक्रमण संधि या मैत्री तथा सहयोग संधि पर और अन्य विभिन्न तरीकों से कुछ करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन आपको वहां की स्थिति की जानकारी है। अपने पड़ोसी राज्य के साथ हमारा यही प्रयास रहा है कि हमें मूल सिद्धांतों पर सहमत होना चाहिए। हमें द्विपक्षीय वार्त्ता द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। शिमला समझौते का भी यही सार था। और कोई रास्ता नहीं है।

दूसरे, किसी भी देश में बाहरी या अन्य प्रादेशिक शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। चाहे आप मोनरो सिद्धान्त की बात करें या किसी अन्य स्थान या किसी दूसरे प्रदेश की बात करें—हर जगह इसी नीति पर सहमति दी गई है। बाहरी शक्तियों या महाशक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। क्या आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में बाहरी शक्ति नहीं है? वहां आधुनिक हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। अत: यह मत कहिए कि वे एक दूसरे के विरोधी हैं। हमें स्थिति की जानकारी है। हमें बुरी से बुरी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा और हम तैयारी कर रहे हैं। और इसके साथ ही हम पाकिस्तान को भी समझा रहे हैं। हम पाकिस्तान के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाए रखना चाहते हैं। यहां तक कि चीन के साथ भी मित्रता के सम्बन्ध रखने चाहते हैं। क्योंकि पड़ोसी देशों के साथ हमें अच्छे सम्बन्ध रखने चाहिए। इसीलिए राष्ट्रीय हित की मांग है कि हमें राष्ट्रीय एकता बनाए रखनी चाहिए और मौलिक विदेश नीति तथा सही नीति पर सर्वसम्मत होना चाहिए। यह नीति है अन्य देशों के साथ अच्छे, मिलनसार और मित्रता के सम्बन्ध बनाये रखना। इस स्थिति में, सदन को एकमत होना चाहिए ताकि विश्व को और देश को आज जिस खतरे का सामना करना पड़ रहा है, उसका सामना हम मिलकर और विश्वास से कर पायें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, राव बीरेन्द्र सिंह ने हाल ही में राष्ट्रपति जिया-उल-हक से भेंट की थी। उन्हें इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिए।

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : अब वक्तव्य देने में काफी विलम्ब हो चुका है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इस वाद-विवाद के मौके पर सदन को यह स्मरण कराना मेरा कर्त्तव्य है कि आज 9 मई, का दिन फासिस्टवाद पर विजय के दिन के रूप में मनाया जाता है। 39 वर्ष पूर्व आज ही के दिन फासिस्टवाद पर विजय प्राप्त की गई थी। इसी दिन हिटलर की सेनाओं के हार जाने से दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। जो देश फासिस्ट-वाद के शिकार हुए थे, उन देशों में यह दिन विजय के दिन के रूप में मनाया जा रहा है। हम इसे नहीं मानते और यहां तक कि हमें यह दिन याद भी नहीं रहता। हिटलर ऐसी शक्ति का प्रतीक था जो शस्त्रों के बल पर समूचे विश्व पर आधिपत्य जमाना चाहता था और हम जानते हैं कि विश्व को उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी।

महोदय, आज हिटलर का कार्य रीगन कर रहे हैं। रीगनवाद भी उसी नीति का द्योतक है। शस्त्रों के बल पर समूचे विश्व पर आधिपत्य जमाना और उसे अपने अधीन लाने का प्रयास किया जा

रहा है। लेकिन इस बार भय परमाणु युद्ध का है। हम सब जानते हैं कि यह क्या है। हमें उन लाखों लोगों को याद करना चाहिए जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए और देखना चाहिए कि तीसरे विश्व युद्ध, जैसा कि अन्य वक्ताओं ने कहा कि जिससे सम्भवत: इस बार समूची मानवता का अन्त हो जायेगा, के खतरे से बचने के जो उपाय किए जा सकते हैं, किए ही जाने चाहिए।

महोदय, मैंने देखा कि अभी हाल ही में हुई एक बहुत महत्त्वपूर्ण घटना का अधिक जिक्र नहीं किया जा रहा है और मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार का क्या मूल्यांकन है। न्यूनाधिक, इस सभा के सभी सदस्यों का, केवल डा० स्वामी को छोड़कर, विचार है कि रीगन प्रशासन से शांति को खतरा है तथा इससे युद्ध होने का भय है···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अकेले उन्हीं से खतरा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी, हां लेकिन उसके लिए मैं अमेठी की जनता को दोष नहीं देता। मैं इसका दोष रीगन प्रशासन और पेंटागन और अमरीका में विद्यमान औद्योगिक—सैनिक काम्पलैक्स को देता हूं। और सब उस बारे में जानते हैं और वह स्वीकार भी करते हैं, हमें इस बात का कुछ अंदाजा होना चाहिए कि राष्ट्रपति रीगन ने हाल में बेजिंग का जो दौरा किया उसे हम किस दृष्टि से देखते हैं। किसी भी व्यक्ति ने उस बारे में कुछ नहीं कहा है। मैं नहीं जानता कि सरकार क्या सोच रही है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि नवम्बर में अमरीका में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और श्री रीगन का यह दौरा स्पष्टतया चुनाव जीतने की एक चाल है। वह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने खुले आम यह घोषणा की है कि वह साम्यवादी देश विशेषकर चीन पर कभी अपना आधिपत्य नहीं जमाएंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : क्या उन्होंने ऐसा कहा था?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी हां, उन्होंने कहा था। वह किन्हीं सुस्पष्ट उद्देश्यों से ही वहां गए हैं।

मुझे बहुत खुशी है कि उपलब्ध रिपोर्टों से जहां तक मैं समझ पाया हूं, चीन के अधिकारी किसी सोवियत विरोधी विश्व मोर्चा या किसी प्रकार के विश्वव्यापी मतैक्य या युद्ध नीति में सामंजस्य पर सहमत नहीं हुए जबकि अमरीका को ऐसे समझौते करने का बहुत शौक है। ऐसा प्रतीत होता है कि चीन उस पर सहमत नहीं हुआ। वास्तव में, उन्होंने बार-बार उन्हें सुझाव दिया है कि उन्हें सोवियत के साथ सम्बन्ध सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए।

लेकिन यह प्रश्न का एक पहलू है और स्वागत योग्य है।

दूसरी तरफ हमें यह भी देखना है कि दोनों पक्षों के मत भिन्न-भिन्न हैं। वहां ताइवान का प्रश्न है। अब मैं विस्तार से नहीं कह सकता। लेकिन कुछ परिवर्तन हुआ है। श्री देंग सियाओं पेंग इस बात से सहमत हो गए थे कि ताइवान को मुख्य महाद्वीप से पुन: जोड़ने का कार्य शांतिपूर्ण ढंग से किया जाए न कि सशस्त्र सेनाओं के बल पर। वे इस बात से सहमत हो गए थे कि पुन: जोड़े जाने के बाद भी ताइवान की सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वे यह गारण्टी देने के लिए तैयार हैं। यह एक नई बात हुई है। अमरीका उन्हें परमाणु उपकरण, परमाणु रिएक्टर, फालतू और सहायक सामग्री देने पर सहमत हो गया है। स्पष्टतया चीन द्वारा यूरेनियम प्राप्त करने या प्रयुक्त

ईंधन को पुनः संसाधित करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। हमें इसके ब्यौरों की जानकारी नहीं है। लेकिन सरकार को इसकी जानकारी होनी चाहिए और उन्हें इस बारे में हमें बताने में समर्थ होना चाहिए।

कुछ भी हो, तारापुर के प्रश्न पर जो हमारे सम्बन्ध थे उनके सन्दर्भ में यह एक बड़ा विरोधाभास है। श्री रीगन ने चीन द्वारा रखी गई परमाणु सुविधाओं सम्बन्धी मांगों तथा तारापुर की हमारी मांग के प्रति जो रवैया अपनाया है उसमें भी काफी विरोधाभास है। अन्त में उन्होंने तारापुर के लिए दिए गए अपने वचन को भी पूरा नहीं किया।

जहां तक वियतनाम और कम्पूचिया का सम्बन्ध है उसके बारे में अमेरिका तथा चीन का रवैया लगभग एक जैसा ही है। वियतनाम और कम्पूचिया के सम्बन्ध में मोटे तौर पर उनके और डा० स्वामी के विचार एक से हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : फिर तो हमें कम्यूनिस्ट पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जहां तक इसका प्रभाव भारत पर पड़ता है, मैं इस मामले में भारत सरकार का विचार जानना चाहता हूं। क्या वे इसे अच्छी और स्वागत योग्य बात समझते हैं। या इसके कोई अच्छे या बुरे प्रभाव पड़ेंगे?

इस सन्दर्भ में मैं पूछ रहा हूं कि "श्री बुश क्यों आ रहे हैं?" कुछ ही समय पहले यहां श्री आर० एल० भाटिया ने इस बारे में पूछा था। श्री बुश अब भारत क्यों आ रहे हैं? क्या उन्हें नियन्त्रण दिया गया है? यदि हां, तो किस उद्देश्य से? हम जानना चाहेंगे। अन्ततः श्री बुश राष्ट्रपति रीगन के प्रतिनिधि हैं। यहां पर हर सदस्य ने संयुक्त राज्य की विश्वव्यापी युद्ध नीति की बात की है। मैं जानना चाहता हूं कि इस नए विकास के सन्दर्भ में क्या हो रहा है?

दूसरे, हमारे देश में जापान के प्रधानमन्त्री, श्री नाकासोने आए थे। यह भारतीय परम्परा है कि हम यहां आने वाले विदेशी मेहमानों के प्रति अच्छा शिष्टाचार निभाते हैं। मैं नहीं चाहता कि उसका विचलन होना चाहिए। लेकिन उन मानकों को देखते हुए, मैं समझता हूं कि हमने उनका अत्यधिक स्वागत करने में कसर नहीं छोड़ी। मैं यह बात समझ सकता हूं क्योंकि आर्थिक कारणों से हम जापान के साथ नए सम्बन्ध जोड़ने और सम्पर्क बढ़ाने के बहुत इच्छुक हैं। मैं नहीं जानता कि इसका क्या परिणाम हुआ है। मैं नहीं समझता कि इस वाद-विवाद में मन्त्री महोदय अपने उत्तर में इस मामले को उठायेंगे।

लेकिन जैसा कि जिक्र किया गया है, हम यह नहीं भूल सकते कि जहां तक इसका सुदूर पूर्व पर प्रभाव है, वर्तमान जापान सरकार संयुक्त राज्य अमरीका की विश्वव्यापी युद्ध-नीति का अंग है। वास्तव में, इस समय अमरीका, जापान और दक्षिण कोरिया का त्रिगुट बन गया है और यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि दक्षिण कोरिया में अमरीका की सेनाओं की उपस्थिति बनी रहे, जापान का पुनः सैन्यीकरण हो ताकि अमरीका की पुलिस मैन वाली भूमिका वह निभा सके जिससे सातवें बेड़े को हिन्दमहासागर में रखा जा सके। इस दृष्टि से श्री नाकासोने की यात्रा के राजनैतिक और आर्थिक दोनों पहलू हो सकते हैं।

हमें कभी भी यह नहीं बताया गया अथवा यह कभी भी विश्वास में लेकर यह नहीं बताया गया कि क्या चर्चा हो रही है अथवा इसके परिणाम स्वरूप क्या घटित होने जा रहा है। हमें मालूम तो होना चाहिए।

अफगानिस्तान के सम्बन्ध में, कुछ लोग मन्त्री महोदय को उत्तेजित करना चाहते हैं, ताकि वह इसे दोहरायें, मेरे विचार से, यह बहुत बार कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं की मौजूदगी से खुश नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं कि अफगानिस्तान सरकार के अनुरोध से सोवियत सेनाएं अफगानिस्तान में गई थीं···

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : किस प्रकार के अनुरोध से ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे डर है कि केवल इसी कारण से शीघ्र ही यह निन्द्रभावी दस्तावेज बनने जा रहा है कि हम हमेशा बातचीत के द्वारा राजनैतिक हल के पक्ष में रहे हैं, जिसमें सोवियत सेनाओं का अफगानिस्तान से चले जाना सम्मिलित होगा और अफगानिस्तान को यह गारण्टी मिलना भी शामिल होगा कि उसके आन्तरिक मामलों में कोई और हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक चरण पर संयुक्त राष्ट्र संघ के लोगों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया लेकिन उसका कोई फल नहीं निकला क्योंकि उस समय जिया-उल-हक ने बाबरक करमाल की सरकार से बातचीत करने से मना कर दिया था। मैं समझता हूं कि अब कुछ परिवर्तन होने वाला है। मैं इस पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि भारत को इस मामले सम्बन्धी कुछ कदम उठाने के लिए पुनः एक बार समय मिला है क्योंकि रिपोर्टों से पता चलता है कि पंजशीर घाटी, जोकि तथाकथित मुजाहीदीन का मुख्य गढ़ था, अहमदशाह मजूद द्वारा एकत्रित तथाकथित विद्रोही शक्तियां—यह पंजशीर उनका गढ़ था—इन विरोधी क्रांतिकारी शक्तियों के मूल आधार को अभी हाल ही में नष्ट किया गया, और मैं कह सकता हूं कि सोवियत सेनाओं द्वारा इसे नष्ट नहीं किया गया। पंजशीर घाटी को लेकर हमेशा ही पश्चिम प्रचार माध्यम, बी बी० सी०, और अमरीका प्रचार माध्यम द्वारा काफी शोर मचा रहे हैं यह सब पंजशीर घाटी को इसलिए महत्व देते थे क्योंकि यह घाटी अफगानिस्तान के अन्दर में है। यहां विदेशी यात्री हमेशा जाते हैं—अभी हाल ही में श्रीमती मारग्रेट थ्रेचर वहां गई थीं और उन्होंने मुजाहिदों को बताया—मैं नहीं जानता कि उन्होंने जो बातचीत की वह उसे समझे—"यदि प्रधान सादक वहां नहीं हैं तो क्या हुआ ? मैं तो आपकी सहायता के लिए हूं।" पंजशीर घाटी का वह गढ़ ध्वस्त कर दिया गया है। समाचारों में तथा पत्रिकाओं में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में अनेक लोग राष्ट्रपति जिया-उल-हक को काबुल सरकार के साथ इस मामले पर बातचीत द्वारा राजनैतिक हल करने के लिए परामर्श दे रहे हैं, अन्यथा, बाद में स्वयं पाकिस्तान को ही इससे असीम हानि होगी। मैं समझता हूं कि यही उपयुक्त समय है जब भारत को गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का अध्यक्ष होने के नाते इस सम्बन्ध में नए प्रयास करने के लिए सोचना चाहिए ताकि इस मामले को पुनः बातचीत द्वारा सुलझाने के लिए उठाया जा सके और इस मामले को इस तरह सुलझाया जाए जिससे सब लोग सन्तुष्ट हों। मुश्किल यह है : किसी ने पूछा, "क्या आप जिया-उल-हक को समझा सकते हैं क्योंकि यह लोकतांत्रिक सरकार के प्रतिनिधि नहीं हैं, उन्होंने बलपूर्वक सत्ता प्राप्त की है ?" यह सत्य है। परन्तु यह भी सत्य है कि वह किसी भी प्रकार से स्वतन्त्र एजेन्ट नहीं हैं। यह भी सत्य है कि आज वहां दो पाकिस्तान हैं। एक पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व जिया-उल-हक द्वारा किया जा रहा है और दूसरे पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व

उन शक्तियों द्वारा किया जा रहा है जो कि पाकिस्तान में लोकतन्त्र की पुनः स्थापना के लिए विरोध कर रहे हैं, जिनका पाकिस्तान के वर्तमान सैनिक शासन द्वारा दमन किया जा रहा है, जो बहुत साहस और वीरता से लड़ रहे हैं और जिनका दमन किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। उनका दृष्टिकोण जिया-उल-हक के दृष्टिकोण जैसा नहीं है। वह भारत से सच्ची मित्रता कायम करना चाहते हैं वह शांति और अच्छे निकटवर्ती सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। अतः जब हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, हमारा मतलब केवल सैनिक शासकों से नहीं होता। वहां दूसरे पाकिस्तान के प्रतिनिधि हमारे मित्र हैं, हमारे सच्चे मित्र हैं, और हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए कि इन शक्तियों को बल मिले और वह शक्तियां जो भारत के विरुद्ध हैं उन्हें अलग किया जा सके।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्हें इसका विशेष रूप से उल्लेख करना चाहिए कि उससे उनका क्या मतलब है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करने का प्रयास कीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्योंकि आप घंटी बजा रहे हैं, मैं अन्त में इसलिए पड़ौसी देशों के साथ सम्बन्धों के बारे में उठाए गए प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। इसमें कोई संशय नहीं कि आज जो यह स्थिति विकसित हो रही है निश्चय ही बहुत असामान्य है। चाहे हम इसे दोष दें अथवा नहीं, यह अलग बात है। परन्तु यह तथ्य है कि कम से कम पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश तथा अन्य पड़ौसी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध निश्चत रूप से तनाव पूर्ण हैं। एक बात मुझे यहां कहनी चाहिए। श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी जनता सरकार को यह श्रेय देने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि जनता सरकार ने बंगला देश सरकार के साथ फरक्का के पानी के समझौते की व्यवस्था की थी। उन्होंने कहा "हमने यह किया और आप कुछ नहीं कर सकते।" मैं केवल उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि जहां तक हम लोगों का संबंध है, कम से कम पश्चिम बंगाल और कलकत्ता जिनका कलकत्ता बंदरगाह को चालू रखने और नौवहन को खुला रखने के फरक्का के पानी अधि सम्बन्ध है, जनता सरकार द्वारा हमें बहुत बड़ा जो आघात लगा वह यह था कि उन्होंने उस समय भी पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श के बिना यह समझौता कर लिया। उस समझौते द्वारा हमें अपने पानी के वैध अधिकार से वंचित होना पड़ा···।

माननीय सदस्य : तुष्टीकरण—नीति।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अब मैं केवल यह ही कह सकता हूं कि मैं प्रसन्न हूं कि वर्तमान सरकार ने यदि कुछ और नहीं तो कम से कम इस समझौते से निकलने की व्यवस्था तो की है। वह नया समझौता करने में समर्थ नहीं हैं। यह सत्य है। पर उन्होंने उस समझौते को खतम कर दिया है और बंगलादेश की यह मांग है कि उस समझौते की अवधि को पुनः पांच वर्ष तक बढ़ाया जाए जिसे भारत सरकार ने मानने से इन्कार कर दिया है। अब शायद प्रति वर्ष तदर्थ आधार पर समझौता होगा। परन्तु कम से कम यह जनता सरकार द्वारा पांच वर्ष के लिए किए गए समझौते से अच्छा है, जिसमें हम फंसे हुए थे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हम जानते हैं कि आप किस तरफ है।

एक माननीय सदस्य : यह किस तरफ का प्रश्न नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जहां तक इन देशों का सम्बन्ध हैं, जिसके साथ हमारे सम्बन्ध बिगड़ते जा रहे हैं···मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा यदि आप अपनी कमेंटरी (टिप्पणियां) बन्द कर दें।···(**व्यवधान**) मैं इनके साथ संघर्ष करने में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं उन्हें अव्यवस्थित नहीं चाहूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त :···वही पुराने उनके मित्र, श्री वाजपेयी, जो तब विदेश मन्त्री थे, श्री स्वामी जिनके बहुत अधिक प्रशंसक थे—उच्च शक्तियों से समान दूरी का वही पुराना सिद्धान्त जिसकी हमें किसी भी तरह आलोचना नहीं करनी चाहिए। यह सब पुरानी बातें हैं जो इतने वर्षों बाद दुबारा उठाई जा रही है। परन्तु मैं अनुभव करता हूं कि यह पूर्णतः संयोगवश नहीं है कि इन तीनों पड़ौसी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध सन्तोषजनक नहीं हैं। और मेरा विचार है कि इस प्रश्न के दो पहलू हैं। पहला यह कि इन तीनों देशों की कुछ आन्तरिक कठिनाइयां (विवशता) है। इसमें से बाहर निकलने मे कुछ, कम से कम कुछ अंश तक दूसरी ओर ध्यान ले जाने की चाल हो सकती है। जैसा कि सब जानते है जनरल इरशाद अपने देश में अनेक गम्भीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मेरे विचार से कठिनाइयों से उभरने के लिए यह बाढ़ लगाने का आपके पास आसान बहाना है। इस मामले के बारे मे लोगों को भड़का कर गड़बड़ कराना बहुत आसान है इसलिए भारत सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि वह 1975 के समझौते का किसी तरह उलंघन नहीं कर रही है।

जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, पाकिस्तान के आन्तरिक दबाव पूर्ण परिस्थितियां बिलकुल स्पष्ट हैं। जहां तक श्रीलंका का सम्बन्ध है, वहां की आन्तरिक दबावपूर्ण परिस्थितियां भी बिल्कुल स्पष्ट हैं—वहां क्या हो रहा है। यह प्रश्न का एक पहलू है। मैंने कहा कि भारत के साथ सम्बन्धों में स्पष्ट रूप से अचानक आई गिरावट में, आन्तरिक बाधाएं एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। इस प्रश्न का दूसरा पहलू बाहरी दबाव हैं। हमें इसे अवश्य याद रखना चाहिए। पाकिस्तान के सम्बन्ध में मुझे कुछ और नहीं कहना है। यहां उपस्थित सभी उस पर बोल चुके हैं। जहां तक बंगला देश का सम्बन्ध है, हमें यह अवश्य याद रखना चाहिए कि अन्य चीजों के अतिरिक्त, सैंट मार्टिन द्वीप में गतिविधियां हो रही हैं। वह चटगांव बन्दरगाह और सैंट मार्टिन द्वीप में सैनिक अड्डे बनाने के प्रयास कर रहे हैं। हम बाहरी शक्तियों के इस पहलू से अलग नहीं हो सकते जो भारत के चारों ओर अपने सैनिक अड्डे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह तथ्य है। श्रीलंका में यह तमिलों के विरुद्ध हो रहे क्रूर दमन का ही प्रश्न नहीं है। यह त्रिनकोमेली बन्दरगाह का भी प्रश्न है। यह नए तेल अड्डे का भी प्रश्न है जो बड़ा तेल डिपो उन्होंने संघ को दिया है, और जिसे अमरीकी भविष्य में अपने राष्ट्रीय हित्त का अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कह सकेंगे।

अतः सभी शक्तियां कार्य कर रही हैं। इन देशों पर तथा इन देशों की सरकारों पर बाहरी दबाव हैं, मैं कहना चाहूंगा कि दुर्भाग्यवश इस समय वहां बड़ी शक्तिशाली आन्तरिक दबाव भी हैं और वह लोगों का ध्यान बंटा कर इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं।

इसका अर्थ यह नहीं कि सरकार इस विषय में कुछ भी न कर जो कि हमारे लिए अत्यन्त महत्व पूर्ण हैं। इन पड़ौसी देशों के साथ, जो अन्ततः भारत से बहुत छोटे हैं। पुनः सामान्य सम्बन्ध बनाए जाने चाहिए तथा धैर्य से, दृढ़ता से बिना आतंकित और उत्तेजित हुए, हमें इन देशों के साथ सम्बन्ध सुधारने का यथासम्भव प्रयत्न करना चाहिए।

पाकिस्तान के साथ, हमें युद्ध वर्णन संधि अथवा मैत्री सन्धि के लिए प्रयत्नों को आगे बढ़ाना चाहिए—निसन्देह यह एक बहुत ही मुश्किल कार्य है क्योंकि कुछ ऐसे लोगों का भी इसमें हाथ है जो इसे नहीं होने देना चाहते। वे उन्हें रोके रखते हैं, फिर भी, हमें कोशिश करनी चाहिए।

श्रीलंका के बारे में वास्तव में मैं नहीं जानता कि क्या सुझाव है। तमिलों पर हो रहे अत्याचार से बचाने के लिए हम श्रीलंका से युद्ध नहीं कर सकते। यह मेरा दृष्टिकोण है। अगर आप युद्ध करना चाहते हैं तो आपको यहां घोषणा करनी चाहिए इसके अतिरिक्त जो कुछ भी हम कर सकते हैं, हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उसमें अभी सफलता न मिल रही है। कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे कि सफलता मिलेगी किन्तु इस समय ऐसा लगता है कि स्थिति फिर से बिगड़ रही है। किन्तु हमें मैत्रीपूर्ण विश्वास तथा सलाह से कोई रास्ता निकालना चाहिए। यही हम कर सकते हैं। हमें यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि तमिलवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

7.36 म० प० **(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

जहां तक बंगला देश का सम्बन्ध है, बंगला देश की आजादी के लिए हमारे हजारों जवानों ने अपना खून बहाया था। हमें ऐसी अनुभूति हुई है और ऐसा लगता है कि पिछले कुछ महीनों में बंगलादेश में हो रहे आंदोलन ने काफी जोर पकड़ लिया है और संभवतः यह आंदोलन जनरल इरयाद की सरकार को निकट भविष्य में चुनाव कराने के लिए बाध्य करने की स्थिति में है हमें कुछ पहल करनी चाहिए। यह तारों की बाड़ लगाने का कार्य भी हो रहा है। हमें बंगला देश को समाझना चाहिए कि सीमा पर बाड़ लगाना उनके हितों के विरुद्ध नहीं है और उनकी समृद्धि में हम हर तरह से उनकी सहायता करना चाहते हैं। इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि यह कूटनीति की विफलता है। मेरे विचार से हम वर्तमान से अधिक क्रियाशील एवं व्यवहार कुशल (कूटनीतिक) पहल करने की आवश्यकता है।

महोदय, अन्त में, ये सभी विषय इस भयंकर तथ्यों के समान निरर्थक हो पाते हैं कि 50,000 आणविक वारहैड्स (स्फोटक) इस समय मौजूद हैं। इस भण्डारण का विनाश बल विटन युद्ध II में काम लिए गये, विस्फोटकों से 5000 गुना अधिक हैं। हमें यह तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि पशिंग II तथा समुद्री प्रक्षेपास्त्र आजकल पश्चिमी यूरोप में हैं। कोई कारण नहीं है कि कल इन्हें पृथ्वी के किसी अन्य भाग में नहीं रखा जाएगा। पिछले 40 वर्षों में छोटे तथा छुट-पुट कहे जाने वाले युद्धों में जो विकास-शील देशों की भूमि पर लड़े गये, 500 लाख व्यक्ति मारे जा चुके हैं अगर इस महाविपत्ति को रोका नहीं गया जो कि विश्व पर मंडरा रही है तो जिन झगड़ों व लड़ाइयों की हम बात करते हैं उनका कोई महत्व नहीं है वे मानवता के सम्पूर्ण विनाश तथा संनिकट आशंका के सामने महत्वहीन हो जाते है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि सरकार तथा सम्पूर्ण सदन अनरवत रूप में प्रत्येक सम्भव तरीके से भारत की नीति का पालन करेंगे मैं नहीं समझता कि किसी खास सरकार की नीति समझा जाय किन्तु यह नीति है जिसे हम देश के काफी वर्षों पहले तैयार किया है उस अर्थ में हम सर्व-सम्मति से शान्ति और गुट निरपेक्षता के इन मामलों के पक्ष में हैं। तथा उपनिदेशवाद विरोधी और सम्राज्यवाद विरोधी हैं तथा हमें अन्त तक इसका समर्थन करना चाहिए क्योंकि यही मान्यताएं विश्व युद्ध से हमारी रक्षा कर सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मेरे विचार से विदेश मन्त्री सांय के 7.45 मिनट पर जवाब देंगे क्योंकि 5 घण्टे का जो समय दिया गया था वह पहले ही समाप्त हो चुका है। अब सिर्फ दो वक्ता हैं। यद्यपि संसदीय कार्य मन्त्री द्वारा सत्ताधारी दल के सदस्यों का नाम वापस ले लिया गया है, विरोधी पक्ष के दो सदस्य और हैं। मैं उन्हें रोकना नहीं चाहता। उसमें से प्रत्येक को पांच मिनट का समय मिलेगा। पहले वक्ता श्री अशफाक हुसैन होंगे तत्पश्चात श्री बरोट।

श्री अशफाक हुसैन।

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, समय सीमा को देखते हुए मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जो यहां पर कही जा चुकी हैं। उन भावनाओं से मैं सहमत हूं लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो अब तक नहीं कही गई हैं, उनके बारे में कुछ चर्चा करूंगा।

एक बात पड़ौसियों से रिश्ते के बारे में हैं। जब पड़ौसी देशों से दोस्ती की बात आती है तो हमारे सबसे करीबी पड़ौसी देश नेपाल की चर्चा से मैं शुरू करूंगा। नेपाल जो महजबी तौर से हमारे करीब है, नेपाल जो कल्चरली हमारे करीब है, नेपाल जो भौगोलिक दृष्टि से हमारे बहुत करीब है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि नेपाल से हमारे रिश्ते वे नहीं हैं जो होने चाहिएं। मुझे बड़ी खुशी है कि एक सवाल के जवाब में इसी सदन में हमारे फारेन मिनिस्टर साहब ने मुझको जवाब दिया था नेपाल के सम्बन्ध में और खुशी इस बात की है कि उन्होंने इस बात की परवाह की कि उस जवाब में जो बातें रह गयी थीं, वे मेरे पास खत लिखकर बताई हैं। तो जो मैं नेपाल के बारे में कह रहा हूं वह इसलिए कह रहा हूं कि नेपाल से जो खबरें आ रही हैं उससे नेपाल-हिन्दुस्तान की दोस्ती को ठेस लग रही है और वह इसलिए लग रही है कि नेपाल को एक तरफ तो चीन से मदद मिल रही है, दूसरी तरफ अमरीका से मदद मिल रही है और रूस से मदद मिल रही है। हमने भी उसकी मदद की है लेकिन जो नेचुरल रास्ते हैं, जिनसे हम फायदा उठा सकते हैं वे फायदे हम नहीं उठा पा रहे हैं। एक तो नेपाल से जो सड़क का रास्ता है, उस सड़क के रास्ते पर हम कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं। भैरवा, पोखरा जो सेन्टर बन गया है, जिससे भारत का सीधा ताल्लुक हो गया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मेरे बार-बार इस सदन में सवाल उठाने के बाद भी अब तक गोरखपुर से सिनौली का जो रास्ता है, उसको राष्ट्रीय राजमार्ग तक घोषित नहीं किया गया है। उसमें धन की आवश्यकता को सामने लाया गया है जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से महत्व रखता है। लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। इसी तरह से रेल के रास्ते के बारे में मन्त्री जी ने कहा था और बाद में पत्र लिखकर बताया कि नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि नेपाल गवर्नमेंट के अधिकारी एन० ई० रेलवे के जनरल मैनेजर से मिल चुके हैं और उनसे इस बात की मांग की थी कि इस लाइन को बड़ी लाइन में तब्दील कर दिया जाए ताकि हम अपना ट्रेफिक इधर डायवर्ट कर सकें और एन० ई० रेलवे बोर्ड को यह प्रस्ताव भेजा था कि इस बजट में इसको रखा जाए, लेकिन रेल बजट में यह प्रस्ताव नहीं रखा गया। इसी तरह से करनाली, पंचेश्वर, भालू बांध और इसी तरह की बिजली बनाने की योजनाएं, जलाशय बनाने की योजनाएं, नदियों को कन्ट्रोल करने की योजनाएं, जिन पर प्रगति नहीं हो सकी और इसके कारण यह हो रहा है कि नेपाल के अन्दर अलग से चीन की मदद से, अमरीका की मदद से जलाशय बनाने की योजनाएं चल रही हैं ताकि वे पानी का इस्तेमाल कर सकें, बजाए इस बात की परवाह के कि उस पानी से हमको क्या नुकसान हो रहा है। इस पानी से पूर्वी उत्तरप्रदेश और बिहार में हर साल बाढ़ से अरबों रु० का नुकसान होता है जिसके कारण हम

सफर करते हैं, नुकसान उठाते हैं। हमारी सरकार को उस तरफ जो तवज्जह देनी चाहिए थी, उसने नहीं दी। चूंकि मेरे पास वक्त कम है, इसलिए मैं थोड़े में बंगला देश की चर्चा करना चाहता हूं।

अभी हमारे इसी तरफ के एक साथी ने कहा और अखबारों में भी उसका जिक्र आया कि लगभग ढाई लाख बंगला देश के लोग दिल्ली में हैं, लगभग 10 लाख बिहार में हैं और कुछ बम्बई में भी हैं। बंगाल की मेरे पास जानकारी नहीं, वहां भी जरूर होंगे। लेकिन मैं जो कुछ अखबारों में आया, उसके बारे में बताना चाहता हूं। हमारे यहां बंगला देश के लोगों का सवाल उस समय उठता है जब कहीं से यह खबर लग जाती है कि ये माइनौरिटी के लोग हैं और किसी तरह दिल्ली में, बिहार के पूर्णिया जिले में या बम्बई में आकर बस गए हैं। लेकिन यह माइनौरिटी का सवाल नहीं है और न इसको आप बंगला देश से भागकर आए लोगों का सवाल समझिए। जिस तरह से आप दूसरों के भड़कावे में आकर, दूसरे के कहने में आकर, बंगलादेश की सीमाओं पर फैंसिंग करवा रहे हैं, उस पौलिसी के नतीजे आगे चलकर बहुत खतरनाक हो सकते हैं। उसका कारण यह है कि जैसा आप जानते हैं आप सीमा पर जीरो लाइन के बाद फैंसिंग कर रहे हैं और पानी टैरीटरी में कर रहे हैं लेकिन ऐसी भी खबरें हैं कि बंगला देश के लोग जीरो लाइन के बगल से खाइयां खोद रहे हैं। जब बारिश होगी तो आपकी तारें गिर जाएंगी और तनाजा अपनी जगह पर रहेगा। बंगला देश के साथ पहले तो हमारे सम्बन्ध ही अच्छे नहीं हैं, जो सम्बन्ध मुजीबुर्रहमान के समय थे, वे अब नहीं हैं। लेकिन हम उन सम्बन्धों में क्यों और विगाड़ लाना चाहते हैं ? बंगला देश के साथ सीमाओं पर फैंसिंग पर हम 500 करोड़ रु० खर्चा करेंगे, सिर्फ इसके नाम पर कि वहां से स्मग्लर्स आते हैं, वहां से इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं, माइनौरिटी के लोग आते हैं। लेकिन जब मैजोरिटी के लोग आते हैं तो वे रिफ्यूजी हो जाते है और उन रिफ्यूजीज को आप लोग बसाते भी हैं, परन्तु जब माइनौरिटी के लोग आते हैं तो उनको पशु बैंक करके वापस भेज देते हैं। उनके लिए आप सीमाओं पर तार भी लगाना चाहते हैं। तार लगाकर कई-तरफा पौलिसी आप मत अपनाइये।

इसी तरह से दो शब्द शीलोन के बारे में कहना चाहता हूं। श्रीलंका के साथ हमें बहुत धीरज के साथ पौलिसी अपनाने की जरूरत है। कहीं ऐसा न हो कि वर्ल्ड इम्पीरियलिस्ट ट्रैप बनाया जा रहा है, उसमें आप फंसकर रह जाएं। उस ट्रैप का मतलब यह है कि हमारी हमदर्दी तमिल लोगों के साथ जरूर है, पूरी हमदर्दी है कि उनको पूरी मदद मिलनी चाहिए, लेकिन वहां जो राइट्स हुए हैं उनके मसले को इंटरनेशनल फोरम के जरिए बाकायदा सही ढंग और जाब्ते से उठाना चाहिए ! मैं यह बात जोर देकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह तमिल लोगों का मामला है यदि आप एलम में फंसते हैं तो आपको खालिस्तान में भी फंसना पड़ेगा। खालिस्तान दूसरा ईश्यू आपके सामने है, लेकिन उसका भी सवाल उठ सकता है।

अन्त में, मैं स्वामी जी को उनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। वैसे वे हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमारी दोस्ती सिर्फ कुछ बातों पर आधारित है। मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों का भी दोस्त हूं और मैं साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि जैसा यहां पर चर्चा की गई, पाकिस्तान में मिलिटरी शासन है, बंगला देश में मिलिटरी शासन है, श्रीलंका में दूसरी तरह का शासन है, आखिर हम शासन के चक्कर में क्यों पड़ना चाहते हैं, क्या दोस्ती शासन से होती है। हमारी दोस्ती शासन से न होकर मुल्क से होती है। पाकिस्तान में चाहे मिलिटरी शासन हो अथवा कौमी राज, किसी मुल्क में कैसा भी राज क्यों न हो, या जैसे आप कह रहे हैं अफगानिस्तान में क्या है, अफगानिस्तान

में उस हकूमत ने फौज बुलाई थी जिसको हमारी जनता पार्टी ने रिकग्नाइज किया था। क्योंकि आपने यहां यह सवाल उठाया था कि अफगानिस्तान में किसने फौज बुलाई···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हम तराखा सरकार को मान्यता देते हैं। उस सरकार ने जिसमें श्री बहुगुणा मन्त्री थे, हफीजुल्ला सरकार को मान्यता दे दी थी।

श्री अशफाक हुसैन : मैं उसको अलग नहीं समझता। इसलिए आपको दोस्ती का हाथ पाकिस्तान से भी बढ़ाना चाहिए, पाकिस्तान में कोई भी हकूमत हो, आपको दोस्ती का हाथ बंगला देश की ओर भी बढ़ाना चाहिए। पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे सम्बन्ध उनके साथ अच्छे बनें। जब पाकिस्तान से दोस्ती का सवाल आता है तो यह बड़ा अच्छा मौका हमारे सामने है। कुछ समय पहले कुछ लोगों ने यह सवाल उठाया था कि पाकिस्तान की तरफ से हमला होने वाला है। शायद कांग्रेस आई के जनरल सेक्रेटरी का बयान आया था। मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट में हमें उसको स्पष्ट करना चाहिए, इस समय कांग्रेस आई के जनरल सेक्रेटरी श्री राजीव गांधी भी सदन में मौजूद हैं, जो इस सदन के मैम्बर भी हैं, मैं चाहता हूं कि वे अपने बयान की सफाई दें कि उनका ऐसा मकसद नहीं था। मैं उनको कन्डैम नहीं करता। यदि वे कह दें कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा तो बड़ी अच्छी बात होगी। अगर वे अपनी बात पर स्थिर रहते हैं तो मैं जरूर कहूंगा···(**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वह कहते हैं कि आपने कुछ समय पूर्व कहा था कि इस वर्ष के अन्त में पाकिस्तान के साथ युद्ध·····

(व्यवधान)

जो चर्चा आपने इस बारे में उठाई, मैं उस पर ही कह रहा हूं। यहां पर तीन-चार सदस्यों की ओर से कहा गया कि श्री राजीव गांधी ने ऐसा बयान जारी किया है कि दिसम्बर में पाकिस्तान से लड़ाई होगी। वे लड़ाई का स्पॉट भी बता देंगें कि किस स्पाट पर लड़ाई होगी। इसलिए उस चर्चा का कन्ट्राडिक्शन अगर उनकी तरफ से आता है तो ठीक है। और अगर नहीं आता है तो यह जो होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर की बात है, चाहे वह आगनाइजेशन के महा-मन्त्री हों, उनको यह नहीं कहना चाहिए।·····

श्री राजीव गांधी (अमेठी) : क्या मैं मुद्दे को स्पष्ट कर सकता हूं? सर्वप्रथम, मैं इससे पहले जो कुछ उन्होंने कहा मैं उससे भली भांति अवगत नहीं हूं क्योंकि वह स्पष्ट नहीं हैं। परन्तु अखबारों में बहुत कुछ लिखा एवं गलत उद्धृत किया गया है। और जो कुछ अखबारों में प्रकाशित हो रहा है मैं उसके लिए उत्तरदायी नहीं हूं। मैंने अपनी स्थिति बहुत ही स्पष्ट कर दी है। मैंने कहा था हमारे पड़ोसी देश अत्यधिक तेज गति से आधुनिक उपकरण से लैस हो रहे हैं। पिछले अवसरों पर, हमने पाया कि ये उपकरण सदा ही हमारे देश के विरुद्ध काम में लाये गये हैं। अब वे कहते हैं कि ये उपकरण अफगानिस्तान तथा अन्य क्षेत्रों के विरुद्ध काम में लाने के लिये हैं। किन्तु जिस प्रकार के उपकरण वे प्राप्त कर रहे हैं, वे अफगानिस्तान के पर्वतीय क्षेत्रों में काम में नहीं लाये जा सकते। मूल रूप में मैंने यही कहा था।

एक माननीय सदस्य : पाकिस्तान के साथ युद्ध के बारे में क्या कहना है?

श्री राजीव गांधी : मैंने कहा था कि जिस गति से वे शस्त्रों से लैस हो रहे हैं वह हमारे लिए

अत्यधिक खतरनाक है और मैंने कोई समय अथवा समय सीमा नहीं बताई थी जिस पर कि वे कुछ कर (व्यवधान) पिछले सभी अवसरों पर, जब भी उन्होंने इस तरीके से अपने आपको शस्त्रों से लैस किया, इन हथियारों को उन्होंने सिर्फ एक ही देश के विरुद्ध प्रयुक्त किया और वह है भारत।

श्री अशफाक हुसैन : मैं वही कह रहा हूं, स्वामी जी सैटिस्फाइड हैं कि नहीं वह जानें। लेकिन अगर बात यहीं तक है तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : अब शुबहा किस बात का है?

श्री अशफाक हुसैन : और इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री मगन भाई बरोट (अहमदाबाद) : श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री राजीव गांधी जो कि सत्ताधारी दल के एक जिम्मेदार सदस्य हैं—द्वारा इस पक्ष के माननीय सदस्य द्वारा बताई गई स्थिति के सम्बन्ध में स्पष्टीककरण देने के बाद, मैं वास्तव में केवल दो अथवा तीन विषयों के संबंध में उल्लेख करने जा रहा हूं। जहां एक ओर मैं श्री भगत की इस बात से पूर्णरूप से सहमत हूं कि, जहां तक विदेश नीति का प्रश्न है, इस सभा की सर्वसम्मति रहा है और इसीलिए सरकार जो कुछ भी करती है हम अन्ततः उससे सहमत हैं और उसका समर्थन करते हैं। वहीं मैं यह भी समझता हूं कि जब भी इस प्रकार की बहस होती है तो इस बारे में निस्संकोच तथा खुले प्रकार से बातचीत करना तथा कुछ विशेष प्रश्न उठाना, हमारा दायित्व, हमारा अधिकार तथा हमारा कर्त्तव्य है, और उसी सन्दर्भ में मैं माननीय विदेश मन्त्री द्वारा विचार किए जाने के लिए केवल दो अथवा तीन मुद्दे उठा रहा हूं।

पहला यह, कि हम सभी के लिए यह एक गौरव की बात है कि गुट-निरपेक्ष बैठक के अध्यक्ष की हैसियत से, हथियारों की दौड़ से उत्पन्न तनाव को कम करने में मदद करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दो बड़ी ताकतों के नेताओं के साथ-साथ हमें भी आमन्त्रित किया जा रहा है। हम अपनी नेता, अपनी प्रधान मन्त्री को समस्त शुभकामनाएं देते हैं और यह कामना करते हैं कि वे दो बड़ी ताकतों को सहमत करने में सफल हों, परन्तु प्रश्न घर से पहल शुरू करने का है। अतः हमें इस बारे में ध्यान देना होगा कि अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ हमारे क्या सम्बन्ध हैं। हाल ही में, जब रक्षा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार-विमर्श चल रहा था, तो सारी सभा ने, माननीय रक्षा मन्त्री द्वारा सेना के लिए जो कुछ भी राशि मांगी गई, उसकी मंजूरी के प्रति सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में, कोई भी देशभक्त पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, और हम सभी सरकार से सहमत हो गये। परन्तु प्रश्न यह है कि, पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों, के प्रति बंगलादेश के साथ अपने सम्बन्धों के प्रति क्या हम यह कह सकते है कि यह केवल उनकी आन्तरिक बाध्यता है अथवा बाहरी बाध्यता है, और, इसी-लिए वे कार्यवाही कर रहे हैं और क्योंकि हम ईमानदार हैं, इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं और हम गलती पर नहीं हैं? मैं समझता हूं कि आत्मतुष्टि ठीक नहीं है। प्रत्येक देश की कुछ आन्तरिक बाध्यताएं तथा बाहरी बाध्यताएं भी होती हैं और, इसीलिए उसके क्रिया-कलाप कुछ ऐसी ही बात के अनुरूप किए जाने अवश्यभावी हैं, परन्तु भारत जैसे एक बड़े देश के लिए यही श्रेयकर है कि यदि युद्ध होता है तो उसका सामना किया जाना चाहिए, परन्तु उसे यह देखना होगा कि ऐसा न हो, लेकिन क्या हमें हमेशा यह कहना चाहिए कि यह केवल पाकिस्तान ही है जो युद्ध चाहता है?

जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसे देखते हुए हमें प्रसन्नता है कि ऐसा कुछ नहीं है, परन्तु, लगा-

तार कई महीनों से सारे देश में ऐसी धारणा है कि सत्ताधारी दल के एक जिम्मेदार पदाधिकारी ने एक सुनिश्चित तारीख बताते हुए कहा है कि दिसम्बर में पाकिस्तान की ओर से युद्ध शुरू किया जाने वाला है। इससे किस बात का पता चलता है ? क्या यह एक ठीक दृष्टिकोण है ? आज तक इसका प्रतिवाद नहीं किया गया। परन्तु आज यह किया गया है ; यह भी अच्छा ही है कि देर आये दुरुस्त आये।

तथापि, देश में एक धारणा बन गई है कि ये सभी बातें चुनाव के वर्ष में की जा रही हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को शायद हमारी समस्याओं का कुछ आभास है कि जब भी इस देश में चुनाव होने होते हैं, विशेषतौर से लोक सभा के आम चुनाव, तो यह युद्ध की तैयारी करता है, ऐसा क्यों है ? और यदि ऐसा है, और यदि एक प्रतिष्ठित तथा जिम्मेदार व्यक्ति कहता है कि पाकिस्तान हमसे युद्ध करने जा रहा है, और उसके पास इस बात की सुनिश्चित जानकारी है कि यह दिसम्बर के महीने में होने वाला है, तो सार्वजनिक तौर पर इस तरह से कहना कहां की बुद्धिमानी है, जिससे कि पाकिस्तान उन तारीखों में परिवर्तन कर दे। अथवा यह तो नहीं कि ये तारीखें यहीं किसी द्वारा निश्चित की गई हैं ? मैं, माननीय विदेश मन्त्री से विनम्रतापूर्वक एक बात कहूंगा और इस अवसर पर माननीय रक्षा मन्त्री की उपस्थिति भी चाहूंगा। कोई भी व्यक्ति यह मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान, भारत के साथ, उसके आकार तथा कई अन्य कारणों से, युद्ध करने की तैयारी कर रहा है। निस्सन्देह, विगत में, उन्होंने यह मूर्खतापूर्ण परीक्षण किया है। परन्तु, यदि प्रत्येक व्यक्ति, पाकिस्तान से खतरे की बात कहना शुरू करने लगे, विशेषरूप से चुनाव के वर्ष में, तो कहीं न कहीं हम यह अनुभव करने लगेंगे कि यह एक भय का वातावरण उत्पन्न करने के लिए है ताकि प्रत्येक व्यक्ति की सरकार पर, उच्च नेताओं पर नजर हो और कहें कि क्योंकि युद्ध होने वाला है, इसलिए हमें सत्ताधारी दल को ही चुनना चाहिए ताकि हमारी रक्षा हो सके।

इस समय, गुट-निरपेक्ष बैठक के अध्यक्ष की हैसियत से, विश्व के अगुवाओं के रूप में तथा विश्व को नेतृत्व प्रदान करने के अपने दावों को सिद्ध करने के लिए, हमें इस तनाव को समाप्त कर देना चाहिए।

इसी प्रकार, बंगलादेश के बारे में भी यह कहा जा रहा है कि जनरल इरशाद ने तार लगाने की घटना को एक बहाना बना लिया है। यह तो होना ही है···(व्यवधान)। क्या कारण है कि हम, एक देश की सद्भावना, जिसे स्वतन्त्र कराने में हमने सहायता की, इतनी तेजी से खो रहे हैं ? हमारी सद्-भावना क्रमबद्ध तथा धीरे-धीरे कम हो रही है।

8.00 म० प०

मेरे मित्र, श्री भाटिया कहते हैं कि क्या हम अपने देश की समस्याओं को हल करने के लिए जनरल इरशाद की अनुमति लेंगे। क्या यह ठीक इस तरह से नहीं है कि जैसे जनरल इरशाद की अनुमति से पंजाब की समस्या हल करने की अनुमति मांगना ?

श्री मधु दण्डवते : हमारी अनुमति के बाद भी, आप पंजाब समस्या हल नहीं कर सके हैं।

श्री भगनभाई बरोट : पूरे राष्ट्र ने अनुमति दी है, फिर भी वे इसे हल करने में सफल नहीं हो सके हैं।

सीमा का प्रश्न, निश्चित तौर पर एक ऐसा प्रश्न है जहां हम अपने अधिकारों की सीमा में रहेंगे और हमारा दृष्टिकोण पूर्णरूप से न्याय संगत होगा। तथापि, यह पड़ोसियों के साथ सम्बन्ध का प्रश्न है। अतः, हालांकि हमारा प्रयोजन न्यायसंगत है, हमारे क्रिया-कलाप न्याय संगत हैं, परन्तु हम ऐसी कार्यवाही नहीं कर सकते जिससे सद्भावना के स्थान पर और अधिक दुर्भावना उत्पन्न हो। मैं मानता हूं कि हमारे सामने तीन समस्याएं हैं और समस्त विश्व की दृष्टि भारत पर गड़ी है कि वह किस प्रकार श्री लंका के साथ अपनी समस्याएं हल करता है, वह किस प्रकार बंगलादेश के साथ अपनी समस्याएं हल करता है और वह किस प्रकार पाकिस्तान के साथ अपनी समस्याएं हल करता है।

मैं केवल इतना ही कहूंगा। विश्व के इस ओर रहने वाले हम निर्धन लोग हैं। निर्धनता हम सबकी सबसे बड़ी शत्रु है और शायद इसका समाधान नेपाल और बंगला देश के साथ नदी जल जैसे हमारे प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करने में है! भारत इन सभी तीनों देशों के लाभ के लिए इस समस्या का समाधान कर सकता है और मेरा विचार है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के लाभ के लिए तकनीकी दृष्टि से थोड़ा-बहुत खोकर भी ऐसे मामलों में पहल कर सकता है। तनाव कम करने के लिए भारत से अपेक्षा की जाती है कि वह सैन्य आधार के बजाय आर्थिक आधार पर पहल करें!

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : तालियां देर से बजी हैं। (तालियां)

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : देर से ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कागजात के अनुसार ये भारत के उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं। अतः, यह इनका अन्तिम भाषण होगा।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आप हमारा जो मनोरंजन कर रहे हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।

महोदय, इस वाद-विवाद में तेरह माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। पिछले साढ़े चार वर्षों में जो मुद्दे उठाए गए हैं, वास्तव में उन सभी को उठाने के लिए मैं इनका आभारी हूं। फिर भी, यह आवश्यक है कि समय-समय पर जो बात हम कहते रहे हैं, हम उसे संक्षेप में दोहराये और फिर उसी निष्कर्ष पर पहुंचे। हालांकि, यह पुनरावृत्ति होगी, फिर भी भारत की क्या नीति है सरकार की क्या विचारधारा है, इसे याद दिलाना राष्ट्र और सभी सदस्यों के हित में है। और इस दृष्टि से मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का स्वागत करता हूं।

मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कहां से शुरू किया जाये या किससे शुरू किया जाए।

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकट रामन) : स्वामी से शुरू कीजिए। स्वामी देवता हैं।

श्री मधु दण्डवते : भारत से प्रारम्भ कीजिए।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मुझे आशा नहीं थी कि श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी इतना स्पष्ट होंगे,

जितने यह आज हैं। क्योंकि, यह काफी अर्से से इस प्रकार के धड़ल्लेदार भाषण दे रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि यह आज भी उतने ही साहसी होंगे, जितने पहले रहे हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि इन्होंने कुछ विशेष मुद्दे उठाए हैं और मुझे इन विशेष मामलों का विशिष्ट रूप से उत्तर देने का अवसर प्राप्त हुआ है!

महोदय, इन्होंने जनता पार्टी के शासन काल के दौरान जो कुछ हुआ, वहां से प्रारम्भ किया है। सदस्य मेरी इस बात की गवाही देंगे कि मैंने पार्टी शासन काल अथवा पार्टियों का उल्लेख नहीं किया है। मैंने हमेशा नीतियों की ही बात की है। लेकिन चूंकि अब यह मुद्दा उठाया गया है कि किसने क्या किया और कब क्या हुआ, किस शासन काल में हुआ—यदि डा० स्वामी उतने ही सामान्य तौर पर बात करते, जितने वह अब तक करते आए हैं तो मैं इन सब बातों से बचना चाहता, परन्तु क्योंकि इन्होंने यह सब सवाल उठाया है, यह बात पूछी है, इसलिए मेरे पास तथ्य प्रस्तुत करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है!

महोदय, इन्होंने कहा है कि सलाल बांध के बारे में समझौता 20 मिनट में किया गया। कोई भी समझौता 20 मिनट में हो सकता है। और 20 मिनट में आप जो कुछ कर सकते हैं वह केवल समझौते पर हस्ताक्षर करना है। यही आपने किया है। मैं मानता हूं। लेकिन, यह समझौता कैसे हुआ? कब हुआ? इसे अन्तिम रूप कब दिया गया? आपके सरकार सम्हालने से पूर्व ही इसे अन्तिम रूप दे दिया गया था। आपको तो केवल इस पर हस्ताक्षर करने थे।

मैं एक उदाहरण भी दे सकता हूं। पिछले वर्ष पाकिस्तान के साथ जब हमने संयुक्त आयोग के बारे में समझौते पर हस्ताक्षर किए तो हमने इसमें 20 मिनट ही लगाए। इसलिए, चूंकि आपको केवल 20 मिनट दिए गए थे, आपने वही किया जो 20 मिनट में कर पाना सम्भव था। आपको केवल इतना ही करना था। बाकी आपके सत्ता में आने से पूर्व ही किया जा चुका था।

आज की जानकारी के लिए बता दूं कि दिसम्बर, 1976 में इन सभी बातों को अन्तिम रूप दिया जा चुका था। इसके बाद आपने हस्ताक्षर कर दिए। इस पर हस्ताक्षर करने का पूरा श्रेय मैं आपको देता हूं। किन्तु, कृपया इससे अधिक कुछ मत पूछें।

अब मैं स्वर्ण युग की ओर आता हूं। मैं इससे भी बचना चाहता था, लेकिन पुनः डा० स्वामी ने अपने अनुचित उत्साह या आसक्ति के कारण इन सभी तथ्यों को जाहिर कर दिया है। 1977 में पहली बार पाकिस्तान ने भारत के साथ निजी क्षेत्र में व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाया। इससे पूर्व निजी क्षेत्र में व्यापार होता था। यह प्रतिबन्ध जनता पार्टी के शासनकाल में, स्वर्ण युग में लगाया गया। इस स्वर्ण युग के दौरान पाकिस्तान के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध नहीं रहे! उनके साथ एकमात्र सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक सम्पर्क या सम्बन्ध शायद तत्कालीन विदेश मन्त्री का पाकिस्तान का दौरा था। इससे अधिक और कुछ नहीं! कोई सांस्कृतिक सम्बन्ध नहीं थे।

गत चार वर्षों से हमारे कुछ सांस्कृतिक सम्बन्ध विकसित हुए हैं, जो दोनों पक्षों के लिए सन्तोषजनक रहे हैं। हालांकि, हम अभी तक उनके साथ कोई सांस्कृतिक समझौता नहीं कर सके हैं, फिर भी सांस्कृतिक मण्डलियों, सांस्कृतिक दौरों, आदि का आदान-प्रदान होता रहा है। आज सांस्कृतिक क्षेत्र में स्थिति स्वर्ण युग की स्थिति से कहीं ज्यादा बेहतर है।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : कृषि के क्षेत्र में भी।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : निःसन्देह, संस्कृति के साथ-साथ कृषि के क्षेत्र में भी सम्बन्ध विकसित हुए हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इन्होंने श्री जिया के साथ क्या विचार-विमर्श किया है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : कृपया यह बात आप इनसे पूछिए। जैसा कि आपने मुझे बताया है कि आपने श्री जिया के साथ क्या विचार-विमर्श किया है, यह आपको भी बताएंगे। सभा को इसमें लाने की आवश्यकता नहीं है।

पहली बार स्वर्ण युग में ही अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का उल्लेख किया गया और काश्मीर के मामले की तुलना फिलिस्तीन और नामिबिया से की गई। इससे पहले पाकिस्तान के किसी नेता ने इन बातों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला था।

अतः, स्वर्ण युग—"बरकते-दौरे-सुनहरी"—के ये लाभ हैं।

इसके बाद मैं पाकिस्तान द्वारा यात्रा पर लगाये गए प्रतिबन्धों पर आता हूं ! आपको याद होगा कि इस शासन काल में लगभग हर वर्ष इन प्रतिबन्धों को ढीला किया जा रहा है। पिछले वर्ष हमने कुछ कार्य किया, उससे पिछले वर्ष भी हमने लोगों के लिए कुछ किया था। संयुक्त आयोग शुरू किए जाने के अनुसरण में हमने सामान्य लोगों के स्तर पर बहुत कुछ किया है। संयुक्त आयोग की पहली बैठक के बाद मैंने इस सदन में तथा दूसरे सदन में विस्तृत वक्तव्य दिया था। अतः, मैं डा० स्वामी को याद दिलाना चाहता हूं कि यह सब स्वर्ण युग की समाप्ति के बाद ही हुआ है। स्वर्ण युग में ये प्रतिबन्ध उतने ही कड़े और सख्त रहे, जितने पहले थे। अतः ये वास्तविकताएं हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या इसे मान्यता प्राप्त थी।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जी हां मान्यता, प्राप्त थी। किन्तु, बीजा देने में वे पहले की तरह ही बहुत सख्त रहे। मैं आपको इसके आंकड़े दे सकता हूं। (**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हो सकता है कि प्रयास हमने किए हों और उसके परिणाम अब निकल रहे हों।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह आपने शुरू किया था। मैंने ये बातें न कही होतीं। सरकार एक अविरल निकाय है और जो कुछ आपने शुरू किया था, हमने उसे जारी रखा और जो हमने शुरू किया था, हो सकता है आपने केवल हस्ताक्षर करके उसे प्राप्त कर लिया हो। विदेशी मामलों जैसे मामले में यह तर्क बिल्कुल भी देने वाला नहीं है। किन्तु, फिर भी आपने यह मुद्दा उठाया है, और मुझे मालूम नहीं किस उद्देश्य से।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : चुनाव।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इसलिए, मुझे उत्तर देना पड़ा। अफगानिस्तान के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ कहा गया है। हमने अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी है। हमने अनेक बार सोवियत संघ को कहा है कि उन्हें अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं वापिस बुलानी हैं और सेनाएं वापिस बुलाने के लिए परिस्थितियां राजनैतिक हल ढूंढ़ कर पैदा की जानी हैं। ये सभी बातें ज्ञात हैं। मेरा विचार है कि मैंने एक से अधिक बार दोनों सदनों में भी यह बात स्पष्ट की है कि हमने विदेशी सेवा की उपस्थिति का उल्लेख किया है। हमारे प्रतिपादन में अफगानिस्तान भी शामिल है। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी के प्रतिपादन का सम्बन्ध केवल अफगानिस्तान से है। (व्यवधान)। इसमें कोई और बात नहीं है? अन्तर केवल इतना है। जब मैं कहता हूं कि विदेशी सेनाओं को हर देश से वापिस चले जाना चाहिए, उन्हें किसी की धरती पर भी नहीं रहना चाहिए, तो मेरा आशय अफगानिस्तान से होता हैं, मेरा आशय विदेशी सेनाओं की उपस्थिति के अन्य मामलों से भी होता है। किन्तु, डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी यह नहीं चाहते। वह इस प्रकार का सामान्यीकरण नहीं चाहते। वह विशेष रूप से सोवियत सेनाओं को अफगानिस्तान से हटाना चाहते हैं और कुछ नहीं। यही अन्तर है जो मैं चाहता हूं कि सभा को समझना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह वास्तविक गुट-निरपेक्षता है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : समदूरी का क्या हुआ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मेरा विचार था कि समदूरी आपका विषय नहीं है, किसी और का है। बहरहाल, मैं सभा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि गुट-निरपेक्षता और समदूरी साथ-साथ नहीं चलते। समदूरी एक ऐसी चीज है जिसका आप पहले निर्धारण करते हैं। आप कहते हैं कि आप जो भी हों, मैं इतनी दूरी पर रहूंगा। यह समदूरी है। एक समय था दूरी के इस सिद्धान्त के पक्ष में बहुत कुछ कहा गया और यदि मुझे सही याद है तो समदूरी और गुट-निरपेक्षवाद पर सालों-साल चर्चा होती रही। मैं यहां पर नहीं था, लेकिन वाद-विवाद को समझता था। अन्ततोगत्वा, यह तय हुआ कि गुट-निरपेक्षवाद शायद समदूरी के विपरीत है, क्योंकि यह सम्भव है कि किसी विषय विशेष पर, किसी विशेष मामले पर हम एक पक्ष से मीलों दूर हों और दूसरे पक्ष से दूरी केवल इन्चों में हो और किसी अन्य मुद्दे पर स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत हो सकती है। इसलिए, गुट-निरपेक्षवाद और समदूरी एक साथ नहीं चल सकते और चूंकि जैसा कि प्रधान मन्त्री जी ने कहा है, हमारा झुकाव किसी भी पक्ष की ओर नहीं है, इसलिए, हम स्वतन्त्र हैं। अतः, किसी पक्ष की ओर झुकाव होने का कोई प्रश्न नहीं है। यह केवल उन लोगों की कल्पना है जो स्वयं एक ओर झुके हुए हैं या जो हम पर यह आरोप लगाना चाहते हैं कि हमारा एक ओर झुकाव दिखता है। यह सब गलत है। वास्तव में वे लोग जिनको पहले कोई झुकाव दिखता था, अब यह मान गए हैं कि कोई झुकाव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी कभी सुधर नहीं सकते। यही एक बात है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : पीसा की झुकी हुई मीनार की तरह।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : दूसरा मुद्दा फरक्का पर उठाया गया है। मैं नहीं समझता कि जो कुछ श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है उसमें जोड़ने के लिए मेरे पास कुछ और है वास्तव में जब मैंने पहले हिन्दी में कहा था कि खून के घूंट पीकर रह जाना पड़ा तब मैं आवश्यकता से भी अधिक कह गया था

इस मुद्दे के सम्बन्ध में हमारे पड़ोसी देश में हमारी स्थिति बहुत दुष्कर है। राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार हम अनुबंध से मुक्त हो गए। परन्तु हम पर दोष लगाया जा रहा है, हम पर अब भी आरोप लगाया जा रहा है कि हमने एक ऐसे मुद्दे जिस पर हमारे अपने राष्ट्रीय हितों को दांव पर लगाकर उस देश से मित्रता नहीं गांठी उसके साथ संबंध मजबूत नहीं किए। ऐसे मामले को आप कैसे निपटायेंगे ? ऐसे मुद्दे का आप क्या करेंगे ? जब सरकार, संसद सदस्य, और पश्चिम बंगाल के सदस्य और सब जगह से हर कोई जब इस बात से विश्वस्त था कि इस विशेष मामले में हमारी उदारता था जो भावना थी वह अनुचित थी तो हम ऐसे मुद्दे का निपटान कैसे करते ?

अब डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी कह रहे हैं—पाकिस्तान के सम्बन्ध में जितना मैं कहता उससे काफी अधिक उन्होंने कहा है। मुझे आशा है कि दोबारा उन्हें पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। वे कहते हैं कि पाकिस्तान संयुक्त राज्य अमेरिका की युद्धनीति का एक अंग हैं ; इसलिए सम्भवत: हम पाकिस्तान के साथ अनाक्रमण संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। मैंने यह नहीं कहा। मैं वार्ता करने के लिए 19 मई को अपने विदेश सचिव को भेज रहा हूं। वे जा रहे हैं। अत: डा० स्वामी पाकिस्तान के दृष्टिकोण से अत्यन्त खराब हैं। मैंने यह निर्णय अचानक नहीं किया। वार्ता-विषय के लिए दो दस्तावेज हैं। हम नहीं जानते इनमें से कौन सा स्वीकृत होगा और कौन सा अस्वीकृत या उन दोनों में से किन-किन विषयों पर समझौता होगा। इसमें कुछ समय लग सकता है। दोनों ही पक्षों से एक दूसरे को सम्मत करने हेतु उसके प्रयास किए जायेंगे। मैं यह नहीं विचार कर रहा हूं कि कुछ न कुछ विदेश सचिव के दौरे या दोनों विदेशी सचिवों की वार्ता के परिणाम स्वरूप तत्काल निकल आएगा। परन्तु हम प्रयत्नशील हैं। यहीं मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने हिम्मत नहीं छोड़ी है। इसलिए इस बात से अवगत होते हुए भी कि जो कुछ आपने पाकिस्तान के विषय में कहा वह हम जानते हैं, हम यह भी जानते हैं कि कोई समझौता अचानक कर लेने में क्या कठिनाइयां होती हैं। हम जानते हैं कि उसको कौन-कौन सी अड़चनें आती हैं। हम उसमें प्रारम्भ से आने वाली कठिनाइयां भी जानते हैं। वह उन कठिनाइयों से भिन्न हैं जो बाद में आती हैं। ये प्रारम्भ में आने वाली कठिनाइयां हैं। हम यह सब जानते हैं फिर भी हमने यह नहीं कहा कि हम पाकिस्तान से वार्ता नहीं करेंगे। हम यह कोशिश करने जा रहे हैं कि हम उन्हें सहमत कर सकें और यदि यह मित्रता नहीं है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि यह क्या है। यदि यह मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं है तो मैं जानना चाहूंगा कि मैत्रीपूर्ण व्यवहार और क्या चीज है। और यदि इससे भी काम नहीं बनता और पाकिस्तान अपना सैन्यीकरण करता ही जाता है तो अमेरिका से उसका युद्धनीतिक मतैक्य बढ़ता ही जाता है और उनके आपस सम्बन्ध और भी मधुर होते चले जाते हैं तो इसके परिणामों के लिए मैं दोषी हूं ? क्या इसके परिणामों के लिए भारत को दोषी ठहराया जाएगा ?

इसलिए मेरा आदरपूर्ण निवेदन है कि यह सदन यह जांच करे कि किसी विशेष पड़ोसी देश के साथ भारत की क्या भूमिका रही है। श्रीलंका का ही मामला लें। अब मैं यह नहीं समझता कि सदन का कोई वर्ग इस विषय में भारत की नीति की और श्रीलंका के मामले को निपटाने के लिए जो प्रयत्न किए हैं उनकी आलोचना करेगा यह कहना पूरी तरह से गलत है कि अनुबन्ध 'ग' ही भारत सरकार के प्रस्ताव हैं। यह हमारा प्रस्ताव नहीं है। मैंने इसे अनेक बार कहा है कि हमने कोई प्रस्ताव नहीं रखा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : परन्तु श्री जयवर्द्धन कहते हैं···

श्री पी० वी० नरसिंह राव : कब ? मैंने यह कहा है कि हमने कोई प्रस्ताव नहीं रखा। परन्तु

जब वे यहां आए तो बातचीत के परिणामस्वरूप प्रस्ताव उठा था और उनमें उनकी भी उतनी ही भागीदारी है। इसलिए यह हमारा प्रस्ताव नहीं था। कुछ विचार-विमर्श हुआ था जिससे एक प्रस्ताव या एक विचार उभरा। उसे उन्होंने वापिस ले लिया। यह हमें उन्होंने आभास दिया कि वे उससे सहमत हैं और अन्य लोगों की भी इस पर स्वीकृति लेने के इच्छुक होंगे या वे ऐसा करने का प्रयत्न करेंगे। समय समय पर जो कुछ भी वे कहते आए हैं उसका उत्तर देने के लिए आप मुझे नहीं कह सकते। वे एक अन्य देश के राष्ट्रपति हैं। जो कुछ भी वे कहते हैं मैं उस पर भी लगातार टिप्पणी नहीं दे सकता। इसलिए यह स्थिति है। लेकिन हम यह चाहेंगे कि हम उनके कुछ काम आएं। मान लीजिए, हमारी बातचीत में, उनको कोई विचार सूझता है और वे हमें बताना चाहते हैं या हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हम निश्चित रूप से उन्हें यह बतायेंगे कि हम उस विषय पर क्या सोचते हैं। इसे ही सत्प्रयत्न कहते हैं। यह कोई भागीदारी नहीं है और यह अलग दूर खड़ा होना भी नहीं है। यह उससे कहीं बड़ी चीज है सत्प्रयास की कई प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। जब तक विश्वासपूर्ण सम्बन्ध बने रहते हैं, सत्प्रयास एक अत्यंत व्यापक लचीला और उपयोगी शब्द है। आइए हम इसे जारी रखें। देखते हैं आगे क्या होता है। आज समस्त दलों का सम्मेलन होने वाला है। शायद उनकी बैठक हो चुकी हो। हमें अभी मालूम नहीं हुआ कि वहां क्या हुआ है या उनकी बैठक दोबारा होने वाली है इसलिए अगले कुछ दिनों में हमें मालूम हो जायेगा कि क्या नतीजा निकला है या सम्मेलन के क्या परिणाम निकलने वाले हैं। परन्तु मैंने अनेक बार कहा है कि और कोई रास्ता नहीं है। उनके मन्त्री अथुलाथमुदाली यहां आये थे और उन्होंने हमें विस्तृत रूप से बताया है कि उनके अनुसार और उनकी सरकार के अनुसार श्रीलंका की समस्या का कोई सैनिक समाधान नहीं है इसका केवल राजनैतिक समाधान है और राजनैतिक समाधान रातों रात नहीं मिल जाता। अन्य देशों में भी इस प्रकार के युद्धों का राजनैतिक समाधान खोजा गया वहां भी कोई ऐसा अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। आपको बार बार प्रयत्न करने पड़ते हैं। इसलिए दो सरकारों में आपसी बातचीत करने के वास्ते लगभग यही सामान्य आधार है। आइए, इसी सामान्य आधार को लेकर हम भी आगे प्रयत्न करें क्योंकि हम तो इस बात पर विश्वस्त हैं कि यही एकमात्र सही रास्ता है।

इस तथाकथित नाकेबन्दी के विषय में, जिस माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है, उनसे मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रीलंका सरकार द्वारा 18 अप्रैल को जारी की गई उस राजपत्र अधिसूचना की एक प्रति हमने प्राप्त कर ली है, जिसमें निगरानी क्षेत्र और प्रादेशिक क्षेत्र की स्थापना के विषय में घोषणा की गई है। हमने इस विषय को यहां और कोलम्बो दोनों स्थानों में उठाया है और यह स्पष्ट किया है कि इस अधिसूचना के प्रावधान 1974 के भारत श्रीलंका समुद्री सीमा क्षेत्र समझौते के अनुच्छेद 6 के अनुरूप नहीं हैं, जिसके अन्तर्गत भारतीय पोतों को श्रीलंका के ऐतिहासिक समुद्रों में परम्परागत रूप से प्राप्त अधिकार आगे भी मिलते रहने की व्यवस्था थी। हमने खेद व्यक्त किया है कि ऐसा कोई भी कदम जो भारतीय पोतों के संचलन के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाता है, हमारे साथ अग्रिम परामर्श करके ही उठाया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त हमने कोलम्बो में अपने रक्षा सेवा सलाहकार से कहा है कि वे संबंधित श्रीलंका प्राधिकारियों से सम्पर्क करें ताकि 1974 के समझौते के अनुरूप किसी तरीके से भारतीय पोतों के संचलन के व्यावहारिक मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए जाएं। मैं नहीं समझता कि इससे अधिक कुछ किया जा सकता था।

अब हम दोबारा अपने अद्वितीय डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी की ओर वापिस आते हैं, मेरे विचार से उन्होंने लापरवाही वाला एक और प्रश्न किया है। उन्होंने कहा है, "आप सभी चुनाव हार गए हैं।"

यह बहुत अनुचित बात है। मैं जानता हूं कि वे प्रश्न करने से पहले कभी सच्चाई जानने की चिन्ता नहीं करते। परन्तु उनका एक बिना सोचा-समझा प्रश्न या बगैर अग्रिम जांच पड़ताल किए पूछा गया प्रश्न इस रूप में कार्रवाई वृत्तांत में नहीं जाना चाहिए था। अब उन्हें उन चुनावों की गणना करने दीजिए जो हमने जीते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यूनेस्को में आप हारे थे।

श्री पी० वी० नरसिंह राव :

1. सुरक्षा परिषद की पांचवी बार सदस्यता
2. खाद्य और कृषि संगठन परिषद की अध्यक्षता—डा० स्वामीनाथन
3. संयुक्त राष्ट्र अल्पसंख्यक भेदभाव निवारण और अल्पसंख्यक संरक्षण उप-आयोग—श्री भण्डारे
4. श्रीमती सादिक अली—जातिभेद उन्मूलन समिति
5. अन्तर्राष्ट्रीय आनुवंशिक इन्जीनियरी और जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र संस्थान—हाल ही में स्थापित
6. महासभा के महत्वपूर्ण कार्यकारी निकायों जैसे प्रशासनिक और बजट सम्बन्धी प्रश्न समिति आदि

इस प्रकार हमने निरन्तर अधिकतर चुनाव जीते हैं। वैसे चुनाव जीतने या हारने का प्रश्न पूरी तरह से प्रासंगिक नहीं है। लेकिन मामला उठाया गया है। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि ऐसे मामले नहीं उठाये जाने चाहिएं। आखिर मतदाता देशों की भी अनेक विवशताएं हो सकती हैं। वहां कुछ समूह हैं—

अफीका समूह, एशियाई समूह और अन्य।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यूनेस्को का चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव था। आप उसमें हार गए।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जो हम हारे हैं, वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो हम जीते हैं जैसे सुरक्षा परिषद वह जैसे मामूली सी बात है।

मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि एक भ्रांतिपूर्ण राय बन गई है कि चुनाव के लिए जितने भी स्थान हैं, भारत लगभग उन सब पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए हमने स्वेच्छा से कुछ चुनावों से अपना नाम वापिस ले लिया है या कुछ चुनावों में अपने उम्मीदवार खड़ा करने से इंकार कर दिया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसी भ्रांतिपूर्ण राय बनी रहे। कुछ स्थानों के लिए अपने प्रत्याशी खड़े करने में हमने काफी सोच विचार किया है और कुछ स्थानों से बड़ी शालीनता से अपना नाम वापिस ले लिया है और कुछ स्थानों के लिए अन्य देशों को समर्थन दिया है।

अब मैं अपने और अपने सहयोगी श्री मगन भाई बरोट की ओर आ रहा हूं। मैं उन्हें पूरी सद्-भावना के साथ यह स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 1980 से, जब वे हमारे पक्ष में थे, ठीक उसी समय से प्रधान मन्त्री हमारे सुरक्षा-वातावरण के विषय में कुछ वक्तव्य देती आ रही हैं, जिन्हें हमारे विपक्ष ने पसन्द नहीं किया। इसलिए वे वर्ष 1984 में, चुनाव वर्ष में, ही नहीं कह रहीं। कम से कम आप यह आरोप हम पर नहीं लगा सकते। वास्तव में ठीक 1980 से ही हम पर आरोप लगाये जा रहे हैं। वे तब शुरू हुए थे जब प्रधान मन्त्री ने युद्ध के बादलों आदि के विषय में कहा था। इसलिए यदि आप सरकार पर दोष लगाना चाहते हैं, तो दोष इस बात पर लगाइए कि सरकार निरन्तर कहती आई है, इस पर क्योंकि यह चुनाव वर्ष है अचानक इस विषय में कहने का दोष न लगाइए। यह सही नहीं है। उन्होंने जो उस समय कहा था वह उतना ही सही है जितना आज कहा जा सकता है। उन्होंने यह नहीं कहा था कि पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करने वाला है, उसकी जगह पर उन्होंने कहा था कि चाहे समझौता हो या न हो भारत पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा वह केवल इन दो देशों के सम्बन्ध में ही नहीं है बल्कि उससे भी बहुत व्यापक है।

उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो कुछ घटित हो रहा है, उसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में ज्यादा तनाव आ रहा है। अब, इस वक्तव्य का कौन विरोध कर सकता है? वह यह बात लगातार कहती रही हैं और हर कोई यह बात लगातार दोहराता रहा है। अगर पिछले 4-1/2 वर्षों के दौरान कुछ हुआ है, तो यह 1980 में कही गई उनकी बातों की पुष्टि ही है। क्या आप मुझे एक भी ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जोकि उनके द्वारा कही गई बातों के विरुद्ध हो, और क्या आप मुझे एक भी उदा-हरण ऐसा दे सकते हैं जिससे यह साबित न होता हो कि जैसे-जैसे समय बीतता जाता है पाकिस्तान अधिक-से-अधिक हथियार प्राप्त करता रहा है, क्या आप मुझे एक भी ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिससे पता चले कि तनाव में कमी आई है, क्या आप मुझे एक ऐसा उदाहरण दे सकते हैं कि मित्रता की तरफ पाकिस्तान के रवैये में परिवर्तन आया है? इन सबके बावजूद, हम पाकिस्तान के साथ मित्रतापूर्ण रख सकते हैं, रखे हुए हैं और जैसाकि मैंने कहा आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। यह सही है कि जब हमसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान को हथियार मिलने की स्थिति में हम क्या करेंगे तो हमारे रक्षा मन्त्री ने कहा है—निश्चय ही कोई रक्षा मन्त्री ऐसा ही कहेगा—कि हम किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं, केवल उसी स्थिति में ही नहीं जबकि खतरा आपके सामने हो या आप पर सवार ही हो जाए। अब, इस मिथ्या वर्णन का कैसे उत्तर दिया जा सकता है? रक्षा मन्त्री कहते हैं कि भारत किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, विदेश मन्त्री कहते हैं कि हम इन सब बातों के अलावा संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तविक स्थिति यह है। हम दोनों बातें कर रहे हैं। और यही बात डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कही थी कि हमें ऐसा करना चाहिए और उन्होंने कहा है कि अपने स्वर्ण युग में ऐसा ही किया था। इस तरह, मैं नहीं समझता कि कोई विशेष बात है, जिस पर कोई विशेष स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है।

एक अन्य पहलू को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जब मैं बंगलादेश गया था तो मैंने कहा था कि बंगलादेश और भारत के बीच बाड़ लगाने पर कोई विवाद नहीं है। हमारे बीच यह कोई विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हम अपनी धरती पर जो कुछ करना चाहते हैं, वह कर रहे हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार, सीमा से करीब 150 गज तक कोई भी रक्षात्मक निर्माण नहीं किया जा सकता। अब, यह कहने की काफी कुशाग्रता की आवश्यकता नहीं है

कि बाड़ लगाना एक रक्षात्मक निर्माण नहीं है। हर जगह बाड़े लगी हुई हैं। वास्तव में कई देशों में बाड़े लगने के उदाहरण पाये जाते हैं, ये रक्षा प्रयोजन के लिए नहीं हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : लेकिन यह केवल बचाव के लिए है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह ऐसी बाड़ है, जो कि शायद कुत्तों, बिल्लियों, चूहों आदि को रोक सके लेकिन यह बढ़ती हुई सेना को नहीं रोक पायेगी। इसलिए यह रक्षात्मक निर्माण नहीं है।

एक माननीय सदस्य : और आपने खाईयां भी बनाई हैं।

एक माननीय सदस्य : और हमने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है: पहले बाड़ लगाना हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, दूसरे इस कार्य को रोकने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इन दो विषयों को हमने स्पष्ट कर दिया है। और तीसरे यह बात 1975 के दिशानिदेशों के विरुद्ध भी नहीं है। इस तरह स्थिति यह है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : जो दो गांव बंगलादेश को दिये जा रहे हैं, उनके बारे में क्या स्थिति है? क्या आप सभा को विश्वास दिलायेंगे कि आप अपनी ओर से भरसक प्रयास करेंगे कि जिन गांवों का सर्वेक्षण किया गया है, वे बंगलादेश को न सौंपे जाएं? पश्चिम बंगाल सरकार ने इस सन्दर्भ मेपहले ही अनुरोधकिया है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि सीमा निर्धारण का कार्य अभी चल रहा है; मैं इस बारे में कोई वायदा नहीं कर सकता। लेकिन निश्चय ही कोई भी सरकार आसानी से लोगों और गांवों को दूसरे देश में नहीं जाने देगी। ऐसा नहीं किया जायेगा। लेकिन प्रश्न यह है कि हमने उनसे समझौता किया हुआ है। सीमा निर्धारण का कार्य चल रहा है। हमारे साथ आप भी थोड़ा सन्तोष रखें। देखते हैं कि सामने क्या अन्तिम तस्वीर आती है और फिर निर्णय लेने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय होगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या बाड़ में बिजली लगाई जायेगी या यह एक आम कंटीले तारों की बाड़ होगी?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आप ऊर्जा मन्त्री से पूछिए।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : मैं श्री रीगन की चीन यात्रा के बारे में कुछ टिप्पण पूछना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जो समझौते वहां किये गये, वह उनकी कुछ प्रशंसा करते हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं अति संक्षेप में कहना चाहता हूं एक यात्रा अभी-अभी पूरी हुई है और सोवियत संघ से श्री आर्किपोव की चीन यात्रा होने वाली है या हो रही है। इन यात्राओं को विशेष सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : यह समान दूरी है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : कोई भी राष्ट्र किसी अन्य देश से सदा के लिए अनबन नहीं बनाये रख सकता। इस तरह प्रत्येक देश दूसरे देश खासकर जब वह पड़ोसी देश हो, के साथ सम्बन्ध सुधारने की कोशिश करता रहता है। इस तरह यह एक सतत् प्रक्रिया है, जिस पर इस प्रकार से निगरानी रखनी होगी। प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक मामले के परिणाम के बारे में और जांच करने की आवश्यकता है रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता है, और चुनावों आदि के बारे में अमरीकी समाचारपत्रों आदि में जो कुछ कहा गया है उसके अलावा अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। उन बातों के अलावा, राजनीति का सही मूल्यांकन बाद में ही किया जाता है, तत्काल नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी, क्या आप अपना स्थानापन्न प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि समानदूरी की धारणा अपने आप में कोई मामला नहीं है, यह एक धारणा है, अर्थात् जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तो आपको भी जब अमेरिका ने ग्रेनाडा पर कब्जा किया तो उसी प्रकार अपना पक्ष रखना था, वैसी ही राय प्रकट करनी थी। मेरा यही मतलब था। इसलिए मौखिक मतदान द्वारा आप निर्णय ले सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका मतलब है आप वापस नहीं ले रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्ताव प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :

"यह सभा, वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और उसके सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति पर विचार करने के पश्चात् सरकार से आग्रह करती है कि वह विदेश नीति को पुनः निर्धारित करे जिसमें पड़ोसियों के साथ मैत्री और दोनों महाशक्तियों से समान दूरी बनाये रखने के सिद्धान्त को प्राथमिकता दी जाए।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ !

8.35 म० प०

दहेज प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : श्री जगन्नाथ कौशल की तरफ से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि यह सभा दहेज प्रथा के बुरे परिणामों के बारे में काफी हद तक चिंतित रही है। विवाहित महिलाओं के प्रति दहेज के कारण उन्हें परेशान करने और अत्याचार करने के मामलों से निपटने के लिए सदन ने

पिछले सत्र के दौरान भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम में संशोधन किया।

वर्तमान विधेयक द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 का संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि दोनों सभाओं की संयुक्त समिति, जिसने अधिनियम के कार्यकरण के प्रश्न पर विचार किया था, की कई सिफारिशों को लागू किया जा सके। बहुत ही जल्दी, समिति की अन्य सिफारिशों में से कुछ को लागू करने के लिए सरकार का अन्य उपायों को हाथ में लेने का भी सुझाव है। उन उपायों में परिवार न्यायालयों की स्थापना भी शामिल है। दहेज की कुप्रथा से निबटने के लिए साक्ष्य अधिनियम सहित दंड कानून में कुछ अन्य संशोधन करने हेतु विधान प्रस्तुत करने का भी प्रस्ताव है।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, यह एक बहुत ही निराशावादी विधेयक है। यह तो एक मजाक है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ !

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

8.37 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र—जारी

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) अधिसूचना संख्या 107/84-के० उ०शु०, जो 9 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो ई० सी० श्रेणी की

सिलों, ई० सी० श्रेणी के बिलेटों, ई० सी० श्रेणी की तार-छड़ों और ई०सी० श्रेणी के तार-सरियों पर मूल उत्पाद-शुल्क की प्रभावी दर के बारे में है।

(दो) अधिसूचना संख्या 108/84-के० उ० शु०, जो 9 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसका आशय एल्यूमीनियम पर मूल उत्पाद शुल्क की प्रभावी दर को कम करना है।

(तीन) अधिसूचना संख्या 109/84-के० उ० शु०, जो 9 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 13 नवम्बर, 1982 की अधिसूचना संख्या 270/82-के० उ० शु० को विखण्डित किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—8364/84]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) अधिसूचना संख्या 123/84-सी० शु०, जो 9 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा एल्युमीनियम और उसके उत्पादों पर अतिरिक्त सीमा शुल्क (प्रति-सन्तुलनकारी सीमा शुल्क) की नई दरें निर्धारित की गई हैं।

(दो) अधिसूचना संख्या 124/84-सी० शु०, जो 9 मई, 1984 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 9 मई, 1980 की अधिसूचना संख्या 94-सी० शु० और 3 दिसम्बर, 1981 की अधिसूचना संख्या 264-सी० शु० को विखण्डित किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-8365/84]

———————

8.38 म० प०

समापन टिप्पणियां

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय मैं माननीय सदस्यों का उनके द्वारा इस सत्र के दौरान सरकारी कार्य पूरा करने में सहयोग देने के लिए धन्यवाद करता हूं।

यह सत्र अनेक प्रकार से विशेष है। इस सत्र के दौरान लोक सभा ने 43 विधेयक पारित किए हैं। हाल के वर्षों में बजट सत्र के दौरान इतना विधायी कार्य नहीं हुआ था। मुख्यतः बजट सत्र वित्तीय कार्य करने के लिए होता है किन्तु यह विपक्ष के सदस्यों द्वारा दिए गए सहयोग की प्रशंसा है कि वित्तीय

कार्य करने के अतिरिक्त सभा बड़ी मात्रा में विधायी कार्य भी कर सकी। विधायी कार्य के अतिरिक्त सभा ने राष्ट्र के बहुत महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की।

इस सत्र में उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, कर्मकार प्रतिकार (संशोधन) विधेयक, वाणिज्य जलयान (संशोधन) विधेयक जैसी महत्वपूर्ण मदों को भी पारित किया गया।

महोदय, अन्त में, मैं सभापति महोदय को उनके द्वारा मेरी ओर रुचि अपनाये रखने के लिए धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण हम लम्बे और थकाऊ बजट सत्र के अन्त पर हैं। सभा के कार्य को सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु सहयोग देने के लिए, सभा के नेता और सभी विपक्षी दलों के नेताओं का धन्यवाद करने में, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : हम गुट-निरपेक्ष का धन्यवाद करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह लम्बा सत्र था और कभी-कभी सभा को रात में देर तक बैठना पड़ता था और मध्याह्न के भोजन से भी वंचित रहना पड़ता था। सभा के सभी वर्गों और कर्मचारियों के इच्छा पूर्ण सहयोग के कारण ही कार्यवाही का सही संचालन सम्भव हो सका है। हमने वाद-विवाद को शांति-पूर्ण और सम्मानपूर्ण ढंग से संचालित किया है जबकि कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों पर सभा का वातावरण स्वभाविक रूप से उत्तेजित हो गया। मैं सदस्यों और कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूं।

सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

8.40 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

प्रबन्धक, मित्तल प्रिण्टर्स, के-13, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 द्वारा मुद्रित